खण्ड-381, अंक-4
गुरूवार, 18 आषाढ़, शक संवत् 1909
(9 जुलाई, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क—ङ
प्रश्नोत्तर	1—60
बाल विकास परियोजना, राजगढ़ मिर्जापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
पुलिस चौकी, आजमगढ़ के निकट की गयी हत्या के पोस्टमार्टम से सम्बन्धित डाक्टरों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
फैजाबाद जनपद के ग्रामीण शहरी अंचलों में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60—61
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राहजनी, लूटपाट, चोरी, डकैती तथा हत्या की घटनाओं में वृद्धि होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61—62
श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, सेवरही देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
आवास विकास परिषद् द्वारा घोषित दवाई योजनाओं के नाम पर जनता से लाखों रुपए की वसूली होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	62—63
मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	63
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	63—70
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981—82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	71
'समाचार ब्यूरो' नामक पत्रिका के विरुद्ध दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की सूचना	71—73
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना	73—74
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	74—75
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	76—84
वित्तीय वर्ष 1987—88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) तथा अनुदान संख्या 75-क—सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ..	85—152
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन हेतु दी गयी सूचना	152—153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	153
राष्ट्रीय बालिका विद्यालय जूनियर हाई स्कूल बाबूगंज, लखनऊ की जूनियर हाई-स्कूल में उत्तीर्ण छात्राओं को टी0सी0 न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	153—156
टिहरी बांध परियोजना के कार्य की प्रगति की स्थिति के विषय में नियम 49 के अंतर्गत चर्चा	156—163
नत्थियां	164—168

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ॐ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 9 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद 'डम्पी', श्री	नैनीताल	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	परमाई लाल, श्री	हरदोई
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	बालेश्वर, श्री	देवरिया
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती	खीरी	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र भाटी, श्री	बाजियाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
त्रियुगी नारायण मिश्र, श्री	गोरखपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
दूघनाथ, श्री	जौनपुर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
देवता दीन, श्री	बहराइच	मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री	बदायूं
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर		
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं		

रमाकान्त, श्री	आजमगढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा	वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी	शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी	श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
राम जनम, श्री	आजमगढ़	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
राम सजीवन, श्री	बांदा	सुखदा मिश्रा,श्रीमती	इटावा
राम सरन दास, श्री	सहारनपुर	सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
राम सागर, श्री	बाराबंकी	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर	हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर	हीरा सिंह विष्ट, श्री	देहरादून
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गेहूं, जौ, चना व सरसों का क्रय मूल्य निर्धारण

**1—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी तथा श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 86-87 के लिए गेहूं, जौ, चना, सरसों का खरीद मूल्य संस्तुत करने के लिए शासन स्तर पर कोई बैठक हुई थी ? यदि हां, तो कब और उपरोक्त फसलों के लिए प्रति क्विंटल कितना मूल्य निर्धारण करने के लिए संस्तुति की गई थी ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी हां ।

9 सितम्बर, 1986 ।

यह सूचना देना जनहित में उचित नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, एक इतने बड़े अहम् प्रश्न पर मा0 मंत्री जी ने जनहित का प्रश्न उठाकर इसे सदन से छिपाने की कोशिश की है । मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी से । जनहित में आप यह नहीं बता सकते कि कितने मूल्यों की संस्तुति की है, परन्तु यह तो बता सकते हैं कि संस्तुति तो आपने की है, और यदि की है तो वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसका आधार क्या है और उसी के अनुसार आप निश्चित रूप से किसानों के लाभ का प्रतिशत सुझाते होंगे, तो वह लाभ का प्रतिशत क्या सुझाया है, जो मूल्य सुझाए हैं, उसके सुझाव को निर्धारण का आधार क्या है और मान्यवर, उसमें किसानों के लाभ का क्या प्रतिशत आपने सुझाया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इसमें जिन बिन्दुओं का विचार किया जाता है, उसमें है मानवीय श्रम, पशु श्रम, मशीन, बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और भूमि का क्षेत्रफल, मान्यवर, इन सबका विचार किया जाता है । इसमें मान्यवर, किसानों के लिए लाभांश का भी प्रतिशत रखा जाता है और परिवहन एवं विपणन व्यय भी रखा जाता है । जोखिम एवं प्रबन्ध कौशल को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैंने लाभ का प्रतिशत पूछा है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अभी तो हरीश जी, के ही प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है । उन्होंने जानना चाहा है कि लाभ का जो प्रतिशत किसानों के लिए उनकी उपज की लागत को देखकर दिया जाता है, वह क्या है ? मान्यवर, मैं भी समझता हूं कि मा0 मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, आप स्वयं उस पर विचार करें कि क्या यह जनहित के नाम पर

इसका उत्तर छिपाया जाना चाहिए । प्रदेश के किसानों को यह जानने का हक है या नहीं कि इस प्रदेश की सरकार उनकी उपज की कीमत तय कराने के लिए क्या उपाय कर रही है । किसानों को अंधेरे में रखा जाय तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए हरीश जी के आधे प्रश्न का उत्तर दिला दें कि लाभ का प्रतिशत क्या है और सरकार ने गेहूं, जौ, चना, सरसों इनकी प्रति क्विंटल लागत व्यय क्या आंका है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैंने यह बताया कि क्या-क्या आधार हैं, किन-किन बिन्दुओं पर इस पर ध्यान रखा जाता है । यह मैंने स्पष्ट कर दिया । माननीय हरीश जी ने लाभांश के प्रतिशत की बात कही । वह 10 से 15 प्रतिशत लाभांश का ध्यान रखा जाता है । इसके अलावा विपणन व्यय और जोखिम का भी ख्याल रखा जाता है ।

श्री कल्याण सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि गेहूं, जौ, चना-इनका लागत व्यय कितना आंका गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह बड़ी बुद्धिमानी से उस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं । अगर मैंने वह बता दिया कि इतना उत्पादन लागत आता है तो वह उसमें लाभांश जोड़ करके निकाल लेंगे । मान्यवर, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच जो पत्र व्यवहार होता है, यह गोपनीय रखा जाता है । इसलिए यह जनहित में नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, प्रति क्विंटल लागत मूल्य क्या आंका गया ? मान्यवर शासन के कृषि विभाग ने अधिकतम उपज के लिए कितनी खाद, कितना पानी, कितना बीज-इन तीनों का मूल्य निकालने के बाद इसका कितना लागत मूल्य आता है ? मैक्सिमम उपज प्राप्त करने के लिए क्या आधार निर्धारित किए हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने और अधिक बुद्धिमत्ता से इसे जानने की कोशिश की । मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया इसको डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है । इसलिए मैंने इसका उत्तर नहीं दिया ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को अपने पत्र व्यवहार में क्या लिखा, उसकी गोपनीयता को मैं नहीं जानना चाहता । मैं जानना चाहता हूं कि उ0 प्र0 शासन के कृषि विभाग ने जो गेहूं, सरसों, चना, जौ इन चारों चीजों की क्या कीमत आंकी है, जो उसके ऊपर लागत मूल्य आता है । शासन ने उत्पादन लागत क्या आंकी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य बरार जी उसको उसी तरह से जानना चाहते हैं । इसलिए मैंने कहा कि जनहित में नहीं है ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, कृषि विभाग के अधीन बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिसमें एक कानपुर में है, पंतनगर में है । इन विश्वविद्यालयों से जो वहां पर सारा सर्वेक्षण होता है, उसकी एक पुस्तक निकलती है । उसमें सारी लागत लगाने के बाद जो मूल्य होना चाहिए इन सारी वस्तुओं का उसका उसमें उल्लेख रहता है । 1984-85 में इन चीजों का, जिसका प्रश्न में जिक्र है, गेहूं, जौ, चना और सरसों—क्या लागत मूल्य निकाला गया था ? कृषि विश्वविद्यालयों में एक से एक वैज्ञानिक बैठे रहते हैं, रिसर्च करते हैं, वह लागत निकालते हैं । उनके लागत मूल्य को ध्यान में रखकर क्या प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को संस्तुति दी ? अगर भारत सरकार को पत्र भेजते समय उनकी बात का ध्यान नहीं रखा गया तो उसका क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जब हम सिफारिश करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्व-विद्यालय हैं, उनके कुलपतियों की भी समिति है, वह समिति इस संबंध में विचार करती है और अपनी संस्तुति सरकार को भेजती है । यहां पर जो समिति है, मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति, वह उस पर विचार करती है ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, तीनों विश्वविद्यालयों की जो रिपोर्ट आती है, उसमें से एक विश्व-विद्यालय की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूं । चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्व-विद्यालय, कानपुर के प्रोफेसर श्री राम मिलन सिंह जी ने एक रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसमें उन्होंने 1986-87 के लिए गेहूं की लागत मूल्य 243.43 रुपए की अनुशंसा करके शासन को भेजी है और इसी प्रकार की रिपोर्ट राजा बलवन्त सिंह कृषि विद्यालय, आगरा ने भी भेजी है ? एक क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए कितना खाद, कितना बीज, कितनी भूमि, श्रम, मशीन का श्रम और लाभ हानि, इन सबको मिलाकर प्रति क्विंटल कितना खर्च आता है, इसे बताने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट का जिक्र किया है, वह इस समय मेरे सामने नहीं है । जैसा कि मैंने बताया कि तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति है जो बैठकर मूल्यों की संस्तुति करती है, उसके बाद सरकार उस पर विचार करती है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, 1971 में जो क्रय मूल्य था, वह अब केवल दुगुना किया गया है और जो लागत मूल्य है, उसमें 3.4 गुने की वृद्धि हुई है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई कृषि फार्म भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई कर्मचारी भी नियुक्त किए हैं । वहां पर खेती भी होती है और उत्पादन भी होता है और उनकी वार्षिक रिपोर्ट भी मंत्री जी के पास आती होगी । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो चीजें प्रश्न में सन्दर्भित की गई हैं, उन सब पर लागत

मूल्य कितना आता है और जो मूल्य निर्धारण समिति है, उसमें कितने किसानों की भागेदारी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक किसानों की भागेदारी का सवाल है, इसमें 2 प्रतिनिधि किसानों के होते हैं । दूसरा सवाल श्री शाही जी ने जो किया है, उसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उप-कुलपतियों की एक समिति है जो मूल्य निर्धारण के अनुशंसा करती है और फिर उसे मूल्य निर्धारण समिति को भेजती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उप-कुलपतियों की समिति ने 1986-87 के लिए प्रश्न में सन्दर्भित चीजों के लिए क्या अनुशंसा की थी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य अपना प्रश्न फिर से दोहरा दें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कुलपतियों की जो समिति है, उसने मूल्य निर्धारण समिति को, प्रश्न में सन्दर्भित चीजों के लिए कितने मूल्य की अनुशंसा की थी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हर प्रकार से घुमाफिरा कर वही बात जानना चाहते हैं कि मैंने बताया उसका जाहिर करना जनहित में नहीं है ।

श्री आसान सिंह—

मान्यवर, आप जानते हैं कि किसान को किस तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है ।

(अपना पैन दिखाते हुए)

इस कलम का जो उत्पादक है वही इसका मूल्य निर्धारित करता है और वही लाभांश, लेकिन किसान को किस प्रकार अंधेरे में रखा जाता है, उससे पूछा भी नहीं जाता है कि क्या दाम रखा जाय । मैं जानना चाहता हूं कि जैसे अन्य उत्पादकों का दाम उत्पादक ही निर्धारित करता है, उसी प्रकार से किसानों की समिति बनाकर किसानों को ही अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने देने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सभी सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत हैं कि यह जो मूल्य निर्धारित होता है, यह समर्थन मूल्य है, मैं इसे लाभप्रद मूल्य नहीं कहता, जिसको कि भारत सरकार घोषित करती है । इससे अधिक मूल्य पर तो कोई भी किसान बेच सकता है । जैसा इस वर्ष देखा गया, गत वर्ष भी देखा, सरकार ने इतनी छूट दी जिससे बाजार की कीमत सपोर्ट प्राइस से ज्यादा रहे । सरकार का इरादा किसान की मदद करने का है और उसके लिए सरकार पूरा प्रयास करती है ।

श्री विजय सिंह राणा—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि लाभांश 10 से 15 प्रतिशत है और जोखिम और कवरेज का परसेंटेज क्या है, यह बता दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अलग-अलग फसलों पर अलग-अलग होता है । वैसे 5 से 10 प्रतिशत तक है ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अब तो आपका ही संरक्षण चाहता हूं । इतने सवाल किए गए हैं, लेकिन उसका कोई उत्तर संतोषजनक प्राप्त नहीं हुआ । यह प्रश्न ऐसा है जो प्रदेश के करोड़ों किसानों की जीविका से जुड़ा हुआ है, "जनहित में बताना उचित नहीं है" यह आड़ लेकर सरकार कोई चीज बताने के लिए तैयार नहीं है । एक निवेदन है कि इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ताकि हमको अपनी बात कहने का मौका मिले और सरकार को अपनी बात कहने का मौका मिले । नियम 49 में चर्चा दे दीजिए । 20 मिनट लगे एक प्रश्न का उत्तर लेने में, लेकिन फिर भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है । प्रदेश का किसान जानना चाह रहा है कि सरकार का उसके प्रति क्या रुख है । इतने ज्वलंत सवाल को सरकार "जनहित" कहकर छिपा नहीं सकती, आप हमारा अधिकार संरक्षित करें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 49 में माननीय कल्यान सिंह जी सूचना दे दें, मैं इसे देख लूंगा ।

प्रदेश की नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी वसूली समाप्त करने पर विचार

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी वसूली समाप्त न किए जाने का कारण क्या है ? यह व्यवस्था कब तक समाप्त कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

प्रदेश की नगरपालिकाओं से चुंगी कर समाप्त करने का निर्णय अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है क्योंकि चुंगी कर नगरपालिकाओं की आय का प्रमुख स्रोत है और इससे उन्हें प्रतिदिन आय होती है जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं का निर्वहन करने में सक्षम हो पाती हैं ।

8 वर्ष पूर्व प्रदेश की टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया में चुंगी कर समाप्त कर देने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है । पालिकाओं में यह कर समाप्त करने पर उनकी आर्थिक स्थिति भी शोचनीय हो जायेगी ।

फिलहाल पालिकाओं में चुंगी कर व्यवस्था समाप्त करना प्रस्तावित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अगर आय का कोई भी साधन रोक दिया जाय तो स्वाभाविक है कि आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, लेकिन चुंगी वसूल करने की जो वर्तमान पद्धति है वह दोषपूर्ण होने के कारण चोरी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण न तो सरकार को ही उसका लाभ मिल पाता है, न राजस्व की प्राप्ति हो पाती है और न व्यापारियों को ही उससे लाभ होता है । क्या इन सब स्थितियों को देखते हुए कि कर वसूली में जो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया विद्यमान है और जिसके कारण सरकार को भी राजस्व की हानि होती है, जैसा कि स्थानीय व्यापारियों ने आपसे समय-समय पर मांग की

है और इस संबंध में कई कमेटियां भी बनी और उनकी भी रिपोर्ट सरकार के पास आई कि उत्तर प्रदेश में ऐसी प्रक्रिया को समाप्त कर राजस्व प्राप्ति के लिए वैकल्पिक साधन को अख्तियार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

इस बिन्दु पर समय-समय पर मांग की जाती रही है और इस संबंध में पपोला कमेटी उत्तर प्रदेश में बनी थी उसकी भी संस्तुति यही थी कि चुंगी की वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त करके दूसरे कर लगाए जायं । हमने इस संबंध में दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कराया विशेष कर मद्रास का जहां मनोरंजन कर और प्रोफेशनल टैक्स लिए जाते हैं । हमारे यहां प्रोफेशनल टैक्स का विरोध हुआ । अभी तक यहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पायी है कि नगरपालिकाओं की आमदनी का स्रोत बढ़ाया जा सके और इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाय । हम इस संबंध में अन्य राज्यों में भी अध्ययन करा रहे हैं कि कौन से आमदनी के स्रोत वहां पैदा किए गए हैं ?

डा0 दिनेश जौहरी—

आजकल प्रदेश में नगरपालिकाओं में चुंगी की चोरी होती है । नीचे स्तर से ऊपर के स्तर तक का हर अधिकारी इस चोरी में लिप्त है । तो क्या इस चुंगी की चोरी को रोकने के लिए सरकार कोई प्रभावशाली योजना बनाने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपका सहयोग वे चाहेंगे ।

श्री हुकुम सिंह—

डाक्टर जौहरी जैसे सजग सदस्य का हमें सहयोग चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी भी इस बात से सहमत हैं कि इस संबंध में अलग-अलग कमेटियां बनी और उन्होंने अपनी-अपनी सिफारिश भी की कि इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाय । पपोला कमेटी ने भी कहा कि इसको समाप्त करना चाहिए । वैकल्पिक कर में स्थानीय कर बहुत से ऐसे हैं जैसे मनोरंजन कर आदि जिनको कि यदि नगरपालिकाओं को ट्रान्सफर कर दिया जाय तो नगरपालिकाओं को भी पता रहे कि इतना टैक्स हमको मिलेगा । अभी तक देखने में यह आता है कि जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, वे सब सरकार की चेली बन गयी हैं । कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर आप इसको समाप्त कीजिए । क्या इस सुझाव पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

जिस कमेटी का हमने हवाला दिया, उसने चुंगी के स्थान पर इन्ट्री टैक्स की सिफारिश की थी जिससे कि सेल्स टैक्स पर सरचार्ज हो जाता । हमने एक नोटीफाइड एरिया में यह टैक्स समाप्त किया था, लेकिन आज तक वहां इन्ट्री टैक्स लगा पाना सम्भव नहीं हो सका । यहां की 66 परसेंट जनता नोटीफाइड एरिया में रहती है और शेष 44 परसेन्ट नगरपालिकाओं में रहती है । भार सरकार के ऊपर ही है । करीब-करीब 11 करोड़ का भार चुंगी माफ करने के बाद सरकार को देना पड़ रहा है। यह माफ करेंगे तो 50-55 करोड़ रुपए का भार सरकार पर आयेगा, तो हमें यह सोचना है कि इसके अन्य साधनों से किस प्रकार से पूरा किया जाए ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में टाउन एरिया और नोटीफाइड टाउन एरियाज में चुंगी समाप्त कर दी गयी है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अब भी कुछ टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में चुंगी लगी हुई है, तो क्या माननीय मंत्री जी इसको समाप्त करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस प्रकार का शासनादेश है कि किसी भी टाउन एरिया और नोटीफाइड टाउन एरिया में टैक्स लागू नहीं होना चाहिए और अगर कहीं पर है, तो माननीय सदस्य उसकी जानकारी दे दें, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

असामयिक अतिवृष्टि से प्रदेश की रबी फसल को क्षति तथा बीमा क्लेम के कृषकों को सहायता

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि अप्रैल तथा मई, 1987 में हुई भारी और असामयिक वर्षा तथा अतिवृष्टि से उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर पश्चिमी भाग में खड़ी तथा कटी हुई रबी की फसल को भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो उन कृषकों, जिनकी फसल का बीमा हो चुका था, को बीमा का क्लेम दिलाने के लिए सरकार क्या-क्या सहायता कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां । वर्षा से विशेष रूप से कटी हुई फसल को अधिक क्षति हुई है ।

फसल बीमा योजना में फसल बोने से काटने तक की अवधि में होने वाली क्षति के लिए ही बीमा होता है । योजना के निर्धारित प्रक्रिया अनुसार देय मुआवजा कृषकों के ऋण समायोजित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था वह खड़ी और कटी दोनों फसलों के बारे में प्रश्न किया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कटी हुई फसल के बारे में बता दिया कि कोई बीमा उन पर देय नहीं है, लेकिन जो खड़ी हुई फसल है, क्या उसके बारे में माननीय मंत्री जी इस बात का प्रचार करायेंगे कि जो बीमा क्लेम फाइल करने हैं, वह खड़ी हुई फसलों के बारे में फाइल किये जायें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, मैं इस प्रकार की व्यवस्था करा दूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात पर भी विचार करेगें कि ओला वृष्टि से जो फसल का नुकसान हुआ है, उन सभी को भी बीमा की धनराशि दिलाने की कृपा करेगें । मान्यवर, हमारे क्षेत्र चंदवार में ओला पड़ा लेकिन वहां के किसानों को बीमा का धन नहीं दिया गया है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, फसल बीमा योजना के बारे में सदन में कई बार और कई तरह के प्रश्न आये हैं और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह योजना उन लोगों के लिये है जो ऋण लेते हैं, सहकारी बैंकर्स या बैंकों से, उन पर यह योजना लागू होती है और यह एक सीमित योजना है और इससे किसानों का बहुत अधिक फायदा नहीं है । कई प्रदेशों ने इस योजना को छोड़ दिया है । अगर सभी माननीय सदस्य सहमत हों तो मेरा सुझाव है कि फसल बीमा योजना के बारे में विचार विमर्श करने के लिये एक बैठक आमंत्रित कर लूंगा और माननीय सदस्य जिस तरह के सुझाव देगें उन पर विचार किया जायेगा और उसी के अनुरूप भारत सरकार को लिखा जायेगा ।

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कि पिछली बार जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें बस्ती जिले के बहुत सारे क्षेत्र जैसे हरैया, डुमरियागंज और बस्ती सदर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुये थे और किसानों की खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ था और तमाम अरहर के फूल झड़ गये थे। उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी वहां के किसानों को क्या राहत देने जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वर्तमान योजना में जो भी प्राविधान है उसके तहत जो भी किसान और जो भी क्षेत्र आते होंगे उनको जरूर मदद मिलेगी और मुआवजा दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोटद्वार भावर में चक्रवात और ओला-वृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ है । इस सम्बन्ध में मैंने ए0 पी0 सी0 को भी सूचना भेजी थी । जब किसान लोग सम्बन्धित अधिकारियों के पास इस हेतु गये कि उन्हें मुआवजा दिया जाय तो उन्होंने उसमें कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और अनभिज्ञता जाहिर की कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस तरह के निर्देश अपने अधिकारियों को देंगे कि किन-किन मानकों के आधार पर किसानों की फसल बीमा का मुआवजा दिया जा सकता है और उसके आधार पर क्या माननीय मंत्री जी कोटद्वार भावर के उन किसानों को मुआवजा देने का भी निर्देश देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि जो-जो क्षेत्र इस ओला-वृष्टि से प्रभावित हुये हैं और इसके लिये जो प्राविधान है उसके अन्तर्गत जो भी किसान प्रभावित हुये हैं, यदि वे उसके अन्तर्गत आते हैं उसका असेसमेंट किया जायेगा,

अवश्य मुआवजा मिलेगा । इसमें कोई व्यक्ति-विशेष या क्षेत्र-विशेष की बात नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी अपने जवाब में कह रहे थे कि जरूर होगा, विचार होगा, यह होगा और जाने क्या-क्या होगा। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। पहले सवाल को तो उन्होंने गोपनीयता के आधार पर टाल दिया । उसका जवाब तो किसान सड़कों पर ले लेंगे, आप चिन्ता न करें . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। मंत्री जी ने कहा कि जो पड़ी फसल थी उसको बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा । लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि किसानों को उनकी खड़ी फसल का लाभ भी नहीं मिला और आपके अधिकारी किसानों को हतोत्साहित कर रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पड़ी फसल का तो मुआवजा नहीं दे रहे हैं तो क्या खड़ी फसल वालों को इस बीमा योजना का लाभ दिलायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अगर माननीय सदस्य किसी विशेष जगह की हमें जानकारी दे देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा योजना है वह पश्चिमी ढंग से बनायी गई है जहां कि फसल मशीनों से काटी जाती है और हमारे यहां यह बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के लिये है जब तक वह खलिहान से नहीं उठती है तब तक उसके नुकसान होने का डर बना रहता है लिहाजा यहां पर वह प्राकृतिक आपदाओं तक एक्सपोज्ड है, इसलिए उसकी अवधि बढ़ाई जाय । इसलिये जो खड़ी फसल की बात आयी है, उसका क्लेम क्या आप एक महीने के अंदर दिलवा देंगे क्योंकि अगली फसल बोने के लिये किसानों को पैसा चाहिए । इसलिये क्या आप उनका पैसा एक माह के अन्दर दिलवा देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

फसल बीमा योजना के बारे में मैंने निवेदन किया कि इसमें बहुत चर्चा की जरूरत है और विचार-विमर्श की जरूरत है। इसीलिये मैंने अपनी तरफ से कहा कि मैं एक बैठक बुलाना चाहता हूं और उसमें सभी सम्मानित सदस्यों की राय जानना चाहता हूं ताकि उस पर विचार करके हम अपनी सिफारिश केन्द्र को भेज सकें। वैसे हमारे ख्याल में जो आया था हमने उसके बारे में केन्द्र को लिखा है। चूंकि मौजूदा जो फसल बीमा योजना है उसके बारे में मैंने कई बार कहा वह तो मात्र क्रेडिट इंशोरेन्स है, क्राप इंश्योरेन्स

प्रैक्टिली वह है नहीं। तो इस बारे में विचार विमर्श हो सकता है उसमें माननीय सदस्य बरार साहब हैं, वर्मा जी है, किरन पाल सिंह भी है वह तो यहां केवल हमें धमकाते रहते हैं, समझने वाली बात उनको नहीं है..

श्री किरन पाल सिंह—

एक महीने वाली बात का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय किरन पाल सिंह जी, जवाब देने दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वैसे अगर वह सिरकत करना चाहेंगे तो उनको बुलायेंगे। जहां तक कितने समय में दे दिया जायेगा, की बात है इसकी तो एक प्रक्रिया है हमारी तरफ से प्रयास होगा, उनको लिखेंगे कि जल्दी एक्सीपिडाइट करा दें ताकि किसानों को मदद हो सके क्योंकि किसानों की मदद करने का इरादा सरकार का पूरी तरह से है।

वर्तमान चुंगीकर वसूली प्रक्रिया का संशोधित प्रारूप

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चुंगी वसूली की वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने का संदर्भ शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो संशोधित प्रारूप क्या है तथा उस पर शासन द्वारा निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

चुंगीकर को वस्तुओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में आधारित किया जाना प्रस्तावित है। यह प्रस्ताव मंत्रि-परिषद् द्वारा गठित एक मंत्रियों की समिति के विचाराधीन है। उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी जो इसके पहले प्रश्न था वह और यह एक दूसरे से मिलते जुलते प्रश्न हैं। उसमें मंत्री जी ने यह कहा था कि सरकार यह तो सही समझती है कि चुंगी-कर प्रणाली दोषपूर्ण है लेकिन जो संशोधन पर विचार किया जा रहा है उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है क्योंकि उसकी वसूली की प्रक्रिया वही रहेगी, भ्रष्टाचार वही रहेगा और लोगों की निराशा वही रहेगी। इसलिये मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो कमेटी की बात है उसमें प्रवेश कर की बात कही है जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है तो वह क्या है और उसके संबंध में सरकार का सम्प्रति मत क्या है?

श्री हुकुम सिंह—

जब प्रवेश कर की बात कही थी तो वह चुंगी कर से अलग कर है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है इसके मूल उत्तर में कहा है कि चुंगीकर को वस्तुओं के मूल्य के प्रतिशत के रूप में आधारित किया जाना प्रस्तावित है। इसी को आधार मान कर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कई राज्यों का भ्रमण भी किया था, दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में गये और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दी है उसका परीक्षण करने के लिये उप-समिति बनाई है जो प्रक्रिया उन्होंने सुझाई है उसका अध्ययन करने के बाद जो सुझाव सामने आयेंगे उन पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, नगर विकास एक कल्याणकारी होना चाहिये । तो नगर विकास में चुंगी की चोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको वह रोक नहीं पाये हैं, लोगों को पानी शुद्ध दे नहीं पा रहे हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है, चोरी रुक नहीं रही है और शुद्ध पानी दे नहीं पा रहे हैं तो इस विभाग को स्वास्थ्य विभाग में विलय करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो नीतिगत प्रश्न है ।

श्री गोपाल दास यादव–

इसका जवाब दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है, नीति का मामला है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रस्तावित योजना विचाराधीन है। तो इसमें भी व्यवस्था वही रहेगी । योजना कोई बना लें लेकिन चोरी तब भी रहेगी । मेरे पहले प्रश्न को वैसे ही आपने भी और मंत्री जी ने भी हंस कर टाल दिया । परेशानी का वायस यही है कि नगरपालिकाओं की जितनी आमदनी होनी चाहिये वह उतनी नहीं है । जो अब प्रस्तावित योजना देंगे उसमें चोरी रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम आप उठा रहे हैं, वह बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपके मार्ग दर्शन में मैंने पहले भी यही कहा था कि जितने सम्मानित सदस्य हैं उनका सहयोग हमें मिलेगा और उसका लाभ उठाकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे । जहां तक भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और उनको हटायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या यह सही है कि वर्तमान संशोधित प्रणाली की चर्चा मंत्री जी ने किया है वह हिन्दुस्तान में कहीं लागू नहीं है, महाराष्ट्र को छोड़कर, इनकी कमेटी महाराष्ट्र भी गयी थी और तमिलनाडु भी गयी थी । हमारी लेटेस्ट जानकारी है कि महाराष्ट्र भी इस पद्धति को लागू करते रहने पर पुनर्विचार कर रही है, इस कारण संशोधित पद्धति लागू होगी तो यह रोग और भी भयंकर हो जायेगा । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जैसा डा0 जौहरी ने कहा कि तंत्र और व्यवस्था वही रहेगी, वसूली वाले वही रहेंगे, केवल भार की मात्रा के बजाय मूल्य के ऊपर चुंगी हो जायेगी, तो वह पद्धति और भी शोषण की हो जायेगी । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में जैसा कि हमारे प्रदेश की कमेटी ने संस्तुत किया है, जो स्थानीय करों से वसूली होती है, उसका हिस्सा देकर नगरपालिकाओं की आय बढ़ा दी जाये और इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाये, इसको न करने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में अहमदाबाद इसी प्रणाली से वसूली की जा रही है और केवल अहमदाबाद महापालिका से 40 करोड़ रुपये की चुंगीकर आता है । जहां तक चोरी और भ्रष्टाचार की बात है तो यह बीमारी है जिसका निदान हम सबको मिलकर करना है ।

मान्यवर, जहां तक इस प्रणाली को समाप्त करने की बात कही और चुंगी हटे तथा आय भी स्थानीय निकायों की बढ़े, तो इस भार को यदि सरकार लेती है तो कर लगाना पड़ेगा । टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में चुंगीकर समाप्त किया गया तो पैसेंजर टैक्स 2 प्रतिशत बढ़ाकर 11 करोड़ रुपये का उनके लिए प्राविधान किया गया । इसी प्रकार नगरपालिकाओं में समाप्त करने पर कहीं न कहीं कर बढ़ाना पड़ेगा जिसका विरोध होगा । इसलिए इस पर विचार करके तदर्थ निर्णय लेना होगा, तो सारा यह प्रकरण विचाराधीन है और विचार के बाद ही यह कोई चीज बनती है ।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, नगरपालिका छिबरामऊ के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध चुंगी चोरी की शिकायतें की गयीं और वह विचाराधीन हैं, क्या उन पर कुछ निर्णय हुआ यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष –

यह तो व्यक्तिगत आपने सूचना दी है ।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट–

मान्यवर, नगरपालिकाओं में चुंगी चोरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं तो उसको दिखवायेंगें, ऐसी शिकायतें पैंडिंग हैं, तो उनके पूरा होने की जानकारी मंत्री जी को है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष –

लिखकर आप मंत्री जी को दे दें तो वह जांच करवा लेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार –

मान्यवर, पिछले 10-12 वर्षों से केन्द्र में विभिन्न सरकारों की बैठकों में तय हो चुका है कि चुंगी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और इसके कारण करोड़ों रुपये की डीजल और अन्य सामानों में टैक्स की चोरी होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार अब निर्णय करेगी कि चुंगी के बजाए सेल्सटैक्स या अन्य करों को बढ़ाकर, जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त होने वाली धनराशि दे दी जाए जिससे यह समस्यायें सारी समाप्त हो सकें ?

श्री हुकुम सिंह –

केन्द्र सरकार की भी एक समिति है जो अभी भी बनी है वह उच्चतम अधिकारियों की समिति है, जो इन तमाम प्रकरणों पर विचार कर रही है । यदि उनकी कोई संस्तुति आती है इस संबंध में, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद स्थित कतिपय ग्रामों में जलनिगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों को ठीक कराने के आदेश

*1–श्री रघुबर दयाल धर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम नगला शेख (चंदवार) नगला मुल्ला, उस्मानपुर, गड़ी तिवारी (चंदवार) रामदासपुरा, बरीका नगला वजीरपुर, सेलई, सुजातगढ़ वजीरपुर जहेलपुर, सिकहरा, सेगई,

बरामई मडुला आदि में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु लगाये गये हैण्ड पम्प करीब एक वर्ष से खराब हैं और बन्द पड़े हैं, जिससे लोग पानी को तरस रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें तुरन्त ठीक कराने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह –

जनपद आगरा के फिरोजाबाद के प्रश्नगत गांवों में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु लगाये गये 37 हैण्ड पम्प में से 10 हैण्ड पम्प 4 से 6 माह की अवधि से मेंकेनिकल अथवा बोरिंग की खराबी के कारण खराब हैं ।

इन्हें तुरन्त ठीक कराने के लिए जल निगम के संबंधित अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी फिरोजाबाद को निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मंत्री जी यह जानकारी देंगे कि मैंने यह प्रश्न 18-4-87 को इसी सत्र में किया था और सूचना एकत्र करने की जानकारी दी थी । मान्यवर, आप देखें कि 18 से आज बैठे हैं, 3-4 महीने तो यहीं हो रहे हैं । कुओं के जल स्तर नीचे चले गये हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के पास 4-6 महीनों से हैण्ड पम्प खराब की सूचना दी गयी थी उनको अभी तक न ठीक कराने के क्या कारण हैं ? लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ क्या मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 37 हैण्ड पम्पों मे से 10 हैण्ड पम्प 4 से 6 माह की अवधि से खराब हैं। जिन गांवों की सूची माननीय सदस्य ने दिया हैं उनका हमने परीक्षण करा लिया हैं सूची लम्बी हैं, इसलिए किसी विशेष गांव के बारे में जानकारी वह चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं । जहां तक अधिकारियों के विरुद्ध काम करने की बात हैं, तो इसके बारे में, पहले भी प्रश्न किए गए हैं, कार्यस्थगन के बारे में श्री गुप्त जी ने प्रश्न उठाया था कि हैण्ड पम्प निर्माण का काम जल निगम कर रहा हैं । तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि नीति यह रही हैं कि गांव पंचायतों को हैण्ड पम्प निर्माण के बाद दे दिए जाते हैं उनमें से कुछ खराब रहे और कुछ जल निगम के पास हैण्ड पम्प रहे और इनके पास जितने थे उनमें दो हैण्ड पम्पों के बारे में शिकायतें आईं और शेष चल रहे हैं । लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए जल निगम को आदेश भेजे गये कि जो हैण्डपम्प गांव पंचायतों के पास खराब हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाये ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, उत्तर में ही हैण्डपम्प खराब बताये गये हैं । यही तो समस्या हैं, जो इन्होंने आदेश दिए हैं जल निगम और खंड विकास अधिकारी को । यह बात डेढ़ साल से शासन के विचाराधीन चल रही हैं कि ग्राम पंचायतों में लगे हैण्डपम्पों के लिए खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे, जल निगम नहीं । ग्राम प्रधानों से कहा गया तो वह इन पम्पों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल कर्मचारी नहीं हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिन गांवों का उल्लेख किया गया हैं, इन ग्रामों के हैण्ड पम्पों के रख-रखाव की जिम्मेदारी इस समय किन की जल निगम की और किन-किन की ग्राम प्रधानों ने लिया हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

इसमें पूरे ब्लाक में 253 हैण्डपम्प लगाये गये हैं जिनमें 105 पंचायत राज विभाग को ट्रांसफर कर दिए गए हैं । जिन गांवों की बात कही गई है उनमें एक विशेष गांव की बात कहें तो हम बता दें चूंकि गांवों की सूची लम्बी है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं गांवों का उल्लेख करना चाहता हूं । मंत्री जी गढ़ी तिवारी, सिकहरा, सुजातगढ़, बरीका नगला वजीरपुर, सेलई में हैण्डपम्प एक साल से खराब पड़े हैं उनको अभी तक ठीक नहीं कराया गया है । ग्राम प्रधानों को सुपुर्द कर दिए गए हैं जिनमें बोरिंग की खराबी खराबी है । लेकिन क्या बोरिंग की खराबी को ठीक करने के आदेश जल निगम को देंगे चूंकि 65 रुपये एक हैण्डपम्प के लिए एक ग्राम सभा को दिया है । इन हैण्डपम्पों की एक मैकेनिकल खराबी में 250 रुपये ठीक कराने में लगते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि 65 रुपये में ठीक नहीं होगा और दूसरे बोरिंग एवं मैकेनिकल का मिस्त्री भी विकास खंड में नहीं है, तो इनको ठीक कराने की क्या व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जिन हैण्ड पम्पों की बोरिंग खराब हो गई है, जल स्तर नीचे चला गया है, उनको ठीक कराने की जिम्मेदारी जल निगम को दी जायेगी और जिनमें थोड़ा बहुत काम करना है, मरम्मत करनी है, उनकी जिम्मेदारी गांव सभा की रहेगी । जो बोरिंग की कमी के कारण है, उसकी जिम्मेदारी जल निगम को दे दी गई है । जो वर्मा जी ने नाम बताए, नगला शेख के तीनों हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं । सुजातगढ़ में लगे हैण्ड पम्प मैकेनिकल खराबी के कारण लगभग 4 माह से खराब हैं । बी0 डी0 ओ0 से ठीक कराने के लिए कह दिया गया है । सेकहरा क्षेत्र में लगे हैण्ड पम्पों में से 2 हैण्ड पम्प जल स्तर नीचे होने के कारण 6 माह से खराब हैं, उनको भी शीघ्र ठीक कराने के लिए कह दिया गया है ।

श्री शैलेन्द्र कुमार–

अब जो शासनादेश हुआ है कि खण्ड विकास अधिकारी और पंचायतराज अधिकारी द्वारा यह हैण्ड पम्प ठीक कराये जायें तो उसकी इनकी कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है जिससे वह इस कार्य को ठीक से नहीं कर पायेंगे । इसलिए क्या वह आदेश देंगे कि जल निगम ही इनका मेन्टीनेन्स करे, और हमारे निर्वाचन क्षेत्र चायल, जनपद इलाहाबाद में 20 प्रतिशत ट्यूबवेल 1 साल से खराब पड़े हैं, तो क्या उनको भी मंत्री जी ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि उनके पास तकनीकी जानकारी नहीं है, तो तकनीकी जानकारी कराना शासन का काम है और जो यह बात है कि बी0 डी0 ओ0 स्तर के अधिकार इसे ठीक नहीं कर पाते हैं, मैंने बिना कहे, पुनः इस बात को कहा है कि क्यों न जल निगम पर ही उनको ठीक कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाये ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि आपके अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हैं और उसे ठीक से आपके विभाग के लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई है ग्राम पंचायत अधिकारी को पैसा देकर, तो इसमें मरम्मत आदि कार्य के लिए कोई आदमी या मिस्त्री आप स्थायी रूप से नियुक्त करायेंगे, जिससे यह हैण्ड पम्प ठीक हों ?

श्री हुकुम सिंह–

. माननीय सुखपाल पाण्डे यह हैण्ड पम्प पता नहीं ठीक है या खराब है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था की बात है, वह कर दी गई है, आदेशित कर दी गई है, जहां खराब हो ठीक किया जाए ।

*2–श्री शिव नारायण मिश्र–

[दिनांक 25-6-87 को अल्प सूचित ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण व नगर पालिका की आवासीय कालोनियों में सुरक्षा कर्मियों हेतु आरक्षित कोटे की पूर्ति

*3–कर्नल केशरी सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1979 में नगरीय आवास कालोनियों में जो 3 प्रतिशत का आरक्षण सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया गया था उसके अधीन गत पांच वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ नगर महापालिका के आवासीय कालोनियों में प्रतिवर्ष कितने भूतपूर्व या सेवारत सैनिकों या उनके परिवारों को आवास आवंटित किया गया है ? क्या उनका आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को देना बाकी है और इसके पूरा होने में क्या देरी है ?

श्री हुकुम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कर्नल केशरी सिंह–

जो मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है और जो लिखित उत्तर दिया है, वह उससे भिन्न है । मेरी समझ में नहीं आया, यह कैसे हुआ ।

श्री हुकुम सिंह–

यह आगे का प्रश्न पढ़ रहे हैं ।

कर्नल केशरी सिंह–

नम्बर 4 और 14 दोनों जगह पर आया है । मेरा एक ही प्रश्न दो जगह पर आया है । एक ही प्रश्न नम्बर 4 पर है और नम्बर 14 पर भी है । आप मंत्री जी से नम्बर 4 पर ही उसका निस्तारण करा दी जिए ।

श्री हुकुम सिंह–

दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं, वहां पर तो आपने 3 साल का पूछा है और यहां करीब 7-8 साल का पूछा है और कालोनी का नाम भी दिया हुआ है । मैंने इनको देख लिया है । जब आगे इनका दूसरा प्रश्न आयेगा तो मैं वहां उसका उत्तर दे दूंगा

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि 20 अप्रैल को एक प्रश्न किया गया और आज 9 जुलाई है इसमें तो सिर्फ लखनऊ से ही सूचना एकत्र करनी है, तो क्या लखनऊ से भी सूचना एकत्र करने में कई वर्ष लगेंगे ? क्या तीन महीने में सूचना नहीं आ सकती है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता सही है । इसमें विलम्ब हुआ है, लेकिन मैंने आज ही आदेश किया है कि अगले हफ्ते तक सूचना आ जानी चाहिए ।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, यह भूतपूर्व सैनिकों का मामला है उनको देय सुविधाओं के विषय में इस तरह से उपेक्षा बरती जा रही है । भूतपूर्व सैनिकों को जो 3 प्रतिशत सुविधाएं देय हैं वह उनको दी जानी चाहिए । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें शीघ्र कार्यवाही की जाए?

श्री अध्यक्ष –

एक हफ्ते के लिए इन्होंने कह दिया है ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र बिल्हौर में पानी की टंकी 5 साल पुरानी हो गई है उसमें बड़ा गन्दा पानी आ रहा है । मैंने एक पत्र लिखकर मंत्री जी से भी अनुरोध किया था कि पानी की टंकी बदल दी जाए और एक ट्यूबवेल भी वहां लगवाया जाए यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा, क्या यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, प्रश्न संख्या-3 और प्रश्न संख्या-14 एक ही सवाल है कोई अन्तर नहीं है आप देख लें. प्रश्न संख्या-14 का नम्बर आ नहीं पाएगा और यह ऐसे ही रह जाएगा ।

श्री अध्यक्ष –

जब मैं आपको बुलाऊं तब आप बोलें । आप तो बहुत सीनियर मेम्बर हैं नियमों को आप हमसे ज्यादा जानते हैं ।

[गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

[दिनांक 25-6-87 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

के0 जी0 मेडिकल कालेज में पैथालाजी विभाग से पृथक माइक्रोवाइलाजी व फिजियोलाजी विभाग खोलने का औचित्य

*2–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित) —

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में पैथोलाजी विभाग के अन्तर्गत जो माइक्रोफी, बाइलोजी तथा बायो कैमिस्ट्री के अलग-अलग विभाग खोले गये हैं इसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट में ये सब विभाग हैं ? यदि हां, तो अलग-अलग उक्त विभागों को चालू करके व्यय भार बढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)–

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में पैथालाजी विभाग से पृथक माइक्रोबाइलोजी तथा फिजियालोजी विभाग से पृथक बायोकेमिस्ट्री विभाग की स्थापना की गई है। मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया की संस्तुतियों के अनुसार ऐसा होना आवश्यक है ।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में यह सब विभाग नहीं हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

वेटेरिनरी कालेज, मथुरा स्थित माधुरी कुण्ड फार्म के कृषि यन्त्रों में लगी जंग व कुव्यवस्था हेतु दोषी अधिकारी की सेवा समाप्ति

*3–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी में है कि वेटेरिनरी कालेज, मथुरा में स्थित माधुरी कुण्ड फार्म के कृषि यंत्रों को जंग लगी हुई है और पानी उठाने के पम्पों के खराब होने के कारण रबी की फसल की बुआई समय से नहीं हो पाई ? यदि हां, तो इस कुव्यवस्था के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है और शासन ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

फार्म में लक्ष्यों की पूर्ति में असफलता के लिए सीनियर फार्म मैनेजर, माधुरी कुण्ड को दोषी पाया गया, जिनकी सेवायें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समाप्त कर दी गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के ग्राम चिनहट में जल निगम द्वारा निर्मित टंकी से जलापूर्ति

*4–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के चिनहट ग्राम में जल निगम द्वारा बनाई गयी पानी की टंकी को बने कितने वर्ष हो गये हैं ? इसे अब तक चालू न किये जाने का क्या कारण है? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या नगर विकास मंत्री इस टंकी को अविलम्ब चालू कराने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

चिनहट में टंकी को बने लगभग 5 वर्ष हो गये हैं ।

इस योजना का रख-रखाव जिला परिषद् द्वारा किया जाना है । तकनीकी कर्मचारी एवं धन की कमी के कारण जिला परिषद् इसके रख-रखाव में असमर्थता व्यक्त करता रहा । जनता की कठिनाई को देखते हुए जल निगम द्वारा जल स्तम्भों के माध्यम से फरवरी, 1987 से जलापूर्ति आरम्भ कर दी गई है ।

इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

फरवरी, 1987 से जल निगम द्वारा जल स्तम्भों के माध्यम से जलापूर्ति आरम्भ कर दी गई है ।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

माननीय, मेरे डिड़वांवा गांव की पानी की टंकी दस साल से बन रही है यह कब तक बन जाएगी ?

श्री अध्यक्ष–

इस टंकी को तो ढूढ़ना पड़ेगा ।

(हंसी)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिनहट में जो टंकी पांच वर्ष पूर्व बन गई थी जिसका रख रखाव होना चाहिए था तकनीकी कर्मचारियों और धन की कमी के कारण उसको चालू करने की व्यवस्था नहीं हो सकी । मान्यवर, फरवरी, 87 में इसको जल निगम द्वारा चालू करवा दिया है जिसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । पर मान्यवर, अब यह स्थान नगर-पालिका के तहत आ गया है फरवरी, 87 में । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पानी की टंकी की व्यवस्था जल संस्थान द्वारा नियमित रूप से कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह नगर पालिका की सीमा में आ गया है तो इसको कर दिया जायगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अभी बताया तो मेरे क्षेत्र में जल निगम द्वारा निर्मित एक योजना देवरासी है । लेकिन एक दिन भी उसमें पानी नहीं आया है तो क्या इसको जल संस्थान को स्थानान्तरित कर दिया जायगा। यहां पर टंकी टूटी पड़ी हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी अधिकारियों को दंडित करेंगे और साथ ही तत्काल इस योजना को ठीक कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जिस प्रश्न का जवाब दिया तो वह टंकी बिल्कुल सही है और उस टंकी को चालू भी कर दिया गया है । रख रखाव के संबंध में उन्होंने बात कही थी कि अब वह स्थान नगर पालिका में आ गया है मैंने उसके लिये कहा है कि हो जायगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैंने दूसरी टंकी की बात कही है ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टंकी जल निगम बना देता है लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने से वह चालू नहीं हो पाती है । बहुत सी टंकियों, 5 वर्ष हो गये हैं उनके बने हुये लेकिन वह चालू नहीं हो पायीं हैं, तो क्या उनको चालू कराने का कष्ट करेंगे । मेरे जनपद सुल्तानपुर में दोस्तपुर में एक टंकी 5 साल से बनी हुयी है लेकिन अभी चालू नहीं हो पायी है तो क्या उसको चालू कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी तो चिन्हट के बारे में प्रश्न पूछा गया था । इस प्रदेश में 3 प्रकार की व्यवस्थायें हैं । कुछ जिलों में जल संस्थान द्वारा मेंटीनेंस करायी जाती है कुछ में नगर निगम करता है और कुछ में स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है । माननीय सदस्य ने जैसा कहा तो अगर वह मुझको इसकी जानकारी दे देंगे तो जो कुछ आवश्यक कार्यवाही होगी मैं उसको करा दूंगा ।

स्वरूप रानी मेडिकल कालेज इलाहाबाद में कतिपय विभागों को खोलने की स्वीकृति

*5–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद लोकदल के कार्यकर्ताओं का विगत 21 दिसम्बर, 1985 को एक ज्ञापन इलाहाबाद में प्राप्त हुआ था जिसमें इलाहाबाद स्थित स्वरूप रानी मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जरी विभाग प्लास्टिक सर्जरी विभाग तथा डाइलिसिस केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई थी? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के संदर्भ में प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इलाहाबाद में लोकदल के कार्यकर्ताओं से विगत 21 दिसम्बर, 1985 को प्रश्नगत ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । जहां तक इलाहाबाद स्थित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी यूनिट, प्लास्टिक सर्जरी यूनिट तथा डायलिसिस केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न है, उक्त केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त यूनिट कार्यरत हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, 21 दिसम्बर, 85 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी महेता आंख के अस्पताल के वार्ड का उद्घाटन करने गये थे और वहां लोकदल के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन दिया था। लोकदल के कार्यकर्ताओं का ज्ञापन मंत्री जी स्वीकार करते ही नहीं हैं हालांकि आपने बताया कि न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तथा डायलिसिस केन्द्र की स्वीकृति हो गयी है और वह कार्यरत हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन यूनिटों को खोलने के लिए स्वीकृति कब प्रदान की गयी और कब से वह प्रारम्भ हो गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, न्यूरो सर्जरी यूनिट दिनांक 30 मार्च, 1984 को स्थापित करने के आदेश जारी हुए, प्लास्टिक सर्जरी यूनिट दिनांक 11 दिसम्बर, 1984 को स्थापित करने के आदेश हुए और डायलिसिस केन्द्र को शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 1985 को स्थापित करने का आदेश हुआ ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, यह प्रारम्भ कब से हुआ और कब से काम करना शुरू किया ?

श्री अध्यक्ष—

अनुग्रह नारायण सिंह जी, अपने साथी गोपाल दास यादव जी को भी प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि इलाहाबाद में न्यूरो सर्जरी और डायलिसिस के जो केन्द्र है, वह खोल दिये गये हैं और वह कार्यरत हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि वर्ष 85-86 और 86-87 में स्वरूप रानी मेडिकल कालेज की न्यूरो सर्जरी यूनिट में कितने ट्यूमर के आपरेशन किये गये और डायलिसिस विभाग में वर्ष 85-86 और 86-87 में डायलिसिस के कितने केसेज किये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, क्षमा चाहता हूं, मैं डिक्शनरी नहीं हूं ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, यह इतना बड़ा मजाक है कि हम लोग सब स्थानीय वहां के विधायक हैं । माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी उत्तरी क्षेत्र से हैं, उनके क्षेत्र में ही स्वरूप रानी मेडिकल कालेज स्थित है । माननीय मंत्री जी तो बहुत अनुभवी हैं और इतनी झूठी सूचना सदन में सबके सामने दी जा रहे हैं । मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें . .

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न करें, बातें तो मैं आपकी सुन रहा हूं ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीधा-सीधा यह है कि डायलिसिस के कितने केसेज किये गये और कितने न्यूरो सर्जरी के ब्रेन ट्यूमर के आपरेशन हुए इसका सीधा उत्तर चाहिए, अगर नहीं है तो समय दे दें कि कब तक बताने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा करायी जाय । उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर डायलिसिस केन्द्र और न्यूरो सर्जरी के आपरेशन हो रहे हैं, इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है । मान्यवर, इस सदन के अन्दर इतना गुमराह करने की कोशिश की गयी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप प्रश्न कीजिये ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, वर्ष 85-86 और 86-87 में डायलिसिस के कितने कार्य किये, यह बताने की कृपा करें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, एक डायलिसिस पर एक हजार रुपया खर्च होता है । इलाहाबाद डायलिसिस केन्द्र के लिए 3 लाख 55 हजार रुपया दिया गया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी तथा डायलिसिस यूनिट में क्या पूर्ण साजसज्जा, यन्त्र, उपकरण आदि तथा आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है यदि हां तो कौन-कौन से, यदि नहीं, तो यह आधुनिक साजसज्जा उपकरण कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(इस समय 12 बजकर 9 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, इनके विकास के लिए प्रतिवर्ष धन दिया जाता है। 1985-86 में 5 लाख 16 हजार रुपये न्यूरो सर्जरी को दिये गये, 5 लाख 60 हजार रुपये डायलिसिस को दिये गये। उपकरण प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी के आ गये हैं और प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो गयी है और आगे जैसे-जैसे वह डेवलप करते जायेंगे, धन उनको मिलता रहेगा।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, यह उत्तर आ गया मंत्री जी द्वारा कि डायलिसिस यूनिट और न्यूरो सर्जरी यूनिट कार्यरत है। मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि इतना पैसा दिया गया तो यह दो तरह का उत्तर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जो डायलिसिस केन्द्र इलाहाबाद स्वरूपरानी अस्पताल में है, वह कार्यरत है तो कितने लोगों का, वहां पर डायलिसिस के द्वारा उपचार हुआ? मान्यवर, मैं पैसा नहीं पूछ रहा हूं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् यह उत्तर कहां से प्राप्त हो जायगा ? मैं यह उत्तर दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के इन्डोर और आउट डोर वार्ड में 85-86 के दौरान लगभग 4 करोड़ मरीजों की चिकित्सा की गयी। अब उसमें कितने अंग हैं, उन अंगों की सूचना की तो मुझे आकलन करने की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय गोपाल दास यादव जी के प्रश्न पूछने का आशय यह है कि आपने व्यवस्था तो कर दी है और बजट भी एलाट कर दिया, तो क्या न्यूरो सर्जरी, डाइलिसिस, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो आदेश किये हैं, क्या उसमें काम शुरू हो गया है ? माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि क्या एक भी आपरेशन ब्रेन ट्यूमर का उसमें अब तक हुआ है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेडिकल कालेज में जब विभाग स्थापित किये जाते हैं, जब लेक्चरर और रीडर का एप्वाइंटमेंट किया जाता है, उनके अन्तर्गत एम0 बी0 बी0 एस0 पास बच्चे जो अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और वह ट्रेनिंग मरीजों पर ही होती है। यह न्यूरो सर्जरी, डाईलिसिस, प्लास्टिक सर्जरी स्थापित हो गयी हैं, तो अवश्य ट्रेनिंग होती रहेगी। भविष्य में मैं यह प्रयास करूंगा कि माननीय अनुग्रह नारायण जी के प्रश्न पर यादव जी का जो अनुपूरक प्रश्न आयेगा, उसके संबंध में मैं इलाहाबाद से संबंधित मरीजों का ब्योरा एकत्रित करके रख लूंगा।

कुमारी अलमेलू अम्माल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि गोरखपूर में न्यूरो सर्जरी, डाइलिसिस, और प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं, जो उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा चलाये जाते हैं और उन सातों मेडिकल कालेजों में न्यूरो सर्जरी, डाइलिसिस, और प्लास्टिक सर्जरी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन्, गोरखपुर मेडिकल कालेज में ये तीनों विभाग अपेक्षित सेवा मरीजों की नहीं कर पा रहे हैं। क्या उनके सुधार के लिए आप कोई आश्वासन देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, अभी 4 दिन पूर्व मुझे यह सौभाग्य मिला था कि मैं इस सदन में उन बातों को रखूं, श्रीमन्, हर मेडिकल कालेज के लिए अतिरिक्त जो आधुनिकतम उपकरणों की आवश्यकता है उनके मंगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और इसमें गोरखपुर मेडिकल कालेज भी है।

*6—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

देवरिया की टाउन एरिया सलेमपुर के सुन्दरीकरण के नाम पर जिला परिषद् द्वारा निर्मित दूसरी नाली का निर्माण बन्द कराने की मांग

*7—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया की टाउन एरिया सलेमपुर के तहत सुन्दरीकरण के नाम पर जिला परिषद् देवरिया से पूर्व आवंटित सैकड़ों दुकानदारों की दुकानों के बीच से नाली जुलाई, 1985 से बनायी जा रही है जिसमें लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है जबकि पूर्व से बनी पक्की नाली मौजूद है ? यदि हां, तो क्या समान्तर नाली के निर्माण को बन्द कर पूर्व की नाली को ही चौड़ा करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

पूर्व में बनी नाली के कुछ दूरी तक ही बने होने, काफी नीची सतह होने और सड़क के नजदीक होने के कारण वर्ष 1985-86 में एक नये नाले का निर्माण किया गया।

नाले का निर्माण कार्य वर्ष 1985-86 में पूर्ण हो चुका है अतः निर्माण कार्य बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि सैकड़ों दूकानें जो जिला परिषद् द्वारा पहले से आवंटित की गयी थीं, उन दुकानदारों की दुकान के बीच होकर इस नई नाली का निर्माण किया गया है? मान्यवर, आपने उत्तर में यह कहा कि पूर्व में बनी नाली के कुछ दूरी तक ही बने होने, काफी नीची सतह होने और सड़क के नजदीक होने के कारण वर्ष 1985-86 में एक नये नाले का निर्माण किया गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसी नाली से जुड़ी हुई नई नाली का निर्माण किया गया है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जो पुरानी वाली नाली है, उसकी लम्बाई 50 मीटर थी और वह सड़कों से, जो जिला परिषद् की सड़क है, 10 फीट की दूरी पर वह केवल थी, जहां आप सैकड़ों दुकानों की बात कर रहे हैं, वास्तव में कुछ लोगों ने नाजायज तरीके से खाली जमीनों पर अतिक्रमण किये हुए थे, वह अतिक्रमण हटा कर नाली बना दी गयी, जिससे वहां पर पानी न भर सके, तो इससे वहां की आबादी को सुविधा मिल गयी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन दुकानों को आप अनधिकृत कहते हैं वह दुकानें जिला परिषद् ने वहां रखवाई हैं । अब जब वहां पर टाउन एरिया हो गया तो उनसे बाकायदा वसूली की गई तो क्या जिनको वहां से हटाया गया है, उन्हें किसी दूसरी जगह दुकानें आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यदि कोई ऐसा प्रमाण देगा कि दुकान उसके नाम एलाट थी तो अवश्य विचार किया जायेगा बाकी यदि अतिक्रमण की बात है तो आप स्वयं सहमत होंगे कि उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, देवरिया जिले के हर नगरपालिका और टाउन एरिया के लिए इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है । जिला परिषद् और ग्राम-सभा से आवंटित भूमि पर जिन लोगों का कब्जा है उनको जबरदस्ती हटाकर नाले आदि बनाये जा रहे हैं । इसी प्रकार की घटना सलेमपुर में हुई । मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहूंगा-एक तो यह कि सलेमपुर में जो तथाकथित नाली बनाई जा रही है टाउन एरिया द्वारा, वह कितनी लम्बी है और इसके जल का निकास किधर से होता है तथा दूसरा यह कि सलेमपुर और कसिया के लोगों को पुनर्वासित करने के लिए क्या योजना है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, इस समय किसी नाले का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है । जो वर्मा जी ने प्रश्न उठाया था उस नाली का निर्माण 85-86 में पूरा हो गया है । जहां तक लम्बाई की बात है, उसकी लम्बाई 437 मीटर है । दूसरे प्रश्न के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि दुकानें विधिवत् आवंटित थीं तब तो उनके पुनर्वासन पर विचार किया जा सकता है परन्तु जो अतिक्रमण की बात है उसके लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर विचार करना सम्भव न हो सकेगा ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बहुत से नगर-पालिकाओं में, टाउन एरिया में जो सौन्दर्यीकरण की योजना चल रही है तथा अनावश्यक नई दुकानों का निर्माण किया जा रहा है और जिन दुकानों पर कोर्ट का स्टे मिल जाता है जिससे आपकी योजनायें खटाई में पड़ जाती हैं और कई सालों तक उनका निर्माण नहीं हो पाता है तो क्या मा0 मंत्री जी जब तक चुनाव नहीं करा देते तब तक जन-प्रतिनिधियों की राय के बिना कोई नई योजना पर विचार न करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न टाउन एरिया के बारे में था लेकिन माननीय सदस्य ने पूरे प्रदेश के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । यह नीतिगत मामला हो जाता है और इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में उसका उत्तर देना सम्भव नहीं हो पायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद झांझा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वहां पर एक नाली पहले से मौजूद थी तो दूसरी नाली बनाने की क्या आवश्यकता थी ? यह लोगों को उजाड़ने की नीयत से या कमीशनखोरी की नीयत से किया गया है?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार पुरानी नाली 50 मीटर लम्बी थी, वह नाली छोटी थी और सड़क से मिली हुई थी और रिपोर्ट थी कि छोटी सड़क है जिससे आवागमन में कठिनाई होती है इसलिए सड़क से 24 फीट हटाकर इसको बनाया गया । इस पर सरकार ने सवा लाख रुपया खर्च किया है वह इसलिए नहीं कि वहां से किसी को उजाड़ा जाय बल्कि इसलिए किया है कि वहां की जनता को सुविधा मिल सके ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मान्यवर, मेरा जनपद बस्ती सदर, मंगल बाजार में दो नाली हैं और वह इतनी गहरी हैं कि कहीं-कहीं पर बच्चे गिरकर मरे हैं लेकिन अभी तक उस पर स्लैप लगाने या उसको आगे ले जाकर बन्द करने का कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ है । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या बजट के पैसे में से थोड़ा सा पैसा अलग से आवंटित करके इस नाले को बनवाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कृषि निदेशक के नियन्त्रण से पृथक नवसृजित कृषि विपणन निदेशालय में निदेशक को नियुक्त करने की मांग

*8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विपणन विभाग को कृषि निदेशक के नियंत्रण से हटाकर अलग निदेशालय कायम किया गया है? यदि हां, तो आज तक कृषि विपणन के स्वतंत्र विपणन निदेशक की नियुक्ति न करने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् के निदेशक जो प्रति नियुक्ति पर हैं, उन्हें एक ही व्यक्ति को दो पदों पर विपणन निदेशक बनाने व कृषि निदेशक के नियंत्रण से हटाने का क्या औचित्य था ? क्या सरकार कृषि विभाग के विपणन निदेशक को अलग से स्वतंत्र नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं । कृषि निदेशालय में विपणन सम्बन्धी केवल एक अनुभाग था । सन् 1976 में कृषि विपणन विभाग का सृजन हुआ और इसलिए कृषि निदेशालय के विपणन अनुभाग को समाप्त किया गया ।

प्रदेश के कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों की वैज्ञानिक आधार पर उचित विपणन संगठन के प्रयासों को गति प्रदान करने, कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने एवं कृषि विपणन संगठन तथा मण्डी परिषद्/समितियों के कार्यों में उचित समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना की गयी थी। इन्हीं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु मण्डी निदेशक को ही कृषि विपणन निदेशक का कार्य सौंपा गया है एवं अलग से कोई कृषि विपणन निदेशक की नियुक्ति नहीं की गयी है और न अभी इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है ।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

डा0 अविनाश चन्द्र सक्सेना, निदेशक होम्योपैथ के विरुद्ध जांच

*9—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि निदेशक होम्योंपैथ डा0 अविनाश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध 1976 में स्वास्थ्य सचिव द्वारा भ्रष्टाचार की जांच की गई थी ? क्या इस हेतु कथित सचिव द्वारा इन्हें निदेशक पद हेतु अनुपयुक्त होने की प्रविष्टि के संदर्भ में क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव द्वारा निदेशक होम्योपैथी डा0 अविनाश चन्द्र सक्सेना (तत्कालीन उप निदेशक होम्योपैथी) की कार्य प्रणाली के संबंध में मात्र अपना मन्तव्य व्यक्त किया था जिसे उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित करने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण में फार्म हेतु सृजित पदों पर अनियमित नियुक्ति

*10—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण में कार्य करने हेतु प्रदेश में विभिन्न प्रशासकीय एवं तकनीकी पदों का सृजन किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से पद हैं ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उक्त प्राधिकरण में कार्य करने के लिए तकनीकी उच्चाधिकारियों के जिन पदों की घोषणा की गई थी उनके विरुद्ध नियुक्तियां न करके अन्य कार्यों में कार्यरत अधिकारियों को ही इस कार्य में लगाया गया है जिस कारण प्रदेश की जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण के कार्य में पर्याप्त बाधा पहुंची है ? यदि हां, तो गंगा सफाई अभियान हेतु तकनीकी उच्चाधिकारियों के पदों का सृजन व उसकी अविलम्ब नियुक्ति हेतु सरकार ने 31 मार्च, 1987 तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण में कार्य करने हेतु प्रदेश में कोई पद का सृजन नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में गंगा प्रदूषण की रोकथाम हेतु योजनायें तथा व्यय धन

*11—श्री राम नरेश यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या योजनाएं बनाई है एवं उन पर कितना रुपया खर्च किया है ? यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

वाराणसी में गंगा प्रदूषण को रोकने के लिये मार्च, 1987 तक निम्नलिखित योजनायें बनाई गई हैं :—

1—राम नगर सीवेज पंपिंग स्टेशन की मरम्मत नवीनीकरण एवं सीवेज फार्म के कार्य की योजना ।

2–घाटों की सीवेज पंपिंग स्टेशनों का नवीनीकरण योजना ।

3–डी एल डब्ल्यू टाउनशिप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना ।

4–डी एल डब्लू के ट्रीटेड उत्प्रवाह के निस्तारण प्रबंध की योजना ।

5–बी0 एच0 यू0 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना।

6–मानसरोवर नाला इंटरसेप्शन योजना ।

7–राजघाठ/तेलिया नाला इंटरसेप्शन योजना।

8–दीनापुर में सीवेज फार्म का नवीनीकरण एवं राइजिंग मेन बिछाने की योजना ।

9–दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना ।

10–वाराणसी में रिलीविंग सीवर बिछाने की योजना (तुरंत कार्य)

नगर सुधार योजनायें

11–सीवर लाइनों की सफाई ।

12–ट्रैफिक सरकुलेशन में सुधार की योजना ।

13–घाटों तक गलियों में सुधार की योजना ।

14–प्रोक्योरमेंट आफ व्हिकिल्स फार कनर्वेंस आफ सालिड वेस्ट योजना ।

15–राजेन्द्र प्रसाद घाट का नवीनीकरण योजना ।

16–घाटों के ढलानों की सुरक्षा योजना ।

17–महत्वपूर्ण घाटों की सीढ़ियों के एक्सटेंशन/निर्माण की योजना ।

18–घाटों को पहुंचने वाली गलियों का विद्युतीकरण योजना ।

19–कुंडस/तालाबों की नवीनीकरण योजना।

20–इम्पूवमेंट टू पब्लिक सेप-टी इन रिवर यूज (रिवर पुलिस) योजना ।

21–बायलाजिकल कंजरवेशन आफ फ्रेस वाटर स्केवेंजर टरटिल्स योजना।

22–माइक्रो लेविल मानीटरिंग आफ रिवर क्वालिटी योजना ।

23–नगवा ड्रेन निर्माण योजना।

24–प्राविजन आफ धोबीघाट एवं वाराणसी योजना।

25–सालिड वेस्ट डिसपोजल मैनेजमेंट की योजना ।

26–कांसट्रक्सन आफ वाकिंग प्लेट फार्म, पंचकोशी, वाराणसी हेतु राज-घाट से प्रहलाद घाट तक की योजना ।

27–पक्का मोहाल क्षीत्र वाराणसी में लो कास्ट सैनीटेशन एवं इंटरसेप्शन आफ ह्यूमन एक्सरेटा की योजना ।

28–इम्प्रूवमेंट आफ ट्रैफिक सरकुलेशन, तीर्थ यात्रियों हेतु घाट तक गलियों एवं सड़क निर्माण योजना ।

29–सिटी एरिया में सार्व0 शौचालय निर्माण की योजना।

30–वाराणसी के कुंडस/तालाबों की मरम्मत की योजना ।

31–वाराणसी के घाटों की विद्युतीकरण की योजना ।

32–घाटों पर सुलभ शौचालय काम्पलेक्स निर्माण की योजना ।

मार्च, 1987 तक योजनाओं पर रु0 476.196 लाख व्यय किया गया है। इन योजनाओं का कार्य वर्ष 1990 तक पूरा हो जावेगा ।

*12–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों हेतु स्वीकृत पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति का प्राविधान

***13–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–**

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों तथा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों, जो अब प्रा0 स्वा0 केन्द्र के रूप में बना दिये गये हैं, में कुल कितने डाक्टरों के स्थान स्वीकृत हैं और कितने डाक्टर इस समय वहां कार्य कर रहे हैं ? प्रदेश के सबसे बड़े आबादी वाले ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक्टरों के रिक्त पदों को न भरे जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों जो अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित कर दिये गये हैं, में एलोपैथिक (पुरूष एवं महिला) चिकित्साधिकारियों के कुल 140 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 64 पदों पर चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 32 पद स्वीकृत हैं जिसमें 23 पद भरे हैं। प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराया जा रहा है ।

लखनऊ की विभिन्न आवासीय कालोनियों में सैनिकों के आरक्षित कोटे को पूरा करने की मांग

*14–कर्नल केशरी सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1979 में नगरीय आवास कालोनियों में जो 3 प्रतिशत का आरक्षण सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया गया था, उसके अधीन गत 3 वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ नगर महापालिका के आवासीय कालोनियों में उदाहरणार्थ रिवर बैंक कालोनी, पेपर मिल कालोनी, बाल्दा रोड कालोनी, महानगर कालोनी निरालानगर कालोनी, हैवेलक रोड कालोनी आदि में प्रतिवर्ष कितने भूतपूर्व या सेवारत सैनिकों के परिवारों को आवास आवंटित किए गए हैं ? क्या उनका आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को देना बाकी है और उसके पूरा होने में क्या देरी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं । क्योंकि सन्दर्भित शासनादेश लागू होनें के पूर्व ही प्रश्नगत कालोनियों के भवनों को आवंटित किया जा चुका था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में जलनिगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों पर अधिक व्यय धन

*15–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में जल निगम द्वारा पेयजल के अभाव को देखते हुये गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं, उनकी कीमत 8000 रुपये है जबकि वास्तव में बाजार में कीमत कम है ? यदि हां, तो सरकार इस तरह के सरकारी धन के अपव्यय को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

जनपद बलिया में जल निगम द्वारा अनुमोदित इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प गहरे नलकूपों पर लगाये जा रहे हैं । समस्त सामग्री एवं लेबर इत्यादि मिलाकर भू-गर्भीय स्थिति के अनुसार एक हैण्ड पम्प की लागत उक्त क्षेत्र में रुपये 7,000 से रुपये 8,000 आती है । बाजार में साधारण हैण्ट पम्प (चापाकल) लगवाये जाते हैं जिसके लगाने की विधि दूसरी है और उसकी कीमत भी कम होती है परन्तु इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प भारत सरकार की नीति के अनुसार लगाये जा रहे हैं जो स्वास्थ्य संचालन एवं रखरखाव की दृष्टि से अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

चूंकि इसमें सरकारी धन का कोई अपव्यय नहीं है इसलिए उक्त तथाकथित अपव्यय को रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*16–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*17–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*18–श्री देव कुमार यादव–

[6वें सोमवार में ता0 प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा निवासिनी, श्रीमती कलावती तथा जिला आगरा निवासिनी, नि:संतान महिला श्रीमती भूरी देवी को धोखा देकर नसबन्दी करने की जांच

*19–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 5 फरवरी, 86 को मथुरा जिले के थाना सहपऊ के गांव महरारा की 60 वर्षीया नि:संतान विधवा, श्रीमती कलावती की उसके विरोध के बावजूद नसबन्दी कर दी गई तथा इसी प्रकार दिनांक 31 दिसम्बर, 85 को जिला आगरा के तहसील एतमादपुर के नसबन्दी शिविर में ग्राम नगला अजीता मौजा शेरखा पोस्ट आमलखेड़ा तहसील एतमादपुर, जिला आगरा की श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्यामवीर सिंह जो 38 वर्षीय नि:सन्तान महिला है, को धोखा देकर बलात् नसबंदी कर दी गई? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा इन महिलाओं को इससे जो मानसिक आघात लगा उसकी क्या क्षति पूर्ति की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जांच कराई जा रही है।

कुमाऊं मण्डल में प्रैक्टिस कर रहे गैर डिग्री धारी अपंजीकृत डाक्टरों को प्रशिक्षण देकर प्रैक्टिस की मान्यता

*20–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि कुमाऊं मण्डल में लगभग चार हजार से अधिक गैर डिग्री धारी चिकित्सक अपंजीकृत रूप में विभिन्न स्थानों पर प्रेक्टिस कर रहे हैं? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र से डिग्रीधारी डाक्टरों की भारी कमी को देखते हुए इन

अनुभवी गैर डिग्री धारी चिकित्सकों को आवश्यकीय प्रशिक्षण नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से दिलवाये जाने के उपरान्त प्रेक्टिस करने हेतु कानूनी मान्यता प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रैक्टिस करने हेतु कानूनी मान्यता प्रदान किये जाने पर सरकार विचार कर रही है जैसा कि पूर्व में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश में अनेक स्थानों पर गैर डिग्री धारकों द्वारा प्रैक्टिस करने की सूचना है। कुमाऊं मण्डल में भी ऐसे लोग हैं। इण्डियन मेडिकल कौन्सिल एक्ट, 1956 के अंतर्गत गैर डिग्रीधारी चिकित्सकों के पंजीकरण का प्राविधान नहीं है। इस केन्द्रीय एक्ट में राज्य सरकार को परिवर्तन तथा परिवर्धन का अधिकार नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर नगर महापालिका द्वारा निर्मित दुकानों के दुकानदारों से ली गयी प्रीमियम धनराशि पर ब्याज की मांग

1–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर नगर महापालिका ने 1984 के बाद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा बनायी गयी दुकानों के लिए आवेदन कर्ताओं से कुछ धनराशि पगड़ी (प्रीमियम) के नाम पर अपने बैंक के खाते में बिना कोई रसीद जमा करा ली है जिस पर न तो कोई ब्याज नगर महापालिका दे रही है और न किराये में मुजरा कर रही है? यदि हां, तो क्या नियमानुसार नगर महापालिका जैसी सरकारी संस्थाओं को पगड़ी (प्रीमियम) लेने का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्बन्धित दुकानदारों को उनकी जमा धनराशि का ब्याज या किराये में मुजरा करने के लिये गोरखपुर नगरमहापालिका को निर्देश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ नगर में वाटर वर्क्स रोड पर स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज से जाने वाले रास्ते पर पानी निकालने हेतु 18 इंच का पाइप लगाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

2–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 144 के उत्तर के संदर्भ में नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 293 में 3 इंच की जगह 18 इंच के पाइप को लगाने का अनुरोध किया गया था और प्रश्न संख्या 144 में इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गयी है किन्तु उत्तर में बतलाया गया था कि सीवर लाइन डालने की योजना स्वीकृत हो चुकी है? इस क्षेत्र में 3 इंच की जगह 18 इंच की पाइप डालने के अनुरोध के बावजूद अभी तक क्यों नहीं डाली गयी है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह कब तक डाली जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ स्थित प्रसूति गृह रेडक्रास, कैसरबाग के नसबन्दी शिविर में अधिकारियों द्वारा की गयी शिकायत पर जांच

3—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित प्रसूति गृह रेडक्रास, कैसरबाग में दिनांक 20-12-86 को नसबन्दी शिविर के आयोजन में वहां कार्यरत कनिष्ठ लिपिक एवं अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 23 फरवरी 1987 का प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

जांच करायी जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

4—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा आवंटित भवन की सारी औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद भवन का कब्जा प्राप्त न होने की स्थित में जमा धन पर ब्याज

5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा जहां आवंटन के पश्चात् अवधि (धनराशि देय) व्यतीत हो जाने पर 18 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, वहीं पर आवंटन के बाद आवंटी द्वारा सारा पैसा व अन्य औपचारिकताएं पूरी कर देने के बाद उनको कब्जा मकान उपलब्ध नहीं हो पाता है? क्या उन्हें ब्याज या धनराशि में छूट या अन्य छूट देने का प्राविधान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां। परिषद् विनियमावली 1979 के विनियम (26) के अनुसार आवंटियों को भवन/भूखण्ड आवंटन के पश्चात् समय के अन्दर भुगतान न करने पर प्रदर्शन पत्र में अंकित प्रथम देय दिनांक से भुगतान की दिनांक तक 18% वार्षिक की दर पर अथवा उस दर पर जो निर्धारित की जाये ब्याज देना होता है।

आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा सारी औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त यदि किन्हीं कारणवश आवंटी को भवन/भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जाता तो इस हेतु आवास आयुक्त द्वारा विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

6—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक स्याना में कोल्ड स्टोरेज स्थापना का प्रस्ताव

7—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना विकास खण्ड में कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्माण कब तक हो जायेगा?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जी नहीं।

नगरपालिका स्थाना जनपद बुलन्दशहर की भूमि पर अवैध कब्जे

8–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका स्थाना जनपद बुलन्दशहर की भूमि पर कितने अवैध कब्जे हैं? क्या उनके नियमितीकरण हेतु प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई प्रयास किया गया? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

4 अनधिकृत कब्जे हैं।

इन चारों अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की नगरपालिका= गोला गोकरन नाथ तीर्थ से तीर्थयात्री कर की वसूली से प्राप्त आय का रख-रखाव पर व्यय

9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, गोला गोकरन नाथ, जिला-खीरी लखीमपुर में यात्रियों के प्रवेश पर तीर्थयात्री कर कब से वसूल किया जा रहा है तथा वसूली प्रारम्भ करने की तिथि से वर्ष 1985-86 तक वर्ष अनुसार कितना रुपया नगरपालिका को मिला? इस रुपये में से कितना रुपया तीर्थ सुधार में व्यय हुआ? इस रुपये से क्या-क्या निर्माण कार्य सुधार हेतु किया गया?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका द्वारा यात्रियों के प्रवेश पर तीर्थ यात्री कर वर्ष 1962-63 से वसूल किया जा रहा है। सूची संलग्न है

तीर्थ पालिका की सम्पत्ति नहीं है अतएव उसका नगरपालिका द्वारा निर्माण एवं सुधार कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। यात्रीकर से प्राप्त धनराशि नगरपालिका फण्ड में सम्मिलित हो जाती है और तत्पश्चात् नगरपालिका के दायित्वों के निर्वहन पर प्राथमिकता के अनुसार व्यय की जाती है जिसमें नगर, मंदिर व तीर्थ की सफाई, रोशनी की व्यवस्था, सड़कों का रख-रखाव एवं तीर्थ जलाशय के गंदे पानी को निकालना उसकी सफाई व स्वच्छ जल भरे की व्यवस्था को निरन्तर बनाये रखना, आदि सम्मिलित है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 164 पर)

जिला सहकारी बैंक शाखा गरौठा, जनपद झांसी, में गलत ऋण वितरण की परगनाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा जांच

10–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि झांसी जिले के जिला सहकारी बैंक की शाखा बामौर में गलत ऋण वितरण के आरोप में परगनाधिकारी, गरौठा द्वारा वर्ष 1982-83 में ग्राम बरमपुरा के लगभग पचास सदस्यों की ऋण सम्बन्धी फाइलें

सील की गई थीं ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी ने उक्त फाइलों की जांच के साथ ही उसी समय वितरित लगभग तेरह लाख के अग्रिम ऋण की भी जांच कराने की संस्तुति जिलाधिकारी झांसी से की थी? यदि हां, तो परगनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट क्या है तथा धांधली करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी हां, 1982-83 में 50 सदस्यों के ऋण वितरण से सम्बन्धित फाइलें तो नहीं बल्कि शाखा बामौर में गलत ऋण वितरण के आरोप में 34 पत्रावलियां परगनाधिकारी, गरौठा द्वारा सील की गयी थीं । परगनाधिकारी, गरौठा द्वारा जिलाधिकारी, झांसी से इन 34 पत्रावलियों के अन्तर्गत वितरित 1.02 लाख रुपया ऋण की ही जांच हेतु संस्तुति की गयी थी । परगनाधिकारी, गरौठा की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी, झांसी द्वारा इन पत्रावलियों की जांच हेतु जिला सहकारी बैंक लि0 झांसी को आदेशित किया था, जिसके परिपेक्ष्य में जिला सहकारी बैंक के सचिव ने बैंक के अनुभाग अधिकारी, श्री अवध बिहारी गुप्ता को जांच अधिकारी नियुक्त किया था । जांच अधिकारी, श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 1-4-87 के अनुसार ऋण वितरण में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई।

11–श्री कुशल पाल सिंह–

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0सं0 107 द्वारा उत्तरित]

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्यालय लखनऊ के सेवा निवृत्त/मृत अधिकारियों/ कर्मचारियों के देयकों का भुगतान

12–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी कार्यालय लखनऊ में दिनांक 31-12-86 तक कितने सेवा निवृत्त/मृत अधिकारियों/ कर्मचारियों के देयकों का भुगतान अभी तक किया जाना शेष है और उक्त सूची सदन के पटल पर रखते हुए क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसका भुगतान अभी तक न किये जाने के क्या कारण है तथा उक्त भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

दिनांक 31-12-86 तक कुल तीन कर्मचारियों सर्वश्री राम कृष्ण वाजपेयी, भृत्य एवं एकबाल हुसैन, कम्पाउन्डर तथा स्व0 श्री मोहम्मद खलील, मृत्य के देयकों का भुगतान किया जाना शेष है । उक्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा अन्य अभिलेख पूर्ण न होने के कारण अवशेष देयकों का भुगतान नहीं हो सका था। पेन्शन तथा ग्रेच्युटी से सम्बन्धित कागजातों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा कर अभिलेख भुगतान हेतु महालेखाकार, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं और उनसे स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर देयकों का भुगतान हो जायेगा। अन्य देयकों का भुगतान भी शीघ्र हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ नगरपालिका क्षेत्र में जी0 टी0 रोड के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

13–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ नगरपालिका क्षेत्र में जी0टी0 रोड चौराहे से तहसील की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों ओर नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर व्यापक रूप से अनाधिकृत कब्जे कर लिये गये हैं? नगरपालिका द्वारा सड़क के दोनों ओर लगाये गये वृक्षों को भी नागरिकों ने मकान के आगे चबूतरे बनाकर अधिकार कर लिया है? जनप्रतिनिधियों द्वारा चेतावनी देने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिये कोई भी कार्यवाही न करने के क्या कारण है? क्या मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन ने भी जिला प्रशासन को सिकन्दराराऊ नगरपालिका क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में लिखा था?

श्रीमती एद्मा सेठ–

सर्वेक्षण कराने पर पाया गया कि 25 व्यक्तियों ने अपने कच्चे चबूतरों को अनाधिकृत रूप से आगे बढ़ाकर अतिक्रमण कर लिया है। सड़क के किनारे लगे कुछ वृक्ष भी चबूतरों के अंदर ले लिए गये हैं।

इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए पालिका द्वारा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 211 के अंतर्गत नोटिसें जारी कर दी गई हैं तथा उक्त क्षेत्र में खरंजे व नाली निर्माण कराने हेतु निविदा भी आमंत्रित कर ली गई है।

जी हां।

मेरठ नगर महापालिका के विकास हेतु अधिक धन की मांग

14–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में मेरठ नगरपालिका को कुल कितना अनुदान दिया गया? क्या यह सही है कि मेरठ नगर महापालिका को जो दिया गया अनुदान गाजियाबाद नगरपालिका को दिये गये अनुदान से भी कम है? यदि हां, तो मेरठ नगर महापालिका के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अधिक धन की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1986-87 में मेरठ नगर महापालिका को कुल रु0 1,77,81,752·50 का अनुदान दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

15–16–श्री राजेन्द्र शर्मा–

[दिनांक 25-6-87 को क्रमशः अता0 प्र0 सं0 26 एवं 122 द्वारा उत्तरित]

बुन्देलखण्ड स्थित राज्य भण्डागार निगम के केन्द्रों में भारतीय खाद्य निगम का गेहूं खराब होने की सूचना

17–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों में स्थित राज्य भण्डारागार निगम के किस-किस केन्द्र में गत पांच वर्षों में भारतीय खाद्य निगम

का रखा हुआ कितना-कितना अनाज सड़ गया है तथा अनाज के खराब होने में शासन किसका दोष मान रहा है और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ? क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी एवं जलौन जिले के किन गोदामों में कितना गेहूं गत पांच वर्षों में ए और बी श्रेणी से सी और डी श्रेणी में आ गया है तथा इसमें शासन किन्हें दोषी मान रहा है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

बुन्देलखण्ड के पांच जिलों में स्थित राज्य भण्डारागार निगम के किसी भी केन्द्र पर गत 5 वर्षों में भारतीय खाद्य निगम का भण्डारित कोई अनाज नहीं सड़ा है ।

झांसी जनपद में निगम का कोई भण्डार गृह नहीं है ।

जालौन जिले के उरई, कालपी और कोंच केन्द्रों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण के समय ही अधिकतर गेहूं का स्टाक अधिक नमी युक्त एवं वर्षा से प्रभावित दशा में भण्डारित कराया गया था ।

इन केन्द्रों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारित कराये गये ए तथा बी कैटेगरी गेहूं के स्टाक की निम्नांकित मात्रा विगत 5 वर्षों में सी तथा डी कैटेगरी में पहुंच गई :–

केन्द्र का नाम	विगत 5 वर्षों में भा0खा0नि0 द्वारा 'ए' और 'बी' केटेगिरी में भण्डारित कराया गया गेहूं स्टाक	विगत 5 वर्षों में में 'ए' और 'बी' कटेगरी गेंहूं स्टाक जो सी और डी कैटेगरी में पहुंच गया
उरई	17,661 मै0टन	17,273 मै0 टन
कालपी	7,286 मै0 टन	7,286 मै0 टन
कोंच	3,508 मै0टन	3,508 मै0टन

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपर्युक्त भण्डार गृहों पर अपने डिपो में पूर्व से भण्डारित पुराने गेहूं के स्टाक को स्थानान्तरित कराकर रखा गया था । राज्य भण्डारागार निगम को प्राप्ति के समय गेहूं को दृष्टिगत रखते हुए उसे अल्पकालीन समय (6 माह) के लिए ही भण्डारण हेतु स्वीकार किया गया था, परन्तु बराबर अनुरोध के उपरांत भी इन केन्द्रों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित अवधि में गेहूं के स्टाक की निकासी नहीं कराई गयी तथा उसे 3-4 वर्ष तक भण्डारित रखा गया । लम्बी भण्डारण अवधि के कारण गेहूं का यह स्टाक सी तथा डी कैटागरी में पहुंच गया । इसके लिए राज्य भण्डारागार निगम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

उपर्युक्त श्रेणी में गिरावट आने के कारण भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम को देय धनराशि में से कोई कटौती नहीं की है ।

प्रदेश में कार्यरत कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारियों को समयबद्ध, वेतनमान दिए जाने की मांग

18–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कार्यरत कुष्ठ चिकित्सा कर्मचारियों की वेतन संबंधी नीति 1975 के बाद इनका वेतन निरन्तर कम होता जा रहा है तथा इन्हें समयबद्ध वेतनमान दिये जाने के आदेश भी अभी तक निर्गत नहीं किये गये है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार कर कुष्ठ कर्मचारियों के वेतन के संबंध में आदेश करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

कुष्ठ कार्यक्रम के अंतर्गत नान मेडिकल सुपरवाइजरों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रदान की जा चुकी है । इस कार्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान दिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

आगरा जल संस्थान के स्थाई कर्मचारी, श्री अब्दुल सत्तार मृत, को अनियमित वेतन भुगतान की जांच

19–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जल संस्थान के स्थाई कर्मचारी, श्री अब्दुल सत्तार की मृत्यु दिनांक 21-10-84 को हुई थी और उसकी सूचना जल संस्थान को प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो 21-10-84 के पश्चात क्या उक्त मृत कर्मचारी को एक माह ग्यारह दिन की हाजिरी अनुमोदित कर वेतन का भुगतान वेतन बिल से किया गया ? यदि हां, तो क्या शासन जांच कराकर संबंधित लोगों को दण्डित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्री अब्दुल सत्तार की मृत्यु दिनांक 21 अक्टूबर, 1984 को हुई थी, जिसकी सूचना जल संस्थान को दिसम्बर, 1984 में प्राप्त हुई । उक्त सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अन्य कर्मचारियों की भांति स्व0 सत्तार का एक माह ग्यारह दिन का वेतन बैंक द्वारा उनके बैंक खाते में जमा कर दिया गया था । इस संबंध में जल संस्थान द्वारा जांच की गयी जिसमें उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है । स्व0 सत्तार को भुगतान हेतु जमा किये गये उक्त वेतन की कटौती उनको देय ग्रेच्युटी आदि में से करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था किन्तु मृतक कर्मचारी की पत्नी द्वारा उक्त धनराशि रु0 893.60 जल संस्थान कोष में जमा कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका, कौंच, जनपद जालौन, अन्तर्गत रिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव

20–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कौंच (जालौन) नगरपालिका ने शासन को अवगत कराया है कि उक्त पालिका में 40 से अधिक सफाई कर्मचारी 92

से अधिक चुंगी कर्मचारी लाइन मैन, ड्राफ्ट मैन और अन्य कई पदों के रिक्त होने के कारण पालिका अपने कर्तव्यों का सुचारु रूप से पालन नहीं कर पा रही है ? यदि हां, तो उक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका कोंच ने इन पदों के रिक्त होने की सूचना शासन को नहीं दी है वरन् इनके सृजन का प्रस्ताव किया है, जो विचाराधीन है ।

21–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में कैजुअल मेडिकल आफिसर के पद पर डा0 राकेश कपूर की नियुक्ति

22–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में एक कैजुअल मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 द्वारा जुलाई वर्ष 1986 में कोई साक्षात्कार कराया गया था और आयोग ने उस आधार पर उक्त पद पर भर्ती हेतु किसी डाक्टर की नियुक्ति के लिए सिफारिश लगभग 8 माह पूर्व की थी ? यदि हां, तो आयोग की सिफारिश स्वीकार करने में विलम्ब क्यों हो रहा है तथा इसके आदेश कब तक हो जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में एक कैजुअल मेडिकल आफिसर के पद पर प्रश्नगत नियुक्ति के लिए डा0 राकेश कपूर के नाम की सिफारिश की गई थी । डा0 राकेश कपूर के उक्त पद पर नियुक्ति के आदेश 25 जून, 1987 को जारी किये जा चुके हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

23–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

24-26–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद मथुरा के सौंखमार्ग पर आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित कालोनी में विद्युत आपूर्ति तथा सप्लाई किये गये विद्युत खम्भों की जांच

27–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में सौंखमार्ग पर आवास विकास परिषद् द्वारा बनायी जा रही कालोनी में विद्युतीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस कालोनी के विद्युतीकरण में लगाये गये खम्भे विद्युत बोर्ड के खम्भे हैं जिन पर विद्युत बोर्ड की सील लगी है ? यदि हां, तो क्या विद्युत विभाग द्वारा इनको खम्भे सप्लाई किये गये थे ? यदि हां, तो कब और कितने ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इन खम्भों से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

यद्यपि यह सही है कि कालोनी में विद्युतीकरण में लगाये गये खंम्भों पर यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 अंकित है किन्तु यह खम्भे विद्युत बोर्ड के नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रीकास्ट सीमेण्ट कन्क्रीट के खम्भे विभिन्न निर्माताओं द्वारा केवल यू0 पी0 विद्युत परिषद् के लिये ही बनाये जाते थे तथा खम्भों के सांचों में भी यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 अंकित है । चूंकि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भी वर्ष 1983-84 से इन खम्भों का उपभोक्ता हो गया इसलिए फैक्टरियां उन्हीं सांचों से बने खम्भे आवास परिषद् के ठेकेदारों को आपूर्ति कर देती है जिन सांचों से विद्युत परिषद् के लिये खम्भे बनाये जाते है । वर्तमान मामले में यह खम्भे मेसर्स यू0 पी0 इलेक्ट्रिकल एण्ड मकैनिकल स्टोर्स, 32/139, मनीराम बगिया, कानपुर द्वारा आपूर्ति किये गये थे । अतः विद्युतीकरण में लगे खम्भों पर यू0 पी0 एस0 ई0 बी0 अंकित होते हुए भी यह विद्युत बोर्ड के खम्भे नहीं हैं और इसलिये किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

28–श्री कुशलपाल सिंह–

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 139 द्वारा उत्तरित]

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा में कार्यरत शोध एवं शिक्षण अधिकारियों का संविलीन वेतन निर्धारण

29–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्यौगिक विद्यालय, कानपुर के पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा पर कार्यरत शोध एवं शिक्षण अधिकारियों को, जो गत चार वर्षों से भी अधिक समय से, सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर विश्वविद्यालय की सेवा में संविलीन हो चुके है उनका अभी तक यू0 जी0 सी0 वेतन मानों में, वेतन निर्धारित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

दिनांक 30-6-86 के शासनादेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जारी है । 4 वर्ष से अधिक समय से विश्वविद्यालय सेवा में संविलीन अब केवल 14 अधिकारी शेष हैं ।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिकों की वेतन वृद्धि

30–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अंतर्गत अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त कार्यालय एवं उसके अधीन खण्डों में वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 में कार्यरत आशुलिपिकों को परिषद् के नियमानुसार

वेतन वृद्धियां समयानुसार दी जाती रही हैं ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब हेतु प्रथम वृत्त एवं उसके अधीन खण्ड कार्यालयों के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही परिषद् द्वारा की गई ? प्रभावित आशुलिपिक को उनकी वेतनवृद्धि तथा बकाया भुगतान परिषद् द्वारा कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, केवल एक को छोड़कर जिसे हाल ही में स्वीकृत की गई है तथा बकाये भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है ।

विलम्ब के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर के मुहल्ला निरालानगर स्थित पार्कों की संख्या एवं उनके रख-रखाव पर व्यय

31–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर शहर के मुहल्ला निरालानगर में कितने सार्वजनिक पार्क हैं और उनकी लम्बाई व चौडाई क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मोहल्ले में बने पार्क के वित्तीय वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86 व 1986-87 की अवधि में प्रतिवर्ष नगरमहापालिका, कानपुर द्वारा पुनर्निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी व्यय की गयी? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त स्थान पर बने पार्कों में पेड़-पौधे व घास की नियमित देख-रेख के लिए माली भी नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पार्कों में झूले की व्यवस्था भी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

कानपुर शहर के मुहल्ला निरालानगर में दो सार्वजनिक पार्क हैं जिन की लम्बाई व चौड़ाई निम्नलिखित है:–

1–दीप सिनेमा के सामने स्थित पार्क नं0-1

पूर्व–109.50 मीटर
पश्चिम–78.00 मीटर
उत्तर–115.00 मीटर
दक्षिण–64.00 मीटर

2–पार्क नं0-2

पूर्व–62.00 मीटर
पश्चिम–62.00 मीटर
उत्तर–116.00 मीटर
दक्षिण–116.50 मीटर

उक्त पार्कों पर वर्ष 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87 में नगर महापालिका, कानपुर द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी । अतः व्यय का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास विकास परिषद्, बरेली द्वारा निर्मित स्टाफ क्वार्टरों की नीलामी रोकने के आदेश

32–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद्, बरेली में वर्षों से भवन के आवंटन हेतु आवास आयुक्त के आदेश एवं स्टाफ क्वार्टर के नाम पर आवश्यकता से अधिक पंजीकृत नागरिकों की अवहेलना कर मध्यम आय वर्ग के 26 के लगभग रोके गये भवनों का नीलाम करने जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भवनों की नीलामी रोकने एवं पंजीकृत व्यक्तियों को नियमानुसार आवंटित कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बरेली नगर योजना में 26 मध्यम आय वर्ग के भवन परिषद् अधिकारियों को स्टाफ क्वार्टर तथा कार्यालय के रूप में प्रयुक्त हो रहे थे जिनमें से सिविल लाइन्स स्थित 10 भवन अभी रिक्त नहीं है । शेष में से 8 भवनों का निस्तारण लाटरी पद्धति द्वारा दिनांक 29-6-87 को पंजीकृत क्रेताओं को कर दिया गया है और बाकी बचे 8 भवनों के निस्तारण के मामले का परीक्षण किया जा रहा है । फिलहाल इनका नीलामी न करने के लिए परिषद् को निर्देश दे दिए गए हैं ।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्यों पर व्यय धन

33–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985-86 व 1986-87 में नगर में क्या-क्या विकास कार्य किये, उन पर कितना-कितना धन खर्च हुआ ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जालौन, द्वारा खरीदे गये तिरपालों की गुणवत्ता

34–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के सहायक निबंधक सहकारिता ने अपने कार्यकाल में कब कितने किस, गुणवत्ता के और कितने मूल्य के तिरपाल कहां से खरीदे हैं ? क्या इन तिरपालों की हालत अल्प समय में ही दस वर्ष पुराने तिरपालों जैसी हो गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त तिरपालों की किस्म तथा कीमत का उच्च स्तरीय परीक्षण कराकर संबंधित अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ज़िला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, जालौन द्वारा जनपद जालौन की 17 समितियों की मांग पर जुलाई, 1985 से अक्तूबर, 1986 की अवधि में रेट कान्ट्रैक्ट पर समितियों को 18 तिरपाल क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी थी । समितियों द्वारा तिरपाल मेसर्स रबी इन्डस्ट्रीज, कानपुर से रु0 2500 प्रति तिरपाल की दर पर क्रय किये गये । इसके अतिरिक्त समितियों द्वारा मेसर्स रबी इन्डस्ट्रीज, कान-

पुर को 120 रुपया प्रति तिरपाल की दर से लेसिंग चार्जेस का भी भुगतान किया गया । इस प्रकार कुल 47,160 रु0 में 18 तिरपालों का क्रय समितियों द्वारा किया गया, जो समितियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं । क्रय किये गये तिरपालों की गुणवत्ता के संबंध में अब तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है, अतः उनके परीक्षण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री केशव प्रसाद, सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय उ0 प्र0 को सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन का भुगतान

35–श्री सुरेन्द्र कपिल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मियों की सेवा निवृत्ति की तिथि को सेवा, पेंशन संबंधी मामलों का निस्तारण एवं 90 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य देयकों का भुगतान कर दिये जाने के शासनादेश हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री केशव प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी, कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 जो दिनांक 30-4-86 को सेवा निवृत्त हुए हैं, को 20-5-87 तक सामान्य भविष्य-निधि का भुगतान तथा पेंशन व वर्ष 83 से विचाराधीन वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें इस संबंध में ऊर्जा मंत्री जी का पत्रांक 4505/वी0/एमई/86 दिनांक 29-12-86 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-10 अप्रैल, 1987 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी है तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं और शासन इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है तथा समस्त देयकों का भुगतान एवं पेंशन व वेतन निर्धारण कब तक कर दिया ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

कतिपय विशिष्ट विभागों में पेंशन ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में संगत शासनादेश में वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था है:–

सेवा निवृत्ति के एक माह पहले ही पेंशन, ग्रेच्युटी तथा राशीकरण के भुगतान के आदेश उस कोषाधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित कर दें जहां से पेंशनर ने पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया हो अथवा जहां से सेवा निवृत्त हुआ हो और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को भेज दें । हर हालत में यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्रेच्युटी की राशीकरण की धनराशि का भुगतान संबंधित पेंशनर के सेवा निवृत्त के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाय तथा पेंशन का भुगतान सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाय ।

कृषि निदेशक के कार्यालय के संबंध में यह व्यवस्था 31 मार्च, 1987 अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में लागू की गयी है

भविष्य निधि के संबंध में संगत शासनादेश में वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था है:–

सेवा निवृत्ति के समय संबंधित राजकीय सेवक का पास बुक में उपलब्ध धनराशि के 90 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाय तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान सेवा निवृत्ति के विलम्बतम 3 माह के भीतर महालेखाकर के लेखों से मिलान करके महालेखाकार के प्राधिकार पत्र पर कर दिया जाय ।

इनके सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत का भुगतान किया जा रहा है । इनकी मई से सितम्बर, 1986 तक की पेंशन का भुगतान 25-10-86 को, अक्तूबर 1986 का 9-12-86 को, तथा नवम्बर, 1986 से अप्रैल, 1987 तक का 30-5-87 को किया गया है । इनके वेतन निर्धारण का प्रकरण दिसम्बर, 1986 से शासन के विचाराधीन है, जिसके संबंध में कुछ सूचना/तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं ।

जी हां । इनकी ग्रेच्युटी का भुगतान 20-6-86 को कर दिया गया है । वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि के भुगतान की स्थिति ऊपर बताई जा चुकी है ।

भविष्य निधि के भुगतान में हो रहे विलम्ब के कारणों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । स्थिति ऊपर बताई जा चुकी है ।

जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची से कतिपय कर्मचारियों की अनियमित प्रोन्नति

36–श्री बुधपाल सिंह "खुर्जावाले"–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 5वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी नियमावली, 1975 के संशोधित विनियम 26 के अन्तर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के बाद ही सेवा मण्डल द्वारा पदोन्नतियों का अनुमोदन देना चाहिए था, किन्तु सेवा मण्डल द्वारा दिनांक 18-1-85 को क्यों अनुमोदन किया गया ? क्या सरकार अनियमित ढंग से प्रोन्नत कर्मचारियों की पदावनति करेगी एवं संशोधित विनियम 26 के आधार पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन कर पदोन्नतियों का अनुमोदन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है। प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जिस वरिष्ठता सूची के आधार पर मण्डल द्वारा पदोन्नति के माध्यम से चयन किया गया, वह संशोधित विनियम 26 के लागू होने के पूर्व ही अन्तिम रूप से तैयार की गयी थी। सम्प्रति मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है।

उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम के प्राविधानानुसार जिला सहकारी बैंकों को स्वतन्त्र रूप से ऋण वितरण एवं वसूली का आधार

37–श्री सतीश चन्द्र जायसवाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंकों को स्वतन्त्र रूप से ऋण वितरण एवं वसूली के अधिकार प्रदत्त हैं? यदि नहीं, तो जिला सहकारी बैंकों कर्मचारियों पर वसूली का दायित्व निर्धारित कर उन्हें दण्डित करने का क्या औचित्य है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 तथा बैंक की उपविधि के तहत जिला सहकारी बैंक नियमित निकाय हैं और उपरोक्त प्राविधानों के तहत बैंकिंग व्यवसाय हेतु स्वतंत्र हैं, जिसमें ऋण वितरण एवं वसूली भी सम्मिलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

38–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मो0 हुसैन निवासी दलेलपुरवा, कानपुर, के मकान को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत कर मकान के बदले जमीन देने का निर्णय

39–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मो0 हुसैन 89/34, दलेलपुरवा, कानपुर का मकान अर्जित कर उनको कानपुर शहर में विपत खटिक के हाते में मकान के बराबर जमीन देने पर आज तक फैसला नहीं हो सका है और क्या इस सम्बन्ध में 6-9-85 को के0 डी0 ए0 की मीटिंग में एजेण्डे में आईटम संख्या 44/30 रखा गया था? यदि हां, तो इस मामले में तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक निर्णय न होने का क्या कारण है और इनको कब तक उक्त जमीन दे दी जायेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, लेकिन के0 डी0 ए0 की बैठक में आईटम संख्या–45/15 के तहत उक्त निर्णय लिया गया है।

सन्दर्भित भूमि दिये जाने हेतु सेल डीड एवं एक्सचेंज डीड तैयार की जा चुकी है। मो0 हुसैन द्वारा स्टाम्प जमा करवा दिया गया है। डीड के पंजीकरण हेतु पत्रावली संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।

40–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[5वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली महापालिका को आवंटित/वापस हुई धनराशि का मदवार विवरण

41–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में बरेली महापालिका को किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और वर्ष के अन्त में क्या किसी मद में कुछ धनराशि व्यपगत हो गई? यदि हां, तो व्यपगत होने के क्या कारण हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर महापालिका, बरेली को वित्तीय वर्ष 1986-87 में आवंटित धनराशि का मदवार विवरण संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 165 पर)

आवास विकास परिषद् द्वारा कानपुर महानगर में गृह संस्थान योजना–2 के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

42–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद् ने जनपद कानपुर महानगर में गृह संस्थान योजना–2 के अन्तर्गत ग्राम नौबस्ता भूरपुर हंसपुर का अधिग्रहण वर्ष 1981 में कर लिया है? यदि हां, तो क्या कृषकों को बाजार दर से मुआवजा भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कृषकों को मुआवजा कब तक वितरित कर दिया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

नियमानुसार योजना के सम्बन्ध में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् अधिनियम की धारा–28 के प्रकाशन की तिथि को प्रचलित दर से मुआवजा का भुगतान किया जाता है। इसी आधार पर अधिकांश कृषकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। शेष कृषकों को मुआवजा का भुगतान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । और उन्हें यथाशीघ्र भुगतान करा दिया जायगा ।

उपभोक्ता सहकारी समिति, बिरहाना व रथखाना, लखनऊ द्वारा फर्जी सदस्य बनाने की जांच

43–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उपभोक्ता सहकारी समिति बिरहाना व रथखाना लखनऊ पर एक ही परिवार का एकाधिकार है और उसके द्वारा तमाम फर्जी लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया है? क्या यह भी सही है कि इन समितियों के सचिवों द्वारा संबंधित दुकानें स्वयं न चलाकर किराये पर दी गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर समिति को तत्काल भंग करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के मुहल्ला अशर्फाबाद में सीवर लाइन डालने हेतु की जा रही खुदाई में मृत मजदूरों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

44–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में सीवर लाइन डालने हेतु अशर्फाबाद मुहल्ले में खुदाई करते हुए दिनांक 23 जुलाई, 1986 को मिट्टी ढह जाने के कारण तीन मजदूरों सर्वश्री धनेश, विनोद तथा विजय पाल की मृत्यु हो गई थी? यदि हां, तो उपरोक्त मजदूरों के आश्रितों को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता दी गई है? क्या अभी कुछ और आर्थिक सहायता दिया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक कितनी-कितनी और आर्थिक सहायता दी जायगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

प्रत्येक मृतकों के आश्रितों को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा आवंटित भवनों/भूखण्डों का कब्जा दिये जाने से पूर्व आवंटियों को आवश्यक सुविधायें दिए जाने की मांग

45–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्रेताओं के नाम आवंटित आवास/भूखण्ड पर आवास विकास परिषद् द्वारा मांगी गई धनराशि जमा करने के बाद भी वर्षों तक उन्हें कब्जा नहीं दिया जाता है? यदि कब्जा मिलता भी है तो उसमें उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था जैसे लाइट, पानी, दरवाजे, वायरिंग इत्यादि नहीं होती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराते हुए आवंटी द्वारा धनराशि को जमा करने के उपरान्त तत्काल सम्पूर्ण रूप से आवास/भूखण्ड पर कब्जे दिलाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के नियमों के अनुसार आवंटी द्वारा वांछित धनराशि जमा करने के बाद भी एग्रीमेंट आदि भरने की कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। अतः उनके पूरा होने पर ही आवंटियों को भवन/भूखण्ड का कब्जा दिया जाता है।

यह सही नहीं है। आवण्टी को कब्जा देते समय पानी एवं बिजली की लाइनें भवन तक लगी होती है। बिजली का कनेक्शन आवंटी को स्वयं राज्य विद्युत परिषद् से लेना होता है। पानी के कनेक्शन के लिए आवंटी को परिषद् से अनुरोध करना पड़ता है । भवनों में दरवाजे व वायरिंग की व्यवस्था कब्जा देते समय पूर्ण होती है ।

उपरोक्त स्थिति में जांच कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। नियमान्तर्गत औपचारिकताएं पूर्ण होने पर आवंटियों को आवास/भूखण्ड का कब्जा परिषद् द्वारा शीघ्र दिलाया जाता है।

सहकारी बैंक लि0, बदायूं के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनने से पूर्व संस्थागत सेवा मण्डल का अनुमोदन

46–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 5वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री जिला सहकारी बैंक लि0, बदायूं की उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी नियमावली, 1975 के संशोधित विनियम 26 के अन्तर्गत बनी वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसके द्वारा सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा प्रोन्नतियों के अनुमोदन प्राप्त किए गए थे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

संशोधित विनियम 26 के अन्तर्गत बनायी गयी वरिष्ठता सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार कार्यालय समय में देख सकते हैं।

उ0 प्र0 जल निगम में घाटे के कारणों को पूरा करने के उपाय

47–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ0 प्र0 जल निगम 9.95 करोड़ के घाटे में चल रहा है? यदि हां, तो घाटे के क्या कारण हैं? इस घाटे को पूरा करने के लिए शासन क्या कदम उठा रहा है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश जल निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-86 तक की कुल हानि रु0 36.84 करोड़ थी।

घाटे का कारण जल निगम द्वारा कतिपय गांवों एवं नगरों की पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण किया जाना, संशोधित वेतनमान, भत्तों में वृद्धि के कारण अधिष्ठानों का व्यय बढ़ना, जल निगम द्वारा जीवन बीमा निगम के ऋणों की किश्तों का भुगतान किया जाना है जिसका धन जल निगम को जल संस्थानों/स्थानीय निकायों से प्राप्त नहीं हुआ।

हानि दूर करने के लिए अधिष्ठान के ओवर हेड व्यय घटाये जा रहे हैं। शासन से मितव्ययता सम्बन्धी जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है तथा रिक्त स्थानों पर भर्ती बन्द कर दी गयी है।

जनपद झांसी की गुरसराय एवं समथर नगरपालिकाओं के कतिपय मुहल्लों में पाइप लाइन डाले जाने की मांग

48–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जिले की गुरसराय एवं समथर नगरपालिकाओं के कितने मोहल्ले ऐसे हैं, जिनमें जल संस्थान की पाइप लाइन ही नहीं है जिससे नगरवासी अपने निवास में कनेक्शन ले सकें? क्या मंत्री जी नगर के बढ़े हुए हिस्सों में भी मुख्य पाइप लाइनें बढ़ाये जाने के आदेश करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगरपालिका गुरसराय एवं समथर में निम्नलिखित मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं है :–

गुरसराय

चमरोडा (गांधी नगर), सुभाषनगर, परकोटा, घनाई बाजार, पटकाना, नई बस्ती, शास्त्री नगर तथा घुबयाना ।

समथर

विजयगढ़ न0 प्रा0 स्कूल के पीछे, कटरा पुलिस चौकी के सामने श्री कन्हैया लाल के मकान से बस स्टाफ तक, मोहल्ला, तिबरयाना, मोहल्ला मेहतरयाना, तथा नई बस्ती ।

धनाभाव के कारण फिलहाल पाइप लाइनें डालना सम्भव नहीं है।

49–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

50–श्री राजेन्द्र शर्मा–

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 25 द्वारा उत्तरित]

श्री राजा राम राजेश, सहायक निबंधक सहकारिता, जनपद मथुरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

51–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 19-9-86 को कोई शिकायती पत्र सहायक निबन्धक सहकारिता, जिला मथुरा (श्री राजा राम राजेश) के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के बारे में दिया था? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और कौन-कौन से आरोप सही पाये गये? क्या श्री राजेश के खिलाफ कोई कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

शिकायतों की जांच क्षेत्रीय लेखाधिकारी सहकारी समितियां, आगरा द्वारा कराई गई और जांच के फलस्वरूप समस्त शिकायतें निराधार पाई गईं।

शिकायतों के निराधार पाये जाने पर कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की ऊसर, बंजर और बीहड़ भूमि का सुधार

52–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में प्रदेश की कितनी-कितनी ऊसर, बंजर अथवा बीहड़ भूमि को सुधार करके सफल कृषि अथवा सफल फसल वृक्षारोपण के योग्य बनाया गया? उक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये कृषि विभाग के अतिरिक्त क्या कोई और राजकीय अथवा केन्द्रीय एजेंसी भी प्रदेश में कार्यरत है? यदि हां, तो वह एजेंसियां कौन-कौन सी है तथा कृषि विभाग और इन एजेंसियों ने, प्रत्येक ने अलग-अलग इन दो वर्षों में कितनी भूमि को सफल कृषि अथवा वृक्षारोपण के योग्य बनाया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन दो वर्षों की भूमि सुधार की उपलब्धि को असित मानते हुए प्रदेश में स्थित सारी ऊसर, बंजर और बीहड़ भूमि का सुधार कब तक हो पाएगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वित्तीय वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार ऊसर एवं बीहड़ भूमि को सुधार करके कृषि अथवा वृक्षारोपण के योग्य बनाया गया:–

		(हे0)
	1985-86	1986-87
1–ऊसर सुधार–		
कृषि योग्य सुधारी गयी भूमि	6055	5978
2–बीहड़ सुधार–		
(क) कृषि योग्य भूमि	5615	3151
(ख) वृक्षारोपण	355	622
योग–	5970	3773

जी हां।

कृषि विभाग के अतिरिक्त उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम भी ऊसर सुधार का कार्य करता है। भूमि सुधार निगम द्वारा वर्ष 1985-86 में 1493 हेक्टर एवं वर्ष 1986-87 में 1727 हेक्टर ऊसर का सुधार किया गया।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मउरानीपुर, झांसी में पानी की टंकी बनाने के आदेश

53–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मउरानीपुर, जिला झांसी के नवनिर्मित भवन में पानी की टंकी तथा अस्पताल की बाउन्ड्री वाल बन गयी है? क्या यह सही है कि लगभग बीस हजार वर्गफुट अस्पताल की भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अवैध कब्जा हटवाकर बाउन्ड्री वाल एवं पानी की टंकी शीघ्र बनाये जाने के आदेश करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

अब भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है । तीन चौथाई बाउन्ड्री वाल बन गयी है । पानी की टंकी के निर्माणार्थ उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं?

54–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

55–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

56–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

57–श्री राज किशोर सिंह–

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 46 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया के गांवों हेतु शुद्ध पेयजल एवं सफाई की व्यवस्था

58–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार कुल कितने गांव हैं और उसमें कुल कितने गांवों में अप्रैल, 1987 तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की योजना है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बलिया जनपद में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 1920 आबाद ग्राम हैं। अप्रैल, 1987 तक कुल 1292 ग्रामों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है ।

शासन की नीति के अनुसार अभी समस्याग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जा रही है। अवशेष समस्याग्रस्त ग्रामों में इस वित्तीय वर्ष में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

59–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बलिया नगर की बढ़ती हुयी आबादी एवं गन्दगी को देखकर सफाई कार्य में लगे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नये पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा होने तथा नगरपालिका में कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण नगरपालिका बलिया में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन फिलहाल सम्भव नहीं है। प्रतिबन्ध हटने एवं स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित हो जाने के पश्चात् ही मामले में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

नीता, पुत्री श्री प्रकाश को आयु प्रमाण पत्र देने के लिए डा0 आर0पी0 सक्सेना, उप मुख्य चिकित्साधिकारी को चेतावनी

60–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नीता, पुत्री श्री प्रकाश जिसका एक्सरे जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में दिनांक 11-3-86 को हुआ था, की आयु का प्रमाण-पत्र डा0 आर0 पी0 सक्सेना, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम) ने बालिग तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के पश्चात् पुनः डाक्टरी मुआयने में जिला महिला चिकित्सालय द्वारा नाबालिग का आयु प्रमाण-पत्र दिये जाने में जो विरोधाभास है, उसमें सत्य कौन सा है? यदि प्रसारित दोनों आयु प्रमाण पत्रों में से एक सत्य है और दूसरा असत्य तो असत्य प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

नीता, पुत्री श्री प्रकाश का एक्सरे दिनांक 15-3-86 को हुआ न कि 11-3-86 को। एक्सरे व पूर्ण परीक्षण पर आधारित प्रमाण पत्र सत्य है। केवल शारीरिक परीक्षण के आधार पर आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डा0 आर0 पी0 सक्सेना, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम) सहारनपुर को सचेत कर दिया गया है।

61–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[6ठे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 जल संस्थान, लखनऊ द्वारा रैली का आयोजन तथा रैली का नेतृत्व

62–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-11-85 को उ0 प्र0 के समस्त जल संस्थानों के केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर लखनऊ में एक रैली निकाली थी? क्या इस रैली में सम्मिलित होने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उनके प्रार्थना पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

दिनांक 25 नवम्बर, 1985 को लखनऊ में जल संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की रैली निकाली गई थी, जिसमें लखनऊ जल संस्थान एवं झांसी जल संस्थान के कतिपय केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर भाग लिया।

उनके अवकाश प्रार्थना-पत्र जल संस्थान में प्राप्त हुए थे जो जल संस्थान के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गये।

63–श्री शारदा प्रताप–

क्या यह भी सही है कि उक्त रैली का नेतृत्व श्री आर0 पी0 एस0 परिहार, अधिशासी अभियंता, लखनऊ जल संस्थान ने किया था? यदि हां, तो क्या उक्त दिवस का श्री परिहार का वेतन काटा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

64–श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका सीतापुर द्वारा मच्छर मारने की मशीन की खरीद तथा उसका उपयोग

65–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका सीतापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1986-87 में मच्छर मारने हेतु धुंआ करने के लिए जो बड़ी मशीन खरीदी गई है, वह कितने रुपये में खरीदी गई तथा नगरपालिका में मशीन आने के बाद किन-किन तिथियों में शहर की सड़कों पर चली ? मशीन के उपयोग से क्या मच्छरों से जनता को राहत मिली है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

रु0 1,50,100=10 पैसे की खरीदी गई। सूची संलग्न है।

जी हां, जिस क्षेत्र में मशीन चली वहां जनता को राहत कुछ समय के लिये मिली।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 166 पर)

श्री सत्यन लाल, अवकाश प्राप्त सिनेटरी सुपरवाइजर, सीतापुर की पेंशन

66–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सीतापुर चिकित्सा विभाग (सी0एम0 ओ0) के अधीन कार्यरत एक सिनेटरी सुपरवाइजर, श्री सत्यन लाल जिन्होंने कि वर्ष 82 में रिटायरमेंट लिया था, उन्हें अब तक पेंशन न मिल पाने का क्या कारण है तथा पेंशन मिलना कब से प्रारम्भ हो जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री सत्यन लाल, सिनेटरी सुपरवाइजर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए, के पेंशन कागजात पूर्ण करके दिनांक 28-5-85 को महा-

लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलरहाबाद को भेज दिए गये थे परन्तु उनकी स्वीकृति अपेक्षित है। महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की स्वीकृति प्राप्त होने पर श्री लाल को पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर द्वारा श्री सत्यन लाल को प्राविजनल ग्रेच्युटी रु0 5590.50 तथा दिनांक 1-10-82 से एक वर्ष के लिए रु0 189 प्रतिमाह की दर से प्रोविजनल पेंशन का भुगतान दिनांक 4-2-87 को किया जा चुका है।

67—श्री राम जनम यादव—

[दिनांक 5-9-86 को अता0 प्र0 सं0 86 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नकद/अर्धनकद की भवनों पर दुर्बलता आय वर्ग के क्रेताओं को छूट

68—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नकद/अर्धनकद की निजी प्रक्रिया का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो उसमें क्रेताओं को खासतौर से दुर्बल आय वर्ग योजना वालों को क्या छूट दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

पूर्ण नकद भुगतान की स्थिति में प्रदिष्ट की गयी सम्पत्ति पर प्रदेशन पत्र निर्गत होने के एक माह के अन्दर क्रेताओं द्वारा पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के मूल्य पर 1 प्रतिशत तथा भवन के मूल्य पर 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है जो दुर्बल आय वर्ग योजना वालों को भी अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

69—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

टाउन एरिया बागेरासी, जनपद बुलन्दशहर की अस्वीकृत सड़क

70—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में साधारण सड़क अनुदान टाउन एरिया बागेरासी, जनपद बुलन्दशहर को स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है? विकास कार्यों को हानि पहुंचाने के संबंध में प्रशासन द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

टाउन एरिया बुगरासी को वर्ष 1986-87 में शासनादेश संख्या 109 ए/11-5-87-503 (सा0स0अनु0)/86, दिनांक 17 जनवरी, 1987 द्वारा रु0 80,000/- का साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया बोगरासी, बुलन्दशहर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

71–श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बोगरासी, जनपद बुलन्दशहर की भूमि पर कितने अनधिकृत कब्जे हैं ? क्या प्रभारी अधिकारी, बोगरासी द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

12 अनधिकृत कब्जे हैं।

जी हां।

समस्त मामलों में पी0 पी0 एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी। जिनमें से 3 मामले विचाराधीन हैं तथा 8 मामलों में टाउन एरिया के विरुद्ध निर्णय हुआ। शेष 1 मामले में टाउन एरिया एक्ट की धारा 186 के अंतर्गत कब्जा हटाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौधों को कीड़ों से बचाने हेतु पक्षियों की खोज पर विचार

72–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऐसे पक्षियों का पता लगाने की किसी योजना पर विचार कर रही है जिनसे फसलों और पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए कीट नाशक का काम लिया जा सकता है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रसूति गृह रेडक्रास, कैसरबाग, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण की मांग

73–श्री धनराज यादव तथा श्री किशन लाल दिलेर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित प्रसूति गृह रेडक्रास कैसरबाग, लखनऊ में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर कार्यरत है? क्या मंत्री जी 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी को अन्यत्र जनपद में स्थानान्तरित करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

केवल समूह 'ग' व 'घ' के 17 कर्मचारी ऐसे हैं।

इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है।

74–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

मथुरा जनपद में लघु सीमान्त कृषकों व बड़े कृषकों को उर्वरक खरीद में छूट

75–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 व 1984-85 में उ0 प्र0 शासन ने लघु सीमान्त कृषक व बड़े कृषकों को उर्वरक (खाद) में कितनी छूट प्रदान की थी? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कृषकों को मिलने वाली पूरी छूट को मथुरा में आत्म निर्भर साधन सहकारी समिति के सचिव व क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति के सचिव खा गये हैं तथा किसानों को कोई लाभ नहीं दिया गया और न किसानों की पास बुक में ही कोई इन्द्राज है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्चस्तरीय जांच करा कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

77–श्री राज किशोर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

78–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

79–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राजकीय चिकित्सालय, बलिया में चिकित्सकों की नियुक्ति

80–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के पूर्वान्चल में गंगा घाघरा और बिहार उ0 प्र0 सीमा क्षेत्र स्थित पूज्य लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी द्वारा स्थापित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी है और यह नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत राजकीय चिकित्सालय में दिनांक 30-6-86 तक डा0 नागेन्द्र मोहन माथुर कार्यरत रहे। प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की अत्यन्त कमी के कारण उसके बाद उपर्युक्त रिक्त पद पर किसी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है । आयोग से अर्ह चिकित्साधिकारी उपलब्ध होने पर नियुक्ति कर दी जायगी।

81–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

82–श्री कुशलपाल सिंह–

[दिनांक 2-7-87 को ता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

83–चौधरी भगवती प्रसाद–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम बाले जिनवा, विकास खण्ड बांसी, बस्ती के कुंओं का पानी दूषित होने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

84–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी विकास खण्ड में बाले जिनवा ग्राम के कुओं का पानी दूषित हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2-8-85 का भेजा हुआ प्रश्नकर्ता का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसे अध्यक्ष, जल निगम को समुचित कार्यवाही हेतु दिनांक 7-8-1985 को भेज दिया गया था। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना अध्यक्ष, जल निगम से एकत्र की जा रही है।

85–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

86–श्री रणजीत–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जल संस्थान, लखनऊ को बाढ़ राहत कार्य में उपलब्ध कराये गये धन द्वारा सम्पादित कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट

87–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा लखनऊ जल संस्थान को 80 लाख रुपया बाढ़ राहत अनुदान में व्यय करने हेतु वर्ष 1985-86 में दिया गया तथा उक्त अनुदान से सम्पन्न किये गये कार्यों का निरीक्षण जल निगम के अधिकारियों से कराया जाना था किन्तु निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी ? यदि हां, तो उक्त अनुदान किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया? क्या उसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

स्वीकृत किये गये शासनादेशों में ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

उक्त अनुदान से कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 167 पर)

राज्य भूगर्भ जल परिषद् का गठन

88–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि सहकारिता अनुभाग–2 के संकल्प सं0 8290 सी 1/12 सी0 ए0 भूमि 54/71 दिनांक 6 सितम्बर, 1972 द्वारा राज्य भूगर्भ जल परिषद् का गठन आयुक्त एवं सचिव कृषि उत्पादन की अध्यक्षता में किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त परिषद् समाप्त कर दी गयी है? क्या मंत्री जी यह भी

बतायेंगे कि उक्त परिषद् के उद्देश्य क्या थे और इसे समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त परिषद् के पुनर्गठन पर शासन पुनः विचार करेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

जी नहीं। परिषद् को समाप्त करने के कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

परिषद् को निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गये थे:–

(1) प्रदेश में भूगर्भ जल के अनुसंधान, निर्धारण, विकास, वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध एवं नियंत्रण से संबंधित सभी मामले।

(2) प्रदेश के विभिन्न भागों में निर्मित किये जाने वाले राजकीय तथा निजी अल्प सिंचाई कार्यों हेतु नीति का निर्धारण करना।

(3) राजकीय नलकूप विभाग, अल्पसिंचाई विभाग तथा भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना।

(4) केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् तथा राज्य भूगर्भ जल परिषद् के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।

(5) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द किये जायं ।

प्रश्न नहीं उठता।

इसकी आवश्यकता नहीं है।

89–श्री शेर बहादुर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अपने गृह जनपद/मण्डल में कार्यरत अथवा पूर्व नियुक्ति के स्थान पर नियुक्त कृषि विभाग के अधिकारियों की संख्या

90–श्री मूलचन्द—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के विरुद्ध इस समय कृषि विभाग के कौन-कौन अधिकारी अपने गृह मण्डल, गृह जनपद अथवा पुनर्तैनाती स्थान पर कार्यरत हैं और क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नियमों के विरुद्ध स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं। जो तैनातियां गृह मण्डल/जनपद में हुई, अथवा पूर्व नियुक्ति के स्थान पर पुनर्तैनाती हुई, उसकी सूची संलग्न है यह तैनातियां कार्य हित में की गयी हैं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 168 पर)

उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रदेश में बनाये गये नलकूप एवं सीयार्ड योजना के हैण्डपम्प की स्थिति

91–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रदेश में बनाए गए नलकूप एवं सीयार्ड योजना के हैण्ड पम्प 1-1-80 से अब तक असफल हुए हैं ? यदि हां, तो इससे शासन को कितनी वित्तीय हानि हुई है ? इस प्रकार की वित्तीय क्षति रोकने हेतु क्या शासन कोई नीति बनायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बनाये गये नलकूपों में से 1-1-80 के बाद से 54 नलकूप असफल हुये हैं। सीयार्ड योजना के अन्तर्गत कोई भी हैण्ड पम्प असफल नहीं हुआ है।

इन नलकूपों पर शासन को लगभग 50.00 लाख रुपये हानि हुई है।

इस प्रकार की वित्तीय क्षति को रोकने हेतु जल निगम में एक जियोहाइड्रोलोजिकल सेल की स्थापना की गयी है। कठिन क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण से पूर्व नलकूपों के स्थल का चयन आवश्यक सर्वे के उपरान्त कराया जा रहा है। इस कार्य में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर तथा राज्य/केन्द्रीय वाटर बोर्ड आदि की सहायता भी ली जा रही है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1986-87 में खर्च किये गये धन का ब्योरा तथा कार्यों की निविदा

92–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 86-87 एवं अप्रैल, 87 तक कितने रुपये प्राप्त हुए और किन-किन मदों में खर्च किए गए एवं किन-किन कार्यों को निविदा द्वारा कराया गया और किन कार्यों को बिना निविदा के?

श्रीमती पद्मा सेठ–

गोरखपुर विकास प्राधिकरण को अप्रैल, 87 तक कुल 458.24 लाख रु0 प्राप्त हुआ। समस्त कार्य निविदाएं मांग कर नियमानुसार कराया गया है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में कार्य करने हेतु एजेन्सी बनाने की मांग

93–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने गोरखपुर महापालिका को कार्य करने के लिए एजेन्सी बनाया है और क्या यह सच है कि नगर महापालिका, गोरखपुर ने विकास प्राधिकरण, गोरखपुर से स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर लिया है? यदि हां, तो विकास प्राधिकरण ने इस कार्य को स्वयं क्यों नहीं कराया?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

94–श्री मुलायम सिंह यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

साधन सहकारी समिति लि0, चन्दनपुर, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में एक नये गोदाम के निर्माण का औचित्य

95–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के चन्दनपुर साधन सहकारी समिति में दूसरा गोदाम कब बना ? क्या पहले गोदाम की क्षमता के अनुरूप माल रखने के बाद नये की आवश्यकता थी? यदि नहीं, तो नया गोदाम

क्यों बनाया गया? क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी के नये भवन के संबंध में मानक पर निर्माण कार्य न होने के कारण वर्ष 1986 जून व जुलाई में कोई जांच ए0 आर0 तथा विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा की गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के चन्दनपुर साधन सहकारी समिति में दूसरा गोदाम वर्ष 1985-86 में बना।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच सहायक निबन्धक तथा विश्व बैंक अधिकारियों द्वारा नहीं वरन् सचिव जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद द्वारा गोदाम भवन में प्रयुक्त प्लास्ट मसाले का नमूना यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक के विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के टेक्निकल आडिट सेल में भेजवाकर करायी गयी।

जांच रिपोर्ट में सीमेंट एवं रेत का अनुपात निर्धारित विशिष्टियों से कम पाया गया। ठेकेदार के अन्तिम बिल से वांछित कटौती के आदेश दे दिए गए हैं ।

नगरमहापालिका, इलाहाबाद के टैगोर टाउन स्थित मकान नं0 69 को गिराये जाने का आदेश

96–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर महापालिका के प्रशासक ने 26 सितम्बर, 1986, 3 अक्तूबर, 1986 तथा 24 अक्तूबर, 1986 को टैगोर टाउन स्थित मकान नं0 69 को गिराये जाने के संबंध में आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो यह आदेश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

टैगोर टाउन स्थित मकान नं0 69 को जरजर हालत होने के कारण गिराये जाने के आदेश 29 जुलाई, 1986 को दिये गये थे, प्रश्न में उल्लिखित अन्य तिथियों को दिये गये आदेशों का विवरण निम्नवत् है:–

(1) दिनांक 26 सितम्बर, 1986 को प्रशासक ने मुख्य नगर अभियन्ता को ये आदेश दिये कि 69 टैगोर टाउन के बारे में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु मकान के बारे में उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है अतः कोई कार्यवाही न की जाए ।

(2) प्रशासन ने दिनांक 3 अक्तूबर, 1986 को थानाध्यक्ष जार्ज टाउन, इलाहाबाद को सूचित किया कि मकान नं0 69 को गिराये जाने का आदेश वापस लिया जा चुका है इसलिए श्री राम दास राम व पंचमी प्रसाद वगैरह जो लोग उसे जबरदस्ती गिरा रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ।

(3) दिनांक 24 अक्तूबर, 1986 को प्रशासक द्वारा श्री राम दास राम व पंचमी प्रसाद को यह सूचित किया गया था कि मकान नं0 69 को जर्जर होने के कारण गिराये जाने का जो आदेश 29-7-86 को दिया गया था, वह निरस्त

किया जाता है क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है तथा आप दोनों उस मकान के मालिक नहीं है ।

गोरखपुर के साधन सहकारी समितियों में प्रशिक्षित सहायक सचिवों को सचिव के पद पर प्रोन्नति का प्रस्ताव

97–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में साधन सहकारी समितियों के अन्तर्गत प्रशिक्षित सहायक सचिव अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सचिवों के रिक्त स्थानों पर इनकी नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कितने प्रशिक्षित सहायक सचिवों की नियुक्ति सचिवों के पद पर की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं, समितियों में सहायक सचिव का कोई पद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग, गोरखपुर, फैजाबाद तथा बनारस मण्डल में दीर्घकाल से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बने रहने का औचित्य

98–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व फैजाबाद तथा बनारस मण्डल में 12 वर्ष के बाद भी कितने अधिकारी व कर्मचारी एक ही मण्डल में कार्यरत हैं और उसका क्या औचित्य है जबकि शासनादेशानुसार 12 वर्ष के बाद एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण करने का प्राविधान है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महिला चिकित्साधिकारी–एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, सिरसागंज, मैनपुरी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस का औचित्य

99–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, सिरसागंज, मैनपुरी में ही महिला चिकित्सा अधिकारी तैनात है, का सिरसागंज में ही नर्सिंग होम तथा निजी चिकित्सा गृह है और वहां पर वह रोगियों की निजी चिकित्सा और आपरेशन करती है ? यदि हां, तो क्या उक्त महिला चिकित्सा अधिकारी को निजी चिकित्सा अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त महिला चिकित्सा अधिकारी, सिरसागंज की ही रहने वाली है ? यदि हां, तो उन्हें उसी स्थान पर क्यों तैनात किया गया ? क्या स्वास्थ्य मंत्री जी उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

स्टेट एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, सिरसागंज, मैनपुरी में तैनात महिला चिकित्साधिकारी अंशकालिक हैं । प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण शासन के आदेशानुसार उनको रु0 50 दैनिक वेतन पर एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया है । चूंकि उनको नियमित रूप से नियुक्त नहीं किया गया, अतः उनके ऊपर राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित शासनादेश प्रभावी नहीं होते हैं । नियुक्ति हेतु प्रस्तुत उनके प्रार्थना पत्र में उनका पता "केयर आफ मे0 सारंग इलेक्ट्रानिक स्वामी सदन, स्टेशन रोड, मैनपुरी" उल्लिखित है । वर्णित परिस्थितियों में इस संबंध में उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर की तहसीलों में फुटकर तथा थोक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस

100–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से पांचों तहसीलों में कितने फुटकर एवं थोक दवाओं के बिक्री के लाइसेन्स दिये गये हैं और तहसील शाहगंज में कुल फुटकर एवं थोक दवाओं के कितने लाइसेन्स है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद जौनपुर की पांचों तहसीलों में 547 फुटकर एवं 409 थोक दवाओं की बिक्री के लाइसेन्स दिये गये हैं जिनमें से तहसील शाहगंज में कुल 184 फुटकर एवं थोक दवाओं की बिक्री के लाइसेन्सी हैं ।

लखनऊ मध्य क्षेत्र स्थित मोहल्लों में सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव

101–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र स्थित कितने ऐसे मोहल्ले हैं जिनमें अभी भी सीवर लाइन नहीं डाली गई तथा वर्ष 1987-88 में कितने मोहल्लों में इसका प्रस्ताव है ? ऐशबाग, स्वीपर कालोनी, खजुहा, रामलीला मैदान तथा कदीम, भदेवा, बिलौचपुरा, कुण्डरी, सहादतगंज आदि मोहल्लों में अभी तक क्यों नहीं पड़ पायी जबकि जनता परेशान होती जा रही है ? क्या मंत्री जी तुरन्त इसकी व्यवस्था हेतु आदेश देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

लखनऊ मध्य क्षेत्र में स्थित 71 मोहल्लों में सीवर लाइन अभी नहीं डाली गयी है । इसमें से तीन मोहल्लों में आंशिक रूप से सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव है ।

ऐशबाग, स्वीपर कालोनी, खजुहा, रामलीला मैदान, कदीम, भदेवा, बिल्लोचपुरा, कुन्डरी, सहादतगंज में आंशिक रूप से सीवर लाइन पड़ी हुई है । आर्थिक कठिनाइयों के कारण पूर्णरूप से सीवर लाइन नहीं डाली जा सकी है ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है ।

भूतपूर्व सचिव, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, म्याणी पट्टी लालूर उप परगना जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल, द्वारा फर्जी व्यक्तियों के नाम से रुपया निकाल कर हड़प लेने की घटना की जांच तथा समिति की लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

102–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भूतपूर्व सचिव, दीर्वकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति, म्याणी, पट्टी लालूर उपपरगना जौनपुर जिला टिहरी गढ़वाल ने माह जून, सन् 1983 को 52 व्यक्तियों के नाम से मु0 100144 रु0 का फर्जी रूप से मांग पत्र बना कर जिला सहकारी बैंक की शाखा थत्यूड़ जौनपुर से उक्त धनराशि नगद प्राप्त कर दिनांक 28-6-83 को खातों में फर्जी तौर पर वितरण दिखाकर सारा धन हड़प लिया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

103–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि दि0 30-6-83 को उक्त समिति का लेखा परीक्षक ने अपनी आडिट रिपोर्ट के बिन्दु 52 में यह लिखा है कि उक्त सचिव ने समिति का कार्यवाही रजिस्टर प्रोनोट बुक आदि सभी पत्रावलियां जिनमें उक्त धन लेने व **वितरण करने की कार्यवाही दर्ज थी**, खो जानी बतायी है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा पौनी शेड नामक भवन का अधिग्रहण

104–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल विकास प्राधिकरण, नैनीताल को सरकार की ओर से नैनीताल स्थित पौनी शेड नामक भवन अधिगृहीत/कब्जे में लेने हेतु कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त भवन का ताला तोड़कर (दिनांक 28 मई, 86 को) सरकारी सम्पत्ति बाहर फेंकने के संबंध में मल्लीताल थाने में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पुलिस रिपोर्ट लिखाई गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त विषय में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, सहकारी संघ बाजना जनपद मथुरा के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

105–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 15-10-86 को सचिव सहकारी संघ बाजना, जनपद मथुरा, श्री राम जी लाल शर्मा द्वारा वर्ष 1982-83 में बाजना सहकारी संघ में बीस हजार रुपया के गबन के बारे में कोई शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रश्नकर्ता का संदर्भित शिकायती पत्र, अभिलेखों के अनुसार प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 13 सूचनाएं प्राप्त हुयीं थी, जिसमें से केवल 7 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं । पहली सूचना श्री यदुनाथ सिंह की है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

बाल विकास परियोजना, राजगढ़, मिर्जापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि जनपद मिर्जापुर में बाल विकास परियोजना में काफी लापरवाही एवं धांधली की जाती है । विकास खण्ड राजगढ़ में पौष्टिक पदार्थ वितरित करने के बजाए काले बाजार में बेच दिया जाता है । 100 कुन्तल चना रखरखाव में बरती गयी लापरवाही के कारण सड़ गया, जो आज भी वहां के भण्डार में उपलब्ध है । आंगनवाडो के कार्यकर्मियों का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है सिर्फ दो वर्ष में सात कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया, क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार न मिल पाने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । उक्त अमानवीय कृत्यों के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़, कुमारी आशा श्रीवास्तव व प्रोग्राम अधिकारी श्रीमती शशि चलैया जिम्मेदार हैं । इन दोनों द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं व्यापक पैमाने पर किए गये घोटालों से क्षेत्रीय जनता में रोष एवं क्षोभ का वातावरण व्याप्त है । जो शासन के लिए शर्मनाक बात है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

पुलिस चौकी आजमगढ़ के निकट की गयी हत्या के पोस्टमार्टम से सम्बन्धित डाक्टरों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद मसूद खां–

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और शासन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं । दिनांक 2 जुलाई, 87 की शाम को एक पैसेन्जर आजमगढ़ शहर रोडवेज पर उतरा उसके पास एक ब्रीफकेस जिसमें कीमती सामान और काफी मात्रा में नकदी था । पुलिस चौकी के निकट सामान छीनकर और गला घोटकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मार डाला गया जिस पर उसका पोस्टमार्टम जिला अस्पताल के एक डाक्टर ने किया उसने मृत्यु का सबब गला घोटकर मारना लिखा जिस पर पुलिस वालों ने आपत्ति की और तीन डाक्टरों की एक बोर्ड ने फिर से पोस्टमार्टम किया उसमें मृत्यु गला घोटकर बताया गया। दूसरे दिन किसी कार्य से वह पहला डाक्टर बस द्वारा लखनऊ जा रहा था, उसको बस स्टेशन पर मारा-पीटा मृतक और डाक्टर दोनों अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं । इस घटना से पूरे शहर में तनाव की स्थिति है जनता के अन्दर काफी असन्तोष और आक्रोश है अगर फौरन कार्यवाही न की गयी तो कोई बड़ी घटना घट सकती ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त घटना में सी0आई0डी0 जांच कराई जाय और रोडवेज पुलिस चौकी पर कर्मठ पुलिस जनों की तैनाती की जाय ताकि जनता के जन-जीवन की रक्षा हो सके ।

फैजाबाद जनपद के ग्रामीण व शहरी अंचलों में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में विगत 15 दिनों से पेयजल की अभूतपूर्व समस्या उत्पन्न हो गई है । जनपद में विकास क्षेत्र सोहावल, मसौधा, पूरा, बिल्कीपुर हरिनटीनगंज, बीकापुर, हैदरगंज, भीटी, जहांगीरगंज, जलालपुर, टाण्डा, खण्डासा, रामनगर, भियांव, बसखारी, तारून, अकबरपुर, मया विकास क्षेत्रों के लगभग सभी गांवों के कुएं सूख गये हैं तथा जल निगम द्वारा लगाये हुए अधिकांश हैण्डपम्प या तो बिगड़े हुए हैं या उसमें गन्दा पानी आ रहा है । फैजाबाद और अयोध्या नगरपालिका के अन्तर्गत रहने वाले लोगों के सामने भी पेयजल की समस्या पैदा हो गई है । विशेषतौर से ऊपरी मंजिल पर रहने वाले लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं । सहादतगंज, सलारपुर, तोबपुररेतिया आदि बस्तियों के लोग नदी से गन्दा पानी लाकर पी रहे रहे हैं। सोहावल, बड़ा-गांव, देवराकोट आदि रेलवे स्टेशन पर हैण्डपम्प से गन्दा पानी आ रहा है। कुआं सूख गया है, इस समस्या से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है ।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि जल निगम द्वारा लगे हैण्ड पम्प की मरम्मत तत्काल कराई जाय, ग्रामीण अंचलों में अतिरिक्त हैण्डपम्प लगवाये जायं। बिजली की आपूर्ति निरन्तर करायी जाय। लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारी के साथ कार्यवाही की जाय ।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राहजनी, लूटपाट, चोरी डकैती तथा हत्या की घटनाओं में वृद्धि होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राहजनी लूटपाट, डाकेजनी, चोरी और हत्या की जघन्य घटनाएं बढ़ती जा रही हैं । कल रात शीशमहल में चार अज्ञात लुटेरों ने श्री अरविन्द कुमार को मारपीट कर उनका 25 हजार का वी0सी0आर0 छीन लिया । वी0 सी0 आर0 छीनने की घटनाओं की सहादतगंज, तालकटोरा, चौक,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बजीरगंज थाना में भी मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं । नाका थाना क्षेत्र में कल रात डाकुओं ने एक घर से लगभग 16 हजार के नकदी और आभूषण उठा ले गये । अस्तबल चारबाग निवासी मुनीर अहमद को तीन व्यक्तियों ने चाकू मार कर घायल कर दिया । जी0आर0 पी0 हेड क्वार्टर के पास एक ट्रक से पुलिस ने एक क्लीनर की लाश बरामद की । अवकाश प्राप्त अधिकारी श्री महमूद बट के घर से एक हजार रुपये की चोरी का मामला भी प्रकाश में आया है । बहुखण्डीय विधायक निवास के हमारे कमरे (कमरा क्रमांक बी–104) से हमारा टी0वी0 सेट ताला तोड़कर चोर उठा ले गये । मा0 विधायक रमाशंकर जी कौशिक के कमरे में चोरी हुई । परन्तु खेद है कि पुलिस इन सबका पता लगाने और अपराधियों को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध हो रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि पुलिस को निर्देशित किया जाय कि अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाई जाय और अपराधियों का पता लगाकर माल बरामद कराया जाय ।

श्री गेंदा सिंह, गन्ना शोध संस्थान, सेवरही, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रदेश के गन्ना किसानों को उन्नतिशील बीज मिल सके तथा गन्ना के क्षेत्र में नयी तकनीकी और खोज के लिए 5 करोड़ की लागत से 10 वर्ष पूर्व देवरिया जनपद में गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की गयी, जहां शोध केन्द्र, प्रयोगशाला और आवासों के निर्माण पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ । किन्तु अधिकारियों के कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के कारण फार्म के दो तिहाई हिस्से में इस वर्ष जोताई और बोआई नहीं हो सकी । ट्रैक्टर डीजल के अभाव में खड़े हैं और धनाभाव के कारण बोये गये गन्ने में नाइट्रोजन का छिड़काव तक नहीं हो सका है । अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार से हर वर्ष कामर्शियल और बीज के लिये लगाये गये गन्ने की पैदावार कम होती जा रही है और बिहार को चोरी और ऊंचे दरों पर बीज बेचे जाने से प्रदेश के गन्ना किसान उन्नतिशील बीज पाने से वंचित रह जाते हैं । अधिकारियों की साजिश से फार्म के बड़े भाग पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री गेंदा सिंह संस्थान सेवरही के दुर्दशा, कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।

आवास विकास परिषद् द्वारा घोषित हवाई योजनाओं के नाम पर जनता से लाखों रुपये की वसूली होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् ने हवाई योजनाओं के नाम से लाखों रुपये इकट्ठे कर लिये हैं । जिन योजनाओं के नाम से नागरिकों से अग्रिम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राशि जमा कर पंजीकरण कराया है, अभी तक परिषद् ने इन योजनाओं के नक्शे तक नहीं बनाए हैं । लगभग चार हजार बेघर लोग प्रतीक्षा सूची में हैं । बरेली जनपद में वर्ष 80 से पंजीकृत लोगों को मकान अभी नही मिले हैं । फिर भी जनता को लुभाने विज्ञापनों के माध्यम से वर्ष 82 व 87 में भी पंजीकरण किया गया है । परिषद् ने बरेली वासियों को आई0 वी0 आर0 आई0 के सामने व आंवला व बहेड़ी में मकान देने का लालच दिया गया है किन्तु अभी तक कोई भी जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकी है । जो मकान परिषद् ने स्टाफ क्वार्टर के नाम रोका है, इन्हें भी परिषद् प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत लोगों को न देकर उनका नीलाम करने का प्रयास कर रही है । आवासीय भवनों व भूखण्डों की नीलामी पर रोक लगाई जानी चाहिए । आवास आयुक्त आवासीय भवनों व भूमि का आवंटन भी अनियमित रूप से कर रहे हैं व कई लोगों के साथ पक्षपात किया है, जिसकी जांच भी होनी चाहिये ।

अतः सरकार को निर्देशित करें कि परिषद् द्वारा नागरिकों को अतिशीघ्र भवन उपलब्ध कराया जाय ।

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

महोदय, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद इधर भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है । अपराधियों को दण्डित किए बिना प्रवेश परीक्षण का कार्य कमला नेहरू संस्थान सुल्तानपुर को अनियमित ढंग से दे दिया गया । कालेज के बहु-आयामी विकास हेतु प्रारम्भ किए गए निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं । कई वर्षों से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय इमारत 25,00,000 रुपए खर्च करने के बाद भी अधूरी है और विगत 4 वर्षों में केवल 5,20,000 रुपये में पोर्टिको तथा गैराज का निर्माण कराया जा सका है । यही हाल 10 सालों से निर्माणाधीन तरणताल का भी है । नवनिर्मित कम्प्यूटर भवन की छत पहली ही बारिश में धंस जाने से मुआवजा रहित ठेका रद्द करके ठेकेदार संस्था के 4,00,000/- रु0 की गिट्टी, बालू, लोहा गायब कर दिया गया । उसका पता नहीं है । उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र तथा नर्सरी शेड के निर्माण में भी भारी भ्रष्टाचार है । औद्योगिक आस्थान का लगभग 88,00,000 रु0 किराया बाकी है, आदि आदि । की गयी जांचों एवं लेखा परीक्षा के दौरान बहुत सारे आरोपों को सही पाया गया है । किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे छात्रों, कर्मचारियों में बहुत ही असंतोष है और आन्दोलन की तैयारी हो रही है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से तत्काल करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, पूरे प्रकरणों की जांच तथा कार्यवाही की मांग करता हूं ।

अनिवार्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत आज 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की है । दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कनक सिंह, श्री किरन पाल सिंह व अन्य की है । माननीय तिवारी जी अपनी सूचना पर संक्षेप में 2 मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम 300 के अन्तर्गत अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा सदन के पटल पर न रखे जाने का मामला उठाता हूं । अवध विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि के संबंध में इस सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि सदन को, हम जांच कराकर के और जांच के बाद जांच रिपोर्ट से और उसकी संस्तुतियों से अवगत करायेंगे और कृत कार्यवाही से भी अवगत करायेंगे । मान्यवर, 1979 में यह जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी और उसके बाद मान्यवर, शिक्षा अनु0–10 ने उसकी प्रतियां पब्लिश करायी और जानबूझकर उसमें अंग्रेजी के कुछ वाक्य छप गए और उन्हें मान्यवर, सदन के पटल पर पेश करने के लिए भेजा गया । जब आपके सचिवालय में वह प्राप्त हुआ, तो उसमें आपके सचिवालय से यह आपत्ति हुई कि सदन की भाषा हिन्दी है, अतः इसको हिन्दी में कराके भेजें । वे सारी की सारी प्रतियां वापस हो गयीं । उसके बाद 500 प्रतियां फिर आयीं । उन भ्रष्टाचारियों के इतने लम्बे हाथ हैं, आपके सचिवालय में प्राप्त प्रतियों में से 300 प्रतियां चोरी करा दी गयीं और आज तक वह प्रतियां सदन के पटल पर नहीं रखी गयीं । आयोग की जो रिपोर्ट है, उसमें भ्रष्टाचार की मुख्य शिकायतें सही पायी गयीं । आयोग ने सरकार को संस्तुतियां दी थीं, उसमें यह भी था कि वाइस चांसलर से इतनी रिकवरी की जाय और फलां-फलां की नियुक्ति गलत है ।

मान्यवर, वहां व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के संबंध में सदन ने निर्देश दिए थे और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जांच के बाद रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे । रिपोर्ट आयी, फिर चोरी करा दी गयी । आज तक सरकार ने उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखवाया । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न के साथ न्याय करें ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आयोग की रिपोर्ट की बाबत तो तिवारी जी कह चुके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी उसमें नाम है । मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, 6 जुलाई को माननीय तिवारी जी ने उस रिपोर्ट के कुछ अंशों को यहां उद्धृत किया था । विधान सभा में उन अंशों का पढ़ा जाना यह निश्चित हो जाता है, संसदीय परम्पराओं और आपकी पीठ के अनेक निर्देशों के अनुसार वह रिपोर्ट यहां सदन पर पेश हो। उसको सदन के पटल पर रखने की मैं मांग करता हूं। श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस दिन 6 तारीख को जब तिवारी जी बहस पेश कर रहे थे, उस दिन सरकार की तरफ से कोरम का अभाव पैदा कर दिया गया और इस तरह से कोरम का अभाव पैदा करके गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गयी ।

इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि अवध विश्वविद्यालय के प्रति जो आज इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है और वित्तीय एवं प्रशासन के मामले में जो गड़बड़ी

हुई है और इस संबंध में आयोग की जो रिपोर्ट सदन में पढ़ी जा चुकी है, उसे पटल पर आप रखवाएं और इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में सरकार से स्पष्ट कार्यवाही करने का आश्वासन दिलवाएं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, वर्मा जी ने आपका संरक्षण चाहा है, हम भी आपका संरक्षण चाहते हैं । माननीय तिवारी जी ने एक औचित्य के प्रश्न को यहां पर उठाया है और कुछ तथ्य बताए, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वैसे उनकी आज्ञा का पालन तो होगा ही । वैसे भी मान्यवर, आप देखें, यह इन्क्वायरी उत्तर प्रदेश स्टेट युनिवर्सिटी एक्ट के तहत हुई थी । माननीय तिवारी जी ने हवाला उसका दिया । कहीं भी उसमें सदन में रखने का प्राविधान नहीं है । सदन में आश्वासन दिया गया और कुछ प्रतियां यहां पर आयी थीं, वह चोरी करा दी गयीं, इस पर जरा मुझे आपत्ति है । चोरी करने का मतलब यह हुआ कि डेलीबरेटली चोरी करायी गयी । चोरी किसने की, यह उनको पता होगा । कुछ प्रतियां यहां पर आयी थीं, वह कहीं मिसप्लेस हो गयीं, इसका मुझे पता नहीं है । प्रतियां पहले सदन में आयी थीं, तो उन्हें फिर भिजवा दिया जायेगा । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । कहा गया कि जानबूझकर कोरम का अभाव कर दिया गया ताकि भ्रष्टाचार का मामला छिपा रहे ।

मैं बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी सरकार की यह मंशा नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले को छिपाया जाय, दोषी अधिकारियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने की मंशा सरकार की नहीं है । एक ऐसी स्थिति उस दिन उत्पन्न हो गयी कि कोरम नहीं रहा । माननीय तिवारी जी व वर्मा जी, यह आपका अधिकार है, आप उसे पुनः किसी दिन प्रश्न के रूप में उठा सकते हैं, हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं । इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । जो भी बात हो, उसे हम सदन के समक्ष रखना चाहते हैं । जहां तक औचित्य का प्रश्न है, वह किसी भी तरह से नहीं बनता है । एक घटना का जिक्र माननीय तिवारी जी ने उठाया, रिपोर्ट आपके पास भेज दी जायेगी ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, यह प्रश्न तो इन्हें आपसे पूछना चाहिए था । हम तो आपके पास भेज देंगे । यह आपका काम है कि आप उसे सदन के पटल पर रखें या न रखें ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न बड़ी गम्भीर परिस्थितियों में आपके सामने रख रहा हूं । 28/29 जुलाई, 1986 को बस्ती जिले के मेहदावल थानान्तर्गत करहना गांव में 11 आदमियों को पुलिस ने पकड़कर मार दिया । इस घटना से वहां पर जन-असंतोष है । इस संबंध में भी मुख्य मंत्री जी से भी वार्ता हुई थी और 3 सितम्बर को सदन में यहां पर चर्चा भी हुई थी । सरकार ने आश्वासन दिया था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कि सी0 आई0 डी0 से इसकी जांच करायेंगे और जांच आख्या को सदन के पटल पर रखेंगे और जो दोषी व्यक्ति होंगे उन्हें दण्डित करेंगे । जांच आख्या आने से पहले मुझे संसदीय ज्ञान तो है नहीं, वैसे मैंने न कभी देखा और सुना । सरकार के एक मंत्री ने यह बयान जारी कर दिया कि ये सारे लोग दोषी थे, यह मुठभेड़ सही है । सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें कुछ लोग दोषी पाए गए हैं । 15 जून को एक रिपोर्ट मोंहदावल थाने में लिखी गई और सी0 आई0 डी0 के कन-वर्जन में भी उसका मुकदमा लिखा जाना चाहिए था । डी0 आई0 जी0 जो गोरखपुर में बैठे हुए हैं, वह इसको प्रभावित कर रहे हैं । एक व्यक्ति श्री महेन्द्र बीर सिंह को मार दिया गया । उसकी पत्नी जब रिपोर्ट लिखाने गई तो उसको भी मारा गया । अब जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है ।

मान्यवर, अगर यही रिपोर्ट देनी थी तो सी0 आई0 डी0 जांच का कोई औचित्य नहीं था, तत्काल मुकदमा दर्ज करा देते, तफतीश कराते । सी0 आई0 डी0 ने किन-किन को दोषी पाया और क्या दण्ड दिया गया ? सदन ही नहीं पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में इतनी गम्भीर घटना हुई । पुलिस ने 11 निर्दोष आदमियों को गोली से मार दिया और शासन में बैठे हुए मंत्री बयान दे रहे हैं कि यह सब अपराधी थे । मैं मा0 राज्य गृह मंत्री से मांग करता हूं कि अगर उनमें नैतिकता है तो उनको स्तीफा दे देना चाहिए था । इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाय और चाहे वह डी0 आई0 जी0 हो, डी0 एम0 हो या एस0 पी0 हो कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही करते हैं ?

श्री किरन पाल सिंह—

जब करहना काण्ड विधान सभा में उठा था, मैंने भी हिस्सा लिया था, मुझे भी जानकारी है । जांच होने के बाद आपत्तिपूर्ण बात है कि सी0 आई0 डी0 ने जांच की है, अपनी तरफ से कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं करायी । मृतक की विधवा की बहुत पुरानी दरख्वास्त पड़ी थी, उसी के आधार पर एफ0 आई0 आर0 लिख दी गयी है । माननीय मंत्री जी ने बयान दिया कि जितने भी लोग मारे गए हैं, चोर, डाकू थे, सही मुठभेड़ थी । इन्हीं की सी0 आई0 डी0 जांच रिपोर्ट में दिया है कि पुलिस के लोग दोषी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । मेरा कहना यह है कि जिन लोगों के खिलाफ चाहे उस विधवा के नाम की दरखास्त थी, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, लेकिन कोई भी पुलिस कर्मी गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा, अच्छी-अच्छी जगह पोस्ट कर रखा है । मेरी मांग है कि उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय । जब यह मामला उठा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायगी और सारे सदन को इससे अवगत कराया जायगा । माननीय राज्य मंत्री (गृह) से भी जवाब दिलवाएं ।

(श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

जब तक आप बोलने की इजाजत नहीं दे देंगे, मैं बैठूंगा नहीं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, माननीय पाण्डे जी स्वयं तो नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी के क्षेत्र का मामला है । आज सरकार बेनकाब हो रही है । एक तरफ तो यह कहते हैं कि पुलिस ने कोई गलती नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया, सारे बदमाश थे, बिना सोचे समझे बयान दे देते हैं । दूसरी तरफ सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट है कि पुलिस दोषी है । जहां तक सरकार के बेनकाब होने का प्रश्न है, सी0 आई0 डी0 कोई विरोध पक्ष की एजेन्सी तो थी नहीं । सी0 आई0 डी0 आपकी एजेन्सी है और वह साबित कर रही है कि पुलिस के अधिकारियों ने बेगुनाह लोगों को मारा है, उनकी मौत के घाट उतारा है । उत्तर प्रदेश में 11 लोगों की पुलिस ने बर्बर हत्या की । मैं चाहता हूं कि आप माननीय सुखपाल पाण्डे जी को इस पर जरूर सुन लें ।

डाक्टर रजनीकान्त दत्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि उस दिन जब यह चर्चा हो रही थी तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मुझे भी बोलने के लिए अवसर दिया जाय लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस पर चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिलाधिकारी और एस0 पी0 ने इस घटना को छिपाकर, मंत्री जी को जो सूचना दी तो उन्होंने यहां कहा कि बदमाश मारे गए हैं । राज्य गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए कि इतने निरीह लोगों को मारा गया और एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी गयी । 11 आदमियों को मार डाला गया लेकिन मंत्री जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी । आज जब मंत्री जी के सामने मुकदमा दर्ज होने के लिए आया है तो मंत्री जी को चाहिए कि वे यहां पर कहें कि हमने सदन में गलत घोषणा की थी और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आपके जो भी आदेश हैं, हम लोग हमेशा स्वीकार करते हैं । माननीय नेता विरोधी दल के भी आदेश स्वीकार करते हैं, उनको भी कभी नहीं टालते हैं । मान्यवर, आपको याद होगा कि जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो दत्ता साहेब ने भी प्रयास किया था कि वे अपनी बात को यहां सदन में कह दें । मैं चाहता हूं कि एक परिपाटी कायम रखनी चाहिए कि किसी के क्षेत्र से संबंधित कोई मामला हो या जिनके हस्ताक्षर उस सूचना पर हो उन्हें आप बुलवाएं, यह बात आज ही तय हो जानी चाहिए ।

यह मामला जो यहां उठाया गया है, सौभाग्य से इस समय यहां गृह राज्य मंत्री भी मौजूद हैं, हमें अभी तक सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है उस वक्त तक यह कहना कि कौन दोषी है, कौन नहीं है या किसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और किसके खिलाफ नहीं, यह बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उचित नहीं है । जब आश्वासन सरकार का था पहले भी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही करने के बाद एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा कर कार्यवाही की जाय । उस वक्त कहा गया कि सी0 आई0 डी0 से जांच कराएं । तो अब सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जा रही है, रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । जब रिपोर्ट आ जायेगी तो किसी भी अधिकारी, वह चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, अगर इस नरसंहार में उसके होने की बात साबित हो जायेगी कि यह फेक इनकाउन्टर था, किसी तरह की कोई बात छुपाई नहीं जायेगी और उस पर कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

अगर सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है तो पुलिस वालों पर मुकदमा कैसे चलाया गया है ?

श्री सुखपाल पाण्डे—

संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को छिपा रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

आइए, आप तलाशी ले जाइए अगर रिपोर्ट पा जायं । मैं सारे सदन के सामने कह रहा हूं कि रिपोर्ट नहीं आयी है । राज्य मंत्री ने उस समय यह कहा था कि कुछ लोग यह कह रहे हैं और कुछ लोग यह कह रहे हैं, तो उन्होंने कहीं पर कोई फाइंडिंग नहीं दी है । उनका कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं है और सुखपाल पाण्डे जी का कहना कि राज्य मंत्री जी त्याग पत्र दें, उनका यह कहना उचित नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, अगर रिपोर्ट नहीं आयी है, तो मान्यवर, राज्य मंत्री गृह के लिए कोई त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है और जब रिपोर्ट आ जाती है, राज्य मंत्री का नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह त्याग पत्र दें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, जो प्रेस वक्तव्य मैंने दिया था, उसमें यही कहा था कि वहां की जनता का और जन प्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस मुठभेड़ नहीं हुई, इसको फर्जी तौर पर बताया जा रहा है और पुलिस ने निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला है और जिला प्रशासन का वर्जन था कि सभी लोग बदमाश थे, इनका अपराधिक इतिहास रहा है और मुठभेड़ हुई थी, और यह कहा गया था कि एक उच्च स्तरीय सी0 आई0 डी0 जांच करायी जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आयेंगे और अगर पुलिस कर्मी दोषी पाए जायेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, यह मेरा वक्तव्य था और मान्यवर, उसकी जांच करने के लिए डी0 आई0 जी0 (सी0 आई0 डी0) मौके पर गए और उनकी देख-रेख में जांच हुई और वह चल रही है, अभी कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दोनों सूचनाएं अस्वीकार करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, इनके पास रिपोर्ट आ गयी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया है कि रिपोर्ट नहीं आयी है, तब क्या है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, रिपोर्ट आ गयी है, और उसी के आधार पर डीवाई0 एस0 पी0 और दरोगा को हटाया गया है । जो डी0 आई0 जी0 गोरखपुर है उन्हीं के कारण यह सब हुआ है, और उनको वहां से हटाया नहीं जा रहा है, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है ? रिपोर्ट सदन में पेश करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

रिपोर्ट जब आ जायेगी तो वह पेश कर देंगे ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है । माननीय मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी कराने का आश्वासन दिया था और उस समय यह सब बातें उठी थीं, जो आज उठ रही है । वहां के एस0 एस0 पी0 को वहां के डी0 आई0 जी0 का संरक्षण प्राप्त है, उनके वहां पर रहते हुए कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है और कभी भी कोई सही तथ्य सामने आ नहीं सकते हैं । सरकार जानबूझकर परदा डाल रही है । जो रिपोर्ट आयी है, उसको सदन के पटल पर रखें । अगर रिपोर्ट नहीं आई है, तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया है ? किस आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और अगर कायम हुआ है तो क्या कार्यवाही हुई है ? यह बड़ा गम्भीर मामला है । संसदीय कार्य मंत्री जी और राज्य मंत्री (गृह) इस समय दोनों सदन में मौजूद हैं । इस बात की सदन में घोषणा करें कि जिस डी0 आई0 जी0 के चलते यह हत्या काण्ड हुआ है, उसे तुरन्त हटा दिया जाय क्योंकि उनके रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो पायेगी । इस पर पर्दा डालने की आप कोशिश न करें ।

श्री अम्मार रिजवी—

जांच में किसी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न होगा तो उसे हटा दिया जायेगा । . . . . (व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, हम लोग गवाहों से मिले तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को रोज पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जब रिपोर्ट नहीं आई है तो पुलिस कर्मियों पर कैसे मुकदमा दर्ज किया गया और किस धारा में किया गया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है । उन्होंने प्रकारान्तर में यह स्वीकार किया है कि उस संबंध में कोई रिपोर्ट है । उसे ही बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, यही मैंने निवेदन किया है । मान्यवर, इसकी एक आसान सूरत है कि न तो हम कोई चीज छिपाना चाहते हैं और यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं तो आप इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे । . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है । इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री किरनपाल सिंह के खड़े होकर कुछ बोलते रहने पर)

अब मैंने इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, वर्तमान समय में सदन की स्थिति को देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने सिर का बवाल इस समय टाल दिया । वक्तव्य के लिए स्वीकृति दे दी। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि यह वक्तव्य का विषय नहीं है, इस पर आप चर्चा करा दें । दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि हमारी तलाशी ले ली जाय, रिपोर्ट नहीं आई है । मैंने स्वयं अखबारों में पढ़ा था कि सी0 आई0 डी0 ने अपनी जांच में पुलिस कर्मियों को दोषी पाया और उनके ऊपर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई । मैं जानना चाहता हूं कि यह अखबारों में कैसे छप गया और कैसे यह रिपोर्ट दर्ज हुई? आप कह सकते हैं कि अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा हुआ है तो अभी भी वहां पर तफतीश चल रही है, माननीय सदस्य बार-बार यह कह रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि वहां का डी0 आई0 जी0 लोगों को प्रभावित कर रहा है । अभी अन्तिम रिपोर्ट आना शेष है इसलिए मैं मांग करता हूं कि एक तो आप इसमें चर्चा करा दें और इससे पहले जिन अधिकारियों और डी0 आई0 जी ने आपको और आपकी सरकार को गुमराह किया है और यह कहा है कि पुलिस कर्मी दोषी नहीं है, इन्काउन्टर नहीं किया है, जिनकी वजह से गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देने के लिए मजबूर हैं। और वे दोषी पायेंगे तो गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे देंगे और अपनी इमेज ऊंची करेंगे । बड़े-बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं और उनको छिपाया जा रहा है । डी0 आई0 जी0 वहां पर जांच को प्रभावित कर रहा है उसको हटाने की जरूर आप व्यवस्था करें ।

श्री अम्मार रिजवी –

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने चर्चा के लिए कहा । तो मुझे चर्चा में भी कोई आपत्ति नहीं है । आप चर्चा स्वीकार कर लें । लेकिन माननीय गृह राज्य मंत्री के लिए बार-बार कहा जा रहा है कि वे इस्तीफा दें । मान्यवर, वीकर सेक्शन के लिए वे हर जगह ख्याल रखते हैं, उनके लिए क्यों नहीं ख्याल रख रहे हैं ?

दूसरी बात मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कुछ प्रशासनिक बातें कही, डी0 आई0 जी0 के बारे में कहा । तो उन सब को दिखा लेंगे कहीं पर अगर जांच प्रभावित होने की बात होगी तो उसमें हम करेंगे कि वह प्रभावित न हो ।

श्री उपाध्यक्ष –

ठीक है, इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 29 जून, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 6 जुलाई, 1987 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

'समाचार ब्यूरो' नामक पत्रिका के विरुद्ध दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की सूचना

श्री उपाध्यक्ष –

मद संख्या 6 में मैं कुछ सूचनायें दे दूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा मद संख्या 5 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियम 63 के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना 3 जुलाई को मैंने दी थी । मान्यवर, जो नियमावली है उसके अन्तर्गत प्रागदर्शन में वह मामला बिल्कुल सिद्ध है और तात्कालिक मामला है । 'समाचार ब्यूरो' के एक समाचार में . .

श्री उपाध्यक्ष–

उसका परीक्षण हो रहा होगा जब सूचना आई है तो ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 68 की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैंने कहा कि परीक्षण हो रहा होगा (व्यवधान) आप कक्ष में आकर बात कर लें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

इसी मद में मैं भी व्यवस्था चाहूंगा । मुख्य मंत्री जी के खिलाफ उसमें इस तरह के आरोप लगाये गये हैं, उनकी तुलना अंतुले से की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अखबारों में यह होता रहता है (व्यवधान) इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है (व्यवधान) आप स्पीकर साहब के कक्ष में आ जायं बता देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मद संख्या 5 के बारे में मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पिछली कार्यवाहियों को 1980 से पूर्व की कार्यवाहियों को देख लें विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना जब हम देते थे जो महत्वपूर्ण सूचनायें होती

हैं जिन पर आप भी सहमत होते थे कि यह मामला गंभीर है इसमें कुछ होना चाहिए, उसकी ग्राह्यता पर कुछ आप सुनते थे। उसके परीक्षण के लिए भी आप कहते थे तो उसकी भी एक अवधि होती थी एक हफ्ते के बाद निर्णय लेंगे, कहते थे। यह प्रक्रिया समाप्त हो गयी है और विशेषाधिकार का महत्व खत्म हो रहा है हमारे अधिकारों का एक प्रकार से निरन्तर क्षरण हो रहा है। इस पर आप विचार करें कि परीक्षण का कोई पीरियड होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियम समिति को भेज दीजिये उसमें हो जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसका परीक्षण कब तक हो जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा कि आप कक्ष में आ जायं वहां बात हो जायेगी, मुझे किस स्टेज में वह है, मालूम नहीं है।

*श्री राम आसरे वर्मा–

कक्ष में सुनवाई नहीं होगी। समय बता दें कब तक निर्णय करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियम समिति में भेज दीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, विशेषाधिकार की सूचना के बारे में जो निर्णय पीठ से होते हैं सामान्यतया सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में उस पर चर्चा की इजाजत भी आप दे सकते हैं। एक विशेषाधिकार की सूचना माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ दी थी। जिस पर आपका निर्णय 2-7-87 को हो गया। अब जो सूचना श्री हरिशंकर तिवारी ने दिया था उसका जवाब मुख्य मंत्री जी की तरफ से आया उसी पर आपका निर्णय हो गया। श्री तिवारी जी का कहना है कि नहीं आया जवाब तो कम से कम श्री तिवारी जी को उस सूचना के बारे में सुनना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष जी का इस पर निर्णय हो चुका है इसलिये इस पर अब यहां चर्चा नहीं हो सकती है। मा0 अध्यक्ष के निर्णय के बाद इसको मैं यहां उठाने की इजाजत नहीं देता हूं और उनके निर्णय के बाद कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मामला अहम् है। यदि इनको सुनेंगे नहीं तो इनको कैसे संरक्षण मिलेगी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर निर्णय हो चुका है। आप बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अभी व्यवस्था का प्रश्न मद सं0 5 के बारे में उठाया गया जिसमें श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री सूर्य प्रताप शाही ने अपनी बातें कहीं हैं। आपने निर्णय दिया कि नियम समिति को आप भेज दें । नियमावली के नियम 67 में प्राविधान है जिसको श्री शाही जी ने कोट करना चाहा था, प्राविधान है कि विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना होगी तो जिन्हें अध्यक्ष जी समझेंगे वह सदन की ग्राह्यता पर बोलेंगे और सुना जायेगा। वर्ष 1985 के बाद से एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है कि किसी प्रकार की विशेषाधिकार की सूचना दी जाये लेकिन सदन में सुनने का प्राविधान ही एक तरह से समाप्त कर दिया गया है और बिना सुने ही इस पर परीक्षण और आदेश हो जाते हैं। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली जो है उसके नियम 67 को निलम्बित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है, इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम कोई सस्पेंड नहीं किया गया है, पीठ के विवेक पर है, और उसी के अनुसार निर्णय लिया गया है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मेरी बात को सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो चुका है, इसलिए मैं बोलने की इजाजत दुबारा नहीं देता हूं। (व्यवधान) आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान) आप लोग शांत रहें। बैठ जायं!

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय अर्थात 6 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक निम्नलिखित सदस्यों के नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए, जिनकी सूक्ष्म परीक्षा दिनांक 7 जुलाई, 1987 को अपराह्न 3.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये :–

1–श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा	(कानपुर देहात)
2–श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, सदस्य, विधान सभा	(फतेहपुर)
3–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा	(गोण्डा)
4–श्री सुखपाल पाण्डे, सदस्य, विधान सभा	(बस्ती)
5–श्री भृगुनाथ भट्ट, सदस्य, विधान सभा	(गोरखपुर)
6–श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य, विधान सभा	(उन्नाव)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

7–श्री हाफिज मोहम्मद उमर, सदस्य, विधान सभा (कानपुर)
8–श्रीमती शशि शर्मा, सदस्य, विधान सभा (देवरिया)
9–श्री हरदेव, सदस्य, विधान सभा (बलिया)
10–श्री अर्जुन सिंह, सदस्य, विधान सभा (बांदा)

2–उक्त निर्वाचन हेतु नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक निर्धारित है। अतः यदि नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय अर्थात् 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक उक्त नाम निर्देशित अभ्यर्थियों में से पूर्णीय रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस नहीं लिये तो निर्वाचन पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा।

3–यदि कोई वैध नाम निर्देशित अभ्यर्थी चाहे तो दिनांक 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिव, विधान सभा को लिखकर निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की सूचना दे सकते हैं, किन्तु ऐसी दशा में नाम की वापसी की लिखित सूचना 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिव, विधान सभा को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय–निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरी सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 8 जुलाई, 1987 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 9 जुलाई से 14 जुलाई, 1987 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

गुरुवार, 9 जुलाई, 1987	वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान।
शुक्रवार, 10 जुलाई, 1987	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान। 2–उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।
शनिवार, 11 जुलाई, 1987	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान । 2–गन्ना मिलों पर किसानों के बकाया के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव तथा श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा दिनांक 30 जून, 1987 को दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा। 3–प्रदेश में भयंकर गर्मी, लू, पेयजल संकट, अवर्षण तथा सूखे एवं चित्रकूट मेले में 25 तीर्थयात्रियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री राम नरेश यादव, राजेन्द्र कुमार गुप्त, शतरुद्र प्रकाश, राम आसरे वर्मा, मलिक मोहम्मद

कमाल यूसुफ, दिवाकर विक्रम सिंह, माता प्रसाद पाण्डेय, सुखपाल पाण्डे तथा धनराज यादव द्वारा दिनांक 29 जून, 1987 को दी गयी सूचना पर– दो घंटे की चर्चा।

रविवार, 12 जुलाई, 1987 बैठक नहीं होगी।

सोमवार, 13 जुलाई, 1987 असरकारी दिवस ।

1–लम्बित असरकारी संकल्प।

2–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को निलम्बित करते हुए विधान सभा की दिनांक 22 जून, 1987 की कार्यसूची में मद संख्या–30 पर उल्लिखित असरकारी संकल्प ।

3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985" को वापस लेने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवशेष कार्य।

मंगलवार, 14 जुलाई, 1987 1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान ।

2–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण– पाँच घण्टा ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दिनांक 11 जुलाई, 1987 तथा 18 जुलाई, 1987 के उपवेशनों में नियम 51, 56 तथा 301 की सूचनाएं न ली जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज इस सदन में दी गई है, सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रजनी कान्त दत्त–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 9-7-87 को नियम 56 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार है :–

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री किरनपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री कनक सिंह तथा श्री सूर्य प्रताप शाही श्री राम नरेश यादव, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री काशी सिंह ऐरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं फजलुल बारी, इन माननीय सदस्यों ने ऋषिकेश तथा अन्य स्थानों में हिंसक उपद्रव के संबंध में एक ही सूचना दी है। श्री मोहम्मद रिजवानुल हक श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री हाजी मो0 हयात ने जिला मुरादाबाद के थाना भोजपुर के थानाध्यक्ष द्वारा श्री बहार तथा उनके परिवार का उत्पीड़न के सम्बन्ध में सूचना दी है। नवीं सूचना हरिश चन्द्र, हरीश जी तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी ने दी है, यह प्रदेश के विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह जी की भी इसी विषय में है। ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी श्री किशन लाल की है, यह अलीगढ़ में अवैध शराब की बिक्री के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री सुखपाल पाण्डे जी की है यह सूचना बस्ती जनपद में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्जी नसबन्दी के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री मनोहर लाल जी और श्री मूलचन्द जी की है। यह सूचना हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण न होने के सम्बन्ध में है। श्री रिछपाल सिंह बंसल की चौदहवीं सूचना है यह सूचना जनपद मेरठ में सामाजिक वाटिका में घपला के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अैसान सिंह तथा श्री दिनेश जौहरी जी ने दी है यह सूचना जनपद इटावा में असामाजिक तत्वों का जोर, के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने दी है यह बाल श्रमिकों का उत्पीड़न के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की है यह तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में फर्जी बैनामें व वसीयतनामों के सम्बन्ध में है।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय–**

मान्यवर, चूंकि इस सूचना में बहुत से माननीय सदस्यों के नाम हैं इसलिए संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, पिछले दिनों जब मेरठ में उपद्रव हुआ तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश जारी किए थे और कहा था कि सारे प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है, इसकी पुनरावृत्ति पूरे प्रदेश में नहीं होगी और यह भी कहा कि इससे सख्ती से निपटा जाएगा। हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया था कि फिर ऐसा नहीं होने पाएगा, लेकिन मान्यवर, 6,7, तारीख को हरियाणा और पंजाब में जो घटना हुई उससे प्रदेश आंदोलात्मक हो गया, इनकी सारी सतर्कता रखी रह गई।

मान्यवर, ऋषिकेष में लोगों को पकड़कर लाठी-डंडों से मारा गया ऋषिकेश ऐसा स्थान नहीं है जहां पुलिस न पहुंचाई जा सके, मान्यवर, यह ऐसा अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, पूरा प्रदेश आन्दोलात्मक हो गया है ऐसे विषय पर मैं मांग करता हूं कि सदन की शेष कार्यवाही रोकर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इसमें सब माननीय सदस्यों को बुलवायें या हर पार्टी के एक-एक सदस्य को बुलवा दें, इसमें आप जरा मदद करें।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

सबको बुलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें सब माननीय सदस्य बोलेंगे तो दो-दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दें।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, पंजाब और हरियाणा में जो 75-80 लोगों की नृशंस हत्या हुई है उससे पूरा प्रदेश पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मान्यवर, जब यह समाचार अखबार और रेडियों के जरिये फैला। पंजाब में मरने वालों में, सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के लोगों की है उत्तर प्रदेश में गढ़वाल मंडल और ऋषिकेष के आस पास रहने वालों की संख्या ज्यादा है। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा कि चारों तरफ सतर्कता के आदेश दे दिए गये हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऋषिकेश में पुलिस की सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं थी अब तक पुलिस भिजवाई जा रही है और पुलिस बल अभी भी नहीं पहुंच पाया है और सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मान्यवर, धार्मिक स्थल को घेरा गया गोली चली और एक आदमी मारा गया। (समय 1 बजकर 20 मिनट पर) उस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों को सड़कों पर लाठियों से पीटा गया और अनेक दुकानों में आग लगा दी गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब प्रशासन को चुस्त रहने के आदेश हो गये थे तो मैं पूंछना चाहता हूं कि ऋषिकेश और देहरादून का प्रशासन क्या कर रहा था? ऐसी घटना क्यों हुई? 4-5 लोगों की मृत्यु हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इसी प्रकार से दूसरे नगरों में भी आपके आदेश ऐसे पहुंचते रहे तो इससे बड़ी घटना हो सकती है। प्रदेश की स्थिति खराब है। मुख्य मंत्री जी आपका प्रशासन फेल हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री किरनपाल सिंह–

यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सारा पुलिस प्रशासन आज पूरी तरह से ठप है। देहरादून के एस0 पी0 का तबादला हुआ, वहां का पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठप्प है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन जो फेल हो गया है उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री पर है। इसलिये इस पर कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है वह अत्यन्त ही गंभीर और अविलम्बनीय लोक महत्व का है। कल सदन में चिंता हम व्यक्त कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोगों की मृत्यु हुयी है। सरकार दुराग्रह कर रही है। दुराग्रह का परिणाम यह है कि ऋषिकेश में आतंकवादियों की गोली से और पुलिस की गोली से और तीन लोगों की मृत्यु हुई है। 6 लोगों का दाखिला अस्पताल में हुआ है। पुलिस और पी0 ए0 सी0 की मौजूदगी में गोलियां चलीं और लोग घायल हुए हैं। कल ऋषिकेश बंद रहा और आज भी बंद है और पूरे गढ़वाल में एक जनरोष पैदा हो गया है। लोग लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आये हैं और कानून और व्यवस्था विफल हो गयी है।

माननीय सदस्य जब ऐसी चीजों पर चिंता व्यक्त करते हैं तो सरकार उपेक्षा करती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जानी चाहिये।

मान्यवर, चर्चा इसलिये करायी जानी चाहिए कि तराई इलाके में, लखीमपुर खीरी की तरफ आतंकवाद फैल रहा है। कल कानपुर का मामला सदन में आया था। लखनऊ इंटर मध्य कमान में आतंकवादियों ने एक सैनिक को मार दिया । मारुति कार में सवार होकर वह आये और एक सैनिक को मार दिया । उनके पास सामान हथियार बरामद हुये । हैं। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवादी शक्तियां बढ़ रही हैं इसलिये कार्य-वाही रोक कर चर्चा करायें।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, अभी कल इस सदन में पंजाब और हरियाणा में जो नृसंश हत्यायें हुयी थीं उसके खिलाफ निन्दा की गयी । कल यह बात सामने आ गयी थी कि इस घटना में 30 लोग जो मारे गये हैं वह उत्तर प्रदेश के थे और अल्मोड़ा गढ़वाल में इस घटना की प्रतिक्रिया हुयी है। प्रदेश में एक आतंक का, वातावरण व्याप्त है और लोग चिंतित तथा परेशान हैं । 'ऋषिकेश' बंद चल रहा है और उस बंद के दौरान वहां पर जिस तरह से लोगों की हत्यायें हुयीं उससे लोगों में शंका पैदा हो गयी है । अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ घोषणायें की थीं । सरकार घोषणा करती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है तो उससे निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। यही कारण है कि ऋषिकेश में कल जिस तरह की हिंसात्मक घटनायें हुयीं उसकी आंच सरहदी जिलों में फैलना स्वाभाविक है । यह सदन के लिये चिंता का विषय है।

मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि वह जो घोषणायें करते हैं, वह इस बात को देखें कि जो वह निर्देश दे रहे हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं अगर नहीं हो रहा है तो यह भी जिम्मेदारी सरकार की है जो सरकार अपनी घोषणाओं का पालन नहीं करा सकती है उस सरकार को सत्ता में बने रहने का हक हासिल नहीं है । आतंकवाद की ज्वाला भड़क रही है जिससे लोग चिंतित हैं । यह गंभीर चिंता का विषय है । अतः इस गम्भीर प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायें। नेता सदन निश्चित रूप से इस सदन को आश्वस्त करें कि निश्चित रूप से कल के बाद इस तरह से जो प्रदेश में आतंकवाद अपना सर उठा रहा है वह नहीं उठ सकेगा। उनके साथ कड़ाई का प्रस्ताव करें और अगर नहीं कर सकते हैं तो यह सत्ता में बैठने वाले लोगों को आने वाले दिनों में जनता स्वयं हटा देगी।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 74 लोगों की नृशंस हत्याकांड अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहा लेकिन मान्यवर, जो कल ऋषिकेश में हादसा हुआ है वह अत्यन्त दुखद है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम हों । मान्यवर, पंजाब में हुए इस नृशंस हत्याकांड की कल ऋषिकेश में गम्भीर प्रतिक्रिया हुई। मान्यवर, एक पूजा स्थल से गोलियां चलायी गयीं जिसमें 3 व्यक्ति मारे गये और अनेकों घायल हुए । पंजाब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया।

हत्याकांड के विरोध स्वरूप शान्त प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अकारण बल प्रोग कर उत्तेजना पैदा कर दी है। मान्यवर, इस सरकार द्वारा पंजाब की घटना की पृष्ठभूमि में पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने एवं प्रशासन को चुस्त करने की घोषणा तो की गई परन्तु प्रशासन इसमें पूरी तरह से विफल रहा । क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गढ़वाल और ऋषिकेश के लोग इस हत्याकांड में मारे गये हैं तो उनमें उत्तेजना हो सकती है तो क्या उनकी लाशें वहां नहीं पहुंचायी जा सकती थीं । मान्यवर, किसी का पुत्र छिन गया, किसी के माथे का सिन्दूर धुल गया इससे ज्यादा और दुख की क्या बात हो सकती है।

मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता हर दशा में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखे। मान्यवर, पंजाब और हरियाणा में आतंकवादियों ने बस यात्रियों की हत्या इसलिए की है कि लोग उत्तेजना में आकर हिंसा का रास्ता अख्तियार करें। अतएव यदि जवाबी हिंसा हुई तो इससे तो आतंकवादियों का मकसद पूरा होगा। मान्यवर, शांति और व्यवस्था प्रदेश के विकास में बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस पर चर्चा करायी जाय। हम सरकार की विफलताओं की सही स्थिति उजागर करना चाहते हैं। मान्यवर, इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

(व्यवधान)

*श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, अभी हम कल इस नृशंस हत्याकांड की निन्दा कर रहे थे। उस वक्त मालूम हुआ कि आतंकवाद दूसरी शक्ल में सामने आया। मान्यवर, आतंकवाद जो इंसानों की जान लेता है वह आतंकवाद बड़ा खतरनाक है। कहीं पर वह भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गये थे उनमें से ज्यादा लोग ऋषिकेश के थे, पंजाब और हरियाणा के मरने वाले लोगों में से। मान्यवर, जिला कलेक्टर देहरादून को ऋषिकेश में पूरा इंतजाम रखना चाहिए था, पूरी चौकसी करनी चाहिए थी।

मान्यवर, भीड़ ने एक इबादतखाने पर हमला किया। अगर यह रुझान पैदा हो गया कि एक मजहब के लोग दूसरे मजहब पर हमला करें तो यह मुल्क के लिए निहायत खतरनाक होगा। हमने मान्यवर, 84 में देखा है कि किस तरह एक जाति एक मजहब के लोग मारे गये हैं, लूटे गये हैं । इन्हीं सब चीजों से आतंकवाद पैदा होता है। हम अपने प्रदेश में शांति बनाये रखने के लिए इस मुल्क को बचाये रखने के लिए जरूरी समझते हैं कि इस पर चर्चा हो जाय कि किस तरह से, कौन से रास्ते पर चल कर हम आतंकवाद को रोक सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री कनक सिंह—

मान्यवर, यह हरिद्वार की कल की घटना जो है, बहुत दुःखद है और इससे पूर्व भी चुनाव के बाद से हरद्वार आतंकवादियों का अड्डा बनता जा रहा है। पंजाब का जो आतंकवाद है, अब यू0 पी0 में हरद्वार और ऋषिकेश से शुरू हुआ है और शासन इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी है। शासन आज तक यह नहीं बता पाया है कि वे लोग कौन हैं? कल जो वहां के यात्रियों को लूटा गया है, मारा गया है, मैं समझता हूं कि शासन के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वह हमको बचा सके। इसलिए इस शासन को चाहिए था कि वह इस्तीफा दे दे। मान्यवर, इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर दो घंटे की चर्चा कराई जाय।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, 6/7 जुलाई को हरिद्वार और पंजाब में हुई बर्बर और अमानवीय, दर्दनाक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप साम्प्रदायिक सद्भाव टूटने और मौतों की काली साया पूरे प्रदेश में छाने लगी और इसी के परिणाम स्वरूप कल ऋषिकेश में केवल 5 मौतें ही नहीं हुई हैं, बल्कि हमीरपुर, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन हुए और उत्तेजना भड़की है। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा (मिर्जापुर) तथा हमीरपुर में भी उत्तेजना है। माननीय नेता सदन अपने चापलूस साथियों और अधिकारियों के बीच घिरे खोखली घोषणाएं और चेतावनियां दे रहे हैं कि निपट लिया जायगा, कुछ नहीं होने दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, यह राजनैतिक आतंकवाद है, जिसमें जानबूझकर प्रतिक्रिया की संभावना हेतु इस तरह की सारी साजिशें बनाई जाती हैं। माननीय नेता सदन इन घटनाओं को सड़क के गुंडों और लोफरों के आतंक के समान समझ रहे हैं और ललकार रहे हैं।

आज राजनैतिक दबाव में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जा रहे हैं जिससे पुलिस बल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। देहरादून के पुलिस अधीक्षक का ट्रान्सफर माननीय बहुगुणा के कहने पर किया गया। मेरठ में मुहसिना किदवई के इशारे पर पूरे प्रशासन में फेर-बदल किया जा रहा है। इलाहाबाद में फिल्मी सांसद अमिताभ बच्चन के कहने से एस0 पी0 का ट्रान्सफर रोक दिया गया। दूसरा एस0 पी0 चार्ज लेने के लिए 6–7 दिन से पड़ा हुआ है। इलाहाबाद मेरठ के दंगे से संवेदन शील था ही, यह भी घटना हो गयी। केवल खोखले वादों और नगरों से काम नहीं बनेगा, ठोस और शख्त कदम उठाना पड़ेगा और स्पष्ट नीति घोषित करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्य-वाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय और ऋषिकेश की घटना के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, इस सदन में जो अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय आया है, कल यह सारा सदन और इस प्रदेश की जनता स्तब्ध थी, पंजाब में जो घटना हुई, वह घटना जो कुछ पंजाब में हुई उसमें हम केवल संवेदना ही प्रकट कर सकते थे, हालांकि हमें यह कहना चाहिए था, सरकार चाहे केन्द्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो, जिस आतंकवाद ने अपना बदला लेने के लिए हमारी सेना के नायक जनरल वैद्य को मार दिया। हमारी सर-कार को यह मालूम होना चाहिए था कि वही आतंकवादी हमारी सेना के अन्य जवानों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी मारने की कोशिश में थे और उन्हें मालूम था कि उस बस में ज्यादातर गढ़वाल रेजीमेंट के वह सैनिक आ रहे थे, जिन्होंने आपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लिया था। तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि नहीं और यह हादसा हो गया। इसकी चर्चा तो हम यहां पर सदन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा इन्तजाम नहीं किया, कोई ऐसी तैयारी नहीं की, जिससे कि वहां पर अमन चैन कायम हो। सरकार को मालूम था कि लाशें आ रही हैं, लोगों में उत्तेजना फैलेगी, उनकी भावनाएं भड़केंगी। लेकिन सरकार ने उनको रोकने के लिए कोई इन्तजाम नहीं किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों को हिंसा भड़काने का मौका मिला और ऋषिकेश में यह हादसा हुआ। तो मैं मान्यवर, आग्रह करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अधिक से अधिक चर्चा की जाय और उन कारणों को खोजा जाय कि ऐसा जगह-जगह पर क्यों हो रहा है?

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, 6 और 7 तारीख की रात को आतंकवादियों द्वारा जो घटना घटी वह दर्दनाक घटना थी। यह उत्तर प्रदेश सरकार का काम था कि जिन लोगों की हत्या की गई थी उनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश के थे और इसलिए कोई भी घटना हो सकती थी। यह उत्तर प्रदेश सरकार का नैतिक कर्तव्य था कि इसके लिए चौकसी बरतते लेकिन मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार चाहती है कि पूरे प्रदेश में एक तनाव पैदा हो और असाम्प्रदायिकता का जहर फैले इसलिए ऋषिकेश में पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से निरीह लोगों की हत्या की गई। सरकार को मालूम है कि आतंकवादियों द्वारा विदेशी लोगों की साजिश के द्वारा हत्यायें की जा रही हैं और यह प्रयास किया जा रहा है कि यहां पर साम्प्रदायिकता फैले और लोगों में भेद-भाव पैदा हो तथा अशान्ति उत्पन्न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में चर्चा कराई जाय।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, अभी जो ऋषिकेश में कल घटना घटी वहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि कोई घटना घटने न पाये लेकिन एकाएक भगदड़ उठी और काफी लोग एकत्र हो गये थे। वहां पर बहुत से यात्री आते हैं ऋषिकेश में और काफी मात्रा में उस समय वहां पर यात्री थे लेकिन यह ध्यान दिया गया कि कोई बात न होने पाये लेकिन कुछ जगह से कुछ लोगों ने उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की। भीड़ के रूप में वहां पर इकट्ठे हुए और वहां गोली चली जिसमें जिसमें चार आदमी मरे और कुछ घायल हैं। वहां पर 144 लागू कर दी गई है और अब वहां पर बिल्कुल शान्ति है, कोई बात नहीं है। जहां तक और भी हमारे प्रदेश के जिलों का नाम बताया गया हर जगह पूरी व्यवस्था की गई है कि कहीं पर कोई घटना घटने न पाये।

मान्यवर, आपको भी मालूम है कि बहुत से लोग उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि इससे कितनी बड़ी हानि हो सकती है। इसके लिए यह उचित नहीं है कि आप खाली पुलिस के ऊपर सब दोष दें और कुछ लोग उत्तेजना पैदा करके माहौल खराब करें। इस समय हमको यह देखना है कि कैसे साम्प्रदायिक सद्भाव बने, कैसे लोगों से मिलकर हम चलें, कहीं किसी प्रकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कोई उत्तेजना पैदा न हो क्योंकि ऐसा न करने से स्थिति बनती नहीं, बल्कि बिगड़ती है । आज हमको देखना है कि कैसे सभी वर्ग के लोग मिलकर चलें, आपस में सद्भाव बनायें रखें । जहां तक यह बात है कि किसने क्या किया, पुलिस ने क्या किया और यह कह दिया कि व्यवस्था नहीं थी, सरकार ने इसको देखा नहीं, यह उचित नहीं है । आज यहां 13 करोड़ आबादी है और अगर जनता के लोग उत्तेजित हो जाते हैं तो उस समय कितनी परेशानी हो जाती है । आप जानते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि कहीं गोली न चले, किसी को किसी तरह की हानि न हो । अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसमें तमाम तरह की बातें पैदा होती हैं । आज ऐसी परिस्थिति में पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और प्रदेशों में भी इस तरह की भावना है, उत्तेजना है । हमें देखना है कि किस तरह से अमन चैन कायम हो, कैसे सब वर्ग मिलकर चलें और इसके लिए सबका, सब वर्ग के लोगों, सब दल के लोगों तथा जनता का सहयोग आवश्यक है । सबके सहयोग से ही प्रदेश में शान्ति कायम हो सकती है । हमने आज ही कहा है कि साढ़े चार बजे सभी दलों की बैठक बुलाई जाय और बैठक में हम इस पर विचार करने जा रहे हैं कि प्रदेश में कैसे अमन और चैन कायम हो । इसके लिए मान्यवर, हम लोग आज बैठने जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने भाषण के दौरान एक बात की बहुत स्पष्ट शिकायत की थी, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से उस बात का जवाब नहीं आया जो शव वहां पर मिले हैं, उन शवों को उनके निश्चित स्थानों तक पहुंचा दिए गये हैं या नहीं और कोई आपका अधिकारी उनको सांत्वना देने के लिए ऐसे अवसर पर गया है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात की भी जानकारी कृपया देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पंजाब से शव सीधे जहां-जहां के रहने वाले हैं, पहुंचाये जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कैसा उत्तर दे रहे हैं और दूसरी एक बात और भी मैंने उनसे पूछी थी क्या कोई अधिकारी भी आपने उनकी सांत्वना के लिए भेजा है या नहीं और मान्यवर, कैसा जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं कि पंजाब सरकार उन शवों को उनके निश्चित स्थानों पर भेज रही है, उन लोगों को उनके बारे में क्या मालूम है ? मान्यवर, कैसा पत्थर दिल है और मान्यवर, उन शवों को पहुंचाने का कोई प्रयास इनकी ओर से नहीं किया गया है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, नियम 56 के माध्यम से जिन गम्भीर समस्याओं को सदन में प्रस्तुत किया गया और उसे मैं समझता हूं कि नेता सदन ने बहुत ही हल्केपन से लिया और उसी प्रकार से इन समस्याओं पर जवाब भी देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रदेश है, इसमें उतनी ही बड़ी समस्या है और इतने बड़े प्रदेश को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है । (शोर)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैंने यह तो नहीं कहा ।

श्री सत्य पाल सिंह–

आपने यही कहा है, आपने जो कुछ कहा है, उसके पीछे यही तात्पर्य है । मान्यवर, अभी कल के मामले पर यहां पर शोक व निन्दा के प्रस्ताव लाये गये और मान्यवर, कल जो घटना ऋषिकेश में घटी है, वह घटना कोई अचानक नहीं घटी है । यह जो प्रतिक्रिया पंजाब और हरियाणा में हुई और पंजाब से बस ऋषिकेश के लिए आ रही थी उसमें यह प्रेतिक्रिया होनी थी और वह प्रतिक्रिया हुयी और यह प्रतिक्रिया जिन कारणों से हुई, इसकी जानकारी यहां पर थी तो इस पर पहले से यह सदन सरकार और मुख्य मंत्री जो विचार कर सकते थे कि ऐसी दुर्घटना वहां पर हो सकती है, लेकिन इस ओर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया । जब मान्यवर, घटना घट जाती है तब यह यहां पर कह देते हैं कि मैं देख रहा हूं और हमारी ओर से पूरी व्यवस्था कर दी गयी है या और हम व्यवस्था कर रहे हैं तो मान्यवर, इससे काम चलने वाला नहीं है । जब हरियाणा में यह घटना घट चुकी थी तो उसके बाद क्या आपने अपने अधिकारियों को सचेष्ट किया कि अब देखो इसका आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है । इन सब को देखते हुए ऋषिकेश के लिए आपने क्या काग्नीजेंस लिया ।

क्या मान्यवर, इसी तरीके से हम लोग इस सदन के अन्दर कभी मेरठ को लेकर, कभी बस्ती और मऊ को लेकर और कभी फिर मेरठ को लेकर नियम 56 लाते रहेंगे और इन पर सिर्फ विचार और चर्चा होती रहेगी और इसी प्रकार से वह हर जगह नर-संहार करते रहेंगे । अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन के आप भी सदस्य थे, और मैं भी सदस्य था । विश्वनाथ प्रताप सिंह का जमाना था । जब उनके सामने भी इसी प्रकार की बहुत सी समस्यायें आ खड़ी हुईं, और वह उन पर जब कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गये । मान्यवर, बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं कि जब आपको उत्तर प्रदेश का साईज बहुत बड़ा नजर आ रहा है, और इस बड़े साईज पर आप पूरी तरह से काबू नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश के जन-जीवन में आप असुरक्षा की भावना को क्यों व्याप्त कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आपको तो पहले ही बोल लेना चाहिए था, जब मा0 नेता सदन बोल चुके हैं, तब आप बोल रहे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल आज जिस टोन में बोल रहे हैं, मैं इस टोन में बोलना नहीं चाहता हूं । आज समय है सब से मिलकर और सभी को मिला कर चलने का ताकि साम्प्रदायिक भावना हर जगह पर कैसे बने और आज मान्यवर, गरम-गरम भाषण से कोई व्यवस्था बनने वाली नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि आज सरकार के साथ हर एक को व्यवस्था बनाकर चलने की जरूरत है ।

श्री सत्यपाल सिंह –

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय जिस टोन में बोल रहे हैं, इससे इस समय प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं है और न ही किसी समस्या का हल इससे निकलेगा क्योंकि आज उपदेशों की आवश्यकता नहीं है । देखना आज इस बात को है कि वहां पर गम्भीर घटना हो सकती है और ऐसे अवसर पर हम अपने अधिकारियों को एलर्ट करें । जो स्थिति हो रही है कि एक तरफ हिन्दू भाई और मुसलमान भाई में झगड़ा चल

रहा है, दूसरी तरफ सिख समुदाय से झगड़ा हो रहा है । आपके कार्यकाल में सारे समुदाय आपस में लड़ मर रहे हैं और आप इस समय उपदेश दे रहे हैं । जनता को उपदेश देने का एक समय होता है । जिस समय कोई घटना न हो रही हो और शान्ति का वातावरण हो ।

आज प्रदेश के शासन और प्रशासन को सख्त करने की आवश्यकता है । आप कहते हैं कि एस0 एस0 पी0 और जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहरायेंगे । क्या आज तक आप किसी को जिम्मेदार ठहरा पाए हैं ? मैं समझता हूं कि वर्तमान शासन किसी भी हालत में, प्रदेश में जो अशान्ति बढ़ रही है और साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, उसे रोकने में माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार सफल नहीं हो पा रहे हैं । इसलिए मेरा आपसे कहना है कि इस गम्भीर विषय को आप भी गम्भीरता से लेकर आज कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करावें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने श्री माता प्रसाद जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है....

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, वक्तव्य से काम नहीं चलेगा । (व्यवधान) इसके विरोध में मैं दल सहित सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य के बाद भी चर्चा हो जायेगी ।

श्री रिजवानुल हक और श्री शफीकुर्रहमान की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है, श्री हरिश्चन्द्र, 'हरीश जी' की सूचना को भी वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी और श्री किशन लाल की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है, श्री मनोहर लाल और श्री मूलचन्द की सूचना पर शासन को जांच कराने के निर्देश दिए हैं ।

अब हम भोजनावकाश के लिए उठते हैं ।

(सदन 1 बजकर 47 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ ।)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या-9 लिए जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इससे पूर्व कि आप अगली मद लें, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि ऋषिकेश के मामले में, जो हम लोगों को कार्य स्थगन की सूचना दी थी, उस पर आपने क्या निर्णय लिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य स्वीकार किया है ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72- सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) तथा अनुदान संख्या 75 क-सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,98,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,62,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,06,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,91,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,68,26,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–75–क–सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का वित्तीय वर्ष 1987 का बजट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग

समन्वित विकास के दृष्टिकोण से यातायात के लिए सुगम साधन उपलब्ध कराने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण अवासिक तथा अनावासिक व कार्यात्मक भवनों का निर्माण व अनुरक्षण का कार्य करता है । किसी भी प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास उसके सड़कों, पुलों व यातायात के साधनों पर निर्भर करता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे प्रदेश में सड़कों की लम्बाई केवल 15113 किलोमीटर थी, लेकिन दिनांक 1 अप्रैल, 1987 को सड़कों की लम्बाई 62 हजार किलोमीटर हो गई है, जिसमें से 56 हजार किलोमीटर सार्वजनिक निर्माण विभाग की है । इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में 6500 किलोमीटर कच्चा मार्ग, लगभग 12300 किलोमीटर खडन्जा स्तर का मार्ग है । पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 3800 किलोमीटर कच्चा मार्ग तथा 3300 किलोमीटर पैदल मार्ग है ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्रामों को सड़कों से जोड़ने पर विशेष बल दिया है । इस समय कुल गांवों की संख्या 1,12,566 है, जिसमें से छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 43808 गांव मुख्य मार्गों से जोड़े गये हैं और मार्च 1987 के अन्त तक जोड़ने वाले गांवों की संख्या 47 हजार है । 1 हजार से 1499 तक की आबादी वाले गांवों की संख्या 11,396 है, जिसमें से छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 4894 गांवों को जोड़ा जा चुका है । 7वीं योजना के अन्त तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है । 1987-88 में इस बजट के माध्यम से जो प्रविधान किया गया है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं

वर्ष 1987-88 के बजट में सड़कों तथा पुलों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण और अन्य कार्य के लिये 9776.26 लाख रु0 मार्गों के अनुरक्षण तथा दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के लिये 7887.75 लाख रु0, भवनों के निर्माण के लिये 4179.10 लाख रु0 और भवनों के अनुरक्षण के लिये 829.12 लाख रु0 तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये 1555.05 लाख रु0, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिये 2885 लाख रु0 और अधिष्ठान के लिये 6734.33 लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है ।

इस तरीके से इस बजट में हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया गया है । सड़कों की जो स्थिति हमारे प्रदेश में है, बाम्बे प्लान के अनुसार वर्ष 1981 तक हमारे प्रदेश में 94200 कि0 मी0 पक्की सड़कों का निर्माण होना चाहिये था, लेकिन वर्ष 1987 तक हमारे प्रदेश में 62,000 कि0 मी0 पक्की सड़कों का निर्माण हो पाया है । हम प्लान के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं । इसको बड़ी सफाई से बता देना चाहता हूं और उसका कारण है कि हमारे प्रदेश में उसके अनुसार संसाधन नहीं हैं । संसाधनों की कमी होते हुए भी 62,000 कि0 मी0 सड़कें बनाने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है । उसके बाद 20 वर्षीय प्लान जिसको लखनऊ प्लान भी कहा जाता है, उसमें 2001 तक 500 की आबादी के गांव तक जोड़ने की योजना बनायी गयी है, 3,55,160 कि0 मी0 सड़कें लखनऊ प्लान के अनुसार बननी चाहियें। इसके अनुसार तभी सम्भव हो सकेगा जब आज का जो हमारा परिव्यय है, उसका कम से कम 5 गुना उसको निर्धारित किया जाय तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

हमारे प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है, उसमें क्षेत्रवार आपके माध्यम से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं । पश्चिमी क्षेत्र में प्रति लाख

जनसंख्या के हिसाब से 79 कि0 मी0, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 68 कि0 मी0, मध्य क्षेत्र में 69 कि0 मी0, दक्षिणी मध्य क्षेत्र में 73 कि0 मी0, पूर्वी क्षेत्र में 64 कि0 मी0 पर्वतीय क्षेत्र (कुमायूं मण्डल) में 268 कि0 मी0, पर्वतीय क्षेत्र (गढ़वाल मण्डल) में 257 कि0 मी0 । इस हिसाब से वर्तमान समय में सड़कें हमारे प्रदेश में पायी जाती हैं । गांवों को जोड़ने के सम्बन्ध में जैसा अभी मैंने जानकारी दी थी, जो लक्ष्य हमारा निर्धारित था 1990 तक 1500 से अधिक आबादी के गांवों को जोड़ने का, अभी तक 1987 तक जो हमारी उपलब्धि है, उसमें 84 प्रतिशत गांवों को हम जोड़ने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं । 1000 की आबादी से 1499 तक की आबादी वाले जो गांव हैं, उनमें 50 प्रतिशत गांवों को जोड़ने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं । इस तरीके से अभी जो 1500 से अधिक आबादी के गांव हैं, उनको जोड़ने का जो प्रयास है, उसमें 87-88 में 623 गांवों को जोड़ेंगे और 1000 से 1499 तक वाले 400 गांवों को जोड़ेंगे । इस तरीके से मार्च 1989 तक हम अपने लक्ष्य से एक साल पहले 1500 से अधिक आबादी वाले गांवो को जोड़ देंगे ।

श्री सुरूपाल पाण्डे—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है, आपको बाद में मौका मिलेगा ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, हमारा जो लक्ष्य था मार्च 1990 तक का कि 1500 तक की आबादी वाले गांव को शत प्रतिशत जोड़ने का तो उस लक्ष्य को हम एक साल पूर्व ही पूरा कर रहे हैं । 1 हजार से 1499 वाले गांव को 50 प्रतिशत जोड़ने का जो लक्ष्य था तो उसमें 70 प्रतिशत गांवों को जोड़ने में हम सफलता प्राप्त करेंगे और 50 प्रतिशत वाले लक्ष्य को इस वर्ष हम पूरा कर रहे हैं । यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इतनी तेजी से काम किया है और समय से पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनमें विशेष समस्या है जो कि डाकग्रस्त जिले हैं जैसे आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, कानपुर, एटा, फर्रुखाबाद, बदायूं आदि ऐसे 12 जिलों के लिये एक विशेष योजना स्वीकृत की गयी है जिसकी कुल लागत 125·27 करोड़ रु0 है इनमें सड़कों का निर्माण, व सेतुओं का निर्माण योजनायें शामिल हैं, इसीमें यह खर्च करेंगे ऐसी योजना बनायी गयी है । जिसमें से भारत सरकार का अंश है 48·21 करोड़ रु0 और शेष 75·06 करोड़ रु0 उत्तर प्रदेश सरकार इसमें खर्च कर रही है । इसमें नये मार्गों का निर्माण 1924 किलोमीटर किया जायेगा तथा दीर्घ सेतु 23 और लघु सेतु 23 बनाए जायेंगे । इस विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 1987-88 में 18 करोड़ रु0 खर्च करने का प्राविधान इस बजट में किया गया है । इनसे समस्याग्रस्त जनपदों में सड़कों के निर्माण में काफी प्रगति आयेगी ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूमिहीन रोजगार ग्रामीण गारन्टी योजना जिसे सेकटोरल योजना या आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 कहते हैं । वह योजना हमारे प्रदेश में चलायी जा रही है जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अंश 7,487 किलो मीटर

मार्गों पर मिट्टी पुलिया तथा खड़ंजा के कार्य हेतु 135.90 करोड़ रु0 का आगणन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था । इसमें से 75.90 करोड़ रु0 की धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जानी थी तथा शेष 60.00 करोड़ रु0 की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जानी थी

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसकी प्रगति के संबंध में सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1984-85 में भौतिक उपलब्धि है 4150 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य और 507 कि0 मी0 खड़ंजा का कार्य यह जो काम हुआ है इसमें 142 लाख सृजित मानव दिवस में यह उपलब्धि हुई है । इसी तरह से 1985-86 में 1172 किलो मीटर मिट्टी का कार्य और 2281 कि0 मी0 खड़ंजा स्तर की सड़क का कार्य हुआ । वर्ष 1986-87 में 1117 किलो मीटर सड़क मिट्टी के कार्य की और 2404 कि0 मी0 खड़ंजा स्तर पर कार्य हुआ है ।

मान्यवर, इस तरीके से मार्च, 1987 तक प्रदेश में 6439 किलोमीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना में मिट्टी स्तर तक सड़कें, और 5192 किलोमीटर खड़ंजा स्तर तक सड़कें बनायी गयी हैं । मान्यवर, जो अवशेष हैं, उनमें 1048 किलोमीटर मिट्टी की सड़कें और 2295 किलोमीटर खड़ंजा स्तर तक की सड़कों का निर्माण किया जाना है । 1500 से अधिक आबादी के जो गांव बचे हैं, उनके लिये सरकार ने एक सेक्टोरल योजना 1987-88 की बनायी है जो 54 करोड़ रुपये की है । इसमें जो भी गांव बचे हैं, 1500 आबादी से अधिक के वहां पर 2306 कि0 मी0 मिट्टी स्तर तक और 2457 कि0 मी0 खड़ंजा स्तर तक सड़कें बनाने का लक्ष्य है । इस तरह से मान्यवर, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि 1500 से अधिक आबादी के जितने गांव बचे हैं, वह सब सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे । इसी योजना में एक नयी सेक्टोरल योजना है, जिसमें मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के 110 गांव हैं, मैदानी मध्य क्षेत्र के 288 गांव, दक्षिण मध्य क्षेत्र के 240 गांव है और पूर्वी क्षेत्र में 138 गांव हैं, इस तरह से कुल 7762 गांव हैं, जो इस नयी योजना में शामिल किये गये हैं ।

मान्यवर, इस प्रदेश में जो बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, उनको सड़कों से जोड़ने और जो मौजूदा सड़के हैं, उनका सुधार करने की योजना है, क्योंकि हमारे प्रदेश में विदेशी पर्यटक आते है और वह अधिक संख्या में आवें जिससे हमारे प्रदेश को विदेशी मुद्रा मिले । इसलिये प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थलों को सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है । करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से यह योजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत 151.125 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है और उनका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है । मान्यवर, इसके अलावा 1987-88 की योजना में कुछ नई स्वीकृतियां की गयी हैं । जो मैदानी क्षेत्र की हैं । उसकी जिला योजना और राज्य सेक्टर की मिलाकर कुल 160 करोड़ की हैं जिसमें नये कार्य 146 करोड़ रुपये के राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किये जायेंगे । इस प्रदेश में कुल नये 10 पुलों का निर्माण किया जायेगा जिनकी लागत 875 लाख रुपये आयेगी और 4 पुलों का पुनर्निर्माण कराया जायगा जिन पर लाखों रुपये खर्च आयेगा । राज्य मार्गों के अन्तर्गत 354 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा और 538 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया

जायेगा और 25 किलोमीटर नालियों का निर्माण किया जायेगा, जिन पर कुल लागत 3915 लाख रुपये आयेगी । माम्यवर, जिला सेक्टर के अन्तर्गत लघु सेतु 140 और 27 लघु सेतुओं के पुनर्निर्माण, 125 कि0 मी0 छूटी कड़ियों का निर्माण, 30 कि0 मी0 उप मार्गों का निर्माण और खड़ंजा स्तर तक 1381 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों का निर्माण, 940 कि0 मी0 ग्रामीण मार्गों का निर्माण मिट्टी से खड़ंजा स्तर तक किया जायेगा । और 1115 कि0 मी0 मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार किया जायेगा ।

मान्यवर, वर्ष 1987-88 की नई स्वीकृतियों के अन्तर्गत सड़कों के उच्चीकरण और उनके सुदृढ़ीकरण की एक विशेष योजना प्रस्तावित की गई है जिसमें दिल्ली नीति पास के लिये 644 लाख रुपये, जी0 टी0 रोड 358 लाख रुपये, बरेली बागेश्वर 57 लाख रुपये, पलिया शाहजहांपुर 62 लाख रुपये, अतरौला फैजाबाद 199 लाख रुपये, झांसी मिर्जापुर 59 लाख रुपये, बिलरांया-पनवाड़ी 100 लाख रुपये, लखनऊ-वाराणसी 137 लाख रुपये तथा वाराणसी-आजमगढ़-देवरिया 312 लाख रुपये की अनुमानित लागत है ।

मान्यवर, सेतु कार्य भी इस प्रदेश में बड़ी तेजी से हो रहे हैं । गत वर्ष 42 सेतु यातायात के लिये उपलब्ध हो गये हैं जिसमें मुख्य रूप से जनपद रामपुर में रामपुर-शाहाबाद मार्ग पर राम गंगा पर सेतु, लखनऊ शहर में गोमती नदी पर सेतु, जनपद बाराबंकी में रोछ घाट पर गोमती सेतु . . .

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मंत्री जी पढ़ रहे हैं । जब से उन्होंने बोलना शुरू किया है तब से ऊपर देखा ही नहीं है । . . . (व्यवधान)

(श्री सुखपाल पाण्डे के खड़ा होकर कुछ कहने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उपाध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है सम्मानित सदस्यों से कि माननीय मंत्री जी जो आंकड़े दे रहे हैं, उनको सुनें । मान्यवर, माननीय पाण्डे जी को माननीय निषाद साहब को इन हालात में बर्दाश्त करना ही होगा । . . . (व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

जब मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया तो वह मैंने बर्दाश्त किया ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, बिना मेरे तो पाण्डेय जी पार हो ही नहीं सकते हैं ।

(श्री फजलुल बारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बारी साहब, यह पाण्डेय जी का और निषाद साहब का आपसी मामला है । आप बीच में कहां से आ गये ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, प्रदेश में कुछ बड़ी नदियों पर भी बड़ी तेजी से पुलों का निर्माण कार्य हो रहा है । बलिया जनपद में मांझी घाट पर घाघरा पर सेतु, देवरिया जनपद में तुर्तीपार पर घाघरा नदी पर सेतु का कार्य प्रारम्भ किया गया । इसी तरह से जिन सेतुओं पर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कार्य तेजी से किया गया वे गंगा नदी पर इलाहाबाद में फाफामऊ के निकट गंगा नदी पर सेतु, फर्रुखाबाद में कन्नौज के निकट गंगा पर सेतु, तथा जनपद उन्नाव में बांगरमऊ के निकट गंगा पर सेतु।

मान्यवर, यहीं नहीं, हमारे प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से जोड़ने के लिये भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है । इस हेतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर जनपद मुजफ्फरनगर में शामली करनाल मार्ग पर यमुना नदी पर पुल बनाया जायेगा । जनपद सहारनपुर में अम्बाला-सहारनपुर मार्ग पर पुल बनाया जायेगा। इस प्रकार इन पुलों के बनने से दो प्रदेश आपस में जोड़ दिये जायेंगे ।

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए ।)

इसके अलावा इस वर्ष प्रदेश की नदियों के ऊपर 25 दीर्घ सेतु यातायात के लिये सुलभ करा दिये जाने का लक्ष्य है । इसमें मेरठ जनपद में यमुना नदी पर बागपत-सोनीपत मार्ग पर, सहारनपुर जनपद में हिन्डन नदी पर अम्बाला सहारनपुर मार्ग पर, सहारनपुर जनपद में न्यू सप्लाई चैनेल पर हरिद्वार में केबिल स्टेट ब्रिज, सुल्तानपुर जनपद में गोमती नदी पर इसौली घाट पर, मेरठ जनपद में काली नदी पर मेरठ गढ़ मार्ग पर देवरिया जनपद में राप्ती नदी पर पटना घाट पर दीर्घ सेतु सुलभ कराने का प्राविधान है। मान्यवर, वर्ष 1987-88 में कुछ नये पुल बनाने की व्यवस्था की गयी है उनमें गाजीपुर-बलिया में टौंस नदी पर हरदासपुर के पास 125 लाख की लागत से, लखनऊ में बेहटा नदी में रहीमाबाद के पास 47.26 लाख रु0 सीतापुर में किवानी नदी में साण्डा-सकरन में 87.81 लाख रु0 बांदा में उसरेहा सिमरी नाला में बांदा तिंदवारी मार्ग पर 73.30 लाख इसी प्रकार बांदा में तुर्रा नाला में पैलानी लसड़ा मार्ग पर 90.09 लाख, प्रतापगढ़ में बकुलाही नदी में बैसपुर के पास 56.22 लाख, आजमगढ़ में तमसा नदी में मऊनाथ भंजन के पास (बख्ताव घाट) पर 202.11 लाख रु0 ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है यह कैबिनेट के मंत्री को प्रस्तुत करना चाहिये, यह राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत करने की परम्परा क्यों चलाई जा रही है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

यह कोई नयी बात नहीं है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

इसके अलावा इन पर आरोप है कि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग की जमीन इन्होंने हड़प रखी है जिसकी जांच हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा उस समय व्यक्तिगत आरोप जो लगाने हों वह कहें उसके लिये नियमों में व्यवस्था है। उस समय आप कहेंगे तो मैं देखूंगा। यह कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो आपने व्यवस्था दी है तो उसे जब आप उस तरफ तशरीफ रखें, उस समय याद रखें ।

श्री सीताराम निषाद—

तो मैं बता रहा था नये पुलों के बारे में उसमें प्रतापगढ़ में मटठन नाला में सामीपुर-रहाटी मार्ग पर बदायूं में एरिल में बहायूं-दातागंज मार्ग पर एवं सहारनपुर में, यमुना में अम्बाला-सहारनपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की है ।

इसी प्रकार हमारे प्रदेश में हाट मिक्स प्लांट से अच्छी सड़कों को बनाने का प्रयास किया गया है जिसमें वर्ष 1986-87 में 70 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था जिसमें कानपुर, इलाहाबाद, बनारस आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, हरिद्वार, फैजाबाद, गोरखपुर एवं मथुरा में शहरी मार्गों को हाट मिक्स प्लांट के द्वारा बनाया गया । इस पर 70 करोड़ का प्राविधान किया गया । मान्यवर, राज्य मार्गों के सुधार के लिये भी प्रयास किया गया है और कुछ और महत्वपूर्ण सड़कों की राइडिंग क्वालिटी को सुधारने का प्रयास किया गया है उसमें लगभग दो हजार कि0 मी0 लम्बाई में आधुनिक तकनीक से उच्चीकृत किया गया है । इस समय हमारे प्रदेश में जिन मार्गों की राइडिंग क्वालिटी में सुधार हुआ है उनमें दिल्ली-देहरादून मार्ग, लखनऊ-इलाहाबाद मार्ग, बरेली हलद्वानी मार्ग और जी0 टी0 रोड हैं ।

मान्यवर, सड़कों को बनाने के लिये बल्क बिटूमैन का प्रयोग किया गया है जो मथुरा रिफाइनरी से प्राप्त किया जाता है । उसमें जो ब्लक बिटूमैन प्राप्त किया गया

(समय 3 बजकर 20 मिनट पर)

है इसकी प्राप्ति से इतना ही पैक्ड बिटूमैन कम लेना पड़ा । बल्क बिटूमैन पैक्ड बिटूमैन से लगभग 500/- रुपये प्रति टन सस्ता है इस प्रकार से लगभग 4.0 करोड़ रुपये की बचत हुई ।

श्री अधिष्ठाता—

अब कितना समय और लेंगे बाद में भी आपको मौका मिलेगा ।

श्री सीताराम निषाद—

बस दस मिनट और लूंगा । मान्यवर, राष्ट्रीय मार्गों के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में केवल 11 राष्ट्रीय मार्ग हैं हमारा प्रदेश जितना बड़ा है । उसको देखते हुए यह मार्ग कम पाए जाते हैं इन राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई 2744 कि0 मी0 है । राष्ट्रीय मार्ग की लम्बाई सम्पूर्ण भारत के औसत 5.30 के विरुद्ध 2.22 है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह तो पूरी किताब पढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, अब मैं अन्वेषणालय के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा अन्वेषाणालय की स्थापना की गई है यहां सीमेंट, बालू कंकरीट के नमूने लिए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है जिससे यह पता लग सके कि जो सामान प्रयोग में लाया जा रहा है वह अच्छी क्वालिटी का है या नहीं ? मान्यवर, रिसर्च डैवलपमेंट एवं क्वालिटी

प्रोमोशन सेल की स्थापना की गई है जिसकी एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला है और 52 जनपदीय प्रयोगशालायें हैं इससे हम सामग्रियों का परीमण करवा कर गुण का नियन्त्रण करने में समर्थ हो सके हैं । मान्यवर, भवन कार्य के अन्तर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, पर्यटन, खेलकूद, विज्ञान आदि विभाग जो हैं, वहां भी जितने निर्माण कार्य हैं वह बड़ी संख्या में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं । मान्यवर, व्यवस्थापन के संबंध में जानकारी कराना चाहता हूं। वर्ष 1986-87 के बढ़े हुए कार्यभार के सुचारु रूप से सम्पादन पर्यवेक्षण एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु चार नये झांसी, आगरा, गोरखपुर और फैजाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं चार नये सिविल वृत्त 27 विभागीय निर्माण इकाई के लिए सिविल कार्य हेतु, तीन विभागीय निर्माण इकाई विद्युत यांत्रिक कार्य हेतु तथा 15 तकनीकी सेल कार्यकारी वृत्तों के लिए खोले गये हैं ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, यह तो पढ़े जा रहे हैं, इनको बन्द करवाइए ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, एक बात और बता दूं । मार्च, 1987 में इस विभाग में कम्प्यूटर का प्रयोग किया गया है । इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी जो हैं उनके सेवा अभिलेख कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर लिए गये हैं । मान्यवर, इन्हीं सेवा अभिलेखों द्वारा विभाग के सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण उनकी श्रेष्ठता तथा उनके ऐच्छिक स्थानों के आधार पर करने का कार्य इस वर्ष कम्प्यूटर द्वारा किया गया है ।

(व्यवधान)

पिछले वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक कार्यों के अन्तर्गत मान्यवर, जो एक्शन लिये गये हैं उसमें 133 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की गई है । जिनके खिलाफ शिकायतें पाई गयीं थीं उनकी जांच हुई है और उसमें कार्यवाही भी हुई है जिसमें राजपत्रित अधिकारी और कर्मचारी दोनों हैं । 71 राजपत्रित अधिकारी हैं और 67 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। तो इस तरह से जो भी दोषी पाए गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम है। उसकी स्थापना सन् 1973 में हुई थी और इस निगम ने आज इतने अच्छे काम किये हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान का नाम सारी दुनियां में ऊंचा किया है। अभी-अभी इस सेतु निगम को इन्टरनेशनल अवार्ड मिला है। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं। यह निगम फायदे में चल रहा है और इसका काम इस देश के तमाम राज्यों में और देश के बाहर भी हो रहा है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम भी है। यह राजकीय निर्माण निगम ने भी आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर भी काम किये हैं। आज यह भी राष्ट्रीय ख्याति का निगम बन चुका है और फायदे में चल रहा है। जो बड़े-बड़े भवन हमारे प्रदेश में बन रहे हैं और जो अच्छे मकान बन रहे हैं, वे राजकीय निर्माण निगम के द्वारा ही बन रहे हैं। इस निगम ने भी हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा किया

हैं। मान्यवर, इस तरह से हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकलापों को इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बताने की कोशिश की। यहां एक निवेदन करना चाहूंगा अभी माननीय सदस्य श्री भगवान दीन कुशवाहा ने मेरे सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाए हैं। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूं कि उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं....।

श्री अधिष्ठाता–

जब आरोप लगा रहे थे, मैंने उन्हें लगाने नहीं दिया था, रोक दिया था। जब आरोप लगाए जायेंगे तभी आप स्पष्टीकरण दीजिएगा, अभी नहीं। (व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद–

इस तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कों का निर्माण करके सड़कों की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया है। इन शब्दों के साथ, मैं मान्यवर माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, के सम्बन्ध में अपने-अपने कुछ रचनात्मक सुझाव दें, जिससे उन रचनात्मक सुझावों के आधार पर हम इस विभाग में और अच्छे कार्य कर सके और इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस बजट को पास किया जाए।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कटौती का प्रस्ताव रखता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73-सार्वजनेक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75-क सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और मजबूर होकर मुझे यह कटौती का प्रस्ताव लाना पड़ा।

(वापस ले लें, वापस ले लें की आवाजें)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

(एक रुपया दिखाते हुये) इसको ले लीजिये।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इनके कार्यकलापों को देखते हुये हमारी अंतरात्मा आज्ञा नहीं देती है कि इनको एक रुपया भी दिया जाय। इनके लिये तो चवन्नी भी बहुत अधिक है। अगर आप किसी गांव में चले जायं और वहां पर सड़कों के हाल देखें तो जो सड़कें चलने के लिये बनायी जाती हैं वहां पर कंकर पत्थर सड़कों पर उखड़े पड़े हैं। अगर सायकिल वाला जाय तो साइकिल पंचर हो जाय, अगर किसान बुग्गी लेकर जाय तो वह पंचर हो जाय। अगर आदमी पैदल जाय तो जूता पैर में होता नहीं इसलिये कंकरों-पत्थरों से पैर लहू लुहान हो जाते हैं और आदमी सड़कों पर चल नहीं सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को पारित करायें और इनको एक चवन्नी भी न दिलवायें।

मान्यवर, भारत ग्राम प्रधान देश है और 80 फीसदी जनता देहात में रहती है। गांधी जी का सपना था कि हिन्दुस्तान के गांव मजबूत होंगे तो हिन्दुस्तान मजबूत होगा। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों तथा खलिहानों से होकर जाता है। उनका कहना था कि जब तक गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा जायगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। अगर गांवों में सड़कें बनती हैं तो वह शहर के नजदीक आ जाते हैं और तिजारत बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है और बाजार विकसित होते हैं। पुल बन जाने से नदियों और नहरों पर आवागमन में आसानी होती है।

मान्यवर, जैसे ही प्रदेश में चकबन्दी शुरू हुयी थी इनको चाहिये था कि पूरे प्रदेश के लिये एक प्लान बनाते, नियोजन करते जिससे ग्रामों के लिये सड़कें जातीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चकबन्दी में जो सड़कों के लिये और चकरोडों के लिये जमीन छोड़ी गयी इनकी अयोग्यता और गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वह जमीन अतिक्रमित कर ली गयी। जो रास्ते छोड़े गये थे उन पर अतिक्रमण कर लिया गया। इसलिये जहां सड़कें बननी थी, वह अतिक्रमित हो गई। बाई पास बनने लगे एवम फ्लाई ओवर बने जिस पर बहुत ज्यादा खर्च हुआ। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि सड़कों के लिये जो कार्य उनको करना चाहिए था वह नहीं कर पाये। मेरा जिला हरियाणा और राजस्थान से लगा हुआ है। हरियाणा के छोटे-छोटे गांव सड़कों से जुड़ गये हैं। इसी तरह से राजस्थान जब हम अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं तो वहां छोटे छोटे गांवों में भी सड़कें मिलती हैं। मान्यवर, केरल, मेघालय, पंजाब, हरियाणा, जम्मू, काश्मीर, तामिलनाडु, नागालैण्ड जैसी स्टेट ने भी आपके प्रदेश से गांव जोड़ने

में बहुत अच्छी प्रगति की है।और हर गांव को उन्होंने सन् 82 में ही जोड़ दिया था। हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर 125 कि0मी0, पंजाब में 46 कि0मी0 कर्नाटक में 211 कि0मी0 तथा देश का पूरा औसत 114 कि0मी0 है जब कि हमारे प्रदेश में 58 कि0मी0 है। (व्यवधान) जो आप जोड़ने की बात करते हैं उसे आपको पहले ही जोड़ देना चाहिए था। आप जिस गति से चल रहे हैं उससे उम्मीद नहीं है आप सन् 90 तक क्या सन् 95 तक भी इन ग्रामों को नहीं जोड़ पायेंगे। जो आपका सा0 नि0 वि0 सम्बन्धित साहित्य है इसे कल दे देना चाहिए था। मान्यवर, इसे मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में देखा है । जो आपने गतवर्ष बजट दिया था उतना ही बजट इस वर्ष भी दिया है। प्रगति पुस्तक जो आपने दी है को खोल कर देखें। पुलों के बारे में सड़कों के बारे में बजाय पैसा बढ़ाने के आपने घटा दिया है। जो आपने यह संलग्न 2-1 वार्षिक योजना 1986-87 हेतु मार्ग एवं सेतु योजना के मदवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य गत वर्ष इसमें आपने 2671 और 1290 नये मार्गों का निर्माण इसमें 5971 और 5724 और मान्यवर, इस वर्ष आपने कितना कम कर दिया है 2671 के स्थान पर 1015, 1290 के स्थान पर 661, 5971 के स्थान पर 1279 और 5724 के स्थान पर 1299 कर दिया है। इस प्रकार आप 1500 आबादी व 1000 से 1499 की आबादी वाले गांवों को निर्धारित समय तक नहीं जोड़ पायेंगे।

(व्यवधान)

यह मान्यवर, इनके कारनामें हैं। इससे आप क्या अंदाज लगा सकते हैं कि यह क्या तरक्की करेंगे। क्या यह प्रदेश को 21वीं सदी में ले जायेंगे? मान्यवर, गांव में जब सड़कें नहीं होंगी, आने जाने के रास्ते नहीं होंगे तो मंत्री जी हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप इसमें कोई प्रगति कर पायेंगे।

(व्यवधान

मान्यवर, कुछ दिन पूर्व हमारे सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने नियमावली के नियम 49 के अन्तर्गत मांग (व्यवधान) की थी कि विश्व बैंक द्वारा दिया गया 640 करोड़ रुपया केवल पूर्वी जिलों में ही व्यय किया जायेगा। यह पूर्व पश्चिम का भेदभाव क्यों? पश्चमी जिला योजना के अन्तर्गत 70 लाख से लेकर 150 लाख व्यय किया गया जब कि लाख तक व्यय गोरखपुर, सुल्तानपुर, बस्ती व इलाहाबाद में 250 लाख से 450 किया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह मामला सत्तापक्ष के लोगों ने उठाया और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज जिस तरह से अलगाव की भावना प्रदेश के अन्दर इस सरकार द्वारा उत्पन्न की जा रही है। वह निन्दनीय है। क्षेत्रीयवाद की तमाम तरह की विकृतियां देश में उत्पन्न हो रही है। सत्ता पक्ष के लोगों ने जब सामान्य बजट पर चर्चा की थी उस समय भी कहा था और नियम 49 के अन्दर चर्चा की मांग करी थी।

(व्यवधान)

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ के साथ में बराबर यह सौतेला व्यवहार करते जा रहे हैं। मान्यवर, अगर देखा जाय तो एक अंचल में कुछ जिलों में विशेष सुविधायें दी जा रही हैं। इससे बाकी जिलों में असन्तोष है और सत्तापक्ष में विशेष असंतोष है। मान्यवर, मेरे पास मार्च 86 और मार्च 87 के आंकड़े हैं, यह जो इन्होंने पिछले

वर्षों में ग्राम जोड़े हैं और जो एक हजार से कम आबादी वाले हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मेरठ की संख्या 103 थी और मार्च 87 में 107 हो गयी। मुजफ्फरनगर में 219 थी और मार्च, 87 में 221 हो गई। मथुरा में 60 थी, मार्च 87 में 64 हो गयी। गोरखपुर में 431 थी और आगे चलकर इस वर्ष 432 हो गयी। बस्ती में 1083 से 1107 हो गयी, क्योंकि मुख्य मंत्री के क्षेत्र का कुछ भाग बस्ती में और कुछ भाग गोरखपुर में है। सुल्तानपुर में 1495 थी, मार्च, 87 में 1506 हो गयी। इस प्रकार से गांवों को जोड़ने में और पैसों के आवंटन में भेदभाव किया जा रहा है। इसी प्रकार से मेरे पास और भी आंकड़े हैं। डाकू प्रभावित इलाके में जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत पैसे दे रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत कम पैसा दिया जा रहा है जिसका नतीजा यह होगा कि वहां पर फिर लोग डाकू बनना शुरू कर देंगे।

मान्यवर, पैसा जितना सुल्तानपुर, बस्ती, गोरखपुर को दिया गया है, उतना अन्य जिलों को नहीं दिया गया है। इस प्रकार से जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह प्रदेश की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक है। मान्यवर, इस विभाग को अगर देखा जाय, तो इस सरकार ने तो इसकी अहमियत ही नहीं समझी है और हमेशा कम बजट इस विभाग को देती आई है। मान्यवर, जब लोकदल और जनता पार्टी की सरकार आई, उसने बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण कराया। मान्यवर, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत इतनी सड़कें बनाई गयीं कि आज तक ये उनका रख-रखाव भी नहीं कर पाये। इसलिए हम और हमारे साथी लोग अपने क्षेत्रों की सड़कों की हालत देखकर कहते हैं कि यह सरकार सड़कों की मरम्मत तक नहीं करवा पा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये इस विभाग को बहुत कम बजट दे रहे हैं। मान्यवर, इनकी कहीं पर कोई नीति नहीं है। ये कहीं पर खड़ंजे, कहीं पर ईंट, कहीं पर मिट्टी कहीं पर मोटा पत्थर बिछवा देते हैं जहां पर सड़क पक्की नहीं हो पाती है और वहां पर पत्थर डालने से सड़कें खराब हो जाती हैं तथा पत्थर निकल जाता है। इनकी कोई समान नीति नहीं है। इनको चाहिए कि वे समान नीति तय करें। या तो सड़क को पक्का करा दें अन्यथा ईंट का खड़ंजा लगवायें डी0आर0डी0ए0 के अंतर्गत आर0 एल0 ई0 पी0 और एन0 आर0ई0पी0 की जो योजना है, ये उसमें जिलाधिकारियों को अध्यक्ष बनाते हैं और प्रोजेक्ट डाइरेक्टर या आपके ए0डी0एम0 (प्रोजेक्ट) के माध्यम से पैसे का आवंटन होता है। इससे मान्यवर, उनका कमीशन और बढ़ गया। आपके अधिशासी अभियंता को इन्तजारी में घंटों बैठा रहना पड़ता है और वहां पर कमीशन की बात होती है कि इतना कमीशन देंगे, तो वह सड़क के लिए पैसा दे देंगे।

मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 के अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, और जिसके पास न तो रोलर हैं, न तो इक्वीपमेंट हैं, उनको सड़क बनाने का काम दे दिया जाता है। मान्यवर, जो भी पैसा दिया जाय, वह विभागों को सीधे दिया जाय। इनके विभाग में अनावश्यक सामान खरीद लिये जाते हैं, कहीं पर पाइप खरीद लिया, कहीं पर गिट्टी डलवा दिया। आपके विभाग को चाहिए कि वह अनावश्यक सामानों को न खरीदे और जो भी अभियंता जरूरत से ज्यादा सामान अगर खरीदता है, और उसे सड़क के किनारे डाल देता है, तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए। हम लोगों की जो शिकायतें होती हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप सचिव को लिखते हैं और सचिव स्पेशल सेक्रेटरी को लिखते हैं तथा स्पेशल सेक्रेटरी अन्य को लिखते हैं, इस तरह से

पहुंचते-पहुंचते मामला रफा-दफा हो जाता है इसलिए मैं कहता हूं कि उड़नदस्तें आपको बनाने चाहिए । जो विकास कार्य के अधिकारी के नियंत्रण से स्वतंत्र हों । आपके प्रदेश में जितने भी मीसिंग लिंक रोड हों, साल के शुरू में उनकी सूची बनवायें और पूरा कार्य करें । होता यह है कि सड़क बन गई, नहर आ गई और उस पर कोई पुल नहीं बना जिससे बहुत दिक्कत हो जाती है । इसके बाद जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है हम बहुत पीछे हैं सड़कों के निर्माण में और धन का अभाव है, संशाधनों का अभाव है । आपकी सड़कें ऐसी हैं जिनके अन्दर टेलीफोन के तार हैं और पानी के पाइप हैं, सीवर लाइन हैं और आपकी एक किलो मीटर सड़क बनती नहीं है दूसरी तरफ से काट दी जाती है । कभी म्यूनिसिपैलटी वाले काट देते हैं और कभी प्राइवेट लोग काट देते हैं ।

आज आपकी हाट मिक्स प्लान्ट के जरिये जो सड़कें बन रही हैं और जो साधारण सड़कें बनती है उनमें एक किलो मीटर में 3 लाख से 4 लाख का फर्क आता है। वी0एम0एस0 डी0सी0 करने में । आपके लखनऊ में हाट मिक्स प्लान्ट के जरिये रा0मा0 24 की सड़कें बन रही हैं लेकिन देखने में आया है कि सरकारी हाट मिक्स प्लान्ट तो वहां पर खड़ा रहता है और जो ठेकेदार के हैं, वे चल रहे हैं । इसकी आप जांच करवाइये । पिछले बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम ठेकेदारों से सामान नहीं लेंगे, हम खनिज विभाग से या कुमायूं मण्डल विकास निगम से सामान खरीदेंगे लेकिन क्या आपकी योजना कार्यान्वित हो सकी, क्या आप इसको पूरा कर पाये ? आपके सचिव ने कमीशन लेकर आपके आदेशों को रद्द किया टोकरी में डाल दिया और आपका पुराना सिस्टम ही चालू है, इसको आपको देखना होगा कि निर्माण सामग्री ठेकेदारों से ली जा रही है । मान्यवर, घोटाले तो इस विभाग में बहुत भारी हुए हैं । जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए थे और शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें भ्रष्टाचार के बारे में बहुत जोर-शोर से कहा था कि भ्रष्टाचार अब बन्द कर दिया जावेगा, उसी तरह से आज माननीय मंत्री जी ने भी भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा । मान्यवर, भ्रष्टाचार नया नहीं है, पुराना है लेकिन पहले मान्यवर, दूध का खोया होता था और अब . . . . ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें । कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पहले दूध का खोया होता था और अब पूरी भैंस का खोया हो रहा है । इनके विभाग में ऐसे-ऐसे भ्रष्ट लोग पड़े हुए हैं कि माननीय मंत्री जी ने उनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी और वही रटे-रटाये आंकड़े जो अधिकारियों ने दे दिये वही रख दिये । मान्यवर, आज हालत यह हो गई है कि 100 रु0 में 30-40 रु0 का काम होता है । आपका मैटीरियल पूरी तरह से नहीं लगाया जाता है, बहुत कम लगाया जाता है, इसी कारण निर्माण सामग्री ठेकेदारों द्वारा ली जा रही है न कि खनिज विभाग कुमायूं विकास मण्डल से । आपकी कोई एजेन्सी है इसकी जांच करने के लिए, कोई नहीं है । अतः मान्यवर उच्चाधिकारियों की शिकायत की जांच के लिये न्यायाधीशों, जुडिशियल सेवा के अधिकारियों द्वारा कराई जाये न कि सा0 नि0 वि0 के अधिकारियों से ।

आज मान्यवर, एनुवल कैरेक्टर रोल उस अधिकारी के सबसे ज्यादा अच्छे हैं जो सबसे ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट हैं और जो अधिकारी ईमानदार हैं, उसकी ए0 सी0 आर0 सबसे ज्यादा खराब हैं क्योंकि ए0 सी0 आर0 लिखने के पैसे लिये जाते हैं, इसी कारण ए0 सी0 आर0 देर से लिखी जाती हैं । आपको जो पूर्व सचिव, श्री शुक्ला थे, उन्होंने जब देखा कि श्री एस0 पी0 गोयल, जो निर्माण निगम में एम0 जी0 हैं सा0 नि0 लि0 में चीफ इंजीनियर थे, के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, तथा भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने लिखा कि इन्हें कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाय । और यही नहीं जब यह सन् 1984 में मेरठ में थे तब भी इनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें थीं और बहुत से मामले इनके खिलाफ जांच में लम्बित पड़े हुए हैं । परन्तु वे यह कहते हैं कि आज सारे काम पैसे से होते हैं और कोई भी कितना चाहे कितनी शिकायतें कर ले मुझे प्रमुख अभियंता बनने से कोई रोक नहीं सकता है लोक आयुक्त के यहां भी सन् 85 से उनकी शिकायत लम्बित है इसके बावजूद भी इनको तरक्की दी जा रही है । श्री धर्मवीर के खिलाफ भी मान्यवर, मेरे पास बहुत सी शिकायतें हैं, इन्होंने नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया ।

मान्यवर, इनके यहां यही हो रहा है कि बड़े-बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को तो खूब प्रमोशन्स दिये जा रहे हैं और ईमानदार छोटे अधिकारियों व कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा दण्ड दिया जा रहा है । मान्यवर, इस वर्ष स्थानान्तरण नीति के अनुसार 83 अधिशासी अभियंताओं के ट्रांसफर होने देय थे, जिनमें से 15 के नहीं किये गये ताकि जो 68 ट्रांसफर रह गये थे करने के लिए, लेकिन इन 68 के स्थान पर, 136 ट्रांसफर कर दिए और 30 अधिशासी अभियंता ऐसे हैं, जिन्हें मार्ग खण्ड से मार्ग खण्ड में ही भेज दिया गया जबकि उन्हें डिजाईन या किसी अन्यत्र भवन खण्ड में भेजना चाहिए था इसी प्रकार से 7 अधिशासी अभियंता ऐसे हैं, जिन्हें भवन व अकार्यकारी से अकार्यकारी व भवन में ही स्थानान्तरित किया गया जबकि वे वहीं पर थे तो मान्यवर, इस विभाग में किसी भी कार्य में कोई कायदा कानून, नियम व दलील कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा ही सर्वोपरि है । इस प्रकार से एक-एक ट्रांसफर में 50-50 हजार रु0 और एक-एक लाख रु0 लिया गया है और मान्यवर, यही नहीं जो सचिव के सहजातीय श्री राम स्वरूप ज्वाइंट सिक्रेट्री हैं उन्होंने तमाम नियमों को नेगलेट करते हुए ट्रांसफर्स किये हैं और लाखों रुपये इस प्रकार से कमाये हैं किसी का ट्रांसफर करके और किसी का ट्रांसफर रोककर और मान्यवर, यही नहीं इनके सचिव ने बिना किसी कार्य के विदेश यात्रा कर डाली जबकि दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं, जब आपके संसाधन सीमित है तो फिर यह फिजूलखर्ची क्यों कर रहे हैं ? मान्यवर इस यात्रा पर माननीय मंत्री जी चले जाते माननीय मुख्य मंत्री जी चले जाते तो मान्यवर एक तरफ तो आप संसाधनों की कमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस अनाप-सनाप फिजूलखर्ची करते हैं इसका क्या औचित्य है ?

राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में तो माननीय आसान सिंह जी ने बहुत कुछ कहा है । आप देखे आज दिल्ली के उत्तर प्रदेश निवास की क्या हालत है, इसमें जो व्यवस्था अधिकारी हैं, वह किसी की परवाह नहीं करते हैं और बहुत से अवांछनीय तत्वों को उन्होंने इन विधायक निवासों में रख रखे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इस मामले को बहुत ही गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । विधायक निवासों में अनेक फर्जी पत्र-

कार अवैध रूप से रुके हुए हैं । इसकी जांच होनी चाहिए एवं व्यवस्था अधिकारियों के 3 साल से अधिक होने पर उनको स्थानान्तरण निश्चित रूप से कर दिये जायें ।

इसी प्रकार से मान्यवर, इनके जो कारनामे हैं, इतने अधिक हैं कि पूरा विभाग भ्रष्टाचार से लबालब है । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सड़कों पर अतिक्रमण अधिक हो रहा है और उसमें मा0 मंत्री जी का परिवार भी पीछे नहीं है । उन्होंने 3 एकड़ जमीन फैजाबाद में अपनी पत्नी के नाम से, जो कि हवाई पट्टी की थी, मय नक्शे के मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा, हवाई पट्टी की 3 एकड़ जमीन का श्री सीता राम निषाद ने अपनी पत्नी श्रीमती मधुबाला निषाद के नाम से अवैध पट्टा करा लिया ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, इस पर बाकायदा जांच हो चुकी है और केवल चरित्र हनन के लिये किसी माननीय सदस्य या मंत्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है । इसलिए कार्यवाही से निकाल दें तो ठीक रहेगा । इस प्रकार से केवल चरित्र हनन के लिये ऐसा आरोप लगाना उचित नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अभी इसी दिन मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ जांच कराने का आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था । वह जांच उसी सन्दर्भ में थी, जिन सन्दर्भ में माननीय सरदार सिंह जी ने बात उठायी है । इसलिये जो उपाध्याय जी ने कहा कि यह बात यहां उठ नहीं सकती, तो कमेटी तो बन चुकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी लम्बित है, इसलिये सरदार सिंह जी जो चार्ज लगा रहे हैं, वह सही है और उनकी बात उचित है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, समिति बनने के बाद यह बात यहां उठाकर केवल चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है । समिति बनने के बाद इस बात को उठाने का कोई औचित्य नहीं है । आप इसको कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है, उसकी रिपोर्ट इस सदन के पटल पर कब रखी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं खड़ा हूं, कुशवाहा जी, आप कृपया बैठिये। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 289-क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

आप लोगों को आपस में बात करनी हो तो खूब बात कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से सदन तो संचालित नहीं होगा । किसी बात पर स्पष्टीकरण तब मांगा जाता है, जिस बात की चर्चा सदन में हो चुकी हो । अभी तक माननीय

मंत्री जी के भाषण में या माननीय सरदार सिंह जी के भाषण में कहीं भी उस कमेटी की चर्चा नहीं हुई है, इसलिये उसका स्पष्टीकरण मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता । आगे किसी भी माननीय सदस्य के बारे में या किसी मंत्री के बारे में कोई आरोप लगाने का अधिकार आपको है, लेकिन एक व्यवस्था नियम 289-क में दी हुई है कि किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा । जब तक सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री हरदेव के खड़े होने पर)

हरदेव जी, आप कृपया बैठें । आप सब लोग बैठें । मैं अपनी बात पूरी कर लूं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह से कोई बात नहीं हो पायेगी । आप सब बैठें । मैं खड़ा हुआ हूं । मेरी बात पूरी सुन लें । मेरी पूरी व्यवस्था सुन लें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 10 मार्च, 1987 को भ्रष्टाचार का यह प्रश्न यहां उठ चुका है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, माननीय राज्य मंत्री जी के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच के लिये, जांच बिठाने की बात कही थी ।

श्री नेकचन्द पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय अनुग्रह नारायण किस नियम के अंतर्गत किस बात की व्यवस्था चाह रहे हैं, यह तो आप सदन को बता दें।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इस तरह के हल्ले-गुल्ले से हम लोग बैठने वाले नहीं हैं । 10 मार्च, 1987 को यह विषय इस सदन में उठ चुका है । माननीय नेता सदन ने, माननीय मंत्री जी के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये, जांच बिठाने की बात कही थी । माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर इनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जायेंगे, तो माननीय मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे । यह विषय यहां उठ चुका है इसलिये इस पर चर्चा हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब बैठें । माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहा कि यह विषय यहां पहले उठ चुका है, इसलिए चर्चा हो सकती है । मैं चर्चा करने की बात को मना नहीं करता। लेकिन, हमारी नियमावली में स्पष्टीकरण मांगने की भी एक विधि है, उसकी एक प्रक्रिया है । तत्काल उसका उल्लेख चर्चा में

आया हो । अब माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उस कमेटी का उल्लेख किया होता या माननीय सरदार सिंह जी ने उसका उल्लेख किया होता ।

(व्यवधान)

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री हरदेव व श्री नेकचन्द पाण्डेय के खड़े होने पर)

आप सब लोग बैठें । आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा । मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सरदार सिंह, आरोपों के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहने से पूर्व वह आवश्यक सामग्री मेरे पास भी भेज दें और माननीय मंत्री जी को भी दे दें । ताकि उत्तर के समय पूरा मौका रहे । सब चीजें सामने रहनी चाहिए । जब तक इस संबंध में किसी तरह के कागजात मेरे पास न हो, माननीय मंत्री जी के पास न हो, तब तक इस पर कुछ बात कैसे हो सकती है ?

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय सरदार सिंह जी आपके पास आवश्यक कागजात भेज रहे हैं । आप देख लें । मान्यवर, यह लोग हल्ला करके हम लोगों की जबान नहीं रोक पायेंगे । अगर कोई वास्तविकता है, तो उसे हम लोग यहां पर रखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अनुग्रह नारायण जी, आप उनकी बात न सुनें, मेरी बात सुनें। अनुग्रह नारायण जी, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात कह लें । आप सब बैठें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, पिछले सत्र में 10 मार्च, 1987 को इसी सदन में माननीय नेता सदन ने एक माननीय सदस्य द्वारा माननीय मंत्री जी पर कुछ आरोप लगाये जाने पर, जांच बिठाने का आश्वासन दिया था। मामला भ्रष्टाचार का था। उसका दस्तावेज हम लोगों के पास है । माननीय सरदार सिंह जी ने भी इसका उल्लेख किया है । मान्यवर, एक ऐसे मंत्री, जिसके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिये, नेता सदन जांच बिठा चुके हों, क्या वह बजट पेश कर सकता है ?

(व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा–

बजट तो माननीय मंत्री जी ने पेश ही कर दिया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

जिस मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हों, जिसके विरुद्ध जांच बैठी हो, क्या ऐसे मंत्री को हम लोग यहां बैठकर सुनेंगे ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, बजट पेश हो चुका है, इनसे कहें कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

मान्यवर, उधर बैठे कुछ साथी लगातार हो हल्ला मचा रहे हैं। वे चाहते हैं कि मंत्री जी की आलोचना यहां ज्यादा से ज्यादा हो। यह इस तरह से हो हल्ला मचा कर हम लोगों को और भड़का रहे हैं कि इस विषय में कुछ और कहो जाय।

(व्यवधान)

(श्री पूरन सिंह माहरा, श्री विजय सिंह राणा व श्री नेक चन्द पाण्डेय जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कोई नई बात कहना चाहते हों और मुझे भी दर्शन देना चाहते हों, कि तो अपनी बात कह सकते हैं लेकिन यदि पुरानी बात ही कहना चाहते हों, तो इसके लिए मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उधर के लोग खुद ही इन्टरेस्टेड हैं कि मंत्री जी अपना जवाब दें और हम उनकी आलोचना करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री नेक चन्द पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने जो आरोप लगाये हैं, उसी पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। [xxx] क्या इन्हें सदन में बैठने का अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने क्या कहा, मैंने सुना नहीं।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने माननीय मंत्री जी पर आरोप लगाये और व्यवस्था का प्रश्न किया, मैं भी व्यवस्था चाहता हूं। [xxx]

(सत्ता पक्ष की ओर से "शेम", "शेम" की आवाज से घोर व्यवधान)

मैं आपको लिखित भी दे दूंगा।

श्री रघबर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, कृपया नियम 289, जिसका आपने सन्दर्भ दिया है, इसका (ङ) देखने की कृपा करें। इसमें यह है कि सदन के निश्चय की, ऐसे अवसर को छोड़कर, जब उसके निरसन का प्रस्ताव विचाराधीन हो, आलोचना नहीं करेंगे। मेरा निवेदन है कि 10 मार्च को जब यह प्रश्न विधान सभा में आया, एक कमेटी बन गयी। आज जब सदन का निश्चय हुआ, उसके खिलाफ कोई निरसन का प्रस्ताव तो सदन में आया नहीं है। यदि उसको निरस्त करने का सदन में कोई प्रस्ताव नहीं है तो उस पर चर्चा की जा सकती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विषयों पर चर्चा नहीं होगी जो अदालत में विचाराधीन हों, माननीय मंत्री जी के विरुद्ध अदालत में भी कोई चीज विचाराधीन नहीं है, निरसन का भी प्रश्न नहीं है, इसलिये माननीय सरदार सिंह जी इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय सरदार सिंह जी बोल रहे थे और माननीय मंत्री जी के विषय में कुछ कहा, इस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि चरित्र हनन नहीं करना चाहिए, तो भी इस पक्ष में हूं कि चरित्र हनन नहीं किया जाना चाहिये लेकिन उस पर आपने व्यवस्था यह दे दी कि नियमों का हवाला देते हुए कि या तो इस सन्दर्भ में आपके पास लिखकर पहले भेज दें, मुझे आपसे यह कहना है कि जहां तक लिखकर भेजने और चर्चा करने का अधिकार था मैं समझता हूं कि मा0 सरदार सिंह जी से कहा कि लिखकर दीजिये । फिर बोलिये । उन्होंने लिखकर भेज दिया तो बोलने का अधिकार हो गया । माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगा रहे हैं, यह पहली बार नहीं है, नये आरोप नहीं हैं । इस आरोप के संबंध में 10 मार्च को प्रकरण उठाया जा चुका है। यह साबित नहीं कर रहा हूं बल्कि जो घोटाले का आरोप है, उसका हवाला दे रहा हूं । इसी प्रकार अगर प्रधान मंत्री का नाम लिया जाय तो तमामों काण्ड हैं बोफोर काण्ड, फेयरफैक्स काण्ड, रक्षा मन्त्रालय में घोटाला इत्यादि ।

(घोर व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, . . .

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निवेदन किया है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलने के लिये खड़े हुए हैं, मैं आपको बाद में मौका दूंगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैंने अभी एक व्यवस्था का प्रश्न आपके माध्यम से रखा था ।

श्री अधिष्ठाता–

एक व्यवस्था के प्रश्न में दूसरी व्यवस्था का प्रश्न कैसे आ जायेगा ? अभी रघुवर दयाल वर्मा जी ने तथा नेता विरोधी दल ने अपनी टिप्पणी की उस पर मैं पहले संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनूंगा, उसके बाद अपनी व्यवस्था दूंगा और यदि आप मेरी व्यवस्था से सहमत नहीं हुए तब मैं आपको सुनूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप पहले अनुग्रह नारायण की बात सुन तो लें मा0 संसदीय कार्य मंत्री को तब बात कहने में सुविधा हो जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

राणा जी, आप बैठिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी–

अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है । मैं समझता हूं कि जितने भी सम्मानित सदस्य हैं सब चाहते हैं उसकी चर्चा में भाग लेना । अभी मा0 सरदार सिंह ने आरोप लगाया और आपने उसमें व्यवस्था दे दी, किन्तु ऐसा है कि जिस प्रकार से आरोप लगाये गये हैं----

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आरोप इन्होंने नहीं लगाये, वे तो पहले से ही लगे हुए हैं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं कहता हूं कि कौन ऐसा है कि जिसने आज तक गुनाह नहीं किये ? जिसने न किये हों, वह पत्थर मारे । मान्यवर, आरोप और प्रत्यारोप जो हैं---

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सत्तारूढ़ दला के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब आपके मा0 संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं तो आप कृपया उन्हें डिस्टर्ब न करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

जो आरोप मा0 सरदार सिंह ने लगाये उसके संबंध में मुझे निवेदन करना है कि जांच का जहां तक सम्बन्ध है वह मा0 निषाद जी के या उसकी पत्नी के या उनके परिवार के बारे में कहे गये थे उनकी जांच पूरी हो गयी है उसमें किसी तरह से आरोप उन पर या उनके परिवार पर साबित नहीं हुए हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

जांच रिपोर्ट को सदन में रखना चाहिये था ।

श्री अम्मार रिजवी–

कल इस बारे में उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर कर दिया है, उस जमीन को इन्होंने त्याग दिया है अब इनका उससे कोई संबंध नहीं है । आज जब हम सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा करने जा रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए कि प्रदेश के निर्माण कार्य जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, सेतु निगम से संबंधित हैं उन तक ही सीमित रहें बजाय इस प्रकार के पर्सनल बातें करके इतने महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा के समय को सीमित न करें । यदि जो लोग ऐसा करते हैं तो इसकी मतलब साफ है कि वे सदन में इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करके समय को सीमित कर देना चाहते हैं, उनको इस प्रदेश के निर्माण कार्यों में कोई रुचि नहीं है । मेरा मा0 पाण्डेय जी से, मा0 वर्मा जी से, मा0 राणा जी से, नेता विरोधी दल से निवेदन है कि वे बजट पर चर्चा के समय को ध्यान में रखें । इस समय 4.30 होने जा रहा है । मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा न्यायसंगत और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, अब बात को यहीं समाप्त कीजिये । मा0 सरदार सिंह अपना कटौती का प्रस्ताव रखें ताकि इस बजट पर कार्यवाही आगे बढ़ सके ।

(श्रीमती पुष्पा सिंघल के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्या, शायद कुछ कहना चाह रही हैं ?

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । अभी-अभी अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यवस्था मांगी और उसमें उन्होंने कहा कि मंत्री जी को बजट रखने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं कहना चाहती हूं कि बजट तो प्रस्तुत हो गया है, इसलिये वह मंत्री जी पर चार्ज लगाकर समय बरबाद कर रहे हैं, तो क्या यह सदन का समय इस प्रकार से बर्बाद कर सकते हैं, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ?

श्री अधिष्ठाता–

अभी अनुग्रह नारायण सिंह जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस पर और भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और उस पर मैंने अपनी व्यवस्था दी और जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा उससे मैं सहमत हूं । अगर किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाने हों, तो उससे संबंधित कागजात मेरे पास होने चाहिए और माननीय मंत्री जी के पास भी होने चाहिये । इसके साथ ही साथ मैंने संकेत किया था कि जब उत्तर भाषण हो तो उसमें आप कह दें । अब मेरे पास कागजात आ गये हैं, मैंने उनको देख लिया है, मंत्री जी भी देख लें, तब आपको आरोप लगाने का अधिकार होगा और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे सकेंगे ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर अभी एक कांग्रेस के सदस्य ने कहा है कि [xxx]। मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये और मैं चुनौती देता हूं, कि लोक दल (अ) में एक भी व्यक्ति इस तरह का नहीं है और उधर के लोगों पर कुत्ता और बिल्ली से लेकर साइकिल, मोटर साइकिल तक उठाने के चोरी के चार्ज हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, इसका स्पष्टीकरण हो जाये, मैं साइकिल, मोटर साइकिल ले जाने वालों की लिस्ट दे सकता हूं, जो इस समय सामने इसमें बैठे हुये हैं । तो मान्यवर, आप उसको कार्यवाही से निकलवा दें नहीं तो मेरी चुनौती को स्वीकार करायें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सुन लें । मैं इस प्रकरण को समाप्त करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

कुशवाही जी, आप बैठिये । अनुग्रह नारायण सिंह ने बड़ी गम्भीर बात कही है और मैं उससे सहमत हूं । कार्यवाही को देख लिया जायेगा और उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, पिछले दो-तीन वर्षों से जो भी सत्ता पक्ष का पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर होता है वह सेतु निगम की बहुत तारीफ करता है और जब मंत्री जी इसकी तारीफ करते हैं तो उनके सत्ता पक्ष साथी विजय दुंदुभी और नगाड़े बजाते हैं । सेतु निगम को 1986 में एशिया एवार्ड मिला । इस वर्ष इन्टरनेशनल यूरोप एवार्ड मिला । अधिष्ठाता महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब प्रमुख अभियन्ता का चयन हुआ था तो क्या ऐसे अधिकारी जिन्होंने आपको एवार्ड दिलाया था, जिन्होंने आपका नाम विदेशों में कराया था, उनका भी कहीं नाम प्रोन्नति में आया ? प्रमुख अभियन्ता आपने पैसा लेकर बनाया । जिन अधिकारियों ने आपको एवार्ड दिलाया उनको कुछ नहीं मिला यह मेरा स्पष्ट आरोप है ।

माननीय मंत्री जी, जितने भी यहां पर कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे अधिकारी हैं वे कुंठा से ग्रसित हैं । जो कमीशन देते हैं, दिल्ली पैसा पहुंचाते हैं वे ही फल-फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गये हैं, अधीक्षण अभियन्ता बन गये हैं । आपके विभाग से जिलों में वित्तीय स्वीकृतियां जाती हैं उनमें भी पैसा लिया जाता है। वह स्वीकृति साधारण तरीके से नहीं जाती है जब तक कि अधिकारियों को कमीशन नहीं मिल जाता है । इस सम्बन्ध में मेरी आपसे नेक सलाह है कि जो भी प्रमुख अभियन्ता आप बनायें उसकी छवि अच्छी हो और जिसके कारण आपको और आपकी सरकार को पुरस्कार मिला हो । इसके अलावा आप उनको लम्बी अवधि तक के लिये बनायें । यह न हो कि 3 या 6 महीने के लिये बना दें और इस अवधि के अन्दर वह अपना टी0ए0, डी0ए0, पेंशन और पैसा बनाने में लगा रहे और चन्द दिनों में ही रिटायर हो जाय । जिस तरह की व्यवस्था सी0पी0डब्लू0डी0 में है उसी की आप अनुकरण करें । जिससे विभाग में सुधार हो सके ।

आपने कई बार आश्वासन दिया था कि ऐसे लोगों को टेण्डर लेने के लिये एलाऊ नहीं किया जायेगा जो गुंडे हों और जिनका पुलिस में रिकार्ड हो । इसकी आप जांच कर लें । जितने भी टेण्डर लिये जाते हैं वे बन्दूक की नोक पर लिये जाते हैं और स्वीकृत कराये जाते हैं । इससे क्वालिटी पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहता है । इसी बिना पर इंजीनियर भी मारे जा चुके । जो भी जन प्रतिनिधि माननीय विधायक अगर वह कोई शिकायत करता है तो पहली बात तो यह है कि उससे जांच के समय पूछा ही नहीं जाता, यदि पूछा जाता है तो उसे किसी अमुक तिथि कार्यालय में बुलाया जाता है कि वे फलां दिन वहां आ जायं । जबकि अधिकारियों को स्वयं सम्पर्क करना चाहिये । कभी-कभी बिना पूछे ही उसको दबा दिया जाता है । कोई स्वतंत्र एजेन्सी इनके पास नहीं है जो जन प्रतिनिधियों की बात सुन सके । जब इनके बड़े अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता जिलों का दौरा करते हैं तो जन प्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं दी जाती है । चुपचाप गये, कमीशन लिया और हैडक्वार्टर वापस आ गये । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि दोनों ही पक्षों के लोग इससे पीड़ित हैं । इसलिये आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जो मैंडेटरी हो, कम्पल्सरी हो उच्च अधिकारियों के लिए कि वे अपने आगमन की सूचना जन प्रतिनिधियों को दें ।

मान्यवर, आपने आदेश दिया था तो जो कुछ मेरे पास है माननीय मंत्री जी के खिलाफ लोगों ने कहा, मैं पुराना सदस्य हूं मैंने किसी का चरित्रहनन कभी नहीं किया लेकिन जब बार-बार सबूत दे रहे है और मांग कर रहे है कि इसकी जांच होनी चाहिये तो उसमें जांच कमिश्नर से या कलेक्टर से न करा कर किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज से कराई जाय या फिर इस सदन की एक कमेटी बन जाय जो इसकी जांच करे तो उससे चीज साफ हो जायेगी । कलेक्टर या कमिश्नर आपके अधीनस्थ है वह कैसे आपके खिलाफ रिपोर्ट दे सकते है ? इन शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बहुत ही गौर से माननीय सरदार सिंह की तकलीफ को सुना और सुनकर बड़ा सख्त अफसोस हुआ इतने खूबसूरत और सोबर आदमी की जुबान से ऐसी बातें निकली है तो इससे अफसोस होना लाजमी था । मैं समझ नहीं रहा था कि कोई जैन्यून बात समझकर कह रहे है या यों ही बात कह रहे है। बहरहाल एक चीज जरूर सुनकर संतोष हुआ कि उन्होंने सरकार की रीति नीति के बारे में कोई एतराज नहीं किया बल्कि कुछ इधर-उधर की कमियों के बारे में बताया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पी0डब्लू0डी0 की उपलब्धियां ठोस है जो हमारे सामने है । कमियां भी हो सकती है, कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें और सुधार करने की गुंजायश न हो और उसे बेहतर बनाने का कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिये । यह भी सही है कि आज जितना हम विकास कर चुके है या कल करेंगे उतना ही विकास करना हमेशा-हमेशा बाकी रहेगा । जितना रास्ता आज हम चले है या जितना रास्ता तय करेंगे उतना हमेशा बाकी रहेगा और जो प्राप्त किया है और जो कल प्राप्त करना है उतना प्राप्त करना हमेशा बाकी रहेगा इसलिये कि हमें निरन्तर चलने की आवश्यकता है । पी0डब्लू0 डी0 की जो उपलब्धियां है वह हमारे सामने आई है वह सब जाहिर है ।

माननीय सरदार सिंह जी ने सेतु निगम की बात कही यह काबिले फख्र है कि इसे इंटरनेशनल एवार्ड मिला है और श्री बृजेन्द्र सिंह की लोगों ने सराहना की है उस विभाग के सम्स्त लोगों की सराहना इंटरनेशनल लेवल पर हुई है इस पर हमें फख्र करना चाहिए। माननीय सरदार सिंह की तलवार एक तरफा चली तो जब एक तरफा तलवार चलती है तो वह विवेक शून्य होती है उसमें यह ख्याल नहीं रहता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है ? आपको उपलब्धियों को भी बताना चाहिए था लेकिन आपकी तलवार एकतरफा चली तो एकतरफा चलने से वह बिल्कुल धराशाई हो गयी क्योंकि उसमें कोई रस ही नहीं था। सेतु निगम ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत अच्छा काम किया है। वहां के रूलर्स ने जुबानी ही नहीं लिखित रूप में उसकी सराहना की है यह काबिले फख्र है।

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार में बातें बताई मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो ठोस कार्यक्रम और पुलों का कार्य उन्होंने किया है उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है उससे हमारी आर्थिक प्रगति हुई है । पुलों और सड़कों के इनफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है, उसका आर्थिक विकास नहीं हो सकता है । तो आर्थिक विकास हेतु भी इनको सुदृढ़ करना और बेहतर बनाना जरूरी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिष्ठाता महोदय, सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन कामों को बम्बई प्लान के अनुसार मांडीफाई करके हुआ है और हर 15 सौ जनसंख्या वाले गांवों को मेन रोड से जोड़ देंगे तो उससे हमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। और यह भी प्रस्ताव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा गांव इस तरह सड़कों से जुड़ जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें बहुत बेहतर बनी हैं। बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ को देखें तो इनका काम अच्छा हुआ है और सड़कें बेहतर बनी हैं। हमारे ग्रामीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पी0 डब्लू0 डी0 का है और खड़न्जे, मिट्टी से लेकर पक्की सड़कें तक यह बनाते हैं और इनसे दूसरे विभाग के लोग भी सड़कें बनवाते हैं। शहरों में नगरपालिकायें हैं वे भी इनको काम देती हैं और सड़कें बनवाती हैं। मंत्री जी ने कई सड़कों का नाम लिया है जिनको बनवा रहे हैं और बनाने का प्रोग्राम है, इस तरह सड़कें बन जाने पर यातायात का आवागमन और बेहतर हो जायेगा। मान्यवर, यही नहीं सड़कों के किनारे अब लोग आबाद हो रहे हैं यातायात के सधन हो जाने से। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और वर्ग भेदभाव मिटेगा।

मान्यवर, हमारे निर्माण निगम ने कार्य इतना अच्छा किया है वह चाहे काम्प्लेक्सेज इम्प्लायीज के हों या दूसरे, जिनकी सराहना भारत सरकार ने की है। इलेक्ट्रानिक्स द्वारा ऐसा कार्य मिला था जिसकी भारत सरकार ने सराहना की है। इसी तरह सेतु निगम ने अच्छे-अच्छे पुल बनाये हैं, ओलम्पिक में, दिल्ली में, ओवर फ्लाई पुल बनाया जिसकी सर्वत्र सराहना हुई है। इसलिये इस पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च होना चाहिए और ज्यादा रकम इसमें मिलनी चाहिए।

बहुत सड़कें अभी तेजी से बढ़ती जा रही हैं, अभी एक विद्वान सदस्य ने कहा कि अच्छी सड़कें होंगी तो फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम अच्छा होगा। तो यह सही है। हम सभी सम्मानित सदस्यों और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि सड़कों पर इंक्रोचमेन्ट्स बहुत हो रहे हैं इसके लिए अधिशासी अभियन्ता को मैजिस्टीरियल पावर्स दें जिससे वह इसको डील कर सकें और इंक्रोचमेन्ट्स हटा सकें।

अन्त में मंत्री जी को और संबंधित अधिकारियों को प्रतापगढ़ जो पिछड़ा जिला है जहां एक पुल दिया गया है उसके लिये बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि और भी सेतु इस जिले में बकुलाही नदी पर बनाये जायेंगे जहां कि जरूरत है। अन्त में, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुन्दर ढंग से बजट प्रस्तुत किया और जो इस विभाग द्वारा प्रगति हुई है उसका जिक्र किया। मान्यवर, अयोध्या के संबंध में भी बधाई देना चाहता हूं कि वहां पुल दिया है। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और श्री सरदार सिंह द्वारा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री बदन सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री सरदार सिंह द्वारा, प्रस्तुत पी0 डब्लू0 डी0 के बजट पर, कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल से 9 प्रतिशत आता है और मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे देश की आबादी का 16वां प्रतिशत है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इस आबादी व क्षेत्रफल को देखते हुए हमें दुख: के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में सड़कों के ऊपर जो धन व्यय किया जाता है वह बहुत कम है । इसकी वजह से ही हम देखते हैं कि हमारा यह विशाल प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । हम अन्य राज्यों से इस प्रदेश की तुलना करें तो पंजाब में प्रति 1 लाख की आबादी के ऊपर 204 किलोमीटर सड़क मिलती है, वहीं पर हमारे प्रदेश में प्रति 1 लाख की आबादी के ऊपर केवल 50 किलोमीटर सड़क मिलती है । 100 किलोमीटर क्षेत्रफल में पंजाब के अन्दर हमको 65 किलोमीटर सड़क मिलती है और उत्तर प्रदेश में 100 किलोमीटर पर केवल 19 किलोमीटर सड़क मिलती है ।

यह केवल सड़कों के मामले में ही स्थिति खराब नहीं है, हम राष्ट्रीय मार्गों के मामले में भी बहुत पिछड़े हुए हैं । इस दृष्टि से भी प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है । जहां पंजाब के अन्दर प्रति 1 लाख की आबादी के ऊपर 6.89 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग है, वहीं पर हमारे प्रदेश में केवल 2.22 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग है । इसलिए मान्यवर, इनका यह कहना कि पी0डब्लू0डी0 के कार्यों में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रदेश को मार्गों के द्वारा आगे ले जायेंगे, बिल्कुल असम्भव है । जिस प्रकार से मानव शरीर में नसों का काम होता है किसी देश या प्रदेश की प्रगति करने के लिए सड़कों की बड़ी अनिवार्य आवश्यकता होती है । प्रदेश में जितनी सड़कों और राष्ट्रीय मार्गों की कमी है, वह प्रदेश की प्रगति और उन्नति को उतना पीछे करती है। मुझे अफसोस है कि फिर भी यह सरकार सड़कों के निर्माण कराने का कार्य नहीं कर रही है। यह ढपोरशंखी सरकार है। माननीय अम्मार रिजवी साहब, ने सन् 79-80 में जब पी0 डब्लू0 डी0 विभाग का बजट इस सदन में रखा था तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि चूंकि प्रदेश में सड़कों की कमी है और आबादी का घनत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए वह प्रदेश के अन्दर 4 जल मार्गों का निर्माण करेंगे । लेकिन उनकी घोषणा का क्या हुआ ? मैं आशा करता हूं कि जब मंत्री जी, अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या उन्होंने उन 4 मार्गों का निर्माण कराया है और क्या उस पर प्रदेश की जनता ने चलना शुरू कर दिया है ? इस प्रकार यह चौथी घोषणा करने वाली सरकार है और इसका नतीजा यह है कि प्रदेश में आबादी बढ़ती चली जा रही है और यहां की सड़कें कम तो हैं ही, कम चौड़ी और खराब मैटेरियल से खराब बनी हुई हैं । सड़कों के संकरी और संकीर्ण होने की वजह से प्रदेश में जितनी मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं, उतनी देश के अन्य किसी प्रदेश में नहीं हो रही हैं । इसीलिए मैं शासन से मांग करता हूं कि प्रदेश में अच्छी सड़कें बनवाई जाएं और अच्छा सामान लगाकर बनवाई जाएं ।

अपने सेतु निगम की आपने बहुत तारीफ की । मैं मानता भी हूं कि सेतु निगम का अच्छा काम है । इनके इंजीनियरों की प्रतिभा का, दूसरे देश लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सेतु निगम में ही उनकी प्रतिभा का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा है । आप बता दें कि आगरा में जवाहर पुल किसने बनाया है, जो प्रति दिन टूटता हुआ दिखाई देता है, जर्जर और कमजोर हो गया है । बाहर से आगरा के द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए जमुना नदी पर कोई दूसरा पुल नहीं है, और थोड़े समय में वह टूट जाएगा । और इस पर भारी वाहन का जाना प्रतिबन्धित कर दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब खत्म करें ।

श्री बदन सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ, जो माननीय सरदार सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, सबसे पहले मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य श्री सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, यदि प्रस्तुत बजट का अवलोकन करें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्ण विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री निषाद साहब को तथा विभाग के सचिव तथा अन्य अधिकारियों को इस बात के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, जो लक्ष्य रखा गया है 1500 से ऊपर की आबादी वाले गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि 10,893 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 1500 से ऊपर है, जिसमें मान्यवर, 9,142 गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद 1,751 गांव बाकी रहे जाते हैं । मान्यवर, यह गांव 1990 तक मुख्य मार्ग से जोड़ देने का लक्ष्य था, लेकिन अब यह कार्य 1989 में पूरा हो जाएगा तो इसके लिए यह बधाई के पात्र है । सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य जमीन से ऊपर का कार्य है चाहे वह सेतु निगम का कार्य हो चाहे राजकीय निर्माण निगम का कार्य हो । इस विभाग के मुख्यतः तीन अंग हैं मार्ग निर्माण, सेतु और भवन निर्माण । आज बहुत तरक्की इस विभाग ने की है इस बात को उधर के सदस्य भी मानते हैं भले ही परम्परा वश वह कटौती का प्रस्ताव रखें । मान्यवर, रामचन्द्र जी के समय में निषादराज केवट ने नाव से उस पार उन्हें उतारा था, लेकिन आज हमारे मंत्री निषाद जी ने सेतु निगम के सहारे दो किनारों को जोड़ दिया है इससे कोई सदस्य इन्कार नहीं कर सकता है चाहे वह बहराइच का सदस्य हो या कहीं और का। पहले घाघरा नदी पर पुल नहीं था तो इन्तजार करना पड़ता था अब घाघरा पर पुल बन जाने से बहुत सुविधा हो गई है । यह विभाग विकास की ओर बढ़ रहा है । विपक्ष के माननीय सदस्य सरदार सिंह जी ने कुछ बातें कहीं उससे मैं सहमत था, लेकिन एक उन्होंने बहुत ही कड़ुवी बात कही उस पर मुझे एक घटना याद आ गई । मैं अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए गया था जैसा कि आप जानते ही हैं कि चुनाव के दिनों में माननीय सदस्य गम्भीर हो जाते हैं उनका धैर्य बढ़ जाता है, तो मान्यवर, मैं चुनाव प्रचार करके आ रहा था तो एक गांव के पास मुझे बड़ी प्यास लगी और मैंने देखा सामने थोड़ी दूर पर एक सुनहरा घड़ा रखा हुआ था, जैसे कि हमारे माननीय सदस्य हैं, इनका रूप है, उसी तरह से वह सुनहरा घड़ा रखा हुआ था मैंने सोचा उसमें पानी भरा होगा, जब मैं उसके पास गया, तो एक अजीब सी गन्ध आई जब मुंह में घूंट पानी गया तो बड़ी कड़वाहट लगी, तो आज इनका रूप देखकर भी बड़ा अजीब लगा मैंने सोचा हो सकता है संगति का असर हो और ऐसी बात निकल गई हो बाद में सुधार कर लें ।

मान्यवर, तो मैं कहना चाहूंगा कि 15 सौ आबादी वाले सभी मार्ग मुख्य मार्ग से जोड़ दिए जायेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आबादी घटाइये लेकिन जिन गांवों की आबादी 1500 से ज्यादा है उनको सुविधा मिल रही है। जिस गांव के लोगों ने अपनी आबादी संतुलित कर रखी है इसलिये उनको सुविधा न दी जाय, उचित नहीं है। जो 1500 की आबादी से नीचे वाले गांव हैं उनको भी विकास का अवसर मिलना चाहिए। जो गांव दुरुह जगहों पर हैं उनको सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिये। उनकी उपेक्षा इसलिये नहीं होनी चाहिए कि उनकी आबादी कम है।

मान्यवर, एक बात और मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। इधर एक सड़क बाराबंकी-बहराइच मार्ग बन रही है है यह सड़क श्रावस्ती जायगी। लेकिन यह सड़क बाराबंकी से जरवल रोड से बहराइच को मुड़ जाती है मेरा निवेदन है कि जरवल रोड से गोंडा को जोड़ दिया जाय इसको जोड़ने से बहुत सुविधा हो जायगी। गोंडा के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये और जो सुविधा बहराइच को दी जा रही है वह गोंडा को मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस विभाग के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी और मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री हरिशंकर तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश इस देश का विशालतम प्रदेश है। लेकिन जब आज माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को मैंने देखा तो जो मंत्री जी ने प्रतिवेदन दिया है उसमें कहा गया है कि 1981 तक 94 हजार किलोमी0 सड़कों का निर्माण होना चाहिये था लेकिन मार्च, 1987 तक केवल 62 हजार किलोमी0 सड़कों का निर्माण किया गया है। कैसी विडंबना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कल्पना थी कि 94 हजार कि0 मी0 सड़कें बनेंगी जबकि केवल 62 हजार कि0 मी0 सड़कें ही बन पायी हैं। इन्होंने जो मानक दिखाये हैं उसको देखने से पता चलता है कि अन्य प्रदेशों में हमारे प्रदेश से ज्यादा सड़कें बनायी गयीं हैं। यह मानक देखकर अंदाजा होता है कि सड़कों के मामले में हमारा प्रदेश किस तरह से उपेक्षित है और कितना धनाभाव है। हमारे भाई सरदार सिंह ने भ्रष्टाचार के बारे में बताया बड़े-बड़े अधिकारी से लेकर मंत्री तक पर, इस सदन में, कचड़ उछाला गया है। मैं उस तरफ इंगित नहीं करना चाहता हूं।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में घाघरा नदी और राप्ती नदी है। यह दोनों चौथाई हिस्सा घेरे हैं। हमेशा बाढ़ से यह क्षेत्र पीड़ित रहता है। वहां पर आवागमन के रास्ते नगण्य हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर विकास किया जाय और सड़कों तथा पुलों का निर्माण किया जाय। जिस प्रकार से 20 सूत्रीय कार्यक्रम में झूठा आंकड़े दिखाये जाते हैं वे न करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करायें ताकि वहां के लोगों को विकास का सुलभ अवसर प्राप्त हो सके। 40 साल स्वतंत्र होने के बाद भी वहां पर विकास का कोई कार्य नहीं हो सका है। मंत्री जी ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके लुभावने वादे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दिखाये हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कुछ काम करें ताकि वहां के लोगों को विकास की किरणों का लाभ हो सके। मैं आपका ध्यान गगहा-रकहट मार्ग की तरफ ले जाना चाहता हूं।

माननीया स्व0 इंदिरा गांधी 1977 में जब सत्ता नहीं थीं तो यहां पर एक भीषण नाव दुर्घटना हो गयी थी और माननीय इंदिरा गांधी वहां गयीं थीं और यह आश्वासन देकर आयीं थीं कि जब वह कभी शासन में आयेंगी तो राप्ती पर पुल का निर्माण करवायेंगी। लेकिन वर्षों बीत गये हैं न तो आज तक पुल का शिलान्यास हुआ और न पुल का निर्माण किया गया है और उल्टे वह गांव भीषण कटान में पड़ा हुआ है लेकिन आज तक किसी प्रकार के पुल का निर्माण नहीं कराया गया और न ही सड़क का निर्माण कराया गया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं गगहा रकहट मार्ग, हाटा से बड़गों बड़ैला कटरा मार्ग, साउखोर सिमरा मार्ग बनाया जाय तथा यहां तराना नाले पर पुल बनाया जाय। मान्यवर, इसके अलावा राष्ट्रीय मार्ग 29 है जहां घाघरा नदी पर राष्ट्रीय महत्व का पुल है। यह पुल भीषण कटाव के खतरे में पड़ा हुआ है। उस राष्ट्रीय महत्व के पुल के दोनों तरफ सुरक्षात्मक उपाय करें। साउखोर भुमिला मार्ग को बनाया जाय। खेसरी बदरी मार्ग पर डौनाडीह के पास तरौना नाले पर पुल बनाया जाय। पकड़ी से हाटा तक पक्का मार्ग बनाया जाय। मुझगावों से सुनैग होते हुए डाडी मलवान से जानीपुर मार्ग बनवाया जाय। गगहा से भैसहा तक सड़क बनने से बाढ़ को रोका जा सकता है। गगहा से कोओर्डिल होते हुए बेलकुल मार्ग बनवाया जाय। परसिया से होते हुए बेहुआ बलसरामामसेर मार्ग पर तरौना नाले पर पुल बनाया जाय। भरोह से नरायनपुर होते हुए सम्मेधान से बाधाघड़ा मार्ग तथा हाटारियांव मार्ग को पक्का बनाया जाय। मान्यवर, बड़हलगंज पटना मार्ग को चौड़ा किया जाय तथा राप्ती नदी पर बन रहे पुल को जल्द से जल्द पूरा किया जाय, यह पुल वर्षों से बन रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अतः मान्यवर, मैं निर्माण निगम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां एक इंजीनियरिंग कालेज है जिस पर निर्माण निगम द्वारा कुछ कार्य कराया जा रहा है। इसमें निर्माण निगम 11 लाख की जगह 18 लाख में काम कर रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री हरि शंकर तिवारी—

अन्त में मैं माननीय सरदार सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको आभार प्रदर्शन करता हूं कि आपने मुझे माननीय सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री श्री सीता राम निषाद द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक निर्माण विभाग के महत्वकांक्षी बजट पर बोलने का शुभ अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय निषाद जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और इस सदन के योग्य माननीय सरदार सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती का विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस सदन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं और बड़े गौरव और फक्र के साथ इस बात को इस सदन में रखना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में विगत वर्षों में पुल बनाने की ओर ध्यान दिया गया है। नदियों के ऊपर पुल का निर्माण ग्रामीणों के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन पुल बनाने की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता था वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से पुल बनाने में विगत वर्ष कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इसलिए मैं इंजीनियर धर्मवीर तथा उनके सहयोगियों को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में हुई दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारा यहां एक भतरौंज खान, भिक्यासेन, गनाई कर्णप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग है। उसकों 3-4 जगह वाइडनिंग न होने की वजह से इस वर्ष माह जून में एक तरफ 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी वही दूसरी तरफ पी0 डब्लू0 डी0 के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी है। माननीय मंत्री जी, वहां वाइडनिंग करवा दें ताकि गेट सिस्टम न रहें। मान्यवर, अपने क्षेत्र के दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र पासी, गेरखेल, अल्मरा, देघाट, बागीधार एक मार्ग है जिसमें उल्मरा नामक स्थान पर विनोद नदी है जिसमें प्रतिवर्ष 10-15 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और कई मवेशी बह जाते है। उक्त सड़क का पुल उल्मरा नामक पर बनना है। जब वह सड़क बनेगी ता मेरी प्रार्थना है कि वहां दुबारा शासन का पैसा खर्च न हो इसलिए पैदल पुल की मांग नहीं करता हूं बल्कि मेरी मांग है कि वहां मोटर पुल पूर्व में ही बना दिया जाय जिससे कि वह निर्माणाधीन सड़क के वहां तक पहुंचने तक वह पुल तैयार रहे।

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण रुक गया। मैं इस आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वन संरक्षण नियम में सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि इस देश व प्रदेश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भार पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर है, जहां न जल मार्ग है, न वायु मार्ग है, उसका विकास इन सड़कों पर निर्भर करता है। मेरा निवेदन है कि इन शासकीय कार्यों के लिए इस नियम में सरलीकरण किया जाना चाहिए। वहां पर जो इक्जीक्युटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पावर हैं वर्क आर्डर और सप्लाई के, वह पुराने अंग्रेजों के जमाने के हैं, उनको अधिक से अधिक पावर दिया जाना चाहिए। दूसरा, पहले स्टोर के लिए यह होता था कि हर डिवीजनों को क्षेत्रीय स्टोरों से सामान मिलता था और अब आप प्रत्येक डिवीजन से कहते है कि कैमूर, सतना, मथुरा रिफाइनरी से स्टोर लावें। यह व्यवस्था गलत है, इसे पूर्ववत रखा जाना चाहिए। मैं श्री सरदार सिंह जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव में कही गयी एक बात का समर्थन करना चाहता हूं कि विधायक निवासों में जो आपकी व्यवस्था है, वह निम्न स्तर की होती चली जा रही है। आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पर एक दिन इस सदन में पानी, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हंगामा होने वाला है। शासन पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन लापरवाही की वजह से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आप स्वयं इसका आकस्मिक निरीक्षण करें। अन्त में मैं माननीय निषाद जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और सरदार सिंह जी के कटौती का विरोध करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन के सामने बहुत गम्भीर मामला लाना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सीताराम निषाद इस विभाग के मंत्री हैं और राम कृष्ण जी, इस विभाग के सेक्रेटरी हैं और सेतु निगम के चेयरमैन हैं। मान्यवर, ये अभी विभाग की ओर से विदेश भेजे गये थे और [xxx] ले गये थे।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कुशवाहा जी, यह बहुत व्यक्तिगत है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया बैठ जाइये, मुझे सुनने दें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, [xxx]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर कोई अप्रासंगिक बात होगी, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। आप कृपया बैठ जाइये। आप उनकी बात तो सुनने दीजिए।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या सदन में भाषण करते समय किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वे किसी और औरत को अपने साथ ले गये या किसी महिला के लिए [xxx] शब्द का प्रयोग संसदीय है ?

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

मान्यवर, आपको याद होगा कि राजस्थान विधान सभा में भी इस प्रकार का मामला आया था, वहां के शिक्षा मंत्री विदेश गये थे और उसमें कई तरह की बातें उठी थीं वहां सदन में तब उसके लिए एक कमेटी बना दी गई, जो जांच कर रही है, तो इसमें कौन सी बात है, आप कमेटी बना दीजिये, जांच हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बरार जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि क्या किसी व्यक्ति के बारे में महिला इत्यादि को लेकर कोई आरोप लगाया जा सकता है। इसमें मेरा कहना है कि आप कृपया शान्त रहें, मुझे उनकी बात सुनने दें। अगर कोई बात असंसदीय होगी या परिपाटी के खिलाफ होगी, सम्माननजनक नहीं होगी तो उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा। श्री कुशवाहा जी भी कृपया ध्यान दें, मेरा कहना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं है, उनके लिए शब्दों का प्रयोग न किया जाय।

नोट:—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा—

अगर आरोप होगा तभी तो निकलवा देंगे अगर सत्य होगा तो क्या करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

मेरा कहना है कि यदि इस आदरणीय सदन का कोई सदस्य नहीं है तो उसके खिलाफ अच्छा-बुरा कोई भी आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, सीताराम निषाद जी के जो सचिव हैं वही सेतु निगम के चेयरमैन भी हैं और वह विदेश गये थे और वहा से 70 हजार रु0 का सामान लाये थे और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इनको पकड़ा भी था और उस पैसे का भुगतान मंत्री जी ने अपने विभाग द्वारा करवाया था। अगर यह बात सही नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं दिन, तारीख तथा समय सब आपको दे दूंगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनके मामले की जांच कराई जायगी और मेरा इस संबंध में कहना यह है कि परगनाधिकारी ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी, कलेक्टर ने भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दी तब मान्यवर, इनकी फाइल कमिश्नर के यहां दबा दी गयी और मान्यवर, इनके खिलाफ जिस अधिकारी ने रिपोर्ट लगवाई थी, उसका मान्यवर, पहाड़ पर भेज दिया गया। झगड़ा क्या था मान्यवर, यह भी बता दूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कुशवाहा जी, आप किसी बात को बार-बार रिपीट न करें।

(शोर)

*श्री राम सकल तिवारी—

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह कि इस सदन के अन्दर सभी सम्मानित सदस्यों की अपनी एक प्रतिष्ठा है और अभी माननीय सदस्य में मा0 मंत्री जी को "सीता राम निषाद" करके सम्बोधित किया है, जो सदन की गरिमा के प्रतिकूल है, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या ऐसा किया जाना किसी भी प्रकार से उचित है?

श्री अधिष्ठाता—

मा0 कुशवाहा जी, अब आपके पास केवल एक मिनट है, हमें सभी माननीय सदस्यों को एक सा समय देना है और दूसरे हमें सभी माननीय सदस्यों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कुशवाहा जी, आप एक मिनट अपनी बात को पूरा करें।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, झगड़ा यह था कि यह उस अधिकारी से अपना मकान बनवाना चाहते थे, उसने इस बात से इंकार कर दिया, अगर मान्यवर मेरी यह बात गलत सिद्ध हुयी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं और अगर बात सही निकल आवे तो मा0 मंत्री जी इस्तीफा देने की घोषणा कर दें। इसका निर्णय मान्यवर, सदन की एक कमेटी बना दीजिए, उसके द्वारा हो जायेगा कि इन्होंने उस जमीन को गलत प्रकार से हड़पी है या नहीं।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मुझे तो शक हो रहा है, इन्हें नूर मंजिल में भर्ती कराकर पूरी तौर पर इनका परीक्षण करा लीजिए। दूसरे यह गांजे और भांग के हमें लगता है कि यह बड़े दुकानदार हैं, इसकी भी जांच करवा लीजिए, मान्यवर।

(शोर)

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

अब मैं दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो कानपुर देहात में जो तहसील डेरापुर है, उसमें सड़कों का बहुत अभाव है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कुशवाहा जी, अब आप बैठिए, आपका अब समय समाप्त हो गया और मैंने श्री श्रीनाथ सिंह जी को बुला लिया है, कृपया बैठिए।

श्री श्रीनाथ सिंह

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह एक ऐसा विभाग है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विभाग है और इसकी उपलब्धियों के बारे में चाहे इस पक्ष के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सभी को इसके बारे में ज्ञान है। हमारे इस विभाग के अलावा सड़क बनाने के कार्य की जितनी भी इकाईयां हैं चाहे वह आर0 एस0 हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ब्लाक हो दर एक में बहुत गड़बड़ियां हैं, लेकिन इस विभाग में सर्वथा काम कम से कम 70-75 परसेंट ठीक होता है और इनके सेतु-निगम के बारे में तो सभी जानते हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। वैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग की अपनी जो उपलब्धियां हैं, वह भी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ चल रही हैं। अब इनका एक यांत्रिक खण्ड है। मैं यहां पर उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। विगत सन् 80 से जितने सचिव आए, उनमें से इस समय जो सचिव हैं, इनकी सराहना मैं इसलिये करूंगा कि यह आदमी जो भी बात कही जाती है, उस पर ध्यान देता है और काम करने की कोशिश करता है। यांत्रिक खण्ड की ओर मैं सचिव और मुख्य अभियंता का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां सेतु निगम और निर्माण निगम की उपलब्धियों के लिये आपका विभाग ख्याति प्राप्त कर रहा है, वहीं यांत्रिक खण्ड की लूट और भ्रष्टाचार के लिये अपनी एक ख्याति है। इस पर इनको ध्यान देना चाहिये। आपके पास रोड रोलर का यह हाल है कि आपके पास इतने वेट के रोलर नहीं हैं कि सड़कों का ठीक से निर्माण कर सकें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

मैं आपका ध्यान अपने जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां बनारस में एक पुल के निर्माण के लिये स्वर्गीय इंदिरा जी ने शिलान्यास किया था। मैं सुनता हूं कि भारत सरकार ने उसके लिये रुपया भी दे दिया, लेकिन उसमें काम क्यों नहीं लग रहा है, मा0 मंत्री जी उस पर ध्यान दें। बनारस एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और उसमें एक ही पुल है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आयी तो उत्तर और दक्षिण भारत दो हिस्सों में हो जायगा। नये पुल के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिये। बनारस के अंतरा-

ष्ट्रीय ख्याति का नगर होने के कारण वहां बहुत से यात्री आते हैं। बाहर से विदेशों से भी तमाम यात्री आते हैं। बनारस से बाबतपुर जाते हैं, जो शहर से 14 किलोमीटर दूर है। उक्त सड़क का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं देखता हूं कि उस 14 किलोमीटर सड़क पर सदैव निर्माण ही होता रहता है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र की ओर मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सारनाथ एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का नगर है, वहां से भुनारी 6 किलोमीटर की रोड है। रोड तो बनी है, लेकिन पैंटिंग नहीं है। पैंटिंग हो जाय तो विदेशों से यात्री आते हैं, वह जगह नयनाभिराम हो जायेगी, जबकि बड़ी ही खराब हालत में है। हमारे यहां शारदा नहर की एक शाखा है जो बाबतपुर राजबहा के नाम से आती है। बनारस से गाजीपुर के मार्ग पर एक जगह मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश भी दिया कि पुल बनाया जायगा। वहां की हजारों एकड़ जमीन सैलाब में डूब गयी थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद वह पुल नहीं बनाया जा रहा है। बरसात हो गयी है, पानी की निकासी नहीं है और इसके बारे में नेशनल हाइवे आफिस बिल्कुल चुप है। लगता है कि इस बार हजारों एकड़ जमीन फिर डूब जायगी। आपसे निवेदन है कि उस पुल का निर्माण शीघ्र करा दें। इसके साथ ही मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मुझे ध्यान है कि जनता पार्टी से कोई नहीं बोला है। मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वे 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मा0 अधिष्ठाता, महोदय, जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है, मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए और प्रदेश की जनसंख्या को समझते हुए और इसकी प्रगति को देखते हुए इस बजट का बहुत भारी महत्व है। मान्यवर, अगर प्रदेश में देखा जाय तो जिस प्रकार की सड़कों को होना चाहिये, नहीं है। जिस प्रकार का सुधार होना चाहिये, नहीं हो रहा है। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि पर्वतीय अंचल की बात आयी तो वहां पर सड़कों का बिल्कुल ही बुरा हाल है। और मैं तो आपके माध्यम से मान्यवर, मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जिस प्रकार का बजट और जिस प्रकार की धनराशि इसमें होनी चाहिये थी, आपने उसकी मांग की नहीं। हमें तो जितने धन की आवश्यकता है, जिस प्रकार से कार्य करना चाहिये, इन सड़कों की हालत सुधारने के लिये,- आपको अधिक से अधिक रुपयों की आवश्यकता है, आपको जितनी अधिक आवश्यकता थी, आपको उतनी धनराशि की मांग करनी चाहिये थी।

मान्यवर, मैं पर्वतीय अंचल का उदाहरण देना चाहूंगा कि 2-2 वर्ष हो गये, जो स्लिट पड़ी हुई थी, वह साफ नहीं हुई है। मेरी संज्ञान में आया है कि इस कार्य के लिये प्रदेश सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगती है। वह आपने मांगा ही नहीं। अगर इसमें सच्चाई है कि आपने भारत सरकार से इस संबंध में पैसा नहीं मांगा तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह प्रदेश के साथ अन्याय है। प्रदेश सरकार ने, केन्द्र सरकार से जो धन मिलता है, वह क्यों नहीं मांगा? जहां तक अन्य विकास कार्यों का प्रश्न है, आपको स्मरण होगा कि पी0 ए0 सी0 की मीटिंग में भी जिक्र आया था, कि सड़कों के संबंध में सबसे ज्यादा कठिनाई है, तो वह पर्वतीय अंचल को है। जो शिकायत की गयी है, पर्वतीय अंचल को ध्यान में रखते हुए देखा जाय तो वहां पर बहुत ही अन्याय है। इस सदन में भी यह मामला संज्ञान में लाया गया था कि आगरा के पत्थर पहाड़ में पहुंच गये हैं। जो मील के लिये, किलोमीटर के लिये, पत्थर हैं, वह इस विभाग द्वारा आगरा से पर्वतीय अंचल में पहुंचाये गये हैं। मान्यवर, पहाड़ में अगर सब कुछ नहीं है, तो पहाड़ पहाड़ तो पत्थरों का ही होता है। इससे ज्यादा हानि की बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि वहां पर कि0 मी0 के पत्थर भी आगरा से पहुंचा दिये गये हैं।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि आगरा और बरेली का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन, उसके पत्थरों को पहाड़ों पर पहुंचाया जाय ? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपका आगरा से इतना प्रेम क्यों है? आदमी पहाड़ पर पहुंच गये, ठीक है, लेकिन पत्थर पहुंचाना इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमता की बात है, बुद्धिमता का कार्य है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहां 2-3 वर्षों से जगह-जगह स्लिट पड़े हुए थे, वह अभी तक साफ नहीं हुए हैं ।वन अधिनियम के कारण वहां सड़कें बन नहीं पा रही हैं। एक पेड़ काट नहीं सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में, जो पर्वतीय विकास का रुपया है, वह कहां जा रहा है? मैं आलोचना के साथ-साथ यह भी मानता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 ने कुछ प्रशंसनीय कार्य भी किये हैं और मैं इसके लिये बधाई भी देना चाहता हूं अभी सेतु निगम की बात कही गयी, सेतु निगम ने भी कुछ प्रशंसनीय कार्य किये हैं। उसी तरह से निर्माण निगम ने भी कुछ प्रशंसनीय कार्य किये हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां-जहां इसकी परियोजनायें हैं, वहां पर नियंत्रण भी आवश्यक है। प्रदेश के बजट को ध्यान में रखकर, जो उपेक्षित स्थान हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। यहां प्रश्न यह उठा कि प्रमुख अभियंता कौन बने? यह तो मान्यवर, योग्यता के आधार की बात है, इसके संदर्भ में मैं नहीं पड़ना चाहता । लेकिन, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो योग्य हो, जिसकी सीनियारिटी हो, जिसके आधार पर इस प्रदेश की छवि न बिगड़े और जो इसके लिये सक्षम हो, उसको अवश्य मौका मिलना चाहिये। उन्हीं व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए, जो योग्यतम व्यक्ति हो । मान्यवर, हमारी सर्विसेज की भी, सेवाओं की भी, कुछ परम्परायें है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनमें भी कोई कलंक न लगे । मान्यवह, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कार्य किये जाते हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण बहुत से ऐसे व्यक्तियों को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, जिनकी सीनियारिटी नहीं है। अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिये अनपयुक्त लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये।

(लाल बत्ती जलने पर श्री लाल चन्द्र निषाद के खड़े होने पर)

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सरदार सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री लाल चन्द्र निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आजादी हासिल करने के बाद पंचवर्षीं योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य किया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 10893 गांवों को जोड़ने का जो लक्ष्य था, उसमें 9142 गांवों को जोड़कर एक अच्छा कीर्तिमान इस विभाग द्वारा किया गया है और यह लगभग 84 प्रतिशत के बराबर है। 1989 तक 1800 गांवों को जो और जोड़ने का लक्ष्य है, हमें आशा है कि यह विभाग उसमें सफल होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं, वह 1971 की जनगणना के हिसाब से दिये गये हैं, मेरा सुझाव है कि इसे 1981 की जनगणना के हिसाब से रखा जाय और उसके अनुसार 1500 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाय।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की गई थी कि भवनों के निर्माण में जो विलम्ब होता है, वह न हो, तथा विलम्ब की वजह से जो लागत बढ़ जाती हैं, उसे सीमित रखा जाए इसमें इस मामले में सेतु निगम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुखण्डी भवनों के निर्माण में भी इस निगम ने निपुणता हासिल कर ली है। आज लखनऊ में हम जितने भी बहुखण्डी भवन देखते हैं, वह इस निगम की ही देन है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर भवन का जो निर्माण हो रहा है, उसके लिए यह मानक रखा गया था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो। मुझे खुशी है कि 60 करोड़ की लागत से जो निर्माण कराया गया है, बहुत ही अच्छा है और विश्वास है कि दिसम्बर 1987 तक इसका प्रथम चरण प्रारम्भ हो जायेगा। जापान की टीम भी यहां पर आई थी, उसने भी इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का निर्माण पाया है। जापान से ही इस संस्थान के लिए अत्याधुनिक उपकरण आ रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में डांगीपार से मिर्जापुर तक की जो सड़क की पिच होनी चाहिए थी, वह ठीक नहीं हो पाई है, इसलिए इसे ठीक करा दिया जाय। इसी प्रकार की एक सड़क सेवंई से जैतपुर तक बना दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य, जो प्रदेश में सम्पादित होना चाहिए था. . . .

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम भी अपने-अपने क्षेत्रों से चुनकर आये हैं। यहां पर आकर अगर अपनी समस्यायें न रख सकें और आप हमें बोलने की इजाजत न दें तो क्या हम सदन से जा सकते हैं इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

यह आप खुद ही सोच लें कि आपको क्या करना है।

श्री शारदा प्रताप—

वेल पर हम जा नहीं सकते, नहीं तो निलम्बित कर दिये जायेंगे, यहां खड़े होकर हम अपनी बात कह नहीं सकते या तो आप समय बढ़ायें या फिर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायेगा, इसका आश्वासन दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जब कोई इस पीठ पर बैठता है, तो उसका कार्य बड़ा दुरुह हो जाता है। सभी लोगों की पर्चियां आ रही है, अब देखना है कि उसमें से किसको बोलने का मौका दिया जाय। जैसा कि कल उपाध्यक्ष जी, ने भी कहा है कि सबको मौका तो नहीं दिया जा सकता है। प्रतिपक्ष से जनता पार्टी की तरफ से कोई माननीय सदस्य नहीं बोला है, पहले उनसे बुलवा लूं, तब आपका भी नम्बर आयेगा।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जो आपने निर्णय दिया, शिरोधार्य है, लेकिन जो आपकी पीठ के विषय में बात कही गई है, उसको कार्यवाही से निकलवाने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

इसको देख लिया जायगा, अगर कुछ आपत्तिजनक होगा तो निकाल दिया जायगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो उपलब्धियां सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए थीं, वे नहीं हो सकीं। स्वयं माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है और यह जो पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी है, उससे स्पष्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने न तो लक्ष्यों को पूरा किया और न उपलब्धियों को प्राप्त किया। बम्बई प्लान के अन्तर्गत जितनी सड़कों का निर्माण वर्ष 1981 तक हो जाना चाहिए था यानी 94,200 हजार कि0 मी0 सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए था, वह 1987 तक में नहीं बन पायी है और अब तक लक्ष्य से लगभग 20 हजार कि0 मी0 कम सड़कें बनी हैं जिन्हें 1981 में पूरा हो जाना चाहिए था।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जैसे प्रधान मंत्री 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में तो उल्टी परम्परा चल रही है, शायद उनको पता चल गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग वाले अभी 71 और 81 की योजनाओं को ही क्रियान्वित कर रहे हैं और उसी आधार पर अपनी योजनायें बना रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को तुरन्त बर्खास्त कर दें। इनके लिट्रेचर में ही है कि सन् 2001 तक 1500 तक की आबादी वाले गांवों को जोड़ेंगे और यह कि 3,55,160 कि0 मी0 सड़कें बन जायेंगी। मुझे अफसोस है कि आजादी के 40 सालों के बाद भी जब यह लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो उसके 5 गुना लक्ष्य की पूर्ति कैसे कर पायेंगे? निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नियोजकों ने गलत नियोजन बनाया है। आप वास्तविकता के धरातल पर आकर अपना नियोजन बनाइए और जनता को भ्रमित करने का काम मत कीजिये।

---

*वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरा निवेदन यह है कि एक योजना विश्व बैंक की सहायता से 400 करोड़ रु0 की भारत सरकार की सिफारिश से प्राप्त करके सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं । सदन में हंगामा हुआ था, पूर्व और पश्चिम का भेद भी हुआ था, लेकिन पूर्व के लोगों को भी यह पता नहीं है कि 400 करोड़ रु0 से कौन सी योजना लागू करने जा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जो बृहद् और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, विधान सभा सदस्यों को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही अपने जनपद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में सन् 1977 की जनता सरकार की जो खाद्यान्न योजना नं0 4 और 5 की सड़कें दी गई थीं, अकेला मेरा जनपद ही ऐसा क्षेत्र है जहां उन सड़कों पर अभी तक पैंट नहीं हो सका है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए देवरिया को भी बराबरी का दर्जा दें । इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया जनपद के कसिया क्षेत्र के अन्तर्गत पथरदेवा-रामपुर अवस्थी विशुनपुरा बाजार मार्ग तथा देवरिया धूस-बंजरिया तरकुलवा मार्ग जो जनता शासन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत खड़ंजा कर दी गई थी और जिन्हें अब तक पीच नहीं किया गया उसे पीच किया जाए तथा छोटी गंडक नदी पर नौतन हथियागढ़ में खतुआ नदी पर नरायनपुर के निकट तिर मुरानी घाट पर पुल बनाया जाए तथा मुरार छापर विशुनपुरा मार्ग जो जिला परिषद् की बहुत पुरानी कंकड़ सड़के है जिसे डी0 एम0 देवरिया ने पी0 डब्लू0 डी0 में ट्रान्सफर करने के लिये लिखा है, को आपका विभाग लेकर अविलम्ब पीच करायें, इसकी व्यवस्था करने का कष्ट करें । कसिया में एक अवर अभियन्ता है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि....

श्री अधिष्ठाता–

शाही जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है, मैंने तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री राम सकल तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में और श्री सरदार सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मुझे आशा थी कि हमारे सम्मानित सदस्य सरदार सिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रख कर वह अपना भाषण करेंगे । उन्होंने यह स्वीकार तो किया है कि सेतु निगम ने अच्छा काम किया है किन्तु उन्होंने इसकी प्रशंसा में एक भी शब्द अपने भाषण में नहीं कहा इसके लिये मुझे कष्ट है । जो सच है उसको भी स्वीकार करना उन्होंने अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं समझा । ऐसा लगता है कि विरोध पक्ष में बैठने की वजह से मा0 सरदार सिंह सही बात को भी सही नहीं कह पा रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है ।

मान्यवर, इस प्रदेश को और सदन के सम्मानित सदस्यों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है हमारा सेतु निगम और यही एक निगम प्रदेश में ऐसा है कि जिसने 8 करोड़ रु0 से अधिक का मुनाफा कमा कर

1985-86 में आपकी सरकार को दिया है और यही वजह है कि हमारी धारणा है कि इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और इसके जो मैनेजिंग डाईरेक्टर हैं, इन सब लोगों के सहयोग से इन सबकी कार्यकुशलता से यह श्रेय हमारे प्रदेश को मिला । इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की वजह से यह लाभ सरकार को मिला है, प्रदेश को मिला है । वहीं और जो अन्य कारपोरेशन हैं उनकी तुलना में इस कारपोरेशन की एक गरिमा है, एक प्रतिष्ठा है ।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बातों की तरफ मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र, सेवरही जो कि देवरिया जनपद में है, चुन कर आया हूं, वहां अभी 72 गांवों में सड़कें नहीं हैं और उसका कारण यह है कि वह फ्लड इफेक्टेड एरिया है जहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है और सड़कें वहां पर अभी तक नहीं बन पायीं और न उनके भविष्य में बन पाने की सम्भावना है । केवल एक सड़क ऐसी है सिसवां नहर से बैडूपार तक, इस रोड का निर्माण कराया जाना है । यह 13 किलोमीटर लम्बी है । इस पर सरकारी बसें चलती हैं प्राइवेट बसें चलती हैं, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहां ईख की ढुलाई टायर गाड़ियों से किसान लोग करते हैं । उस पर बराबर आवागमन होता रहता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उस सड़क को सा0 नि0 वि0 में लेकर इसका निर्माण तत्काल कराने की कृपा करें ।

तीसरी बात जो कि बहुत अहम है कि इस विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि 15 वर्ष से अधिक की अवधि से एक जगह पर पड़े रहते हैं और धन की उगाही करते रहते हैं । इसके लिये मेरा निवेदन है कि वे वहां ठेकेदारी भी करते रहते हैं । मैं चाहता हूं कि इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिये कि वह कौन से लोग हैं, इसकी जांच करके प्रशासन को उचित कार्यवाही करनी होगी क्योंकि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग पर कलंक का टीका है ।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, अब आपका समय समाप्त ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर गम्भीरता पूर्वक माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

मान्यवर, सरकार द्वारा जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 1986-87 के कार्य कलापों का वार्षिक सिंहावलोकन नामक पुस्तिका माननीय सदस्यों को वितरित की गयी है, उसके प्रस्तावना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सरकार की मंशा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलेवार जिस तरह से नियोजन बनाया जायेगा, उसमें आबादी क्षेत्रफल व पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जायेगा, लेकिन बजट को देखने से ऐसा विदित होता है कि यह पूर्वी और पश्चिमी भावना से ओत प्रोत यह बजट है । मैं इसी पुस्तिका से जो वितरित की गई है, कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

इस बजट में तीन योजनाएं हैं, एक आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 है, इसके दो भाग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेशनल हाई वे नं0 2 को लिया गया है, गाजियाबाद से देहरादून, वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर देवरिया मार्ग, लखनऊ रायबरेली ऊंचाहार इलाहाबाद मार्ग, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर, फैजाबाद मार्ग, बाराबंकी जरवल मार्ग, रामपुर हल्द्वानी मार्ग एवं पानीपत खटीमा मार्ग को सुदृढ़ीकरण के लिये चुना गया है । इस प्रकार से 2/3 भाग धन पूर्व को दे दिया गया है और 1/3 से भी कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिल पाया है। सड़क निर्माण को 640 करोड़ रुपया पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों में दिया गया है और 400 करोड़ विश्व बैंक से प्राप्त हुआ वह भी पूर्वी उत्तर प्रदेश को दे दिया जायेगा । माननीय मंत्री जी, की बड़ी तारीफ उधर के माननीय सदस्य कर रहे थे, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि उनको पैसा देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी बंधुआ मंत्री है । इनका ही जिला है । फैजाबाद, इस मंडल को जो रुपया दिया गया है, फैजाबाद जिला सबसे आकार में बड़ा है, लेकिन पूरे मंडल का 75 प्रतिशत धन सुल्तानपुर और अमेठी को दे दिया गया है ।सुल्तानपुर और अमेठी श्री संजय सिंह और श्री राजीव गांधी का क्षेत्र हैं, और सारा बजट का रुपया यहीं पर चला जाता है । मंत्री जी तो बधुआ मंत्री हैं, यह अपने जिले को भी नहीं बचा पाये हैं तो दूसरे जिलों की कैसे रखवाली कर पायेगें।]

मान्यवर, विश्वनाथ प्रताप सिंह बांदा से चुनाव जीतकर आये और वही कांग्रेस की कब्र खोदने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भावना पैदा कर रहे हैं, उसको समाप्त करें । अब मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र सबसे अधिक दस्यु प्रभावित क्षेत्र है । मान्यवर, जमुना नदी पर एक पुल की मांग की गयी है, इसको याचिका समिति ने स्वीकार किया है और शासन ने याचिका समिति को बताया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर शंकरपुर घाट पर पुल बनाने के लिये प्रस्ताव भेजा गया है । 7वीं योजना प्रारम्भ हो गयी है, लेकिन इसको लिया नहीं गया है । मान्यवर, फिरोजाबाद बाई पास नेशनल हाई वे नं0 2 पर है, इसको पक्का करने के लिये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है । और शासन ने इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक इसको लिया नहीं गया है, इसलिये इसको शामिल कर लिया जाये । चन्दवार से जलालपुर सड़क दस्यु प्रभावित क्षेत्र में है जिसे जिला प्लान से स्वीकृत कराकर आर0 एल0 ई0 पी0 में लेने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। वह स्वीकार नहीं हुई है। मेरी मांग है कि इसको स्वीकार किया जाय ।

मान्यवर, जो सड़कें जनता पार्टी के शासन काल से लेकर अब तक बनीं, जिन पर मिट्टी पड़ चुकी है, खड़ंजा लग चुका है लेकिन उनको पक्की किये जाने का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय सरदार सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पुरूषोत्तम लाल–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव की आलोचना करता हूं । आज की परिस्थितियों में माननीय मंत्री

ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निःसंदेह प्रगति का प्रतीक है । मान्यवर, आजादी से पहले लोग पगडंडियों पर चला करते थे आजादी के बाद प्रदेश विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है । ऐसी स्थिति में एक समयबद्ध तरीकों से और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश ने दिन दूनी प्रगति की है । . . . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा चौथा नम्बर है लिस्ट में . . .

श्री अधिष्ठाता–

कृपया धीरे बोलें, आपको मौका मिलेगा ।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने इलाहाबाद जनपद के सिराथू विधान सभा क्षेत्र की तरफ, जहां से मैं चुनकर आया हूं । मान्यवर, वह जनपद का सबसे पिछड़ा हुआ तथा अविकसित क्षेत्र है। वहां पर भंजनपुर सिराथू मार्ग से सुगातपुर स्टेशन के बीच 36 लाख रुपये की लागत से एक पुल बना हुआ है लेकिन ग्रामों को जोड़ने वाला करीब 11 कि0 मी0 पर कोई मार्ग नहीं बना है । उसमें जाने के लिये कोई सड़क बीच में नहीं है । जिस पुल में आने जाने के लिये कोई सड़क न हो तो ऐसे पुल का औचित्य ही क्या है ? उसमें करीब 20 गांव रास्ते में पड़ते हैं, पुल बनकर तैयार है लेकिन इस सड़क पर मिट्टी और खड़ंजे का भी कार्य आज तक नहीं हुआ है । इसी तरह से सिराथू में (इलाहाबाद) में भंजनपुर उदयदिन तक बीच में 20 सों बड़े गांव पड़ते हैं लेकिन उसमें आने जाने के लिये कोई सड़क नहीं है जिसकी लम्बाई करीब 11 कि0 मी0 है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे विशेष कृपा करके अपने सीमित संसाधनों से इस पिछड़े हुए इलाके की प्रगति के लिए इन उपेक्षित सड़कों को ले तथा अच्छे से अच्छे मार्ग बनवायें जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके ।

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कादीपुर डंडौली मार्ग पर एक सड़क बनी हुई है लेकिन उसमें बीच में कहीं पुल नहीं है । एक पुराना पुल वहां पर बना हुआ था जो टूट गया है । पुल के अभाव में लोग बरसात के दिनों में करीब चार माह तक आर-पार नावों से जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी सड़कों पर जहां पुल नहीं बने हैं वहां पुल बनाये जांय और ऐसे पुल जिनके लिये सड़कें नहीं बनी हैं वह भी बनायी जाए, इस तरह से सरकार यदि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य करे तो वास्तव में प्रदेश की प्रगति होगी । इस तरह से मैं समझता हूं कि विभाग का अधूरा कार्य पूरा होगा और प्रदेश के प्रगति के रास्ते पर एक नया पत्थर लगेगा। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि भगवान राम चन्द्र जी अयोध्या से चलकर चित्रकूट गये थे और वहां पर निषाद राज ने उन्हें पार किया था . . .

श्री अधिष्ठाता–

वह बात हो चुकी है ।

श्री पुरुषोत्तम लाल–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में गंगा के इस पार सिराथू है और दूसरी तरफ गढ़ी मनिकपुर प्रतापगढ़ है । मैं माननीय मंत्री जी, से

निवेदन करूंगा कि अगर मनिकपुर से कड़ाधार पर पुल बना दिया जायेगा तो हमारी जनता रूपी राम राम को निषाद राज रूपी हमारे माननीय मंत्री जी पार लगा देंगे । जिससे अयोध्या से चित्रकूट तक जाने वाले लाखों लोगों को सुविधा हो जायेगी और और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य होगा । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सरदार सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती की प्रस्ताव की निन्दा करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में अपना मत व्यक्त करता हूं ।

श्री शारदा प्रताप –

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सरदार सिंह जी, द्वारा प्रस्तुत कटौती की प्रस्ताव पर बल देने का अवसर प्रदान किया।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ल जी, आप माइक के सामने बोलें ।

श्री शारदा प्रताप–

माइक पर ही बोल रहा हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत ही नेक इनसान हैं । पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में कठिंगरा गांव में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए वह गए थे । मान्यवर, 1977 और 80 के बीच जनता पार्टी की रिजीम में खाद्यन्न योजना के तहत सकारा काकोरी राजमार्ग का निर्माण हुआ था। जहां पर वह बोल रहे थे वहीं से यह सड़क गुजरती है जिसमें पत्थर की सोलिंग पड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां सड़कों की स्थिति यह है कि अगर इन सड़कों से कोई गर्भवती स्त्री निकल जाय तो वह अस्पताल नहीं पहुंच सकती है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा कहे हुए शब्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने किसान सम्मेलन में बोलते हुये कहा था कि यहां की सड़कों की खराब दशा के लिये सरकार की कोई गलती नहीं है और न अधिकारियों की कोई गलती है अगर किसी की गलती है तो वह क्षेत्रीय विधायक की है जिन्होंने इस सड़क के बारे में लिखकर नहीं दिया। तो अधिष्ठाता महोदय, मैंने कई पत्र माननीय मंत्री जी को दिये, इन सड़कों के संदर्भ में। विधान सभा सत्र में सवाल पूछे हैं और मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

लखनऊ जनपद में 105 कि0 मी0 सड़कें 77 और 80 के बीच में पत्थर की बनी है और हर 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में और डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग में प्रश्न उठते हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी मेरी बात से सहमत है कि इनको पक्का किया जाए । यह सरकार 105 कि0 मी0 सड़कों के लिये 3 करोड़ 15 लाख रु0 की व्यवस्था नहीं कर रही है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी ने जो पुस्तिका छपी है उसके पेज 50 पर सड़कों के पुनर्निर्माण की मद में लखनऊ जनपद में जो सड़कों का निर्माण हुआ है वह केवल शहरी क्षेत्र की सड़कें हैं उसमें जिले की कोई सड़क नहीं है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम राजधानी के जिले में आते हैं जिस की चार विधान सभाई क्षेत्र माहनलालगंज, सरोजनी नगर, महोना और मलिहाबाद आते हैं इनमें से केवल एक सड़क इसमें लिखी हुई है बक्शी का तालाब बाबूगंज बाकी सब नदारत है । एक सड़क सकरा काकोरी मार्ग है जिसमें माननीय मंत्री जी ने यह लच्छेदार भाषण दिया था जो एक चुनावी स्टंट है माननीय मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, शरम आनी चाहिये कि जो वायदा किया था विधानसभा में, वह भी इसमें नहीं है जो 11 कि0 मी0 पेंट करानी है उसके लिए भी रुपया नहीं दिया गया है। इसी प्रकार

बहुत भी सड़कें हैं जिनका मैं नाम गिना सकता हूं एक तो यही सकरा-काकोरी 11 कि0 मी0, फतेहगंज-नारायणपुर 16 कि0 मी0, बिज्नौर सिसोंडी 11 कि0 मी0 लतीफ नगर-रहीम नगर पड़याना 4 कि0 मी0, लखनऊ नगराम 26 कि0 मी0 अमौसी मोटर मार्ग 3 कि0 मी0, कुरौनी मार्ग 700 मीटर, किसुनपुर-कौंड़िया मार्ग 500 मीटर, सादुल्लानगर एैन 3 कि0 मी0 इन सब की सौलिंग करके पक्का होना है ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य बार-बार मंत्री जी की तरफ अंगुली कर रहे हैं तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह ऐसा कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अंगुली के बजाय मुट्ठा दिखाईये ।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय मंत्री जी को डर लगना लाजमी है मैं अपने जिले की जनता की अधिकारों की मांग रख रहा हूं । अधिकार हमेशा मांगने से नहीं छीन कर मिलते हैं । तो मान्यवर, लखनऊ जिले का महत्वपूर्ण मार्ग है–लखनऊ–नगराम मार्ग जो 26 किलोमीटर का है, इसे बनाया जाये। निलमथा गांव में एक किलोमीटर सड़क बन रही थी, मंत्री जी को पिछले दिनों एक पत्र दिया है कि उस सड़क पर जो मैटीरियल लग रहा है वह मानक के अनुसार नहीं है, मंत्री जी इसकी जांच करायें लेकिन अभी तक जांच नहीं कराई गयी है चूंकि ऊपर से नीचे तक मंत्री और अधिकारी कमीशन खा रहे हैं।

मान्यवर, 40 वर्ष आजादी मिले गुजर गये हैं लेकिन लखनऊ जिले का इलाका जो उन्नाव बार्डर पर है वहां के निवासियों को लखनऊ पहुंचने के लिए कोई पुल नहीं है जो सई नदी पर बनाया जाना है, 1985 में जिला प्लान में सई नदी पर पुल स्वीकृत हो चुका है लेकिन मंत्री जी ने कोई पैसा इस बजट में नहीं रखा है। यह पुल लतीफनगर रहीमनगर पड़ियाना मोटर मार्ग पर सई नदी पर बनाया जाना है; इसके बन जाने से इन गांवों के निवासियों को लखनऊ पहुंचने में सुविधा होगी। इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि सई नदी पर पुल बनाने के लिए अविलम्ब प्राविधान किया जाये। मान्यवर, गोमती नदी को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं किन्तु लखनऊ जनपद की जनता की खुशियाली के लिए छोटी छोटी नदियों पर छोटे पुलों को नहीं बनाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जायं। श्रीमती पुष्पा सिंघल।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, अंत में मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, आपकी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन और श्री सरदार सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मौका

दिया। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का विरोध इसलिए करती हूं कि इसमें कोई दम नहीं है। मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 विभाग का जनता से सीधा संबंध है चूंकि इस विभाग द्वारा जितने कार्य होते हैं उनका सीधा सम्बन्ध जनता से है और खासतौर से सड़कों का सम्बन्ध है। मान्यवर, मंत्री जी ने जैसा बताया कि 70 करोड़ रुपये जो कि सड़कों के लिए दिया है और सड़कें इससे बनायी जायेंगी जैसे बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ जिलों की सड़कें बनाने के सम्बन्ध में बताया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मुरादाबाद जिले ने क्या कसूर किया है कि इस 70 करोड़ की स्कीम में उसे शामिल नहीं किया गया। मान्यवर, मुरादाबाद जिले की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं जबकि मुरादाबाद जिला बहुत ज्यादा सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, रोड टैक्स देता है तो उसे इस स्कीम में शामिल कर लिया जाये।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय मार्गों की जो स्कीम दी है उसमें भी मुरादाबाद–दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग को शामिल नहीं किया गया है जबकि उसकी हालत इतनी दयनीय है कि पैदल चलना दूभर है और बसें ठीक से नहीं चल पाती हैं, रिक्शे और बसें उल्ट जाती हैं, रोजाना दुर्घटनायें हो रही हैं और हल्की सी बरसात में सड़कों पर पानी भर जाता है। मैं मान्यवर के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवंदन करती हूं कि राष्ट्रीय मार्गों की गिनती में मंत्री जी मुरादाबाद–दिल्ली राष्ट्रीय मार्गों को भी रखें। तीसरी बात यह है कि जैसा माननीय सरदार सिंह ने फरमाया है कि हाट मिक्स प्लान्ट की क्या जरूरत है, तो मैं उनको बताना चाहती हूं कि यह हमारी पालिसी के अन्दर आता है और उससे समय की बहुत बचत होती है। जहां पर सड़कों पर आवागमन बहुत ज्यादा है, उनको रात में बनाया जाता है, लेकिन मैं यह और कहना चाहती हूं कि मुरादाबाद में एक ही हाट-मिक्स-प्लान्ट है। वहां के लिए एक प्लान्ट की और व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि एक प्लान्ट से जल्दी काम नहीं हो पा रहा है और बहुत सी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। मुरादाबाद-सम्भल मार्ग पर ब्रिज बन रहा है, मैं उसके लिए मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। वहां पर यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी और आने-जाने में काफी समय लगता था, वह दूर हो जाएंगी और उनके समय में बचत होगी। मंत्री जी ने उसकी व्यवस्था के लिए ओवर हेड ब्रिज बनवाया है, लेकिन उसको बनवाने में बहुत समय लग रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसको शीघ्र बनवाने का वह कष्ट करें।

अधिष्ठाता महोदय, जो भी सड़कें बनवाई जा रही हैं, वह बहुत ही घटिया क्वालिटी की बनवाई जा रही हैं। 5 से0 मी0 ऊंची बनवाई जा रही हैं, जो बहुत कम हैं और जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर पानी भर जाता है अभी तक किनारों पर खड़ंजा नहीं लगा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूं जो सभी विभागों से संबंधित है। वह यह है कि विधायक निवासों पर जो जूनियर इंजीनियर काम करते हैं। वहां जो भी निर्माण कार्य किये हैं, उसमें कुछ आर्किटेक्ट के डिफेक्ट्स हैं। उसके बारे में जब पत्र दिये जाते हैं उनको ठीक करने आदि के बारे में तो उसमें यह लिखकर आता है कि विधायक निवासों का किराया बढ़ जाएगा। यह भी देखने में आता है कि वहां कोई वेन्टीलेशन नहीं है तो इतना जरूरी काम कराया जायगा, तो क्या हमारा किराया बढ़ जायगा। मैं निवेदन करती हूं कि

विधायकों के इस तरह के निर्माण कार्य में कोई किराया न बढ़ाया जाय और वहां की परेशानियां दूर कर दी जाएं। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्रीमती शारदा देवी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी के बजट का घनघोर विरोध करती हूं और श्री सरदार सिंह के कटौती के प्रस्ताव पर आपके माध्यम से बल देती हूं। मैं इस सदन में मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में ले जाना चाहती हूं, जो कि मेरा क्षेत्र चौरीचौरा पड़ता है। वह बहुत पिछड़ा और गरीब का क्षेत्र है। वहां पर आज तक कुछ नहीं हुआ और मंत्री जी का ज्यादा ध्यान शहर में रहता है, देहात में नहीं जाता है। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में ले जाना चाहती हूं। गौरीघाट से बोहाबारघाट तक लगभग 14 किलोमीटर कच्ची सड़क है, उसको विशेष ध्यान में रखकर वह बनवाने का कष्ट करें। वहां गौरी घाट पर पीपे का पुल है, उसको हटाकर पक्के पुल की व्यवस्था करा दें। हमारे क्षेत्र में और इधर उधर अधिकांश सड़कें कच्ची और बेकार हैं, ज्यादा सड़कें पक्की नहीं हुई हैं, वहां कछार पड़ता है। वहां आने-जाने में लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए तो रास्ते में ही वह ले जाते हुए मर जाता है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है। वहां अस्पताल भी बहुत कम हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। एक बात और है नई बाजार से इटैयाघाट तक जो सड़क जाती है जो जायस करती है गजाईकोल, गजपुर बाजार तक। वहां कौड़ी राम क्षेत्र है और देवरिया में भी, ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं वहां सड़क बन जाएगी तो गरीबों का बहुत सहारा हो जाएगा। मान्यवर, एक सड़क रूरैया से होकर जाती है यह कच्ची है यह लगभग नौ किलोमीटर सड़क है वह पक्की सड़क में जाकर जगदीशपुर मिलती है तो इस सड़क को पक्का बनवाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। जयहिन्द।

श्री प्रेमपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो विरोध पक्ष द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं चार-पांच सुझाव दूंगा वह हमारे क्षेत्र या जनपद से संबंधित नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के माननीय सदस्यों से संबंधित होंगे।

मान्यवर, मेरा पहला सुझाव यह है कि दस वर्ष पूर्व जो-जो सड़कें खड़ंजे से बनी थीं उनकी हालत खराब है। मान्यवर, मंत्री जी, पूरे प्रदेश का सर्वे करा लें, तो जो सड़कें पांच किलोमीटर के लगभग इससे कुछ कम या अधिक भी जो बीच में अधूरी पड़ी हैं उनकी पूरी सूची प्रदेश का सर्वे कराकर बनाई जाए और प्राथमिकता के आधार पर अधूरे कार्यों को पूरा कराकर सड़कों को जोड़ा जाए।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पूरे प्रदेश में पूरे जनपदों में सड़कें बनी हैं लेकिन पुलों का निर्माण नहीं हुआ है आज पुलों की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, मंत्री जी प्रदेश स्तर पर एक सर्वे करा लें और सूची बनाकर प्राथमिकता के

आधार पर पुल का निर्माण करायें, पुलों का सही आंकलन कर धन को बढ़ाने का प्राविधान किया जाए। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय प्रधान-मंत्री श्री राजीव गांधी जी से प्रस्ताव करें कि पुलों के लिए अधिक से अधिक धन दिया जाए।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जब इंजीनियर लोग किसी कार्य का स्टीमेट बनाते हैं वह बढ़ाकर बनाते हैं उसको कम करके बनाना चाहिए ताकि निर्माण कार्य की लागत कम आए।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मेरा चौथा सुझाव यह है कि विभाग के सम्बन्ध में जब शिकायतकर्ता शिकायत करते हैं और जो अधिकारियों को प्राप्त होती है उनकी जांच बहुत कम समय में करनी चाहिए और यह जांच तीन महीने के अन्दर की जानी चाहिए ताकि विभाग की कार्यक्षमता बढ़े।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मेरा पांचवां सुझाव यह है कि जो निर्माण कार्यों के बारे में शिकायतें आती हैं उसके लिए उड़नदस्ता बनाया जाना चाहिए जो जाकर तुरन्त जांच करे और एक्शन लें।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मेरा छठा सुझाव यह है कि जिस विभाग से खनिज निगम और मंडलीय निगम द्वारा गिट्टी की सप्लाई ली जाती है इन निगमों द्वारा इन विभागों को अच्छा मैटीरियल सप्लाई नहीं किया जाता है इस पर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, मेरा सातवां सुझाव यह है कि निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत ठेकेदारों को न लेकर विभाग को स्वयं अपना इन्तजाम करना चाहिए ताकि निर्माण कार्य की लागत कम हो।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रेमपाल सिंह–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने मैटीरियल के लिए स्वयं आपूर्ति निगम की स्थापना करें। मान्यवर, जिस तरीके से राजकीय निर्माण निगम ने सेतु निगम की स्थापना करके नेशनल व इण्टरनेशनल ख्याति प्राप्त की है उसी प्रकार से मैटीरियल कलेक्शन कारपोरेशन की स्थापना करके प्रदेश के निर्माण कार्यों को कराया जाए।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसके अतिरिक्त यह कहना चाहूंगा कि पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा जो सड़कें बनवाई जाती हैं उनमें साथ-साथ सड़कों के किनारे पानी की निकासी के लिए व्यवस्था

होनी चाहिए। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जयहिन्द ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर आपने बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस विभाग का नाम सार्वजनिक निर्माण विभाग की जगह सार्वजनिक भ्रष्टाचार विभाग रख दिया जाय तो कोई गलत नहीं होगा। जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में है उतना किसी और विभाग में नहीं है। अब कमीशन बढ़ते-बढ़ते 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

मेट से लेकर चीफ इंजीनियर तक, मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक हर आदमी कमीशन खा रहा है। जो भी काम किये जा रहे हैं उसमें कमीशन के कारण कार्यों का स्तर नीचे गिर रहा है।

एक सदस्य–

ठेकेदारी करते हैं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

ठेकेदारी करता हूं तुम्हारी तरह दलाली तो नहीं करता हूं। कमीशन की वजह से कार्यों का जो स्तर गिर गया है उसका उदाहरण देना चाहता हूं। बरेली से नैनीताल तक हाट मिक्स प्लांट से सड़क बनायी गयी है। मंत्री लोग नैनीताल जाते हैं तो देखते होंगे। एक वर्ष के अन्दर 14 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क टूट गयी है और फिर से बन रही है। रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का भवन बनाया गया। दो साल हुए हैं। उसमें क्रेक्स आ गये हैं और वहां की सड़कें टूट गयीं हैं इसी तरह से संजय कम्युनिटी हाल बनाया गया था वह आज टपक रहा है। तीन साल पहले 50 लाख रुपये की लागत से बना है जिसका उद्घाटन मा0 चेतराम जी ने किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कें और भवन बनाये जा रहे हैं उनका निर्माण निम्न स्तर का है। पता नहीं इस प्रदेश का क्या होने वाला है। दो क्षेत्रों में, आगरा और फैजाबाद में इनके चीफ इंजीनियर्स नहीं हैं। यह अपने विभाग के लोग निर्माण निगम और अन्य विभागों में डेपूटेशन पर भेज देते हैं लेकिन इनके यहां यह पद खाली हैं। अगर इन पदों को नहीं भरना था तो यह पद सृजित क्यों किये गये। इनके विभाग में एक ही तरह के अभियन्ताओं के वेतन समान नहीं है। अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), विद्युत तथा आर्किटेक्ट यह तीनों एक ही स्तर के पद हैं लेकिन इनके वेतनों में बिसंगतियां हैं तथा भेदभाव बरता जा रहा है। बरेली से लेकर बदायूं मार्ग पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था वहां पर 700 करोड़ रुपये का कारखाना लग रहा है। अगर वहां पर ओवरहेड ब्रिज नहीं बनाया गया तो बहुत दिक्कत होगी। ओवरहेड ब्रिज न बनने से बरेली-बदायूं आंवला जाने के लिए एक बड़ी समस्या पैदा होने जा रही है इसलिए इस ओवरहेड ब्रिज का निर्माण किया जाय।

मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कमरों के एलाटमेंट के लिए जब हम विधायक लोग जाते हैं तो हमारे रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है लेकिन अधिकारियों और बहुत से ऐसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग राज्य सम्पत्ति अधिकारी से मिलकर एलाटमेंट करा लेते हैं। यहां पर जो पुराना विधायक निवास है जो सबसे ऊंचा भवन है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले जब पानी बरसा तो वहां के हर कमरे में पानी भर गया और जो चीजें हम छोड़कर सदन में आये थे वहां जाकर देखा कि टी0वी0 बिस्तर सब खराब हो गया है। तो जिस तरह से यह विभाग काम करता है उसका यह एक नमूना है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी, का बजट कांग्रेस की संस्कृति और निर्माण के अनुरूप है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। साथ ही सरदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसका विरोध करता हूं क्योंकि निर्माण का कोई भी कार्य बिना बजट के असम्भव है और निर्माण के बिना समाज की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है और बिना किसी योजना के हम चल नहीं सकते हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपने भाषण में वह सारी बातें कही जो प्रदेश के विकास और प्रदेश के निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि ब्रिज कारपोरेशन और निर्माण निगम जो है वह दोनों ने अच्छा कार्य किया है, यह सही है। माननीय मंत्री जी के निर्देशन में और वहां के टेक्नोलोजिस्ट की देखरेख में वहां जो भी कार्य हुआ है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारियों से निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी के निर्देशन में जिन प्रकार की प्रशंसा निगमों के अधिकारियों की हुई है उसी तरह की प्रशंसा को पाने का आप भी प्रयास करें और प्रदेश की निर्माणाधीन सड़कों को बेहतर बनाकर ईमानदारी से कार्य करें।

मान्यवर, इसके साथ ही मेरठ जनपद की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही गयी। मैं चाहता हूं कि कोई भी योजना ऐसी न बनाई जाय जिससे जनता को, हम लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़े। कोई भी जिला या मंडल अपनी मेहनत के बल पर प्रगति करता है। उसके अनुरूप उसके लिए बजट में इतनी कम व्यवस्था न की जाय जिससे उसकी प्रगति में रुकावट आये। अर्थात् बजट बनाते समय असमानता का व्यवहार न किया जाय। मान्यवर, मेरठ जनपद में जमुना नदी पर हरियाणा को जोड़ने के लिए नेथला बागपत में एक ब्रिज बनाया जा रहा है। उसकी प्रगति बहुत धीमी है। यह पुल हरियाणा और उ0 प्र0 को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हरियाना उत्तर प्रदेश के करीब हो जायेगा और दिल्ली का दवाब कम हो जायेगा। इस पर पुल जल्द से जल्द बनाया जाय। लखनऊ मेरठ मार्ग पर काली नदी पर मेडिकल कालेज के पास पुल बनाया जा रहा है। इस पर भी जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराया जाय। मोहिद्दीन से सिवोल मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है उस पर शीघ्र कार्य कराया जाय। मेरठ बड़ौत मार्ग पर गंगा नहर पूठ में ब्रिज बन रहा है जिसे करीब 10 साल हो गये हैं। इस अधूरे पुल को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि जब माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रस्ताव किया था कि गन्ना विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण करने के बाद उसकी देखरेख के लिए पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया जाय। मेरी मांग है कि इसको अमल में लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

डाक्टर अच्युतानन्द तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उरुवा, दुघरा, सोपाई रोड जिस पर तीन गांव 1500 आबादी के पड़ते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इनको खड़ंजे स्तर तक बनवाया जाय। डांडी बेदौली मार्ग को खड़न्जा स्तर तक बनवाया जाय और तरैना नदी पर पुल का निर्माण करवाया जाय। शंकरपुर, पिपरसड़ी भिसिया छितौनी मार्ग खड़न्जा स्तर तक बनवाया जाय। गोला पकड़ी गगहा मार्ग जिस पर 5 गांव 1500 से अधिक आबादी के पड़ते हैं उसे खड़न्जा स्तर तक बनवाया जाय। बेलघाट शाहपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाया जाय। पक्का बाजार घुरिमापार मार्ग को खड़न्जा स्तर तक पूर्ण कराया जाय। गोपालपुर दशवतपुर मार्ग को लेपन स्तर तक बनवाया जाय। घुरिमापार में कुवानों नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय। सरयू नदी में बेलघाट ब्लाक में उपयुक्त स्थान पर पुल का निर्माण करवाया जाय जिससे गोरखपुर, आजमगढ़ और फैजाबाद को जोड़ा जा सके। बेलघाट कूरी मार्ग पर कुछ सड़कें अपूर्ण हैं जिसे पूर्ण कराया जाय।

(समय 6 बजकर 20 मिनट पर)

*श्री राम भजन लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप अगर आज्ञा दें, तो हम लोग अपने-अपने घर चले जायं।

श्री अधिष्ठाता–

यह आज्ञा आप मुझसे क्यों लेते हैं, अगर आप सदन की कार्यवाही से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य समझते हैं, तो यह आपके ऊपर निर्भर है। इसको आप स्वयं समझ सकते हैं।

श्री राम भजन लाल–

मैं उन सड़कों के विषय में कहना चाहता हूं जो कि नई सड़कें नहीं हैं, बल्कि पुरानी सड़कें हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग की हैं। गोला बैवहा रोड जिसमें कि 15 फीसदी गोला सुगर मिल पैसा देने के लिए तैयार है, उसकी 6 किलो-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मीटर रोड डामर हो चुकी है, बाकी 11-12 सी0 सी0 रोड की पटरियां पूर्णतया डैमेज हो चुकी हैं। यह रोड हमारे क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। इस पर ट्रकों तथा बैलगाड़ियों को गन्ना गोला मिल को जाता है। इसके अलावा दूसरी सीतापुर कस्ता रोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीतापुर से गोला गोकरन नाथ से मिलती है। इसके ऊपर 15-20 बसें रोज चलती हैं। लेकिन जो कच्चा टुकड़ा लखीमपुर जनपद का बाकी रह गया है, वह बनने को शेष है। सीतापुर जनपद का सारा हिस्सा डामर हो चुका है, ये रोड कई जिलों को आपस में मिलाती है। रहेटिया तथा पिपरिया कप्तान मार्ग जो खुटार से मिलता है, इस पर 4 किलोमीटर डामर हो चुका है, बाकी पर खड़ंजा लगा है । इसे भी डामर करने की बहुत ही आवश्यकता है। मोहम्मदी बरबर औरंगाबाद मार्ग जो पुवायां से मिलता है, पुवायां से मोहम्मदीपुर की तरफ शाहजहांपुर का हिस्सा डामर हो चुका है। इधर मोहम्मदी की तरफ भी पुवायां की ओर जनपद खीरी का 4 किलोमीटर हिस्सा डामर हो चुका है, शेष 8 किलो-मीटर खड़ंजा है, उसको डामर करना है। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सरदार सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र खेकड़ा मेरठ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, बागपत, मुरादनगर मार्ग जिसकी लम्बाई 37 किलोमीटर है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से पेंटिंग स्तर तक पूर्ण है, परन्तु सुराने गांव के पास हिन्डन नदी पर पुल न बनने के कारण इस सड़क का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। अतः मैं मांग करता हूं कि सुराने गांव के पास हिन्डन नदी पर पुल बनवाया जाय ।

दूसरा मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि बंथला ढिकोली मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 33 किलोमीटर है, जो लगभग 60 गांव के सम्पर्क मार्गों को जोड़ती है, इस सड़क पर ट्रैफिक लोड इतना है कि यात्रा करना सम्भव नहीं है । अतः इस बंथरा, ढिकौली मार्ग की चौड़ाई 21 फुट पेंटिंग स्तर तक बढ़ा दी जाय।

तीसरा मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने जो आदेश किये हैं कि सम्पर्क मार्ग के ऊपर सोलिंग पत्थर का किया जाय, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, परन्तु यदि साल या 6 महीने के अन्दर इन सड़कों को पेंटिंग नहीं कर देते, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट क्लास ईंटों का सोलिंग कराने का आदेश पारित करें।

चौथा मान्यवर, मंत्री जी ने शहरों और गांवों की सड़कों में ही अन्तर कर दिया है। शहरों की सड़कें हाट मिक्स्ड प्लांट से बनाई जाती हैं और गांवों की सड़कें कम तारकोल डाल बना दी जाती हैं । अतः आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से मांग है कि ग्रामीण सड़कें भी हाट मिक्स्ड प्लांट से बनाई जायं। वे सड़कें जिन पर पत्थर की सोलिंग है बागपत मेरठ रोड से साकल पुठी मंडोला से गोठरा पावर हाउस से दत्त नगर शमशान भूमि से ढिकौली तक शीघ्रातिशीघ्र पेंटिंग कराई जाय। इन शब्दों

के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और भाई सरदार सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं।

*श्री सुरेश चन्द्र--

मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के मोरनौला भझौला मोटर मार्ग जो कि 74 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी लम्बाई 151 किलोमीटर है, जिसमें 90 किलोमीटर मार्ग बन चुका है और शेष मार्ग केन्द्रीय वन अधिनियम के कारण अधूरा पड़ा है अर्थात् रुक गया है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हो गया है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला है। इसी मार्ग के बीच में लोहा खाम व हरीशताल, दो तालें पड़ते हैं, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। केन्द्रीय वन अधिनियम के कारण यह मार्ग रुक गया। भारत सरकार ने जो फारमेल्टीज मांगी हैं, वह अभी तक केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार के यहां से नहीं गयी हैं। इसमें लगभग 5 हजार पेड़ आते हैं। हमारा सुझाव है कि जनहित को देखते हुए वन विभाग, वन निगम पेड़ों को काटता है। वह इस मोटर मार्ग पर जो पेड़ आ रहे हैं, उनको काटने की इजाजत जनहित को देखते हुए दी जाय। ऐसे अन्य मार्ग भी पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल में अधूरे पड़े हैं। दूसरा अरेलकांडा ब्लाक, खनसों से पतलोट तक मोटर मार्ग को पक्का किया जाय। हलद्वानी में गोला नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्र में जो मार्ग फारेस्ट विभाग सीजनल 9 महीने अपने उपयोग में बनाता है, उनको पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा मेन्टेन किया जाय और पर्वतीय विकास के पैसे से यह बजट दिया जाय। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री श्याम बिहारी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, समय थोड़ा है, इस थोड़े से समय में मैं अपने क्षेत्र की स्थिति बताना चाहता हूं। मान्यवर, रम्पुरा से अलीगंज से सिरौली मार्ग 75-76 में शुरू कराया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको सिरौली तक पूरा किया जाय जिससे मुरादाबाद से लखनऊ आने-जाने का मार्ग बहुत शार्टकट हो जाय। रामनगर में बड़ा गांव मार्ग पर एक सड़क बनायी गयी थी इसके लिए किसानों को आश्वासन दिया गया था कि किसानों को मुआवजा दिया जायेगा लेकिन उन गरीब किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जिससे किसानों में बड़ा असंतोष है। उन गरीब किसानों को राहत मिलनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में सिरौली खुर्द मार्ग पर पुल बन जाय जिससे बरेली बदायूं मार्ग पर यातायात की सुविधा मिल सके। राजपुरा कलां से आंवला मार्ग को पक्का कराया जाय जो तहसील मुख्यालय को जोड़ती है। आंवला रामनगर मार्ग पर पुल डैमेज हो गया है जिससे बड़े वाहन निकलने में बहुत परेशानी हो रही है उसको ठीक कराया जाय। यह मऊ चन्द्रपुर के पास है, मेरे क्षेत्र में बड़े-बड़े गड्ढे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बद्री सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बजट प्रस्ताव आज पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । हमारे बजट में 87-88 में 3108 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 538 किलोमीटर तक खड़न्जा स्तर तक और 1495 किलोमीटर मिट्टी स्तर तक तथा 1515 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण व सुधार के प्रस्ताव किया गया है। पिछले वर्ष सेतु निगम द्वारा 85-86 में प्रत्येक पांचवें दिन एक पुल बनाकर तैयार किया गया, यह गौरव की बात है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, 139 नए पुलों का निर्माण प्रस्तावित है और 209 कमजोर पुल व पुलियों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है । मान्यवर, दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में जालौन को लिया गया है जिसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, जनपद जालौन में मेरे क्षेत्र में 3 पुलों का निर्माण होना बहुत आवश्यक है—बम्हौरा के पास नाले पर पुल, भदरेखी के पास नाले पर पुल और रायड़ पुल ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है—गोकलपुरा से हथनाबुजुर्ग, गड़गवा माइनर पर पक्का रोड और काल्पी मडारीपुर रोड से दहेल खंड, कदौरा से इकौना, उरई से कदौरा वाया ज्यौराखेरा मार्ग पर निर्माण कार्य आवश्यक है तथा इसके अतिरिक्त कई गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाय।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय सरदार सिंह जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सेतु निगम की बहुत तारीफ की जा रही है । इलाहाबाद में फाफामऊ में पुल का निर्माण हो रहा है और वहां पर वाटर लेविल आधा मीटर जाने पर तीन कुएं हैं कोठी और उसके साथ क्रेन था वह बह गया । यह जो उत्तर प्रदेश में सेतु निगम द्वारा निर्माण कार्य हो रहा है वह बहुत निम्न स्तर का हो रहा है । तीन कोठी बहने से 50 लाख रु0 का नुकसान हुआ है और वहां पर क्षेत्रीय प्रबन्धक और एम0 डी0 उसको देखने गए थे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाय। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर इलाहाबाद मण्डल में हाटमिक्स प्लान्ट खरीदे गए और और इस उम्मीद से खरीदे गए कि वह कार्य डिपार्टमेन्ट का होगा लेकिन इलाहाबाद में सड़कों का कार्य दिल्ली के ठेकेदार से कराया गया । हाट मिक्स प्लान्ट जिसकी लागत 15 लाख थी वह 30-30 लाख रु0 में खरीदे गए। मान्यवर, इस तरह से इनके विभाग में तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी जांच कराई जाय ।

*श्री प्रदीप माथुर—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि विपक्ष वालों के पास सिवाय कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कुछ और काम ही है नहीं और मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो भी कार्य कराए जा रहे हैं वह बहुत सराहनीय है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जो सुविधा शुल्क है, वह बहुत बढ़ता जा रहा है इसलिए मैं इस ओर यह निवेदन

करूंगा कि वे अपने कमीशन के रेट को कम करें, जिससे जनता को आसानी हो सके ।

अब मान्यवर, मैं कुछ सुझाव अपने क्षेत्र के संबंध में देना चाहूंगा कि मथुरा-वृन्दावन काफी बड़ा तीर्थ स्थान है । काफी समय से वृन्दावन में एक पुल के निर्माण की आवश्यकता समझी जा रही है और इसके लिए जनता बराबर वहां पर प्रदर्शन आदि करती रहती है । इस संबंध में 20 वर्षों से विधायक व सांसद झूठे वायदे करते आ रहे हैं कि यहां पर अवश्य पुल आप लोगों को मिलेगा, परन्तु मान्यवर, आज तक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुल नहीं दिया जा सका है, इस लिए मैं इस ओर पुन: निवेदन करता हूं कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए ताकि वहां पर प्रदर्शन और घिराव कम हों, इससे हम लोगों का वहां पर जाना दूभर है । एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं, धन्यवाद ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने और साथ-साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सभी माननीय सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, निश्चित समय से भी आधा घंटा अधिक हो गया है, इसलिए अब किसी को भी समय दे पाना सम्भव न होगा, कृपया विराजें । माननीय सरदार सिंह जी . . . (शोर)

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बातें व सुझाव रखना चाहते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि 1-1 मिनट देकर 15 मिनट का समय और बढ़ा दीजिए ।

*श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, हमारे जिले के प्रभारी अधिकारी हैं और मान्यवर, अयोध्या से नेपाल की सीमा तक जो सड़क है, वह 170 कि0मी0 है, जहां पर मान्यवर कुशमोर घाट से राजा दशमेव हुए हैं, तक और सड़क बनवा दी जाए जो 55 कि0मी0 के करीब और होती है और मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो प्रमुख अभियंता हैं, उनसे 35 लाख रु0 लेकर उनकी नियुक्ति की गयी है । अगर यह पैसा गोयल साहब के पास होता या धर्मवीर के पास तो यह लोग हो जाते । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि गोयल साहब की जो सेवा खत्म हो रही है इनकी सेवा अवधि को कुछ और बढ़ा दीजिए ताकि यह अपने खर्च हुए पैसे को वसूल कर सकें और मान्यवर, यही नहीं श्री पी0 डी0 मिश्रा से 50 हजार रुपया लेकर इनका ट्रान्सफर कसया को किया जा रहा है, जहां के यह रहने वाले भी हैं । मैं इन्हें सारी बातों की ओर सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि मान्यवर, इन सारे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए और यही बात मैंने उप्रेती साहब से भी कही थी । (शोर)

श्री अधिष्ठाता—

पाण्डे जी, आप अब बैठिए, आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया विराजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्रीमती चारू शीला—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि इस बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं इस बजट का समर्थन करने और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हूं । मान्यवर, इस बजट के अन्दर जो-जो योजनाएं दी गयीं हैं, वह बहुत ही सुन्दर और लाभप्रद हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर भी दिलाना चाहती हूं कि जिला मुजफ्फरनगर का जो बाई-पास बनने वाला था उसके बनने से बहुत से एक्सीडेन्ट होने से बच जायेंगे, जो आए दिन होते रहते हैं और बिना वजह बेकसूरों की जान जाती है । मेरा अनुरोध है कि उस बाईपास को जल्द बनवा दें तो वहां एक्सीडेन्ट से बचाव हो जाय और इसके साथ ही साथ वहां जो सड़कें हैं बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनका नवनिर्माण नहीं हो पाया है, जिनका मेंटीनेंस नहीं हो पाया है, वे सड़कें अगर पी0डब्लू0डी0 को दे दें तो बहुत अच्छा होगा और जिससे वहां की सड़कें ठीक हो जाएंगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का स्वागत करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

(इस समय 6 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री औसान सिंह—

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का जो मा0 सरदार सिंह ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, सरकार के गलत नियोजन और सरकार की गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश का विनाश हो रहा है । कोई विकास नहीं हो रहा है । आप देख लें श्रीमन्, तमाम रुपया आर0 एल0 जी0पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 का पी0 डब्लू0 डी0 को दिया जा रहा है। विकास खण्डों को रुपया दिया जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। कोई गांव नहीं जुड़ पा रहा है । आप अपने पड़ोस में हरियाणा को देखें, कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्के मार्गों से जुड़ा न हो। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गांव जुड़ते रहे तो 100 वर्ष लग जायेंगे और यहां पर विकास नहीं हो पायेगा । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । हमारे यहां सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है । मां, बहिनें अपने सर पर गठरी रखकर 10-10 किलोमीटर पैदल जाकर बसें पकड़ती हैं । विगत दिनों आपने स्वयं मेरे क्षेत्र का दौरा किया है । हमारा क्षेत्र प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यह कानपुर, फरूखाबाद, इटावा और मैनपुरी की सीमा पर स्थित है । वहां से 10-10 किलोमीटर तक कोई आवागमन के साधन नहीं है ।

मान्यवर, हमारे यहां याकूबपुर मार्ग–सघयल विधूना से सहार, विधूना से छिबिया-पुर, विधूना से इन्दरगढ़, और बेला महू मार्ग पिछले 10 वर्षों से निर्माणाधीन है । इनको प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाय । यह अन्तर्राज्यीय मिला मार्ग है । जिस गति से बनाया जा रहा है उससे तो मान्यवर, 50 साल में भी पूरे नहीं हो पायेंगे। मैं मांग करता हूं कि जो सड़कें निर्माणाधीन हैं, खड़ंजा स्तर पर हैं, इनको प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का कष्ट करें । इसके साथ ही साथ कंथावा, भदौरा पर पाण्डवनदी पुल और ससौरा घाट पर अरेन्द्र नदी का पुल बनवाया जाय । इसके लिए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सड़क पहले ही बन चुकी है । इसको प्राथमिकता के आधार पर बनवाने का कष्ट करें । इसके अलावा मान्यवर, पूरा, धुपकरी, किचइया, गोपालपुर, जीवासरसानी, महू, रामनगर, हरचन्दपुर और रामगढ़ जहां कोई साधन आवागमन के नहीं हैं, इन्हें भी सड़क से जोड़ने का कष्ट करें । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप यह बता दें कि आपने कितना समय इस पर बढ़ा दिया है क्योंकि टेहरी डैम पर भी आज चर्चा है तो इसका समय कितना बड़ा दिया है ? यह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त कर रहा हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मा0 मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं और विपक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इलाहाबाद में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सूबेदारगंज, अल्लाहपुर, प्रयाग स्टेशन, रामबाग, फाफामऊ, बहरामा, रेलवे क्रासिंग पर पुल (फ्लाई ओवर ब्रिज) बनवाया जाय तथा इसके साथ ही साथ कुम्भ मेले के पहले फाफामऊ का पुल बनवाया जाय । श्वसुर खदेरी नदी पर पुरखास से कटैया गांव के बीच पुल बनवाया जाय और बेनीराम कटरा से ग्राम धूरी तक पुल बनवाया जाय, जिससे 25-25 गांव प्रभावित होते हैं । इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस वर्ष जो 8 करोड़ का फायदा दिखाया, इसके लिए मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं । इसके साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सी सड़कें हैं, जो अपूर्ण हैं, जिसकी ओर मैंने कल माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट किया था, कहना चाहता हूं कि उन पर लेपन और डामर का कार्य कराया जाय ।

इसके साथ ही माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग से सम्बद्ध मजदूरों और मेठों आदि के संबंध में एक सेवा नियमावली बना दें, ताकि समय के अनुसार इन वर्ग के कर्मचारियों को भी स्थायीकरण आदि की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, समय कम है, आपने लाल बत्ती जला दी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । धन्यवाद ।

(श्री लक्ष्मी नारायण, श्री जगवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जो लोग रह गए हैं, वे अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिखकर के भेज दें । उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, लिखकर के सुझाव तो भेज देंगे, लेकिन क्या वह कार्यवाही का अंग बनेगा । इस पर आप व्यवस्था दे दें । नहीं तो एक मिनट का समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को आप सुझाव लिखकर भेज दें वह उस पर विचार करेंगे ।

*श्री लक्ष्मी नारायण—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री लक्ष्मी नारायण, श्री जगवीर सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री कुशल पाल सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न वाली बात नहीं है । आप लोग अपने-अपने सुझाव लिख करके मंत्री जी के पास भेज दें । मंत्री जी उन पर विचार करेंगे । इस समय, समय काफी हो चुका है । अब बस माननीय सरदार सिंह कटौती के प्रस्ताव पर बोलेंगे और माननीय मंत्री जी अंत में बोलेंगे । 4 घण्टे पूरे हो गए, उससे ज्यादा समय जा रहा है । मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री जगवीर सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे इस विभाग के बजट पर बोलने का मौका नहीं दिया । मैं सदन त्याग कर जाता हूं । मुझे सुझाव रखने का मौका नहीं मिला ।

(श्री जगवीर सिंह सदन त्याग कर चले गए)

श्री लक्ष्मी नारायण—

मान्यवर, आप पुरानी कार्यवाहियां निकाल कर देख लें, जब से आप उपाध्यक्ष हुए हैं, आपने मुझे कभी समय नहीं दिया । मैं इतनी देर से इस विभाग के प्रस्तुत बजट के संबंध में सुझाव रखना चाह रहा था । आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं सदन त्याग कर जा रहा हूं ।

(श्री लक्ष्मी नारायण सदन त्याग कर चले गए)

श्री उपाध्यक्ष—

सबको समय नहीं दिया जा सकता है । माननीय सरदार सिंह बोलें ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, इस पक्ष के और उस पक्ष के उन तमाम माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर हो रही चर्चा में भाग लिया । मान्यवर, दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों ने मेरी बात का समर्थन किया है । सत्ता पक्ष के सदस्यों ने औपचारिकता के रूप में भले ही माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन किया है, लेकिन जो कार्यकलाप विभाग के चल रहे हैं उससे सभी ने असंतोष जाहिर किया है ।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शान्ति बनाए रखें । आपस में बात न करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री सरदार सिंह–

इस बजट पर आवंटन के समय क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रदेश की विशालता और पिछड़ेपन को देखते हुए बजट में वृद्धि की जानी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रदेश के बंटवारे की बात करें। लेकिन, जब शासन की तरफ से इस प्रकार का कार्य होता है, तो हम यह महसूस करते हैं कि बजट का आवंटन किसी नीति के आधार पर नहीं हो रहा है बल्कि कुछ सम्पन्न और प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर कार्य हो रहा है। जब तक रायबरेली का प्रभाव रहता है, पी0 डब्लू0 डी0 और अन्य विकास के कार्य रायबरेली में होते हैं। जब इलाहाबाद का असर पड़ता है, तो वह विकास का पहिया इलाहाबाद की तरफ चलने लगता है। इस क्षेत्रीय असंतुलन की बात के संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों काशीपुर में उप चुनाव हुआ। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे, उन्होंने काशीपुर का विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन, उस क्षेत्र की जनता ने शासन को यह महसूस करा दिया इस उप चुनाव में कि उस क्षेत्र का विकास किसी का हक मार कर न किया जाय। उस क्षेत्र की जनता ने शासन की आंखें खोल दी कि बजट का आवंटन कायदे से ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। वहां इसी क्रम में कांग्रेस हारी। अभी हाल ही में सम्पन्न हुए हरियाणा के विधान सभा चुनावों में वहां के मुख्य मंत्री चौधरी बंशी लाल हार गए। उन्होंने भी दूसरे क्षेत्रों का गला घोंट कर अपने क्षेत्र का जम कर विकास कराया था। वहां की जनता ने भी यह महसूस करा दिया कि दूसरे का हक मारकर विकास करा देने से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए इस सरकार से अनुरोध है कि पूर्व, पश्चिम, पहाड़ व बुन्देलखण्ड के बीच भेद भाव न करें। ऐसा न करें कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, उन्हीं के क्षेत्रों की तरफ ध्यान न दें। 12 करोड़ की जनता चाहती है कि उनके गांवों तक सड़कें बनें, उनके गांवों का विकास हो, इसलिए मेरा अनुरोध है कि हर गांव के लिए एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, विशेषकर जहां चकबन्दी हो रही है। लैण्ड एक्वीजेशन की समस्या सरकार के समक्ष बहुत आती है। सरकार को किसानों को देने के लिए मुआवजा नहीं है, इसलिए बजट में कुछ पैसे का प्राविधान इसके लिए किया जाय ताकि किसानों की जो जमीन ली जाती है उसका मुआवजा दिया जा सके। बजट विलम्ब से पास हो रहा है। अब इसकी स्वीकृति कब गांवों में जायेगी। मस्टर-रोल भर लिया जाता है, फर्जी अंगूठे लगा दिए जाते हैं और कागजों पर कार्य दिखा दिया जाता है, इसलिए अनुरोध है कि वित्तीय स्वीकृति शीघ्र ही जिलों को भेज दी जानी चाहिए।

पुलों के कार्य को भी वरीयता दी जानी चाहिए। रिफाईनरी मेरे जिले में है। बिटमन वहीं से सप्लाई होता है। आपके विभाग द्वारा जितनी बिटमन की चोरी की जा रही है, शायद अन्य किसी चीज की इतनी चोरी नहीं हो रही है, यही कारण है कि सड़कों पर पर्याप्त बिटमन नहीं पड़ पाता है और सड़कें उखड़ जाती हैं।

विभाग में फिजूली खर्ची में यदि 5 प्रतिशत की कमी कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि इससे काफी विकास का कार्य हो जायेगा। टेण्डरों के सिस्टम को भी आपको बदलना होगा। इसमें काफी गुण्डा गर्दी होती है। इसलिए ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी माध्यम पर आप विचार करें, जिससे यह गुण्डागर्दी बन्द हो सके। इमारत डिवीजन व मार्ग डिवीजन जो आपके अलग-अलग हैं, इसको भी आपको देखना होगा। क्योंकि निर्माण निगम भी इमारत बनाता है या तो निगम प्रदेश से बाहर की इमारत बनवाये या तो इन

दोनों को मिक्स कर दिया जाय । इमारत डिवीजन से मार्ग डिवीजन में आने के लिए अभियन्ता कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है । मार्ग डिवीजन को अभियन्ता लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं । सर्वे, डिजाईन, नियोजन एवं पहाड़ व अकार्यकारी खण्ड में अभियन्ता जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप यह निश्चित कर लीजिए कि इतने समय के लिए हर अभियन्ता को भवन, मार्ग, सर्वे आदि में जाना पड़ेगा । यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो अकार्यकारी खण्ड हैं, वहां पर कुछ एलाउन्सेज बढ़ा दीजिए ताकि वहां कार्य कर रहे लोगों को कोई शिकायत न हो । निर्माण सामग्री जो आप ठेकेदारों से खरीदते हैं, गुणवत्ता के आधार पर इसे आप खनिज विभाग व कुमायूं मण्डल विकास निगम से खरीदें ।

हाट मिक्स प्लान्ट का उपयोग केवल आप नेशनल हाई-वे के लिए करें क्योंकि इनके लिए पैसा भी ज्यादा होता है और जो आपके राजकीय मार्ग हैं या गांवों के मार्ग हैं, उन पर इनका इस्तेमाल आप न करें । पहले तो आप हरगांव को सड़क से जोड़ दें । होता यह है कि गांव में जो सड़क आप बनाते हैं और अर्थ वर्क आप उसमें करा देते हैं, या खड़ंजा उसमें आप करा देते हैं, लेकिन कई सालों तक वह पड़ा रहता है, उन सड़कों की हालत यह हो जाती है कि उनमें वाहन तक नहीं चल पाता है क्योंकि वह खड़ंजा उखड़ जाता है, इसलिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि 3 साल के अन्दर जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य हो चुका है, उन्हें पेन्टेड व डामर कर देंगे । मस्टर-रौल पर जो कार्य हो रहे हैं, एन0 आर0 पी0 व आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रोजगार दिया जाय लेकिन ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है और वह फर्जी अंगूठा लगाकर पेमेण्ट ले लेता है । लेकिन ठेकेदार के यहां भी तो मजदूर ही कार्य करते हैं । अतः मस्टर-रोल पर कार्यों को बन्द करा दिया जाये। दूसरा जो गेहूं है, खाद्यान्न दिया जाता है, अगर खाद्यान्न अच्छा है तो नम्बर दो में बेच दिया जाता है, मजदूर को नहीं मिलता, सड़ा-गला खाद्यान्न मजदूर को दिया जा रहा है, जिसका कि वह प्रयोग नहीं कर सकता है । इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए । सारा समय गेहूं काटने व बेचने में लग जाता है ।

पहाड़ पर जो अधिकारी भेजे जाते हैं, वे अपने को दण्डित समझते हैं और काम न करके मैदान में आने का प्रयास करते हैं । वे ज्यादातर लखनऊ में पड़े रहते हैं, जिससे कार्य का नुकसान होता है । इसके निराकरण के लिए आप चाहे हिल कैडर की स्थापना करें या कोई और कार्य करें ।

फलाई ओवर के स्थान पर पक्की सड़क ही बनवाएं क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है और पैसा कम है । सरकार चाहे तो अपनी क्वैरी तैयार करे, मैटेरियल ठेकेदार से न ले ।

जो ट्रान्सफर की नीति है, वह हर साल बदलती है । उसको निश्चित किया किया जाय, इसी निश्चित आधार पर ट्रान्सफर हों । इसमें जो भ्रष्टाचार है, उसी के कारण सड़कों की क्वालिटी खराब होती है । जो अभियन्ता पैसा देकर ट्रान्सफर करायेगा, वह सड़क तो बनवायेगा नहीं ।

हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि नीति के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जब इस शासन की कोई नीति हो तब तो उस पर कुछ कहा जाय । मेरा कहने का मतलब यह था कि सेतु निगम ने पुरस्कार दिलवाये, अच्छा कार्य किया ।

ऐसे लोगों को प्रोन्नति और प्रोत्साहन नहीं मिला । प्रोत्साहन ऐसे लोगों को मिलता है, जो सामान ले आए और कस्टम पर पकड़े गए, विभाग की छवि धूमिल की । मुझे ज्ञात हुआ है कि सेतु निगम ने देश के अंदर और देश के बाहर अच्छे काम किए हैं । उत्कृष्ट कार्यों के ही कारण आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी करोड़ों रुपए का काम सेतु निगम को दिया है । इसके लिए बधाई देने के लिए तैयार हूं, लेकिन निवेदन करूंगा कि अच्छे अधिकारियों को जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, सक्रिय हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाय। जो वर्तमान प्रमुख अभियन्ता हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि वह मंथली पैसा देते हैं माननीय मंत्री जी को और मुख्य मंत्री जी को, इसके विपरीत जो सेतु निगम के एम0 डी0 हैं ईमानदार हैं, कर्मठ हैं तो उनको सराहना एवं प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए । इसके साथ ही इस सरकार से निवेदन करता हूं कि मौजूदा बजट कम है, इसमें वृद्धि की घोषणा करें जिससे अधिक विकास हो और गरीब लोगों को रोजगार मिले । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सीताराम निषाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और अपने अच्छे सुझाव दिए हैं, मैं उन सबके प्रति आभारी हूं ।

मान्यवर, कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया गया, वह मात्र एक औपचारिकता रही है । उन्होंने भी स्वीकार किया है, कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो काम हुए हैं वह अच्छे हुए हैं और राजकीय निर्माण निगम ने और सेतु निगम ने अपने अच्छे कार्य से, उत्कृष्ट कार्य से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है उसकी भी दोनों तरफ के सदस्यों ने सराहना की है । स्वयं माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने स्वयं भी सेतु निगम की सराहना की है, लेकिन दुख की बात है कि जहां एक तरफ सराहना की वहीं पर बहुत छोटी बात कही गयी जिन लोगों की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है उन्हीं अधिकारियों की आलोचना की गई ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, हमारी नियमावली में व्यवस्था है कि सदन में किस तरफ से आया और जाया जाए । माननीया मंत्री जी स्वयं मिनिस्टर हैं और पुरानी मिनिस्टर रही हैं, वह बीच-बीच में आ और जा रही हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

हाउस आफ कामन्स में भी यह व्यवस्था है कि जब कोई बोल रहा हो तो उसके सामने से या बीच से न जायं, लेकिन जहां तक बख्शी दीदी के पास होने की बात है, उनके पास होने से किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है क्योंकि वे दिखाई नहीं देती हैं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक बात है, वह दिखाई नहीं देती हैं ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के संबंध में पक्ष के और विपक्ष दोनों के सम्मानित विधायकों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है उसके कामों की, लेकिन दुख की बात है कि जिन अधिकारियों ने इतना अच्छा काम किया है और उत्तर प्रदेश का नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ऊंचा किया है, उनकी आलोचना करना या उनकी बुराई यहां करना उचित नहीं है जबकि उसमें किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है, अधिकारियों ने बड़ी निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कार्यकुशलता से काम किया है जिसकी वजह से सेतु निगम का सारी दुनिया में नाम ऊंचा हुआ है । ऐसे अधिकारियों के लिए इनको चाहिए था कि अपनी तरफ से प्रस्ताव रखते कि यह सरकार उन्हें पुरस्कार दे, लेकिन उन्होंने उनकी बुराई की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी । उ0 प्र0 सेतु निगम के जिन अधिकारियों के बारे में आरोप लगाया गया है, उनके बारे में हमारी जानकारी है कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है ।

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव में कुछ सुझाव आए हैं, उनके बारे में मैं इस सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में सभी जिलों में मास्टर प्लान बनाया गया है और मास्टर प्लान के माध्यम से शासन ने यह निर्णय लिया है कि जहां भी चकबन्दी हो रही है, ऐसी तहसीलों में वह मास्टर प्लान के अनुसार कहां पर कौन से गांव में सड़कें बननी हैं उसका नक्शा सा0 नि0 वि0 तैयार करेगा और चकबंदी के अधिकारियों को जिलाधिकारियों के माध्यम से वह उपलब्ध कराया जायेगा और उनसे अपेक्षा की जायेगी कि चकबन्दी प्रक्रिया में ही वे सड़कों के लिए जमीन उपलब्ध करा देंगे जिससे कि भविष्य में जब सड़कें बनायी जायं तो उसमें भूमि अर्जन की जो समस्या होती है, जो उसमें अवरोध पैदा होते हैं, वह कठिनाई दूर हो सके ।

मान्यवर, अतिक्रमण के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गयी है । आज सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उसे हटाने में हमारा विभाग सफल नहीं हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हैं, विपक्ष के लोग, जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट को अमेन्ड कर दिया था जिसके अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी केवल रिपोर्ट कर सकते हैं, अतिक्रमण को हटा नहीं सकते हैं । नोटिस पर मामला एस0 डी0 एम0 की अदालत में जायेगा और अधिकारी वहां पर गवाही देंगे और न्यायालय के फैसले से ही अतिक्रमण हटेगा । उसके कारण आज दिक्कत हो रही है और हमारे अधिकारी अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं । हमारी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो काम आपने बिगाड़ा है, उसको ठीक किया जाए और अतिक्रमण हटाने के लिए रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट में संशोधन किया जाए ।

मान्यवर, ट्रान्सफर और नियुक्तियों के बारे में कहा गया है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रान्सफर के बारे में एक नीति निर्धारित कर दी गयी है और उसी के अनुसार स्थानान्तरण किए जाते हैं, उस नीति के विरुद्ध कोई भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है । मान्यवर, इलाहाबाद में फाफामऊ में गंगा नदी पर पुल बन रहा है, उसके बारे में शिकायत की गई है कि उसके 3 कुएं गिर गए हैं, उस संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि बरसात शुरू होने के पहले ही उसमें नहर का पानी आ गया था, जिससे नदी का पानी बढ़ गया, और पानी आ जाने से क्षति हुई । मान्यवर, सेतु निगम की क्रेन 8 मीटर नीचे दब गयी थी, लेकिन हमारे विभाग ने उसे निकालने में सफलता प्राप्त

की है । मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने वाराणसी में राम नगर-मुगलसराय मार्ग पर गंगा पुल और बाईपास के बारे में जानकारी चाही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि पहुंच मार्ग के लिए 18 करोड़ रुपए की निविदाएं स्वीकार की जा चुकी हैं और अनुबन्ध बनाए जा रहे हैं ।

मान्यवर, पूर्व और पश्चिम की बात कही गई है, लेकिन मान्यवर, इसमें वास्तविकता नहीं है । हमारे प्रदेश में विकेन्द्रित प्रणाली है और उसमें हर जिले का मानक बना हुआ है और उसी मानक के अनुसार धन का आवंटन किया जाता है और जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनको अधिक दिया जाता है और जो जिले अगड़े हैं, उनको देख कर धन का आवंटन किया जाता है और किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें । संक्षेप कर लें ।

श्री सीताराम निषाद–

हाट मिक्स्ड प्लांट के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस प्लान्ट से क्यों सड़कें बनायी जा रही हैं। मान्यवर, इतनी बढ़िया सड़कें बनायी जा रही हैं कि स्वयं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य श्री सरदार सिंह ललचाते होंगे कि कितनी अच्छी सड़कें बन रही हैं आगरा में, लखनऊ में और अन्य शहरों में, चारों तरफ सड़कें बनायी जा रही हैं और फिर भी न चाहते हुये भी औपचारिकता के लिए वे इसका विरोध कर रहे हैं।

मान्यवर, जवाहर पुल के बारे में माननीय राना जी ने कुछ कहा था। उसके बारे में यदि कुछ नहीं बताऊंगा तो वे सोचेंगे कि क्यों नहीं बताया। मान्यवर, जवाहर पुल का निर्माण सेतु निगम ने नहीं बनाया था। जब वह पुल बना है उस समय सेतु निगम का जन्म नहीं हुआ है। उसकी मरम्मत करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसके बगल में ही 30 मीटर दूरी पर 379 लाख रुपये की लागत से जो एस्टीमेट तैयार हुआ है, वहां पर एक नया पुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, वन अधिनियम के बारे में हमारे पर्वतीय क्षेत्र के सम्मानित विधायकों ने सवाल उठाया है। यह सही है कि वन अधिनियम लागू होने की वजह से हमारे कुछ निर्माण कार्य रुके हुए हैं। उसमें 384 ऐसे मामले हैं जो वन विभाग को भेजे गये थे। उनमें से 144 मामलों में भारत सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। भारत सरकार द्वारा 11 मामले तथा प्रदेश सरकार द्वारा 12 मामले अस्वीकृत हो गये हैं और कुछ भारत सरकार के पास लम्बित हैं। 24 मामले प्रदेश सरकार पर 7 मामले मुख्य वन संरक्षक स्तर पर तथा 183 मामले सा0 नि0 वि0 में लम्बित हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

अब आप पढ़ना बन्द कर दें।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह निर्देश भारत सरकार से वन अधिनियम के बारे में हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उस स्थिति में मार्ग बनाने की अनुमति दी जायेगी जब उतनी ही जमीन में वे वृक्षारोपण करेंगे। इस सम्बन्ध में

सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे जमीन उपलब्ध करायें जिससे उतने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सके।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

बाकी जो कागज रखे हुए हैं उनको कार्यवाही में नोट करा दीजिये।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, जो गड़बड़ियां निर्माण कार्यों में पायी जाती हैं उनको दूर करने के लिए उसकी जांच करने के लिए हमारे विभाग ने एक उड़नदस्ता बनाया है। जहां कहीं भी माननीय सदस्यों द्वारा या किसी के द्वारा यदि यह जानकारी दी जायेगी कि अमुक स्थान पर जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें गड़बड़ी है तो वह उड़नदस्ता वहां पर पहुंचेगा और उसको अधिकार दिया गया है कि वह मौके पर जाकर कार्यवाही करे जिससे जो गड़बड़ियां होती हैं उनको दूर करने में हम सफल हो सकेंगे।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको मैंने नोट कर लिया है। उन पर हम विचार करेंगे और जो मुनासिब और आवश्यक होगा हम उसको पूरा करने की कार्यवाही करेंगे। अन्त में मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सरदार सिंह और माननीय भगवानदीन कुशवाहा ने कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाये । इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन सारे आरोपों की जांच माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों से कराई गयी है जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है । वह सारे के सारे आरोप निराधार पाये गये हैं जिसकी जानकारी आज सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने करा दी है । वे आरोप केवल राजनीतिक द्वेष और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ-गांठ से चरित्र हत्या करने की नियत से लगाये गये थे जिन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण उधर से मिल रहा है उनके प्रभाव में आकर इस प्रकार के आरोप लगाये हैं । (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और जन कल्याणकारी विभाग की मांगों को पारित करें ।

श्री विजय सिंह राणा –

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं, चाहे इधर बैठे हुए लोग हों या उधर बैठे हुए लोग हों सब यह अनुभव करते हैं कि पक्की सड़कों का निर्माण अधिक से अधिक हो.....।

श्री उपाध्यक्ष–

केवल स्पष्टीकरण तक ही सीमित रहें ।

श्री विजय सिंह राणा –

वही कर रहा हूं । विभाग ने 94 हजार 2 सौ कि0 मी0 में से 62 हजार कि0 मी0 पक्की बनाने की बात कही है इसका मतलब है कि 32 हजार कि0मी0 कम बनाई गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि दो वर्ष के लिए आप ऐसा करें कि कोई नया काम न लें लेकिन जितनी बनी हैं उनको पक्का करा दें ताकि हर क्षेत्र में सुविधा हो जाय । इसी संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया था कि सन् 71 में जिन गांवों की आबादी 1500 तक थी उनको 1980 तक सड़कों से जोड़ देंगे । लेकिन इस सरकार के मंत्रिमंडल ने एक स्वेच्छिक निर्णय लेकर यह कर दिया कि जिन सड़कों पर एक दफा गिट्टी पड़ गयी है वह पक्की सड़क मान ली जाय । इस प्रकार पूरे प्रदेश में सड़कों में पैचिंग का काम रोक कर मिट्टी वाली सड़कों को खड़ंजा कराना शुरू कर दिया है । तो क्या इसको आप बंद करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो हमारे संसाधन हैं और जो केन्द्र से हमें सहायता मिलती है उसको ले करके यही प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक सड़कें बनें और जो खराब सड़कें हैं उनको अच्छा बनाया जाय । जनता पार्टी शासन काल में जो स्व0 प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखा गया गेंहू था जिसको मनमाने तरीके से खर्च कर सड़कें बना दी जिसको वह बहुत बड़ी उपलब्धि कहते हैं उन सड़कों के बारे में भी (व्यवधान) जो खराब हो गयी हैं जैसे-जैसे संसाधन आते रहेंगे उनको बनाने का प्रयास करेंगे ।

***श्री राम आसरे वर्मा–**

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक उड़न दस्ते की बात कही तो मैं हरदोई जनपद में गंगा नदी पर राजघाट में बने पुल के बारे में कहना चाहता हूं, जिस सेतु निगम की तारीफ करते यह नहीं थकते हैं उसी सेतु निगम के कारण पिछले साल कई लाख की मिट्टी बह गयी थी और कई लाख के बोल्डर बहने की नौबत आ गयी थी । तो क्या उस राजघाट पर बने पुल और उसके एप्रोच रोड की जानकारी करायेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

दिखवा लेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब जिला योजना में हम लोग जिले में बैठकर जिला प्लान से पी0 डब्लू0 डी0 के लिये धन आवंटित करते हैं और, उतने ही मात्र में सड़क की दूरी, किस कोटि की सड़क बनेगी यह प्रस्ताव करके भेजते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी स्वीकृति सीधे उसी रूप में यहां से न देकर शासन स्तर पर या मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता के स्तर पर जो परिवर्तन उसमें किया जाता है जिससे जिले का संतुलन बिगड़ जाता है, क्या मंत्री जी इस पर रोक लगायेंगे?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, उस सम्बन्ध में मानक बने हुये हैं। नियोजन और वित्त मंत्रालय की तरफ से मानक बने हैं । यदि जिले से उस मानक के विपरीत प्रस्ताव आते हैं तो उनका यहां पर परीक्षण किया जाता है, यदि कोई कमी है तो उस पर संशोधन के लिये वापस किया जाता है लेकिन जो प्रस्ताव मानक के अनुसार होते हैं वे उसी रूप में स्वीकार किये जाते हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल) —

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में नई स्वीकृतियां नही हैं, इसलिये कि वन अधिनियम से सड़कें रुकी हैं और नया काम वहां नहीं हो रहा है। और धन, परिव्यय जो है वह हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। मुझे शक है कि पर्वतीय क्षेत्र का बजट क्या अन्यत्र तो नहीं दिया जा रहा है। एस0 आर0 एम0 डी0 द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलता था, जो पिछले वर्ष से पहले 6 करोड़ रुपये से ज्यादा मिला, इस वर्ष कम क्यों मिला है? इससे वहां सड़कें अस्त-व्यस्त हैं।

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दो सड़कें-पाटीसैण-सन्तूधार और दूसरी नोगांवखाल जिस पर निरन्तर 20 सालों से गाड़ियां चलती आ रही हैं लेकिन अब इसका एलाइगमेंट बदल दिया गया है और वह रोड आज बंद है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि बरसात के पहले वह सड़क खुल जायेगी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र का जो बजट है वह कहीं अन्यत्र नहीं जायेगा और न अन्यत्र खर्च किया जायेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि जब पर्वतीय विकास का बजट होगा तो अच्छा होगा, माननीय सदस्य उस समय इस पर चर्चा कर लें, तो मंत्री जी बता देंगे

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, दो छोटे-छोटे स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहला यह कि हर विभाग की जिलों में सलाहकार समितियां बनी हैं, विधायक भी सदस्य होते हैं, परन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर जिलों के स्तर पर कोई भी सलाहकार समिति नहीं बनी है। क्या मंत्री जी जिले स्तर पर सलाहकार समितियां बनाने का कष्ट करेंगे जिसमें विधायकों को भी शामिल किया जाये?

दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि जिला योजना में जो पैसा जाता है इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये भी पैसा जाता है लेकिन हो यह रहा है कि मंत्री परिषद् में जो माननीय सदस्य हैं वे जिला प्लान में से भी अपने हिस्से का पैसा ले लेते हैं और शासन से सीधे अपने इलाके के लिये सीधे सड़कें भी मंजूर करा लेते हैं। इससे असमानता पैदा हो रही है, इसलिये क्या व्यवस्था करेंगे कि जितना पैसा जिला योजना के लिये देते हैं, फिर चाहे वह मंत्री हो या एम0 एल0 ए0 हो या कोई हो, यह जिला प्लान का पैसा जिलों में ही आवंटित डायरेक्ट हो, अतिरिक्त यहां से देकर इम्बैलेंस न होने देंगे ?

श्री सीताराम निषाद—

सलाहकार का जहां तक सम्बन्ध है, हर जिले में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति बनी हुई हैं, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद उसके सदस्य होते हैं। इसी समिति में ही सड़कों के बारे में फैसले होते हैं, उसी में चयन होते हैं। इसलिए अलग से समिति बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। दूसरी बात यह है कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को जिला योजना का जितना पैसा दिया जाता है, वह वहां का जो फैसला है और अनुमोदित प्रस्ताव आते है, उसी की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति यहां से दी जाती है। प्रशासनिक स्तर पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन का कार्य अर्थात् किसी का ज्यादा हो, किसी का कम हो, यह नहीं किया जा सकता है। अनुमोदित प्रस्ताव जो आते हैं, उसमें उसी रूप में उनकी स्वीकृति दी जाती है।

डाक्टर बंगाली सिंह—

मैं आपके माध्यम से . . .

श्री कल्यान सिंह—

मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब मैं स्पष्ट ही कहना चाहता हूं। हमारे यहां के गृह राज्य मंत्री बैठे हुए है, वह अलग से भी यहां से पैसा ले गये हैं। इस प्रकार के दोहरे फायदे से कांग्रेस के भी अन्य विधायक लोग भी प्रभावित हुए हैं। यह क्यों नहीं करते हैं कि जो पैसा जाएगा, जिला योजना में ही जाएगा। डायरेक्ट पैसा किसी मंत्री या विधायक को नहीं दिया जाएगा।

(डाक्टर बंगाली सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा—

कल्यान सिंह का उत्तर तो दिलवा दीजिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से राज्य मंत्री का नाम लेकर उनसे पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब देना चाहें तो दे दें। मैं रोक कहां रहा हूं। वह नहीं खड़े हो रहे हैं।

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सड़कें अब तक खड़ंजे स्तर पर हैं, उन्हें लेपन कराने का कष्ट करेंगे?

श्री सीताराम निषाद—

यदि जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति का प्रस्ताव आ जाएगा तो उसे अवश्य लेपित करा दिया जाएगा।

*श्री हरदेव—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि (1) जनपद बलिया में पी0 डब्लू0 डी0 विभाग की विद्युत व यांत्रिक इकाई क्या वह खोलने की कृपा करेंगे? (2) जो आपके विभाग में कमजोर, गरीब और मेहनतकश लोग मस्टर रोल पर 3-3 और 5-5 साल से मेट, बेलदार, मजदूर आदि पदों पर कार्य कर रहे हैं, क्या उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे? (3) पहाड़ी क्षेत्र में पी0 डब्लू0 डी0 विभाग में जो दो तीन जगह खाली पड़ी हैं, क्या उनको मैदानी क्षेत्र के योग्य लोगों से भरने की कृपा करेंगे?

श्री सीताराम निषाद—

जहां तक उनका आखिरी सवाल है कि पर्वतीय क्षेत्र की जगहों को मैदानी क्षेत्र से भरने की, तो ऐसी कोई नीति हमारे शासन में नहीं है वहां यह भी बताया गया है कि जगह खाली नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने विद्युत यान्त्रिक खंड खोलने की कही तो इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। यदि वहां विद्युत यान्त्रिक खंड खोलना आवश्यक होगा तो खोला जाएगा। तीसरी बात, इन्होंने मस्टर रोल कर्मचारियों के बारे में कही, तो मैं बताना चाहूंगा कि मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवा नियमावली विभाग में नहीं थी अभी उनकी सेवा नियमावली बनाने के बारे में विचार हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा आपसे एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर, माननीय हरदेव जी ने कहा कि मस्टर रोल के कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा, तो मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं क्या हमें भी, जो पांच साल तक मस्टर रोल पर है, तो क्या हम लोगों को भी आप रेगुलर करने की कृपा करेंगे।

(हंसी)

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट प्लान में 1986-87 में जो पैसा खड़ंजे आदि के लिए दिया गया जिला मुरादाबाद के लिए, मान्यवर, 1 करोड़ 80 लाख रुपया मिला, लेकिन 1986-87 का पैसा आज तक नहीं खर्चा किया गया है वहां कोई सड़क नहीं बनी इसकी क्या वजह है? जिन अधिकारियों की वजह से ऐसा हुआ क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री सीताराम निषाद–

इसको दिखवा लेंगे और पैसा स्वीकार हुआ है और सड़क नहीं बनी है तो सड़क बनवाने का प्रयास किया जाएगा और जिस अधिकारी की लापरवाही से यह हुआ है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं सड़क बनाने के जो मानक बनाए गए हैं वह किस मापदंड के आधार पर बनाये गये हैं?

(व्यवधान)

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, जवाब तो दिलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी थक गये हैं अब जवाब नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री सीताराम निषाद–

तकनीकी विभाग में जो लोग हैं वह मानक बनाते हैं उसके आधार पर सड़कें बनती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

साढ़े सात बज रहा है अब आप लोग सब बैठें।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं मैं जो स्पष्टीकरण मांग रहा हूं यह हर क्षेत्र से संबंधित है, जो लिंक रोड जनता के सहयोग से उनके श्रमदान से बनती हैं जो लोग अपने मेहनत और परिश्रम से उन सड़कों को बनाते हैं वह इनके प्रोग्राम में शामिल नहीं होती हैं तो क्या इन श्रमदान की सड़कों को प्रोग्राम में शामिल करने हेतु प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे?

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं यह समझता हूं कि यदि माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग मिले और क्षेत्र की जनता का सहयोग मिले तो इससे सड़कें और ज्यादा बन सकती हैं । हम इस पर जरूर विचार करेंगे कि ऐसी श्रमदान की सड़कों को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, इस विभाग द्वारा जो जमीन ली जा रही हैं, सड़कें बनाने के लिये जो जमीनें, घर आदि ले लेते हैं उसके मुआवजे का प्राविधान नहीं है जिससे आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है तो क्या मुआवजा दिलाने पर विचार करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी योजना में जो सड़कें बनती हैं तो वह स्वेच्छा से जमीन प्राप्त करके बनायी जाती हैं । यह

राष्ट्रीय प्रोग्राम है इसमें कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है इसलिये मुआवजा नहीं दिया जा सकता ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैंने पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में पूंछा है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, प्रत्येक मद के बारे में जो अनुदान मांगे गये हैं उनके संबंध में प्रति-दिन बहस के बाद आखिर में कुछ स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं, कुछ शंकायें प्रकट की जाती हैं जिनका समाधान किया जाता है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी स्पष्टीकरण मांगा है । जो भी मदें पेश होती हैं वास्तव में उसका कैबिनेट मंत्री सदन में होना चाहिये । सौभाग्य से या दुर्भाग्य से 60 विभाग मुख्य मंत्री जी लिये बैठे हैं । वह पेश नहीं हो सकते हैं । कल माननीय भोला शंकर मौर्य जी ने यहां पर सिंचाई विभाग का बजट रखा था । बाद में बहुत सी शंकाओं के बारे में मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिये और जो शंकायें उठायी गयीं थीं उनका समाधान हुआ । अगर आज मुख्य मंत्री जी बहौसियत पी0 डब्लू0 डी0 के कैबिनेट मिनिस्टर यहां होते तो मैं समझता हूं काफी शंकाओं का समाधान होता क्योंकि काफी नीतिगत प्रश्न होते हैं जिनका जवाब राज्य मंत्री जी नहीं दे सकते हैं । इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जिन-जिन विषयों के, जिन मदों के कैबिनेट मिनिस्टर मुख्य मंत्री जी तो कम से कम आखिर में स्पष्टीकरण देने के वक्त उनको बुलाने की व्यवस्था अवश्य करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल की बात मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा दिया जाय।

श्री सत्यपाल सिंह—

एक प्रश्न मैं और मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी—

ज्यादा कठिन न पूछियेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, इन्होंने सही कहा है । मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्न का शायद राज्य मंत्री जी उत्तर न दे पायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सरदार सिंह, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव वापस न लेने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,98,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,62,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माल विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि 6,06,06,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,91,83,000 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,68,26,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-क-सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75-क- सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन हेतु दी गयी सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड में विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होंगी, के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय अर्थात 6 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक निम्नलिखित सदस्यों के नाम-निर्देशनपत्र प्राप्त हुए, जिनकी सूक्ष्म परीक्षा दिनांक 7 जुलाई, 1987 को अपराह्न 3.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित सदस्यों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये:—

1—श्रीमती रीना कुमारी, सदस्य विधान सभा (मुरादाबाद)
2—डा0 एहतिशाम वली खां, सदस्य विधान सभा (बहराइच)
3—श्री सुखपाल पाण्डेय, सदस्य विधान सभा (बस्ती)
4—श्री राम सेवक, सदस्य विधान सभा (सुल्तानपुर)
5—श्री प्रकाश नारायण अवस्थी, सदस्य विधान सभा (फतेहपुर)
6—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य विधान सभा (गोण्डा)
7—श्री भृगुनाथ भट्ट, सदस्य विधान सभा (गोरखपुर)
8—श्री भगवती सिंह विशारद, सदस्य विधान सभा (उन्नाव)
9—श्रीमती कमला साहनी, सदस्य विधान सभा (बस्ती)
10—श्रीमती उमा त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा (हरदोई)
11—श्रीमती शशि शर्मा, सदस्य विधान सभा (देवरिया)
12—श्री हरदेव, सदस्य विधान सभा (बलिया)

2–उक्त निर्वाचन हेतु नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय 14 जुलाई 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक निर्धारित है । अत: यदि नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय अर्थात 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक उक्त नाम निर्देशित अभ्यर्थियों में से पूर्णीय रिक्तियों की संख्या से अधिक अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस नहीं लिये तो निर्वाचन पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 1987 को होगा ।

3–यदि कोई वैद्य नाम-निर्देशित अभ्यर्थी चाहें तो दिनांक 14 जुलाई, 1987 के अपराह्न 4.00 बजे तक सचिव, विधान सभा को लिखकर निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की सूचना दे सकते हैं, किन्तु ऐसी दशा में नाम की वापसी की लिखित सूचना 14 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4.00 बजे तक सचिव, विधान सभा को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है और श्री यदुनाथ सिंह की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय जूनियर हाई स्कूल बाबूगंज, लखनऊ की जूनियर हाई स्कूल में उत्तीर्ण छात्राओं को टी0सी0 न मिलने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

[राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बाबूगंज, लखनऊ सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल है। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में प्रबन्धकीय विवाद तब संज्ञान में आया जब प्रबन्ध समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सोहन लाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को अपने को कार्यवाहक अध्यक्ष बताते हुये नई प्रबन्ध समिति के गठन की सूचना दी, तथा श्री भारत सिंह को प्रबन्धक के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया। इसके पूर्व श्री अशोक आजाद इस विद्यालय के प्रबन्धक तथा श्रीमती माधुरी सेठ अध्यक्ष थीं। इस प्रबन्धकीय विवाद के उत्पन्न हो जाने की स्थिति में भूतपूर्व प्रबन्धक श्री अशोक आजाद ने विद्यालय के कार्यालय में तथा मुख्य द्वार पर ताला बन्द कर दिया और ईंटों से चुनाई कराकर मुख्य द्वार के अन्दर अस्थाई दीवार खड़ी कर दी।

उपरोक्त की सूचना मिलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) लखनऊ ने दिनांक 11-12-86 को जिलाधिकारी, लखनऊ तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को विद्यालय की शिक्षिकाओं की सुरक्षा करने, ताला तुड़वाने तथा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलने के निमित्त अनुरोध किया। तदोपरान्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) लखनऊ में दिनांक 15-12-86 को अपर जिलाधिकारी, लखनऊ से स्वयं मिलीं तथा

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शिक्षिकाओं व छात्राओं की सुरक्षा एवं शिक्षा कार्य में हो रहे अवरोध को रुकवाने की व्यवस्था का अनुरोध किया। इस पर अपर जिलाधिकारी (नगर) लखनऊ ने विद्यालय में पुलिस प्रबन्ध करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक (नगर) लखनऊ को दिये। इसके उपरान्त दिनांक 19-12-86 को बसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) ने इस हेतु अपर जिलाधिकारी (नगर) लखनऊ को पुनः पत्र लिखा।

दिनांक 22-12-86 को न्यायालय अपर सिटी मजिस्ट्रेट, प्रथम ने धारा 145 के अंतर्गत प्रश्नगत विद्यालय को कुर्क कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ को रिसीवर नियुक्त किया। इस पर श्री अशोक आजाद वाली प्रबन्ध समिति के तथाकथित सेकेट्री श्री महबूब अली ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध दिनांक 2-1-87 को उच्च न्यायालय से रिसीवर की नियुक्ति पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने 5-1-87 को यह आदेश दिये कि जो भी संस्था चला रहा हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह देखेंगे कि संस्था विद्यालय भवन में चले और सड़क अथवा लान में न चलाई जाये।

उपरोक्त उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ स्वयं राष्ट्रीय बालिका विद्यालय बाबूगंज लखनऊ गये। उन्होंने मुख्य द्वार पर ताला पड़ा हुआ पाया और अन्दर से दीवार निर्मित हुई पाई। अध्यापिकाओं ने मुख्य द्वार बन्द होने के कारण किसी अन्य द्वार से विद्यालय के अन्दर प्रवेश हेतु असमर्थता प्रकट की। निरन्तर प्रयास के उपरान्त दिनांक 24-1-87 को पुलिस की उपस्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ ने शिक्षा कार्य जो विद्यालय के बाहर चल रहा था उसे विद्यालय के अन्दर चलाये जाने की व्यवस्था की। दिनांक 27-3-87 को उच्च न्यायालय ने अपर नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को अमान्य घोषित कर दिया किन्तु विद्यालय सम्पत्ति की कुर्की के आदेश को स्थिर रखा।

इसके उपरान्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा प्रधान अध्यापिका ने व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर बन्द कार्यलय को खुलवाने का प्रयास किया किन्तु ताला नहीं खुल सका। फलस्वरूप जूनियर हाईस्कूल उत्तीर्ण बालिकाओं को टी0सी0 प्राप्त नहीं कराई जा सकी। टी0 सी0 के स्थान पर अस्थाई प्रमाण पत्र देने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। वर्ष 1987 में जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में विद्यालय की 84 छात्राएं सम्मिलित हुई थीं, इनमें से 72 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। इन उत्तीर्ण छात्राओं में से 50 छात्राओं ने अस्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश में कोई कठिनाई नहीं बताई गई है। विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु संबंधित न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लिये विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। प्रबन्धकीय विवाद सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन है।]

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, जो बाबूगंज में है, उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके सिलसिले में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब सारे स्कूल खुल गये हैं, तो बालिकाओं के भविष्य को देखते हुए राष्ट्रीय बालिका विद्यालय को अवैध रूप में वहां के भूतपूर्व मैनेजर के द्वारा ताला जो बन्द है, क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करायेंगे कि उसका ताला खोल दिया जाय ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, इस कार्यालय में जो ताला बन्द है, इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसका स्थगन आदेश भी है। जब तक न्यायालय फैसला नहीं हो जाता है, तब तक सरकार के लिए कुछ करना सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने न्यायालय का बहाना लेकर मामले को टाल दिया। मान्यवर, हाई कोर्ट से जो जजमेंट हुआ है, उसकी कापी मेरे पास है।

"वी फरदर डाइरेक्ट दैट दि अपोजिट नं0 4 विल नाट काज एनी इन्टरफेरेन्स एण्ड हिन्ड्रेन्स इन दि नार्मल फक्शनिंग एण्ड टीचिंग वर्क आफ दि इन्स्टीच्युशम नोन एज राष्ट्रीय बालिका विद्यालय, बाबूगंज, लखनऊ इन दि बिल्डिंग इन विच इट हैजबीन फक्शनिग।"

मान्यवर, जिस बिल्डिंग में यह स्कूल काम कर रहा था, उस बिल्डिंग में किसी भी तरह का हस्तक्षेप मैनेजर की तरफ से करने के लिए मना किया गया है। कोर्ट का मान्यवर, कल ही आदेश हुआ है। यह जानकारी मंत्री जी को होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गये निर्णय के परिपेक्ष में क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उसी के अनुसार व्यवस्था करा दी जायगी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, जैसा कि आपने उच्च न्यायालय के फैसले की बात कही है, उससे मैनेजर को मना किया गया है कि उस विद्यालय में पढ़ने, पढ़ाने और व्यवस्था के कार्यों में कोई हिन्ड्रेन्स न पैदा किया जाय। लेकिन जहां तक ताला बन्द करने का सवाल है, यह परगना मजिस्ट्रेट, सदर, लखनऊ के विचाराधीन है। मैनेजमेंट का यह झगड़ा जब तय नहीं हो जाता, तब तक शासन के लिए ताला खुलवाना सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने न्यायालय के निर्णय को भी तोड़-मरोड़ करके उत्तर दिया है। इन्टरफियरेंस एण्ड हिन्ट्रेन्स इन दि बिल्डिंग, इसमें लिखा है। ताला बन्द करना और विद्यालय की बिल्डिंग के कमरे में भूतपूर्व मैनेजर की बहन द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करना क्या हिन्ड्रेन्स या इण्टरफियरेंस में नहीं आता है? ताला लगाने का मतलब है कि व्यवधान है और उसी विद्यालय के एक कमरे में जो मैनेजर की बहन है वह अनधिकृत रूप से कब्जा लिये हुए है। क्या कोर्ट के उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

कोर्ट ने ताला खोलने का निर्णय नहीं दिया है, अगर दिया हो तो खुलवा दें। यह कोर्ट का काम है इसमें हाउस इण्टरफियरेंस नहीं कर सकता।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। अगर अदालत का कोई फैसला होता है और उस पर इण्टरप्रेटेशन की कोई बात है तो उसके लिए फिर अदालत में जा सकते हैं। इस पर इण्टरप्रेटेशन यहां हाउस में नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

हां, नहीं हो सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

उच्च न्यायालय ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिल्डिंग में जो कार्य हो रहा है उसमें इण्टरफियरेंस और हिन्ड्रेन्स मैनेजमेंट नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

ताला खोलने का स्पष्ट आदेश नहीं है तो गवर्नमेन्ट कैसे उस ताले को खोल देगी। आप कोर्ट में जाइये। मैं कोर्ट के मामले में व्यवस्था नहीं दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोर्ट ने इम्प्लीमेन्टेशन का आर्डर नहीं दिया है। इम्प्लीमेन्टेशन आर्डर कोर्ट से होना चाहिए, यह सदन नहीं दे सकता है।

श्री शारदा प्रसाद–

जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है--

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री शारदा प्रसाद, श्री राम आसरे वर्मा तथा अन्य कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद–

[X X X]

श्री उपाध्यक्ष–

कोर्ट अपना आदेश खुद पालन कराता है न कि मा0 मंत्री जी करायेंगे आप बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। श्री बरार जी, आप शुरू करिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

फिर शासन यहां पर किस लिए बैठा है, मान्यवर, हम तो अपनी समस्याएं आपके माध्यम से सदन में ही उठावेंगे।

टिहरी बांध परियोजना के कार्य की प्रगति की स्थिति के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, इसको मैंने 1 जुलाई, 1987 को नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा के लिए दिया था।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, नियम 49 में मैंने भी इस सूचना के बारे में लिखकर दिया था लेकिन मान्यवर, मेरा इसमें नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने भी यदि नियम 49 में दिया था, इस संबंध में, तो आपको भी बुलवा लेंगे, नाम आपका गलती से रह गया होगा। हम बुलवा लेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, टेहरी बांध की जो योजना है, इसका आकार तो वृहत है ही परन्तु और इससे जो होने वाले फायदे हैं, वह भी बहुत से हैं और इससे जो सिंचाई होगी वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा और गंगा के नीचे की यमुना प्रणाली

नोट:– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की लगभग 21 लाख एकड़ भूमि से ज्यादा होगी और इससे मान्यवर, और भी बहुत से फायदे होने वाले हैं जो बिजली के संबंध में हैं । आज जो पूरे उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् में जितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है, अकेले इससे उससे अधिक उत्पादन श्रीमन् होगा। इसलिए मान्यवर, यह प्रश्न मैंने तारांकित के रूप में एक जुलाई को पूछा था, पहाड़ी क्षेत्रों की भी बहुत सी समस्यायें हैं, विस्थापित की जहां के करीब 100 से अधिक गांव प्रभावित हैं जो डूब क्षेत्र में हैं परन्तु इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर से कुछ संतोषजनक नहीं नहीं आ सका था, इसलिए श्रीमन् मैंने फिर यह सूचना दी और श्रीमन् इन चर्चाओं में प्रक्रिया संक्षेप से वक्तव्य शुरू होती है, फिर मा0 मंत्री जी द्वारा समस्त बातें आ जाती हैं, इसलिए श्रीमन् मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वे वक्तव्य के रूप में कुछ बता दें संक्षेप में, कि पुनर्वासन के मामले में आपकी क्या पालिसी है, विस्थापितों के बारे में क्या प्रगति है, जल के बंटवारे के सम्बन्ध में क्या नीति है और विद्युत की स्थिति क्या रहेगी और यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी, आदि बातें वे संक्षेप में पहले बता दें ताकि इससे फिर माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछेंगे अपनी-अपनी जिज्ञासा के अनुसार और माननीय मंत्री जी को फिर दुबारा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का और माननीय मंत्री जी ने जैसा विद्युत गृहों के निर्माण और ट्रांसमिशन आदि के निर्माण के बारे में बताया था सोवियत समझौते के अनुसार किया जायेगा, "टर्नकी" बेसिस पर। माननीय मंत्री जी कृपया इस ओर भी प्रकाश डाल दें कि यह सोवियत संघ द्वारा "टर्नकी" बेसिस की बात समझ में नहीं आ रही है, क्या हमारे पास इसके निर्माण की क्षमता नहीं है या तकनीकी मैन-पावर नहीं है ? हां पैसे के खर्च की बात तो समझ में आती है, लेकिन यह "टर्नकी" बेसिस की बात क्यों करवा रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में पहले मा0 मंत्री जी कुछ रोशनी डाल दें, यह मेरा उनसे अनुरोध है ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, टेहरी की जो परियोजना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह योजना इस प्रदेश के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें जो फायदे अभी तक बताये गये हैं, वह उससे ज्यादा ही हैं। यह बहु-उद्देशीय योजना है और इसमें हम जो जल एकत्रित करेंगे और जो हमारा मुख्य बांध है उसको बनाने के लिये जो यह परियोजना शुरू हुई है, उसके साथ-साथ शुरू में यह परियोजना केवल 600 मेगावाट के लिए थी, इसको रिवाइज करके एक हजार मेगावाट के लिये बनाया गया। अब यह अंतिम चरण में इसको रिवाइज किया गया और वर्तमान चरण में इसका मुख्य बांध और भूगर्भित विद्युत गृह एक हजार मेगावाट का होगा। द्वितीय चरण में एक हजार मेगावाट का दूसरा विद्युत गृह होगा। और इसके साथ-साथ कोटेश्वर में एक और बांध होगा। उनके साथ साथ इसके अलावा 400 मेगावाट का दूसरा विद्युतगृह भी बनाया जायगा । मान्यवर, इस योजना की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, मैं बता देता हूं ।

मान्यवर, यह 260·5 मीटर ऊंचा राकफिल डेम होगा और मान्यवर, इसका जो कैचमेंट एरिया है वह 7511 वर्ग किलोमीटर का होगा। इस बांध से मान्यवर, जो जिले लाभान्वित होंगे वह हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद और फतेहपुर और मान्यवर, मथुरा भी इसमें

शामिल है। मान्यवर, इससे यह मालूम होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य उत्तर प्रदेश को भी इससे फायदा होगा। बिजली का जो मान्यवर, लाभ है, आज हम जिस दशा से गुजर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इसके बन जाने से बहुत बड़ी मात्रा में बिजली मिलने की संभावना है और उसी के लिये हम प्रयासरत हैं। विदेशी सहायता जो हमारे सीमित संसाधन हैं, उनको देखते हुए ही किया है कि विदेशी सहायता से बनवायेंगे। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं जिससे इतनी महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना को हम बना सकें लिहाजा हमने फैसला किया कि विदेशी सहायता से बनायें और मान्यवर, इसके लिये अब हमने समय भी निर्धारित कर दिया है कि इस समय के अन्दर-अन्दर यह परियोजना पूरी हो जायगी। इसके लिये मान्यवर, अब यह तय कर लिया गया है कि जो इसका मुख्य बांध है, वह मान्यवर, 1996 तक बनकर तैयार हो जायगा और इससे हमें एक हजार मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। इसी के साथ-साथ जो हमारा कोटेश्वर का दूसरा विद्युत गृह है वह 1997 तक तैयार हो जायगा और 1998 में दूसरा द्वितीय चरण और टिहरी का विद्युत गृह बनकर तैयार हो जायगा।

इसके साथ ही साथ मान्यवर, हमारे जो सीमित संसाधन हैं, जिससे हम काम करने के लिये तैयार हैं, उससे मुख्य बांध जो बनाएंगे, यह हमारा और भारत सरकार को संयुक्त उद्यम है, उसके द्वारा बनायेंगे। बाकी जो टिहरी काम्प्लेक्स है और इसकी जो लाइन है उसके लिये हमको सोवियत रूस सहायता देगा और इस टर्नकी के आधार पर जैसा का तैसा बनाकर दे देंगे। इसमें मान्यवर, ऐसी कोई बदनामी होगी, मैं नहीं समझता। हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारे पास जो भी टेक्निकल लोग हैं, वह हमारे बांध बनाएंगे और उससे जो भी ज्ञान प्राप्त होगा, उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त होगा, उसे दूसरी जगह उपयोग करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गयी है जिससे देश प्रदेश के हितों के साथ समझौता किया हो। हम अपनी जगह पर पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मान्यवर, हमने जो विद्युत के बारे में कहा था, उसमें जो एक फार्मूला है, अब तक तय है कि 12 परसेंट विद्युत हमें रायल्टी के रूप में मिलेगी और जो बकाया ऊर्जा होगी उसका 25 परसेंट क्योंकि ऊर्जा सेक्टर से हम करेंगे। उसमें 22 परसेंट बिजली हमें मिल जायेगी। इस तरह से 34 परसेंट हमें बिना मूल्य के मिल जायगी। और जो 66 प्रतिशत बिजली है, उसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं कि मान्यवर, हमको अधिक से अधिक उसमें हिस्सा मिले। उसमें भारत सरकार का पैसा लग रहा है, उसमें उ0प्र0 सरकार का पैसा लग रहा है। भारत सरकार का दुगुने से अधिक है लगभग 1 जो एक फार्मूला है, उसके अनुसार ही यह सब चल रहा है। अभी सब चीजें विचाराधीन हैं। अनुबन्ध अभी हुआ नहीं है। जो अन्डरस्टैंडिंग हुई है उससे यह परिलक्षित है कि 34 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश के लिये ही फ्री मिल सकेगी। जल पर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का स्वामित्व होगा। जल हम किसी को नहीं देने जा रहे हैं। जितनों जिलों का जिक्र किया था, उन्हीं जिलों में जल देने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी, आपका इसमें नाम नहीं है। मैंने पत्रावली दिखा ली है। आप पूछना चाहेंगे तो कुछ पूछ सकते हैं।

*श्री पूरन सिंह माहरा–

जिन शंकाओं के बारे में इसमें प्रश्न सन्निहित थे उनके बारे में जानकारी मिल नहीं पायी। मुख्य रूप से एक तो टेहरी डेम से जो विस्थापित हुए हैं उनके लिए सरकार ने अभी तक क्या किया और जिस रेशियों से टेहरी डेम का बजट बढ़ गया है, क्या उसी रेशियो से विस्थापितों को भी मुआवजा देंगे ? क्योंकि टेहरी डेम से एक बहुत बड़ा पर्वतीय भू-खण्ड प्रभावित हो रहा है वहां की जनसंख्या पर इसका असर पड़ रहा है क्या आप पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को टेहरी डेम से उत्पादन होने वाली बिजली में सब सिडी देंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, पुर्नवासन के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस डैम से 50 प्रतिशत और उससे अधिक के लिये जो प्रभावित परिवार हैं वह 3068 होंगे और अब तक हम उनको 2 एकड़ जमीन देते हैं। 1217 परिवारों को हम पुर्नवासित कर चुके हैं। 480 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें हमने नगद धनराशि देकर पुर्नवासित किया है । इस तरह से 1697 परिवार हम अभी तक पुनर्वासित कर चुके हैं और मान्यवर, 707 परिवारों के लिये हमारे पास 2 एकड़ जमीन प्रतिपरिवार के लिये उपलब्ध है और हम उन्हें शीघ्र पुर्नवासित करने जा रहे हैं। इस तरह से मान्यवर 2404 परिवारों को हम जमीन और नगद धन देकर पुर्नवासित कर सकेंगे। अब कुल मान्यवर, 664 परिवार रह जाते हैं जिनको हमें पुर्नवासित करना है। मान्यवर, उसमें एक अनुमान यह है कि 664 परिवारों में से लगभग 250 परिवार नगद धनराशि ले लेंगे और मान्यवर हम 900 एकड़ जमीन के लिए प्रबन्ध कर रहे हैं। 414 परिवार रह जायेंगे, उनको हम पुर्नवासित कर देंगे। मान्यवर, हम यहां यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो हमारा मुख्य डैम बनाने का कार्यक्रम है उससे पहले इन सबको पुर्नवासित कर देंगे। एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो टेहरी नगर है वह सब डूब क्षेत्र में आ जायेगा। डेम में पानी भरने से पहले इन सबको पुर्नवासित कर देंगे, यह हम आश्वस्त करते हैं।

मान्यवर, 1979 में यह परियोजना शुरू की है। इसमें मान्यवर, पहले 16 हजार रु0 नगद देने का प्रावधान था। अब इसको रिवाइज्ड करके 40 हजार कर दिया गया है। यह वृद्धि हम ढाई गुना कर चुके हैं।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कुछ शंकाओं के समाधान के संबंध में अपनी बात कह दी। मुख्य बात यह है कि यह योजना 1978-79 में 167 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई थी और 1984 में जाकर इसकी कीमत 1069.87 करोड़ रुपए हो गई और अब इस योजना का आकलन 1343.60 करोड़ रुपए का किया गया है। और यह भी कहा गया कि 1996-97 में इसका कोटेश्वर व मुख्य बांध बनेगा। मेरा पहला, प्रश्न यह है कि इस योजना को पूरा होने तक आप इस पर कितना रुपया खर्च करेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल पर हमारा पूरा स्वामित्व रहेगा। मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अभी तक केवल एक योजना ये बना पाये हैं, इसलिये मेरा आरोप है कि इस योजना को पूरा करने में इस पर जो खर्च आयेगा, उस पर कटौती की जा रही है और पूर्व में चलने वाली योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। 1300 करोड़ वाली योजना पर इन्होंने अपने संसाधनों से केवल 9.88 करोड़ रुपए दिया है, जो स्पष्ट इंगित करता है कि इनकी नियत ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जल पर हमारा कब्जा रहेगा, परन्तु 66 प्रतिशत बिजली पर भारत सरकार का कब्जा रहेगा और वही इसको डिसाइड करेगी। यह केवल सलाहकार के रूप में रहेंगे। सलाहकार के रूप में इनकी क्या उपयोगिता रहेगी, यह हम जानते हैं। यह वहां पर कुछ नहीं कह पायेंगे, जो वह कहेंगे, यह सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार भारत सरकार विश्व बैंक से ऋण ले रही है, उसी प्रकार प्रदेश सरकार को भी भारत सरकार से ऋण लेना चाहिए और यह कहना चाहिए कि बिजली व पानी पर हमारा अधिकार रहेगा और बिजली से जो हमको पैसा मिलेगा, उससे हम भारत सरकार का कर्जा चुकायेंगे। क्या इस तरह का स्पष्ट आश्वासन मंत्री जी देंगे।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

माननीय, टिहरी डैम की जो योजना बनी थी, वह काफी पहले बनी थी, अब यह योजना रूस की सहायता से बनाई जा रही है। जिस समय यह योजना बनी थी, उस समय इसको भारत सरकार व प्रदेश सरकार अपने पैसे से बना रही थी और अपने टैक्नीशियनों व इन्जीनियरों से बनवा रही थी अब चूंकि इसे रूस बना रहा है और उनसे हम लोन ले रहे हैं, तो फिर वह कौन सी शर्तें थी समझौते में, जिनके तहत उनके टैक्नीशियन भी इसमें भाग लेंगे ?

पहले भारतवर्ष के टैक्नीशियन्स को बनाना था, आज कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गयी कि उनके टैक्नीशियन्स को भी कर रहे हैं ?

जो विस्थापितों की बात कही गयी कि इतने विस्थापितों को इतनी भूमि दे दी, इतना पैसा दे दिया, तो जो वहां के स्थानीय लोग हैं क्या जो आपके द्वारा जमीन दी जा रही है उससे वह खुश हैं ?

क्या जिन परिवारों को, जैसा आपने कहा कि 664 परिवार हैं, तो जब तक पानी भरेगा, तब तक क्या उनको वहीं रहने देंगे ? 1995-96 तक डैम को बनना है, तब तक जहां आप उनको पुनर्वासित करने जा रहे हैं वहां पाठशाला का निर्माण नहीं होगा, सिंचाई के लिये गूल का निर्माण नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति में क्या जल्द से जल्द उनको विस्थापित करने की कार्यवाही करेंगे ?

इससे लाभान्वित होने वालों में आपने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और एटा आदि स्थानों का नाम लिया, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में से एक भी जिले का नाम नहीं लिया। क्या आश्वासन देंगे कि इस डैम से सिंचाई की सुविधा वहां के लोगों को मिलेगी और विद्युत उनको आधे दर पर दी जायगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि टेहरी बांध परियोजना से विस्थापित होने वाले लोग एक धर्मशाला में बैठे हैं, यह पता नहीं कि कब जायेंगे, कहां जायेंगे ? एक और जानकारी दूं कि इस परियोजना को बनाने के लिये विभाग को जो भूमि चाहिए थी, गांव चाहिये थे, वह तो पुनर्वासित कर दिये हैं लेकिन मा0 मुख्यमंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 83 गांव शेष हैं, जिनको पुनर्वासित होना है, अभी तक इनके पास जमीन नहीं है, जो कि उनको जमीन दे दें । वे किसान हैं, उनके रोजगार का साधन तो डूब जायगा, उनके पास कोई हुनर भी नहीं है, उनका जीवन यापन का साधन कृषि ही है । वन भूमि पर वन विभाग ने रोक लगा रखी है । अभी यह पता नहीं चलता है कि गांव के लोग जो पुनर्वासित होंगे कहां जायेंगे ?

दूसरी बात यह है कि टिहरी नगर में इस योजना का जो पुनर्वास निदेशालय है, उसने नये टिहरी में जो भूमि की दरें तय की थीं वह 50 मीटर तक 5 रु0 प्रति वर्ग मीटर, 150 से 200 मीटर तक 50 रु0 प्रति वर्ग मीटर, 200मीटर से 250 मीटर तक 100 रु0 प्रति वर्ग मीटर, 250 मीटर से 300 मीटर तक 150 रु0 प्रति वर्ग मीटर । ये 1985 में रेट्स दिये गये, यदि यह मानक नहीं बदले हैं तो इसकी जानकारी दे दें और इतनी बड़ी परियोजना में टिहरी के लोग जो अपनी भूमि को छोड़-कर जायेंगे, उनका या वहां के प्रतिनिधियों का सहयोग क्यों नहीं लिया जा रहा है ? टिहरी बांध के लिए कन्ट्रोल बोर्ड का संगठन है इसमें जनता के लोगों को शामिल नहीं किया गया है । यह भी हमें जानकारी नहीं है कि मित्र देश रुस से जो 700 रुबल का ऋण लिया जा रहा है, जो नई व्यवस्था बनी है उस संगठन में कौन लोग हैं ? क्या इसमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा ? इनके पास दो कार्य हैं एक तो डैम बनाने का और दूसरा विस्थापितों को पुर्नवासित करने का । ये डैम तो बना रहे हैं लेकिन विस्थापितों को पुर्नवास का काम नहीं कर रहे हैं । वहां के डूब क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है । इलाका पिछड़ रहा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, चर्चा समाप्त होने जा रही है मैंने जब यह विषय पुर:स्थापित किया था तो कुछ बातें कही थीं, मुझे अफसोस है कि मंत्री जी की तरफ से उनमें से किसी भी बात का उत्तर नहीं आया । उन्होंने योजनाओं के बारे में बतलाया योजनाओं के बारे में स्पेसिफिकेशन प्रकट ही है क्योंकि यह पुस्तक में प्राकाशित है । इन्होंने इस पुस्तक में यह लिखा है कि दिल्ली क्षेत्र को भी जल उपलब्ध कराया जायेगा । परन्तु प्रश्नोत्तर में कहा था कि सारा जल हमारे प्रदेश में प्रयोग होगा । वह बताएं कौन सी बात सच है ? यह नहीं लिखा है कि दिल्ली क्षेत्र में कितना जल उपलब्ध कराया जायेगा । सोवियत रुस हमारा मित्र है और उसने कई औद्योगिक योजनाओं में हमारी मदद भी की है इसलिये हम उसके आभारी भी हैं लेकिन आजादी के 40 वर्ष बाद भी सारा सामान वहां से आयेगा और अब तकनीशियन्स भी वहां से आयेंगे यह तो हमारी तकनीकी प्रगति का हमारी तक-नीकी मैन पावर का अपमान है ।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टेहरी बांध और कोटेश्वर बांध से जो बिजली आप पैदा करने जा रहे हैं वह बिजली थरमल से पैदा की जाने वाली बिजली

के मुकाबिले में सस्ती होगी । तो सस्ती और सुनिश्चित बिजली आप भारत सरकार के हिस्से में देने जा रहे हैं और हमारे प्रदेश में थरमल जैसी मंहगी बिजली बनाकर उसका आप इस्तेमाल करेंगे ? ऐसा गलत निर्णय क्यों कर रहे हैं ? यह 2400 मेगावाट बिजली 2000 करोड़ के खर्च से बनेगी । ऊर्जा मंत्री जी ने बताया था कि थर्मल पर 1 करोड़ प्रति मेगावाट का खर्च आता है । तो क्यों नहीं थर्मल की योजना रोककर टिहरी पर खर्च करते और सारा विद्युत अपने पास रखते ? जो पुर्नवास की बात है उसके लिये मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जिनको आप पुर्नवासित करने जा रहे हैं उनका पूरे पहाड़ों पर, चरागाहों पर, वनों पर अधिकार था । अब जहां आप उनको पुनवार्सित करने जा रहे हैं, वहां उनके कोई अधिकार नहीं हैं । तो क्या आप इस डैम से पैदा होने वाले फायदे जैसे कि बिजली और पानी उनको कुछ प्रतिशत मुक्त अथवा सब्सिडी पर देना सुनिश्चित करेंगे ? आपने यह भी लिखा है कि 2 एकड़ से 12 1/2 एकड़ तक उनको भूमि उपलब्ध करायी जायेगी । तो जो विस्थापित भूमिहीन कृषक हैं उनको यह भूमि बिना मूल्य के दी जायेगी ? कितनों को दी है, आज तक ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैंने काफी विस्तार से इस विषय में चर्चा कर दी है । माननीय सदस्य श्री बरार जी ने जो कहा है वह बिल्कुल निराधार है । मान्यवर, जहां तक दिल्ली को पानी देने का सवाल है, वह निराधार है ।

(समय 8 बजकर 20 मिनट)

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सारी बात निराधार है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह समझ रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

बरार साहब कह रहे थे कि बिजली 66 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार को देने के लिये भारत सरकार निश्चित करेगी और जो पानी होगा वह उत्तर प्रदेश को मिलेगा, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें उत्तर तो देने दें ।

श्री विजय सिंह राणा–

आप सुने तो । गंगा कैनाल जो है, जमनी से आगरा को पानी मिलता है और 200 क्यूसेक पानी दिल्ली को जाता है, यह पुराने समझौते के अनुसार था, परन्तु दिल्ली को 250 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है और 2200 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जा रहा है, तो जब टेहरी से पानी मिलेगा, तो क्या दिल्ली और हरियाणा को नहीं दिया जायेगा । इसके लिये आप क्या करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पानी मिलेगा वह पूरा उत्तर प्रदेश को मिलेगा । दिल्ली के साथ कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 22 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:

9 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

संसदीय ज्ञान

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

सूची

वर्ष	यात्री-कर रु0 पै0
1962–63	3,181.23
1963–64	21,845.31
1964–65	19,116.67
1965–66	11,686.29
1966–67	18,996.65
1967–68	13,682.53
1968–69	39,336.30
1969–70	12,271.16
1970–71	82,705.74
1971–72	57,175.58
1972–73	11,134.00
1973–74	21,252.00
1974–75	20,934.00
1975–76	96,376.22
1976–77	18,469.80
1977–78	42,624.28
1978–79	27,127.10
1979–80	66,014.06
1980–81	99,582.90
1981–82	2,28,728.93
1982–83	1,69,402.25
1983–84	1,71,466.00
1984–85	1,80,017.00
1985–86	1,65,089.00

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर ।)

विधान सभा के 4थे गुरुवार हेतु अता0प्रश्न सं0–41 का संलग्नक ।

नगर महापालिका, बरेली को वित्तीय वर्ष 1986–87 के निम्नलिखित मदवार धनराशि आवंटित की गयी :—

	रुपया
1—पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु	5,00,000.00
2—साधारण सड़क अनुदान	52,90,000.00
3—विशेष सड़क अनुदान	20,00,000.00
4—महापालिका भवनों की मरम्मत हेतु	5,00,000.00
5—महिला छात्रावास निर्माण हेतु	52,961.00
6—सुलभ शौचालय निर्माण हेतु	2,50,000.00
7—मलिन बस्ती सुधार योजना	30,00,000.00
8—जल सम्पूर्ति	3,00,000.00
9—सीवरेज ड्रेनेज	2,00,000.00
10—जल सम्पूर्ति योजना के रख-रखाव हेतु	5,00,000.00
11—सोलिड वेस्ट कम्पोनेन्ट	8,90,000.00
12—मेन्टेनेन्स कम्पोनेन्ट	4,00,000.00
13—लोकास्ट सैनीटेशन (ऋण)	12,45,000.00
14—लोकास्ट सेनीटेशन (अनुदान)	12,45,000.00
15—स्लम अपग्रेडिंग (अनुदान)	20,00,000.00

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

सूची

मशीन के प्रयोग की तिथियां

दिनांक 19-2-87
दिनांक 20-2-87
दिनांक 21-2-87
दिनक 23-2-87
दिनांक 24-2-87
दिनांक 25-2-87
दिनांक 26-2-87
दिनांक 27-2-87
दिनांक 28-2-87
दिनांक 2-3-87
दिनांक 3-3-87
दिनांक 5-3-87
दिनांक 6-3-87
दिनांक 7-3-87
दिनांक 8-3-87
दिनांक 9-3-87
दिनांक 11-3-87
दिनांक 13-3-87
दिनांक 14-3-87
दिनांक 20-3-87
दिनांक 21-3-87
दिनांक 23-3-87
दिनांक 9-4-87

उत्तर प्रदेश भवन

परिशिष्ट 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

वित्तीय वर्ष 1985-86 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जल सम्पूर्ति एवं सीवरेज योजना की मरम्मत हेतु अनुदान रु0 80 लाख में कराये गये मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण

1–गोमती के किनारे इन्टेकवेल एवं प्लेटफार्म की मरम्मत ।

2–गऊघाट पम्पिंग स्टेशन पर 750 के0 वी0 ए0, ट्रान्सफार्मर का अधिष्ठापन ।

3–जल संस्थान सड़कों की मरम्मत ।

4–जल संस्थान प्रांगण की लाइटिंग संबंधी कार्य ।

5–पम्प रूम कार्यालय, बाउन्ड्रीवाल, अन्य भवनों की मरम्मत।

6–सेटलिंग टैंक एवं क्लारीफ्लो कूलेटर की मरम्मत एवं सफाई ।

7–ड्रेनेज सुधार कार्य ।

8–क्षतिग्रस्त पम्पिंग प्लांटों की मरम्मत ।

9–क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत ।

10–स्वच्छ जल पम्पिंग स्टेशन हेतु मै0 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स से दो अदद 450 हार्स पावर बिजली की मोटर का क्रय और उपरोक्त के लिये एक अदद पम्प का क्रय ।

11–नये मीटर (मै0 यू0 पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड मेक) एवं स्पेयर्स का क्रय (सरकारी संस्थान)

12–क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदलना एवं नयी सीवर लाइन डालना ।

13–क्षतिग्रस्त मेनहोलों की मरम्मत, नये मेनहोलों का निर्माण, मेनहोलों कवरों को बदलना ।

14–गलीपिट व चेम्बरों की मरम्मत ।

15–सीवरों की मरम्मत एवं सफाई का कार्य ।

16–डिवाटरिंग हेतु पम्पों का क्रय एवं मरम्मत का कार्य ।

17–मेनहोलों में से होकर जा रही पाइप लाइनों की शिफ्टिंग ।

18–सीवेज पम्पस की खरीद ।

एवं अन्य छोटे-मोटे कार्य ।

ह0/-महाप्रबन्धक,

लखनऊ जल संस्थान ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर।)

गृह जनपद में क्षेत्रीय पदों पर तैनात अधिकारियों की सूची

अधिकारी का नाम	पद नाम	गृह जनपद	योगदान की तिथि
1	2	3	4
1—श्री राजेश्वर शाही	उप कृषि निदेशक, (भूमि संरक्षण) गंडक समादेश, गोरखपुर।	गोरखपुर	8/84
2—डा0 बृजमोहन लाल गंगवार	उप कृषि निदेशक, -कम-प्रभारी अधिकारी सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, बरेली।	बरेली	12-8-86
3—श्री ओ0एन0 टण्डन	भूमि संरक्षण अधिकारी, (नियोजन एवं परिकल्प) कानपुर।	कानपुर	9-6-87
4—श्री रमेश कुमार	सहायक कृषि अभियन्ता, (प्रसार) लखनऊ।	लखनऊ	28-1-84
	पुनर्तैनात का विवरण		
1—श्री राजेश्वर शाही	उपकृषि निदेशक, (भू0सं0) गण्डक समादेश, गोरखपुर।	गोरखपुर	8/84
2—डा0मो0 शकील	उप कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा) मेरठ।	गाजियाबाद	2-7-86
3—श्री सी0बी0 सिंह	उप कृषि निदेशक, (मुख्यालय) लखनऊ।	जौनपुर	5-8-86
4—श्री बसन्त लाल वर्मा	सहायक आर्य बनस्पति विद, सं0मृ0 परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हलद्वानी, नैनीताल।	अल्मोड़ा	18-7-86

पी0एस0य0पी0—एल0 189 वि0सभा (339)—1987—813।